19TH वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT 2020-21

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत

Empowering Farmers of NE Region and strengthening their livelihood

Save Water Save Life

बी वी एफ सी

BVFC

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

श्री एस.पी. मोहंती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गांधी मैदान, नामरूप में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते और परेड की सलामी लेते हुए

Shri S.P. Mohanty, CMD hoisting National Flag and taking parade salute on Republic Day at Gandhi Maidan, Namrup

श्री एस.पी. मोहंती, अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक गणतंत्र दिवस समारोह, 2022 पर सीआईएसएफ एंव वेनगार्ड परेड का निरीक्षण करते हुए

Shri S.P. Mohanty, CMD inspecting parade of CISF & Vanguard on Republic Day celebration , 2022

श्री एस पी मोहंती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल द्वारा कंपनी में पदभार ग्रहण करने के अवसर पर सीआईएसएफ द्वारा स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर करते हुए।

Shri S P Mohanty, CMD, welcomed on his joining BVFCL and gaurd of honour by CISF on this occasion.

माननीय केंद्रीय मंत्री उर्वरक और रसायन, असम के मुख्यमंत्री, उर्वरक विभाग और उर्वरक कंपनियों के अधिकारियों के साथ नामरूप–IV परियोजना पर चर्चा करते हुए

Hon'ble Union Minister of Fertilizers and Chemicals, Chief Minister of Assam discussing on Namrup-IV Project with officials of DOF and Fertilisers Companies

19वीं वार्षिक रिपोर्ट
19TH ANNUAL REPORT

2020-2021

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : नामरूप, डाकघरः पर्बतपुर, जिला डिब्रूगढ़ – 786623, असम
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
Regd. Office : Namrup, P.O.: Parbatpur, Dist: Dibrugarh -786623, Assam

श्री एस.पी. मोहंती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 73वें गणतंत्र दिवस पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए।
Shri S.P. Mohanty, CMD offering floral tribute to statue of Mahatma Gandhi on 73rd Republic Day

बीवीएफसीएल प्रबंधन ने इरेडा के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए
BVFCL Management signing MoU with IREDA

बीवीएफसीएल प्रबंधन हिंदी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजभाषा विभाग नराकास दुलियाजन द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार का प्रदर्शन करते हुए।
BVFCL management showing Award conferred by Rajbhasha Bibhag (NARACAS), Duliajan for outstanding performance in Hindi

सितंबर 2021 को गुवाहाटी में संसदीय स्थायी समिति की बैठक का एक दृश्य।
A Scene of Parliamentary Standing Committee Meeting held at Guwahati in September, 2021

बीवीएफसीएल प्रबंधन द्वारा आयोजित प्रेरणा कार्यक्रम का एक दृश्य।
A scene of motivation programme organised by BVFCL Management

स्वच्छता पखवाड़ा 2021 के दौरान बीवीएफसीएल दैनिक बाजार में जन जागरूकता कार्यक्रम का एक दृश्य।
A scene of Public Awareness Programme in BVFCL Daily Market during Swachhta Pakhwada, 2021

विषय सूची

CONTENTS

			पृष्ठ सं./Page No.
1	निदेशक मण्डल	Board of Directors	5
2	प्रबंधन टीम	Management Team	7
3	नागरिक चार्टर	Citizen Charter	9
4	अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक का भाषण	Speech of Chairman & Managing Director	12
5	वार्षिक आम बैठक का नोटिस	Notice of Annual General Meeting	21
6	स्थगित वार्षिक आम सभा की सूचना	Notice of Adjourned Annual General Meeting	27
7	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	29
8	प्रबंधन चर्चा एंव विश्लेषण रिपोर्ट	Management Discussion and Analysis Report	41
9	ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा के अर्जन एवं बहिर्गमन से संबन्धित ब्योरे का प्रकटन	Disclosure of particulars with respect to conservation of energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earning and Outgo	81
10	अ.आ., अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाले वार्षिक विवरण	Annual statement showing representation of SCs, STs, OBCs and PHs	88
11	कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट	Corporate Governance Report	89
12	आचार सहिंता के अनुपालन की घोषणा	Declaration of Compliance of Code of Conduct	107
13	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	Secretarial Audit Report	108
14	कॉर्पोरेट अधिशासन प्रमाण–पत्र	Compliance Certificate of Corporate Governance	113
15	सीईओ और सीएफओ प्रमाण–पत्र	Certificate of CEO and CFO	118
16	स्वतंत्र लेखा रिपोर्ट में उल्लेखित टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब	Management Replies on the observations stated in Independent Audit Report	120
17	बोर्ड निदेशक मण्डल के सदस्यों की प्रोफाइल	Profile of Members of Board of Directors	136
18	परीक्षित वार्षिक लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts	144
19	वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	Statutory Auditors' Reports	147
20	तुलन पत्र	Balance Sheet	183
21	लाभ एवं हानि विवरण	Statement of Profit & Loss	185
22	रोकड़ प्रवाह विवरण	Cash Flow Statement	187
23	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	Significant Accounting Policies	189
24	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	Notes on Financial Statements	197
25	कार्यनिष्पादन – एक दृष्टि में	Performance at glance	226

विश्व हिंदी दिवस 2021 पर हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिकारियों के बीच हिंदी शब्दों का छोटा टेबल स्टैंड वितरित किया गया।
On World Hindi Day, 2021 Small table stand of Hindi words distributed among Officers to popularise Hindi

श्री एस पी मोहंती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस पर बीवीएफसीएल के कर्मचारियों के साथ शपथ लेते हुए।
Employees of BVFCL along with Shri SP Mohanty, CMD, BVFCL taking pledge on Rashtriya Ekta Divas

बीवीएफसीएल की महिला कर्मचारियों का एक समूहिक चित्र।
A group photo of women employees of BVFCL

स्वच्छता पखवाड़ा 2021 के दौरान बीवीएफसीएल कर्मचारियों द्वारा निभाया गया नाटक का एक दृश्य
A scene of Natak played by BVFCL employees during Swachhta Pakhwada, 2021

श्री ए.के.घोष पूर्व सीएमडी बीवीएफसीएल, श्री. डी सहाय, निदेशक (उत्पादन), श्री एस सी दास, निदेशक (वित्त) स्वच्छता पखवाड़ा 2021 के दौरान कंपनी के अधिकारियों के साथ।
Shri A.K.Ghosh, Ex-CMD, BVFCL, Shri D.Sahai, D(P), Shri S.C.Das, D(F) along with officials of company during Swachhta Pakhwada, 2021

विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से हुई कंपनी की 105वीं बोर्ड की बैठक का एक दृश्य।
A scene of 105th Board meeting of Company held through Video conference

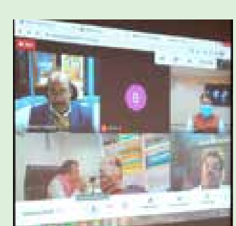

विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बीवीएफसीएल की 18वीं वार्षिक आम बैठक का एक दृश्य।
A scene of 18th Annual General Meeting of BVFCL through Video conference

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

श्री शिव प्रसाद मोहंती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(01.10.2021 से)
Shri Siba Prasad Mohanty
Chairman & Managing Director
(w.e.f. 01.10.2021)

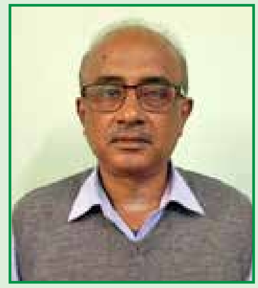

श्री असीम कुमार घोष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(30.09.2021 तक)
Shri Ashim Kumar Ghosh
Chairman & Managing Director
(Upto 30.09.2021)

श्री दिगंबर सहाय
निदेशक (उत्पादन)
(16.11.2020 से)
Shri Digambar Sahai
Director (Production)
(From 16.11.2020)

श्री सुबाश चंद्र दास
निदेशक (वित्त)
(18.12.2020 से)
Shri Subash Chandra Das
Director (Finance)
(From 18.12.2020)

श्री के गुरुमूर्ति
सरकारी निदेशक
(13.05.2020 से)
Shri K. Gurumurthy
Govt. Nominee Director
(From 13.05.2020)

श्री विनय कुमार पाण्डे
सरकारी निदेशक
(29.09.2021 तक)
Shri Vinay Kumar Pandey
Govt. Nominee Director
(Upto 29.09.2021)

श्री श्याम सुंदर अग्रवाल
सरकारी निदेशक
(07.10.2021 से)
Shri Shyam Sundar Agrawal
(From 07.10.2021)
Govt. Nominee Director

श्री बिपिना बिहारी पाधी
गैर आधिकारिक निदेशक
(9.05.2020 से)
Shri Bipina Bihari Padhy
Non Official Director
(From 9.05.2020)

श्री रबी रंजन सेन
गैर आधिकारिक निदेशक
(15.11.2021 से)
Shri Rabi Ranjan Sen
Non Official Director
(From 15.11.2021)

श्री एस.के. शर्मा
गैर आधिकारिक निदेशक
(02.11.2021 से)
Shri S.K. Sharma
Non Official Director
(From 02.11.2021)

श्री ए.के.घोष, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बीवीएफसीएल ने असम के मुख्यमंत्री माननीय डॉ हेमंत विस्वास सरमा को मुख्यमंत्री राहत कोष में कर्मचारी योगदान का चेक प्रदान करते हुए।
Shri A.K.Ghosh, Ex-CMD, BVFCL donating a cheque of employees contribution to CM Relief Fund to Hon'ble Chief Minister Dr. Hemanta Vishva Sarma, Govt. of Assam

विश्व पर्यावरण दिवस, 2021 पर श्री ए.के.घोष, पूर्व–सीएमडी, बीवीएफसीएल वृक्षारोपण करते हुए।
Shri A.K.Ghosh, EX-CMD BVFCL planting tree on World Environment Day 2021

स्वच्छता पखवाड़ा, 2021 के दौरान श्री डी सहाय, निदेशक (उत्पादन) और श्री एस सी दास, निदेशक (वित्त), बीवीएफसीएल वृक्षारोपण करते हुए।
Shri D. Sahai, Director (Production) and Shri S.C. Das, Director (Finance) BVFCL planting tree during Swachhta Pakhwada, 2021

श्री ए.के. घोष पूर्व–सीएमडी बीवीएफसीएल, प्रथम हिन्दी गृह पत्रिका 'मुक्ता उर्वरा' का विमोचन करते हुए।
Shri A.K. Ghosh, EX-CMD, BVFCL, realising first Hindi Grah Patrika 'Mukta Urvara'

निदेशक मंडल

1. श्री शिव प्रसाद मोहंती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.10.2021 से)
2. श्री असीम कुमार घोष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2021 तक)
3. श्री संजय माहेश्वरी
निदेशक (वित्त) (30.06.2020 तक)
4. श्री दिगंबर सहाय
निदेशक (उत्पादन) (16.11.2020 से)
5. श्री सुबाश चंद्र दास
निदेशक (वित्त) (18.12.2020 से)
6. श्री के गुरुमूर्ति
सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग) (13.05.2020 से)
7. श्री विनय कुमार पाण्डे
सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग) (29.09.2021 तक)
8. श्री श्याम सुंदर अग्रवाल
सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग) (07.10.2021 से)
9. श्री बिपिना बिहारी पाधी
गैर आधिकारिक निदेशक (9.05.2020 से)
10. श्री एस.के. शर्मा
गैर आधिकारिक निदेशक (02.11.2021 से)
11. श्री रबी रंजन सेन
गैर आधिकारिक निदेशक (15.11.2021 से)

कंपनी सचिव (उप महा प्रबंधक)

श्री आर. के. गुप्ता

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री प्रभास कुमार (04.06.2021 तक)
डॉ टीना सोनी (31.08.2021 से)

BOARD OF DIRECTORS

1. Shri Siba Prasad Mohanty
Chairman & Managing Director (w.e.f. 01.10.2021)
2. Shri Ashim Kumar Ghosh
Chairman & Managing Director (Upto 30.09.2021)
3. Shri Sanjai Maheshwari
Director (Finance) (Upto 30.06.2020)
4. Shri Digambar Sahai
Director (Production) (From 16.11.2020)
5. Shri Subash Chandra Das
Director (Finance)(From 18.12.2020)
6. Shri K. Gurumurthy
Govt. Director (DOF) (From 13.05.2020)
7. Shri Vinay Kumar Pandey
Govt. Director (DOF) (Upto 29.09.2021)
8. Shri Shyam Sundar Agrawal
Govt. Director (DOF) (From 07.10.2021)
9. Shri Bipina Bihari Padhy
Non Official Director (From 9.05.2020)
10. Shri S.K. Sharma
Non Official Director (From 02.11.2021)
11. Shri Rabi Ranjan Sen
Non Official Director (From 15.11.2021)

COMPANY SECRETARY (DGM)

Shri R.K.Gupta

CHIEF VIGILANCE OFFICER

Shri Prabhas Kumar (Upto 04.06.2021)
Dr. Tina Soni (From 31.08.2021)

नामरूप यूनिट

श्री वाई.के. गोयल – महा प्रबंधक (विपणन एवं मा सं)
श्री पी. सी. गुप्ता – उप महा प्रबंधक (वित्त)
श्री एस. सरकार – उप महा प्रबंधक (तकनीकी सेवा)
श्री मुकेश मिश्रा – उप महा प्रबंधक (सा.प्र. एवं वि.)
श्री पी. के. बनिक – उप महा प्रबंधक (अनुरक्षण)
श्री एम. पी. सिन्हा – उप महा प्रबंधक (अनुरक्षण)
श्री डी. के. दास – उप महा प्रबंधक (अनुरक्षण)
श्री ऐ.के. दत्ता – उप महा प्रबंधक (विपणन)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स पारिक एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस, गुवाहाटी (असम)

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स सुभद्रा दत्ता एंड एसोसिएट्स
कोस्ट एकाउंटेंट्स, कोलकता (पश्चिम बंगाल)

पंजीकृत कार्यालय

पोस्ट आफिसः पर्बतपुर, नामरूप–786623,
जिला डिब्रूगढ़ (असम)
फोन : 0374–2500240, फैक्सः 0374–2500317
ईमेल : info@bvfcl.co.in
वेबसाइट का पता : www.bvfcl.com
सीआइएन : यू24123एएस2002जीओआई006786

यूनिट

नामरूप (असम)

कानूनी सलाहकार

मैसर्स स्टील एंड हेडो, डिब्रूगढ़

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इंडिया
यूकों बैंक
सिंडिकेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक

NAMRUP UNIT

Shri Y.K. Goel - General Manager (Marketing & HR)
Shri P.C. Gupta - DGM (Finance)
Shri S.Sarkar - DGM (Technical Service)
Shri Mukesh Mishra - DGM (MM and Electrical)
Shri P.K. Banik - DGM (Maint)
Shri M.P.Sinha - DGM (Maint)
Shri D.K.Das - DGM (Maint)
Shri A.K. Dutta - DGM (Marketing)

STATUTORY AUDITORS

M/s. Parik & Co
Chartered Accountants, Guwahati (Assam)

COST AUDITORS

M/s. Subhadra Dutta & Associates
Cost Accountants, Kolkata (West Bengal)

Registered Office

P.O. : Parbatpur, Namrup -786623,
District- Dibrugarh (Assam)
Phone : 0374-2500240;Fax : 0374 –2500317
Email : info@bvfcl.co.in
Website address: www.bvfcl.com
CIN : U24123AS2002GOI006786

UNIT

Namrup (Assam)

LEGAL ADVISORS

M/s. Steel & Hadow, Dibrugarh

BANKERS

State Bank of India
UCO Bank
Syndicate Bank
Punjab National Bank
Bank of India
Axis Bank

नागरिक चार्टर

प्रस्तावना

यह चार्टर हमारे मिशन, उद्देश्यों, मूल्यों, प्रतिबद्धताओं, मानकों और दूसरों से हमारी अपेक्षाओं की घोषणा है।

मिशन

- उर्वरकों का दक्षतापूर्वक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल ढंग से उत्पादन करना।
- स्वयं को लाभ अर्जित करने वाले उद्यम के रूप में स्थापित करना।
- देश के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भागों के सर्वतोमुखी विकास के लिए कार्य करना।
- अन्य औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में विविधता लाना।
- क्षेत्र में संतुलित आर्थिक विकास करना।

लक्ष्य

बीवीएफसीएल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों का दक्षतापूर्ण और किफायती ढंग से उत्पादन और विपणन करना;
- सभी कार्यकलापों में दक्षता और उत्पादकता का इस्टतम स्तर बनाए रखना और प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना;
- ऊर्जा संरक्षण की योजनाओं को लागू करते हुए उत्पादों के विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी लाना;
- संयंत्र प्रचालन सुरक्षा में लगातार सुधार करना;
- वर्ष 2020–21 के दौरान यूरिया उत्पादन क्षमता उपयोग में वृद्धि करना;
- कंपनी के मानव संसाधनों की गुणवत्ता को लगातार उन्नत बनाना तथा संगठनात्मक विकास को प्रोन्नत करना।

मूल्य

हम अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन अत्यधिक:

- निष्ठा

CITIZENS' CHARTER

Preamble

This Charter is a declaration of our mission, objectives, values, commitments, standards and our expectations from others.

Mission

- To produce fertilizer efficiently, economically and in environment friendly manner.
- To established itself as profit making enterprises
- To work for all round improvement of the strategically important North Eastern parts of the country.
- To diversify into production of other industrial products.
- To provide balanced economic growth in the region.

Objective

BVFCL has the following objectives:

- To produce and market fertilizers efficiently and economically in an environmentally sound manner;
- To maintain optimum levels of efficiency and productivity in all activities and to carry out upgradation of Technology;
- Reduction in specific energy consumption of the product by taking up and implementing energy savings schemes;
- To continuously improve plant operation safety.
- To achieve increase in urea production capacity utilisation during 2020-21;
- To continuously upgrade the quality of human resources of the company and promote organizational development.

Values

We shall carry out our functions and duty with utmost :

- Sincerity

- तीव्रता
- समता
- अखण्डता
- पारदर्शिता से,

और बिना किसी भय या पक्षपात से करेंगे।

मानक

- हमने आपके साथ सभी लेन देन करने के लिए अपने मानक स्थापित किए हैं। हम यह वचन देते हैं कि किसी संभावित या अपरिहार्य विलंब के मामले में हम इसकी सूचना तत्काल संबंधित पार्टी को देंगे।

हमारी प्रदिबद्धताएं

हम प्रतिबद्ध हैं:–

- विशिष्टयों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक उर्वरकों का उत्पादन और वितरण करने में;
- उपभोक्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अपने उर्वरकों का समय पर वितरण करने में;
- मानव संसाधनों के विकास और प्रौद्योगिकियों का सतत् उन्नयन करने में, तथा
- निर्धारित सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने में।

ग्राहकों/नागरिकों को प्रदान की गई सेवाएं

उत्पादकता में सुधार करने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु गांव/ब्लॉक स्तर पर कंपनी द्वारा किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

कंपनी में निम्नलिखित शिकायत निवारण प्रणाली का गठन किया गया है:

1. कर्मचारी शिकायत निवारण समिति
2. टाउनशिप कल्याण समिति
3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना
4. ग्राहक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

- Speed
- Equity
- Integrity
- Transparency

and without any fear or favour.

Standards

- We have set up upon ourselves the standards for all transactions with you. We undertake that in case of likely or inevitable delay, we shall promptly communicate the same to the party concerned.

Our Commitments

We commit to:

- Produce and distribute quality fertilizers conforming to the specifications.
- Timely distribution of our fertilizers to ensure consumer satisfaction.
- Continual upgradation of Technology and Development of Human Resources.
- Strict adherence to the prescribed Safety, Health and environmental Protection Standards.

SERVICE EXTENDED TO THE CUSTOMERS/CITIZENS'

Training is imparted to the farmers free of cost by the Company in village/block level for balanced use of fertilizers for improving productivity.

FOLLOWING GRIEVANCES REDRESSAL MACHANISM HAS BEEN CONSTITUTED IN THE COMPANY.

1. Employees Grievance Redressal Committee
2. Township Welfare Committee
3. Information under the Right to Information Act, 2005
4. Customer Grievances Redressal Cell

5. जनता रिश्वत या वित्तीय अनियमितताओं के निवारण से संबंधित शिकायतों के लिए कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी से संपर्क कर सकती है।
6. केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)
7. यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के के लिए आंतरिक शिकायत समिति।

शिकायतों के निपटान करने की समय– सीमा

क. याचिका कर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर देना
2 सप्ताह

ख. संबंधित प्राधिकारी को शिकायत याचिका भेजना
3 सप्ताह

ग. शिकायत याचिका का अंतिम निपटान
2 महीने

ग्राहकों/नागरिकों से अपेक्षा

हम ग्राहकों/नागरिकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे किसी प्रकार का प्रलोभन दिए बिना और तुच्छ मुद्दों को उठाए बिना कंपनी के साथ अपने सभी लेनदेन में अपने अधिकारों और बाध्यताओं का प्रयोग करने में तर्कसंगत होंगे अैर शीघ्र कार्रवाई करेंगे।

क. ग्राहक द्वारा खरीदे गए उत्पाद इसकी गुणवत्ता, वजन आदि के बारे में सूचना को समय पर देना।

ख. आगे सुधार करने के लिए सुझाव।

5. Complaints involving redressal for bribes or financial irregularities, public may approach to the Chief Vigilance Officer of the Company
6. Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System (CPGRAMS)
7. Internal Complaints Committee under Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

TIME LIMIT FOR DISPOSAL OF GRIEVANCES

a. Issue of acknowledgement /interim reply to petitioner 2 weeks

b. Forwarding of the grievance petition to the concerned authority 3 weeks

c. Final disposal of the grievance petition
2 months

EXPECTATION FROM CUSTOMERS/CITIZENS

We expect from the customers / citizens to be reasonable and prompt in exercising your rights and obligations in all your transactions with the company without extending inducement of any kind and not raising any frivolous issues.

a. Timely feed back of information about the product purchased by the customer, its quality, weight, etc.

b. Suggestion for further improvement.

19वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष का भाषण

प्रिय सदस्यों,

कंपनी की इस 19वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तक आपको वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त हो चुकी होंगी। मुझे लगता है, आपने पूरी वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ लिया है और इसे पढ़ा हुआ मानते हैं।

अब, सीधे कंपनी के उत्पादन प्रदर्शन पर आते हुए, यह सूचित किया जाता है कि नामरूप–III में यूरिया उत्पादन मुख्य रूप से मशीनरी और उपकरणों के टूटने के कारण वर्ष के दौरान बाधित रहा और इस इकाई में 129858 मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया का उत्पादन वर्ष 2019–20 में उत्पादित 109905 मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 48.10% क्षमता उपयोग पर संभव हुआ। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान जिन कुछ प्रमुख प्रतिबंधों का सामना

CMD'S ADDRESS AT THE 19TH ANNUAL GENERAL MEETING OF BVFCL

Dear Members,

It gives me immense pleasure to extend my warm welcome to all of you at this 19th Annual General Meeting of the Company. By now you must have received copies of the Annual Report for the financial year 2020-21. I assume, you have gone through the full Annual Report and consider it as read.

Now, directly coming to the production performance of the Company, it is informed that Urea Production in Namrup-III continued to be interrupted during the year mainly because of breakdown of machineries and equipments and 129858 MT of Neem Coated Urea could be produced in this unit at about 48.10% capacity utilization compared to 109905 MT produced in the year 2019-20. Some of the major restrictions faced during the FY 2020-21

करना पड़ा, वे हैं, एलटी उत्प्रेरक का प्रतिस्थापन और अन्य रखरखाव कार्यों, सिंथेसिस गैस कंप्रेसर प्रोसेस एयर कंप्रेसर, वाटर कूल्ड कंडेनसर, सहायक बॉयलर आदि में हुई समस्याएं।

नामरूप–II में उत्पादन एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर पूरे वर्ष के दौरान निलंबित रहा, जब यूरिया संयंत्र–II को अमोनिया संयंत्र III से अमोनिया और CO_2 के साथ 20.05.2020 से 27.05.2020 की अवधि में 2022 मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करने के लिए संचालित किया गया था, जब यूरिया संयंत्र–III बंद पड़ा था। यह वित्त वर्ष 2019–20 में उत्पादित 46,087 मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया की तुलना में है। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना उचित होगा कि नामरूप–II संयंत्र को 17.05.2019 और 06.01.2020 को दो बड़ी विफलताओं का सामना करना पड़ा। पहली घटना के लगभग चार महीने बाद, संयंत्र ने परिचालन फिर से शुरू किया, लेकिन 06.01.2020 को एक और बड़ी विफलता हुई और तब से संयंत्र बंद है। मेसर्स पीडीआईएल को अमोनिया संयंत्र के सिंथेसिस सेक्शन के स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट (एनडीटी) टीम की प्रतिनियुक्ति और जहां भी आवश्यक हो वेल्ड जोड़ों और पाइपलाइनों के एनडीटी को पूरा करने का काम सौंपा गया था। मेसर्स पीडीआईएल ने अमोनिया प्लांट के सिंथेसिस सेक्शन में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट टेस्ट और डाई पेनेट्रेशन टेस्ट किया था। हालांकि, नामरूप–II संयंत्र की बहाली के लिए सभी खर्च को रोक दिया गया है, नामरूप–II संयंत्र की बहाली के संबंध में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। हाल ही में, नियंत्रण मंत्रालय (डीओएफ) ने उर्वरक विभाग के निदेशक (पीएसयू) और निदेशक (वित्त) के सदस्यों के रूप में सीएमडी, बीवीएफसीएल की अध्यक्षता में नामरूप–II संयंत्र की बहाली के प्रस्ताव की समीक्षा के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है। नामरूप–II संयंत्रों के भविष्य के संचालन के संबंध में जल्द से जल्द सिफारिश करने के लिए समिति में मेसर्स एनएफएल और मेसर्स आरसीएफएल के तकनीकी विशेषज्ञों को भी सहयोजित किए जाने की संभावना है।

निधि की कमी के कारण, उन उपकरणों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए कोई बड़ा नवीनीकरण प्रतिस्थापन कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका, जो अपने प्रभावी जीवन को पार कर चुके हैं और स्वाभाविक रूप से बार–बार विफल होने की संभावना रखते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कुछ हद तक उत्पादकता के साथ मौजूदा संयंत्रों के सुरक्षित और निरंतर संचालन को

are, replacement of LT catalyst & other maintenance jobs, problems in Synthesis Gas Compressor, Process Air Compressor, Water Cooled Condenser, Auxiliary Boiler etc.

Production in Namrup-II continued to remain suspended during the entire year except a brief period, when Urea Plant-II was operated to produce 2022 MT of Neem Coated Urea from 20.05.2020 to 27.05.2020 period with ammonia and CO_2 from Ammonia Plant-III, when Urea Plant-III was under shut down. This is in comparison to 46,087 MT of Neem Coated Urea produced in FY 2019-20. In this context, it would be worthwhile to mention that Namrup-II plants encountered two major failures on 17.05.2019 and 06.01.2020. About four months after the first incident, the plant resumed operation, but there was another major failure on 06.01.2020 and the plant has remained under shutdown since then. M/s PDIL was assigned the job of deputation of Technical Experts and Non Destructive Test (NDT) Team to Study the Health of the Synthesis Section of Ammonia Plant and to carryout NDT of weld joints and pipelines wherever required. M/s PDIL had carried out Magnetic Particle Test, Ultrasonic Thickness Measurement Test and Dye Penetration Test in the Synthesis Section of Ammonia Plant. However, all expenditure for restoration of Namrup-II plants has been kept on hold, awaiting a final decision regarding restoration of Namrup-II plants. Recently, the Controlling Ministry (DoF) has constituted a Technical Committee for vetting the proposal for restoration of Namrup-II plant, under the Chairmanship of CMD, BVFCL with Director (PSU) and Director (Finance) of DoF as the members. Technical Experts of M/s NFL and M/s RCFL are also likely to be co-opted in the committee to recommend regarding the future operation of Namrup-II plants at the earliest.

Due to paucity of fund, no major renewal replacement job could be taken in hand to improve the reliability of the equipments which have passed their effective life and are inherently prone to frequent failures. In view of the above, to ensure safe and sustained operation of the existing plants with some degree of productivity, a proposal was

सुनिश्चित करने के लिए, संयंत्र के कमजोर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक कार्य योजना को लागू करने हेतु 100 करोड़ रुपए के एकमुश्त वित्तीय अनुदान को मंजूरी देने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.02.2021 को मंजूरी दी थी और यह राशि कंपनी को हाल ही में उपलब्ध कराई गई थी। यह राशि मौजूदा संयंत्रों को अगले 4–5 वर्षों तक चलाने को सुनिश्चित करने के लिए खर्च की जाएगी।

इस संबंध में सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए उत्पादित यूरिया की पूरी मात्रा नीम कोटेड यूरिया के रूप में है। कंपनी को वर्ष 2019–20 में 129.70 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2020–21 के दौरान 137.75 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है।

नीम लेपित यूरिया के उत्पादन के अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 में क्रमशः 35.54 मीट्रिक टन और 83.86 मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान क्रमशः 14.755 मीट्रिक टन और 81.02 मीट्रिक टन के जैव उर्वरक और वर्मी खाद का उत्पादन किया। कॅरिअर आधारित जैव उर्वरक का उत्पादन कोविड–19 विघ्नों के दौरान कैरियर सामग्री जैसे आधा जले हुए चावल की भूसी और लिग्नाइट की अनुपलब्धता और आर्थिक दर पर उनकी गैर–व्यवहार्यता के कारण बंद कर दिया गया है। इन–हाउस विशेषज्ञता का उपयोग करके जनवरी 2021 में तरल जैव उर्वरक का उत्पादन शुरू किया गया है। यह मांग और विपणन योग्यता के आधार पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से प्रति वर्ष 100 मीट्रिक टन से 200 मी. टन तक स्थिर आधार पर उच्च उत्पादन प्राप्त करने में अत्यधिक फायदेमंद है। जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप यह कदम उठाया गया है। इससे कंपनी की लाभप्रदता भी बढ़ेगी।

कंपनी किसानों की मदद करने के लिए एनएफएल यूरिया, एमओपी, एसएसपी, डीएपी, सिटी कम्पोस्ट, रॉक फॉस्फेट आदि की बिक्री जैसे कृषि उत्पादों के लिए व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखे हुए है ताकि सभी कृषि उत्पाद एक छत (सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट) के नीचे उपलब्ध हो सकें। वर्ष 2020–21 के दौरान 18668 मी. टन एनएफएल यूरिया, 8971 मी. टन एमओपी, 23340 मी. टन एसएसपी, 565 मी. टन डीएपी, 1202 मी. टन सिटी कम्पोस्ट, 7598 मी. टन रॉक फॉस्फेट, 160 मी. टन जस्ता और 20 मी. टन बोरॉन का व्यापार किया, जहां वर्ष 2019–20 में 43148 मी. टन एनएफएल यूरिया, 8676 एमटी एमओपी, 10232 एमटी

submitted to DoF to approve one time financial grant-in-aid of Rs.100 Crores to implement an Action Plan to strengthen the weak areas of the plants. The proposal was approved by the Union Cabinet on 10.02.2021 and the amount was made available to the Company recently. This amount will be spent to ensure running of the existing plants for another 4 – 5 years.

The entire quantity of Urea produced has been in the form of Neem Coated urea, fulfilling Govt. directives in this regard. The Company has incurred net loss of Rs.137.75 crores during the year 2020-21 compared to a net loss of Rs. 129.70 crores in 2019-20.

Besides production of Neem Coated Urea, the Company produced Bio Fertilizer and Vermi Compost during FY 2020-21 of 14.755 MT and 81.02 MT respectively, compared to 35.54 MT and 83.86 MT respectively in FY 2019-20. Production of Career based Bio Fertilizer has been stopped due to non-availability of the career materials viz. Half Burnt Rice Husk and Lignite during Covid-19 disturbances and their non-viability at economic rate. Production of Liquid Bio Fertilizer has been started in January 2021 by using in-house expertise. This is highly beneficial in achieving higher production on a steady basis from 100 MT to 200 MT per annum in economically viable way, depending upon demand and marketability. The step has been taken in line with the Govt. of India's initiative to increase use of organic fertilizers. This will also increase the profitability for the Company.

The company is continuing the trading activities for agricultural products like Sale of NFL Urea, MoP, SSP, DAP, City Compost, Rock Phosphate etc. to help farmers so that all Agro products are available under one roof (Single Window Concept). During the year 2020-21, trading of 18668 MT of NFL Urea, 8971 MT of MoP, 23340 MT of SSP, 565 MT of DAP, 1202 MT of City Compost, 7598 MT of Rock Phosphate, 160 MT of Zinc and 20 MT of Boron was traded compared to 43148 MT of NFL Urea, 8676 MT of MoP, 10232 MT of SSP, 1212 MT of DAP, 565 MT

एसएसपी, 1212 मी. टन डीएपी, 565 मी. टन सिटी कंपोस्ट, 2535 मी. टन रॉक फॉस्फेट का कारोबार हुआ।

उर्वरक अनुप्रयोग जागरूकता कार्यक्रम (एफएएपी), जन संपर्क कार्यक्रम और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के दौरान जैविक उर्वरकों के उपयोग और लाभों पर किसानों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। जैव उर्वरक की कार्य पद्धति, लाभ के ऊपर डीलर तथा खुदरा विक्रेता को भी प्रशिक्षण दिया गया ताकि वह किसानों को उचित तरीके से मार्गदर्शन कर सकें, क्योंकि वे बड़े स्तर पर किसानों के साथ दिन–प्रतिदिन संपर्क कर रहे हैं। जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के कृषि विभाग/कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की भागीदारी और सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ।

छोटी क्षमता, मशीनरी और उपकरणों में निहित कमी के कारण होते हुए भी सभी बाधाओं के बावजूद, कंपनी बहुत कम उत्पादन लागत पर स्वदेशी यूरिया का उत्पादन करके प्रधान मंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में अत्यधिक योगदान दे रही है। संयंत्र पास के कुओं से केवल एपीएम प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहा है और इस तरह आयातित एलएनजी/आरएलएनजी आदि पर कोई निर्भरता सुनिश्चित नहीं करता है। इसके अलावा, चूंकि संयंत्र बहुत पुराने हैं, इसलिए अधिकांश पुर्जे अब स्थानीय विक्रेताओं को विकसित करके स्वदेशी स्रोतों से खरीदे जाते हैं। कंपनी ने संयंत्र संचालन और रखरखाव के संबंध में नियमित आधार पर विभिन्न आंतरिक संशोधन कार्यों और अन्य लागत में कटौती के उपायों को लागू किया है ताकि संयंत्रों की बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी के सभी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के योगदान के साथ, बीवीएफसीएल ने विनम्रतापूर्वक 10.64 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की थी ताकि कोविड़–19 महामारी के प्रसार को रोकने में सरकार का समर्थन किया जा सके।

मुझे आपको व्यवसाय के विविधीकरण द्वारा आपकी कंपनी को विकास के पथ पर वापस लाने के लिए तथा लंबे समय से उर्वरक विभाग के साथ लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए उठाए जा रहे कदम के बारे में सूचित करते हुए खुशी हो रही है।

of City Compost, 2535 MT of Rock Phosphate in 2019-20.

Training to farmers was arranged on uses and benefits of Organic fertilizers during Fertilizer Application Awareness Programme (FAAP), Mass Contact Programme & Farmers Training Programme etc. Training programmes to Dealers & Retailers on Organic fertilizers was also held on mode of action, benefits so that they can guide farmers in a proper way as they are having day to day contact with the farmers at larger level. Involvement and active Support of States Agriculture Department/ Agriculture Universities and Krishi Vigyan Kendra Scientists were received to promote Organic fertilizers.

Despite all bottlenecks due to small capacity and inherent deficiency in machineries and equipments, the Company is immensely contributing to Prime Minister's call of Atmanirbhar Bharat by producing indigenous urea at a very low production cost. The plant is using only APM Natural Gas from the near-by wells and thereby ensuring no dependence on imported LNG/RLNG etc. Moreover, as the plants are very old, so most of the spares are now procured from indigenous sources by developing local vendors for the same. The Company has implemented various in-house modification jobs and other cost cutting measures on regular basis with respect to plant operation and maintenance so as to ensure safe and reliable operation with enhanced energy efficiency of the plants.

With the contribution of one day's salary of all the employees of the Company, BVFCL had humbly deposited an amount of Rs.10.64 Lacs to CM Relief Fund to support the Government in preventing the spread of the COVID-19 pandemic.

I am happy to inform you regarding some of the steps initiated recently to bring back your Company in the path of growth by diversification of business and expeditiously taking-up some long pending matters with DoF for earlier resolution.

(क) एक नामरूप–II संयंत्र के बंद रहने के कारण पिछले कुछ वर्षों से शक्ति की कोई मांग नहीं होने के कारण दो गैस टर्बाइन जेनरेटरों में से एक कई सालों से बेकार पड़ा था। इसलिए सभी अनुमतियां प्राप्त करने और कंपनी के लिए वित्तीय लाभ के लिए राज्य/राष्ट्रीय ग्रिड को अधिशेष कैप्टिव पावर अपलोड करने की व्यवस्था करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं।

(a) One of the two Gas Turbine Generators is lying idle for the last few years due to no demand of power because of Namrup-II plants remaining shutdown. So urgent steps have been initiated to receive all permissions and making arrangements for uploading surplus captive power to state/national grid to have financial benefit for the Company.

(ख) बीवीएफसीएल परिसर में रूफ टॉप और खाली जमीन क्षेत्र में लगभग 20 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल को विकसित करने के लिए मेसर्स इरेडा और बीवीएफसीएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कदम उठाए गए ताकि बीवीएफसीएल के लिए उनकी सलाहकार सेवाएं हों। उत्पादित अतिरिक्त बिजली को कंपनी के आगे की निधि सृजन, बिक्री के लिए राज्य/राष्ट्रीय ग्रिड में भी अपलोड किया जाएगा।

(b) Steps have been initiated to sign a MoU between M/s IREDA and BVFCL to have their advisory services for BVFCL to develop the best suited model to install Solar Power System in Roof Top and vacant ground area in BVFCL premises to generate solar power of about 20 MW. The surplus power generated would also be uploaded in state/national grid for sale to further fund generation for the Company.

(ग) आपकी कंपनी मौजूदा संयंत्रों के विभिन्न बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं का उपयोग करके लगभग 1.00 से 1.20 एलएमटी प्रति वर्ष एसएसपी का उत्पादन करने के लिए संयंत्र परिसर के भीतर एक नया सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट स्थापित करने के अनुमोदन प्रदान करने के लिए उर्वरक विभाग से संपर्क किया गया है, जो मुक्ता एसएसपी के ब्रांड नाम में मार्केटिंग नेटवर्क द्वारा विपणन किया जाएगा।

(c) Your Company has approached the DoF for according permission to establish a new Single Super Phosphate Plant within the plant premises by utilizing various infrastructures and utilities of the existing plants to produce about 1.00 to 1.20 LMT per annum SSP, to be marketed by Company Marketing Network in the brand name of Mukta SSP.

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, कंपनी को 40% रियायती मूल्य पर एपीएम प्राकृतिक गैस प्रदान की जा रही है। लेकिन, चूंकि यूरिया पूरी तरह से सरकार के अधीन व प्रशासित मूल्य तंत्र और एफआईसीसी केवल वास्तविक चालान राशि के अनुसार यूरिया के रियायती मूल्य की गणना कर रहा है, इसलिए कंपनी को इस संबंध में भारत सरकार की नीति के अनुसार कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा है। तदनुसार, उर्वरक विभाग से प्राकृतिक गैस के गैर–मोपेड मूल्य निर्धारण के अनुसार यूरिया के रियायती मूल्य की गणना शुरू करने के लिए संपर्क किया गया है, ताकि आपकी कंपनी मौजूदा संयंत्रों के उन्नयन के लिए शेष राशि का निवेश कर सके। मामला अब नियंत्रण मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है।

(d) As per Govt. of India directive to promote industrialisation in North Eastern states, the Company is being provided APM Natural Gas at 40% discounted price. But, as the Urea is fully under govt. administered price mechanism and FICC is calculating the Concessional Price of Urea as per the actual invoiced amount only, so the Company is not receiving any financial benefit as per the Govt. of India Policy in this regard. Accordingly, DoF has been approached to start calculation of Concessional price of Urea as per non-mopped pricing of Natural Gas, to enable your Company to invest the balance amount for upgradation of the existing plants. The matter is now under the active consideration of the Controlling Ministry.

(ङ) कंपनी द्वारा भूटान को 1600 मीट्रिक टन तकनीकी ग्रेड यूरिया निर्यात करने की अनुमति देने के लिए मैं उर्वरक विभाग का आभारी हूं।

(च) डिब्रूगढ़ और कोच्चि के बीच यूरिया और अन्य उर्वरकों के परिवहन की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय जल मार्गों के माध्यम से परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संपर्क किया गया है, जो प्रगति पर है।

(छ) आपकी कंपनी के भारत बंदरगाहों पर संचालन और विभिन्न राज्यों में उसके वितरण के लिए आयातित थोक यूरिया के विपणन के लिए अगली ऑनलाइन सीमित बोली में भी भाग लेने की संभावना है। इसके लिए उर्वरक विभाग से पहले ही संपर्क किया गया है और धीरे–धीरे कंपनी की अखिल भारतीय उपस्थिति के लिए ओडिशा और झारखंड राज्यों में मार्केटिंग नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। इससे आपकी कंपनी को वित्तीय लाभ भी प्राप्त होगा क्योंकि एक अन्य स्वदेशी निर्माण के माध्यम से यूरिया के व्यापार की तुलना में मार्जिन में वृद्धि हुई है।

(ज) आपकी कंपनी ने संशोधित एनपीएस–III योजना के तहत बीवीएफसीएल की नामरूप–II और नामरूप–III इकाइयों के लिए यूरिया के 150 रुपए प्रति मीट्रिक टन के विशेष मुआवजे के विस्तार के संबंध में भी उर्वरक विभाग से सम्पर्क किया है।

(झ) आपकी कंपनी पूर्वोत्तर और आसपास के अन्य राज्यों के किसानों को ''मुक्ता'' यूरिया की आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए मौजूदा संयंत्रों को बेहतर दक्षता के साथ चालू रखने के लिए भी सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। उर्वरक विभाग के निर्देशानुसार, मेसर्स पीडीआईएल ने विभिन्न कारकों जैसे कि मेसर्स बीसीपीएल के चालू होने के बाद आपूर्ति की जा रही गैस की कमी, संयंत्रों की उम्र बढ़ने आदि में बदलाव के कारण मौजूदा एफआईसीसी ऊर्जा खपत मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक अध्ययन किया और नामरूप–III में मानदंड को 12.688 GCal/MT से बढ़ाकर 13.24 GCal/MT और नामरूप–II में 12.61 GCal/MT से बढ़ाकर पूर्वव्यापी प्रभाव से 18.12 GCal/MT

(e) I am grateful to Department of Fertilizers to kindly grant permission to export 1600 MT of Technical Grade Urea to Bhutan by the Company.

(f) Inland Waterways Authority of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, has been approached as per Govt. of India policy to promote transportation through National Water Ways, to arrange for transportation of Urea and other fertilizers between Dibrugarh and Kochi, which is under progress.

(g) Your Company is also likely to participate in the next Online limited bidding for marketing of Imported bulk Urea for handling at India ports and distribution thereof in various states. DoF has already approached for the same and Marketing network is being extended in the states of Odisha and Jharkhand to have gradually a pan India presence of the Company. This will also accrue financial benefit to your Company because of enhanced margin compared to trading of Urea through another indigenous manufacture.

(h) Your Company has also taken-up with DoF regarding extending Special Compensation of Rs.150 per MT of Urea for Namrup-II and Namrup-III units of BVFCL under Modified NPS-III Scheme.

(i) Your Company is also making best effort to keep the existing plants running with enhanced efficiency to keep supply of "Mukta" Urea uninterrupted to the farmers of the NE and other nearby states. As directed by DoF, M/s PDIL conducted a study to review the existing FICC Energy Consumption Norms because of change in various factors like leanness of gas being supplied after the commissioning of M/s BCPL, ageing of the plants etc. and they have recommended to enhance the norm from 12.688 GCal/MT to 13.24 GCal/MT in Namrup-III and 12.61 GCal/MT to 18.12 GCal/MT in Namrup-II with retrospective effect. The matter has been

करने की सिफारिश की गई। मामले को उर्वरक विभाग के साथ उठाया गया है। आईपीपी दरों के अनुसार यूरिया रियायती मूल्य की गणना करके विशेष छूट की अनुमति देने के लिए नियंत्रण मंत्रालय से भी संपर्क किया गया है।

taken-up with DoF. The Controlling Ministry has also been approached to allow special dispensation by calculating Urea Concessional price as per IPP rates.

आपकी कंपनी ने कोविड़ का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का सही और सक्रिय रूप से पालन किया है। आपकी कंपनी कारखाना परिसर में पूर्ण स्वच्छता बनाए हुए है; पूर्ण स्वच्छता बनाए रखने के लिए टाउनशिप और बाजार क्षेत्रों और स्थानों को साफ किया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत की जा रही है, मौजूदा ऑफिसर्स क्लब के बगल में एक पार्क और जिम विकसित किया जा रहा है और टाउनशिप में कंपनी के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।

Your Company has followed very religiously and proactively the guidelines stipulated by National Disaster Management Authority, Ministry of Home Affairs and State Govt. to combat COVID. Your Company is maintaining complete Swachhta in the Factory premises; Township and Market areas and the places are being sanitized to maintain complete hygiene. Roads are being repaired, a park & gym is being developed, adjacent to the existing Officers Club and improving healthcare facilities in the company's Hospital in the Township.

आपकी कंपनी ने क्षेत्र में कोविड़–19 महामारी और अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति के कारण सीमाओं के बावजूद यूरिया के उत्पादन और प्रेषण को बनाए रखने में सभी चुनौतियों का सामना किया। तनावपूर्ण वित्तीय स्थिति के बावजूद, प्रबंधन महामारी की अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों को मासिक वेतन और वेतन का भुगतान करने में सक्षम था, जिसमें रिटेनर, संविदा कर्मचारी और ठेकेदार के कर्मचारी शामिल थे। कंपनी के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली बनाए रखने के लिए विक्रेताओं को भुगतान भी जारी रखा है।

Your Company took all the challenges in maintaining the production and dispatch of urea in spite of the limitations due to COVID-19 pandemic and unprecedented flood situation in the area. Despite stressed financial condition, management was able to pay the monthly salary and wages to all the employees including retainers, contractual staff, and contractor's workers on time during the pandemic period. The Company has also released payment to the vendors to maintain supply chain system for the Company.

आपकी कंपनी संचालन में लगातार रुकावटों के कारण कम उत्पादन से हुई गंभीर वित्तीय स्थिति, लगातार सहायता प्रदान करने और कुछ समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए उर्वरक विभाग का आभार व्यक्त करती है।

Your Company expresses its gratitude to Department of Fertilizers for continued support extended and for resolving some long pending issues to boost the critical financial condition due to low production caused by frequent interruptions in operation.

आपकी कंपनी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सभी प्रासंगिक और लागू कानूनों/नियमों/मानकों आदि जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2001 आदि का अनुपालन किया है। विभिन्न कानूनों/नियमों/सरकारी आदेश के अनुसार दिए जाने वाले सभी रिटर्न/रिपोर्ट

Your Company is committed to work for the protection of environment and it is adhering to all the relevant and applicable laws/rules/ standards etc. viz. The Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981, Environment Protection Act 1986, Public Liability Insurance Act 1991, Batteries (Management & Handling) Rules 2001 etc. All the returns/reports etc., which are required

आदि, नियमित रूप से समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं। जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अनुसार नियमित रूप से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम द्वारा संचालन की सहमति का नवीनीकरण किया जाता है। जन दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत आस–पास के लोगों को आपदा की स्थिति में बीमा कवरेज देने के लिए 15.00 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली गई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 में 25% के लक्ष्य के मुकाबले एमएसएमई विक्रेताओं से अपनी कुल खरीद का 39.45% सफलतापूर्वक खरीदी की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 में कुल खरीद का 33% जीईएम पोर्टल से खरीदी की है।

दीर्घावधि स्थिरता के लिए आगे बढ़ते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21.05.2015 को 8.646 एलएमटीपीए की उत्पादन क्षमता के साथ पीपीपी मोड के माध्यम से प्रस्तावित नामरूप–IV परियोजना को मंजूरी दी थी। हालांकि, इस परियोजना की 52% इक्विटी के लिए मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए आरएफक्यू के जवाब में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण, प्रयास को खारिज कर दिया गया था। उर्वरक विभाग द्वारा परियोजना की क्षमता को 12.70 एलएमटीपीए तक बढ़ाने के लिए तथा नामांकन मार्ग के माध्यम से सीपीएसई और असम सरकार के एक संयुक्त उद्यम का गठन करके परियोजना की स्थापना कि एक नई पहल की गई थी। इससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के औद्योगीकरण और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन हमेशा आपकी कंपनी की पहचान रहा है। कंपनी का दर्शन व्यापार के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यवहार और देश के कानूनों और विनियमों के अनुपालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के लिए तिमाही/वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट लागू दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई को भेज दी गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा ''सुशासन की दिशा में उत्कृष्ट रेटिंग'' से सम्मानित किया गया है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने आचार संहिता नियमों के अनुपालन की पुष्टि की है।

मैं आपकी कंपनी के मामलों को चलाने में बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल में अपने सहयोगियों की ईमानदारी से सराहना करना चाहता हूँ। मैं इस अवसर पर

to be submitted as per various laws/rules/govt. orders are submitted regularly in time. Consent to Operate is renewed by the Pollution Control Board, Assam regularly as per Water Act and Air Act. A policy of Rs.15.00 crores under Public Liability Insurance Act 1991 has been taken to give insurance coverage to the nearby people, in case of disaster. The Company successfully procured 39.45% of its total procurement from MSME vendors against the target of 25% in FY 2020-21. The Company has procured 33% of the total procurement in FY 2020-21 from GeM portal.

Looking ahead for long term sustainability, the Union Cabinet had approved the proposed Namrup-IV project on 21.05.2015 through PPP mode with production capacity of 8.646 LMTPA. However, due to no response received in reply to RFQ for submission of Price Bid for 52% equity of this project, the effort was discarded. A new initiative was taken by DoF to enhance the capacity of the project to 12.70 LMTPA and establish the project by formation of a JV of CPSEs and Govt. of Assam through nomination route. This will give a boost to industrialization and economy of the North Eastern region.

Good corporate governance has always been the hallmark of your Company. The philosophy of the Company is to ensure transparency in its dealings and compliance of country's laws and regulations in order to promote ethical conduct of business. Quarterly/Annual compliance report for corporate governance guidelines have been sent to the Administrative Ministry/ DPE as per the applicable guidelines. During the year under review, Your Company have been awarded "Excellent" Rating towards good governance by the Department of Public Enterprises for the financial year 2020-21. All the Directors and Senior Management officials have affirmed the compliance to Code of Conduct Rules.

I wish to place on record my sincere appreciation to my colleagues on the Board of Directors for the valuable support and guidance in running the affairs of your

उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रेलवे और भारत सरकार के अन्य विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक, सचिवीय, आंतरिक, लागत और सरकारी लेखा परीक्षकों, बैंकों और अन्य नियामक प्राधिकरणों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं तथा उनके निरंतर समर्थन के लिए तत्पर हूँ। मैं आपकी कंपनी को राज्य सरकारों और अन्य सभी प्राधिकरणों, एजेंसियों, मूल्यवान डीलरों, ग्राहकों और प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों को संगठन के सामने पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं ट्रेड यूनियनों को उनके रचनात्मक सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। उनकी ओर से, मैं हमेशा की तरह आपका निरंतर समर्थन चाहता हूँ। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।

जय हिन्द

ह./–
शिव प्रसाद मोहंती
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 05336787

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 30 नवंबर, 2021

company. I take this opportunity to thank Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Railways and other Departments of Govt. of India, Public Sector Undertakings, Statutory, Secretarial, Internal, Cost and Govt. Auditors, Banks and other Regulatory Authorities for their valuable guidance and look forward for their continued support. I also acknowledge the support extended by the State Governments and all other authorities, agencies, valued dealers, customers and press & electronic media to your company.

I sincerely thank all the employees of the Company for their sustained endeavors in meeting the challenges posed before the organization. I also thank the trade unions for their constructive cooperation. On their behalf, I seek your continued support, as always. I thank you all once again.

Jai Hind.

Sd/-
Siba Prasad Mohanty
Chairman and Managing Director
DIN-05336787

Place : Delhi
Date : 30th November, 2021

19वीं वार्षिक आम सभा का नोटिस

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 19 वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 30 नवंबर, 2021 को निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यवसायः

1. इस आम सभा में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के परीक्षित वार्षिक लेखा प्राप्त करना, उन पर विचार करने तथा उन्हें अपनाने के साथ–साथ निदेशक मण्डल की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी एंड एजी) की टिप्पणियों का अनुमोदन तथा उसमें संशोधन के साथ अथवा बिना किसी संशोधन के निम्नलिखित संकल्प पारित करना।

   ''सी एंड एजी की टिप्पणियों के अधीन, इस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो गए, जो निदेशक की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के साथ है और इसके द्वारा अनुमोदित और अपनाया गया है।''

2. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक पर विचार करना और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के भारत के नियंत्रक तथा महा लेखाकार नई दिल्ली कार्यालय के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करनाः

   ''यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 तथा अन्य लागू प्रावधानों के लागू किए गए नियमों के साथ पढ़ने के बाद उसके अनुपालन में, मैसेर्स बी.एल. पुरोहित एंड कंपनी (एफआरएनः 311056 ई), चार्टेड अकाउंटेंट्स, गुवाहाटी, (असम) को पत्र संख्या CA -V/COY/CENTRAL GOVT-/ BVFCL

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the Members of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Video means (OAVM) on Tuesday,30th day of November, 2021, at 3.00 PM to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2021, together with the Reports of Board of Directors, Independent Audit and the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C & AG) thereon and to pass the following resolution with or without any modification(s) as Ordinary Resolution :

   "RESOLVED THAT subject to the Comments of the C & AG, the Audited Annual Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2021 along with the Director's Report, Independent Audit Report thereon be and are hereby approved and adopted."

2. To fix remuneration of Statutory Auditors of the Company for the financial year 2021-22 and to pass the following resolution with or without modification(s), as an Ordinary Resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 142 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with applicable rules made there under, M/s. B.L. Purohit & Co.(FRN:311056E), Chartered Accountants, Guwahati (Assam) appointed as Statutory Auditors of the Company, to audit the accounts

(1) /421 दिनांक 19.08.2021 द्वारा 1,80,000/– रुपए पारिश्रमिक तथा लागू जीएसटी के साथ–साथ यात्रा और अन्य जेब से बाहर खर्चे 40,000/– रुपए या वास्तविक जो भी कम हो, पर कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में वर्ष 2021–22 के कंपनी के खातों कि वित्तीय लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत किया गया है, और उपरोक्त वैधानिक लेखा परीक्षक 19वीं वार्षिक आम बैठक की समाप्ति से लेकर अगले वार्षिक आम सभा की बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे"।

of the Company for the financial year 2021-22, in terms of the letter no. CA .V/COY/CENTRAL GOVT./ BVFCL (1) /421 dated 19.08.2021 of the Office of Comptroller and Auditor General of India (C&AG), New Delhi, at the remuneration of Rs. 1,80,000/-, plus applicable GST and the travelling & other out of pocket expenses, upto the ceiling of Rs. 40,000/- or actuals, whichever is less and the above Statutory Auditors shall hold office from the conclusion of 19th Annual General Meeting till the conclusion of next Annual General Meeting."

विशेष व्यवसाय

3. निम्नलिखित निर्णय पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन(नों) के साधारण संकल्प के रूप में उसे पारित करनाः

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के समय–समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में मैसर्स सुभद्रा दत्ता एण्ड एसोसिएट, लागत लेखाकार, कोलकता, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया जाएगाः

1. वर्ष 2021–22 (नामरूप–II और III संयंत्र) के लिए जून, सितंबर और दिसंबर में तीन (03) तिमाहियों के लिए वार्षिक लागत लेखा परीक्षा और तिमाही लागत समीक्षा के लिए कुल पेशेवर शुल्क 37,100/– रुपए (सैंतीस हजार एक सौ रुपए) देय होगा;

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification(s), as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 148 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended from time to time, M/s. Subhadra Dutta & Associates, Cost Accountants, Guwahati as Cost Auditor of the Company appointed by the Board of Directors of the Company to conduct the audit of the Cost Accounting Records of the Company for the financial year ending 31st March, 2022, be paid the remuneration as under :

1. A total professional fee payable Rs. 37,100/- (Rupees thirty seven thousand and one hundred only) towards annual cost audit and quarterly cost review for three (03) quarters i.e. June, September and December for the year 2021-22 (Namrup-II & III plants);

2. वार्षिक रिपोर्ट को एक्सबीआरएल फार्मेट में परिवर्तित करना तथा इसे 6,500/– रुपए (छः हजार पांच सौ रुपए मात्र) शुल्क पर एमसीए पोर्टल पर अपलोड करना;

3. यात्रा व्यय के प्रतिपूर्ति दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रोपराइटर या भागीदार 1 (एक) को हवाईमार्ग (इकनोमी श्रेणी) (आने–जाने के लिए), 1(एक) प्रशिक्षित स्टाफ को द्वितीय श्रेणी एसी रेल (आने–जाने के लिए) और लेखा परीक्षा सहायक 1(एक) को तृतीय श्रेणी एसी रेल किराया (आने–जाने के लिए) या वास्तविक व्यय के अनुसार, जो भी कम हो, रेल यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति;

4. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अतिथि गृह में लेखा परीक्षा टीम के लिए भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था।

5. नामरूप रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड और कंपनी के गेस्ट हाउस से कार्य स्थल तक आने–जाने के लिए कंपनी द्वारा स्थानीय परिवहन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तथापि, मूल गंतव्य स्थान पर स्थानीय परिवहन प्रभार के संबंध में, प्रतिपूर्ति लेखा परीक्षा कर्मचारियों के लिए ऑटो प्रभार 200/– रुपए और प्रोपराइटर या भागीदार को टैक्सी प्रभार 300/– रुपए या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

6. ऑडिट रिपोर्ट (तिमाही/वार्षिक) की हार्ड कॉपी जमा करने से पहले मुद्रित और बंधी होनी चाहिए, जिसके लिए बीवीएफसीएल द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

7. सभी उपर्युक्त व्यावसायिक शुल्क में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है;

2. Conversion of Annual Cost Audit Report to XBRL format and uploading fee to MCA portal for Rs. 6,500/- (Rupees six thousand and five hundred only) ;

3. Reimbursement of travelling expenses by Airfare (Economic class) (to & fro) to Proprietor or Partner 1(one) and / or one (one) qualified staff, the reimbursement will be in 2AC rail fare (to & fro) and to audit assistant 1(one), the reimbursement will be in 3AC rail fare (To & fro) or as per actuals, whichever is less, on submission of documentary evidence;

4. Fooding and lodging to the audit team in BVFCL Guest House shall be provided free of charge.

5. Local transport at the Namrup Railway Station/Bus Stand and Company's Guest House to place of work to and fro, shall be provided by the company free of charge. However, in respect of local transport charges at the originating destination, the reimbursement shall be limited to auto charges @Rs. 200/- to Audit staff and Rs. 300/- for Proprietor or Partner by Taxi, or actual, whichever is less.

6. The hard copy of the audit report (quarterly/ Annual) should be printed and bind before submission for which no additional payment will be reimbursed by BVFCL.

7. All the charges/fees are excluding the applicable taxes, if any;

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को लागू करने में शीघ्रता करने तथा ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु सभी कार्य, व्यवस्था और प्रावधान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

ह./–
आर. के. गुप्ता
कंपनी सचिव

स्थानः नामरुप
दिनांकः 25 नवंबर 2021

नोट :

1. मद सं. 3 (विशेष व्यवसाय) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण् में व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

2. कोविड –19 महामारी को देखते हुए, निगमित मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') ने 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ 5 मई, 2020 की (सामूहिक रूप से इसे ''एमसीए'' परिपत्र कहा गया है'') के तहत सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी)/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') की अनुमति दी। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'' (ओं) और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी का एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

3. बैठक वेब लिंक कंपनी के सभी सदस्यों को उनकी आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा जाएगा। बैठक शुरू होने के समय से 15 मिनट पहले सदस्य वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। बैठक शुरू होने के 15 मिनट के भीतर तक सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं।

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to take all such steps, as may be necessary or expedient to give effect to this resolution."

By Order of the Board of Directors

Sd/-
R.K. Gupta
Company Secretary

Place : Namrup
Date : 25th November, 2021

Note :

1. Explanatory Statement Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the items No. 3 (Special Business) is annexed hereto.

2. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA') vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars') permitted holding of Annual General Meeting ("AGM') through VC / OAVM, without the physical presence of the Members. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act'), s') and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM.

3. The meeting web link will be sent to all the members of the Company at their official mail id. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the time scheduled for commencement of the meeting. Members can also join within 15 minutes of the commencement of meeting.

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. 08 अप्रैल, 2020 से जारी परिपत्र नंबर 14/2020 के तहत, इस एजीएम के लिए सदस्यों को मतदान में भाग लेने और वोट देने के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति के लिए सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होंगे और हाथों के प्रदर्शन के माध्यम से वोट डालेंगे।

6. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार, एजीएम को आयोजित करने वाले नोटिस को कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com पर अपलोड किया गया है।

7. नोटिस में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज बैठक की तारीख तक के व्यावसायिक घंटों के दौरान सभी कार्य दिवसों (यानी रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं।

सेवा में
बीवीएफसीएल के सभी सदस्य
बीवीएफसीएल बोर्ड के सभी निदेशक
निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक
निगम के सचिवालयी लेखापरीक्षक

4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

5. Pursuant to MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, in pursuance of Section 112 and Section 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India shall attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through show of hands.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Company at www.bvfcl.com.

7. Relevant documents referred to in the Notice are open for inspection by the members at the registered office of the Company on all working days (that is, except Sundays and Public Holidays) during business hours upto the date of the Meeting.

To
All Members of BVFCL
All the Directors on the BVFCL Board
Statutory Auditors of the Corporation
Secretarial Auditors of the Corporation

सूचना का अनुलग्नक

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरणी)

मद सं 3: वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा रिकार्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर 106 वीं बोर्ड की दिनांक 18 अगस्त 2021 की बैठक में मैसर्स सुभद्रा दत्ता एण्ड एसोसिएट,लागत लेखाकार (एफआरएनः 000223), गुवाहाटी की नियुक्ति और पारिश्रमिक को अनुमोदित किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148, अन्य लागू प्रावधानों तथा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित उपबंधों के अनुसार सूचना की मद सं. 3 पर सदस्यों से सामान्य संकल्प द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के लिए अनुसमर्थन प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

तदनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तावित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

उक्त सामान्य संकल्प को पारित करने में कोई निदेशक या कंपनी का मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, इससे संबंधित नहीं है या वित्तीय रूप से या अन्यथा रुचि नहीं रखते।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह./–
आर.के. गुप्ता
कंपनी सचिव

स्थानः नामरुप
दिनांकः 25 नवंबर, 2021

ANNEXURE TO THE NOTICE

(Explanatory Statement Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013)

Item no. 3 : Ratification of the Remuneration of the Cost Auditors of the Company for the financial year 2020-21.

The Board of Directors of the Company has approved the appointment and remuneration of M/s. Subhadra Dutta & Associates, Cost Accountants (FRN: 0000223), Guwahati as Cost Auditors of the Company in their 106th meeting held on 18th August, 2021 on the recommendation of the Audit Committee of the BVFCL Board to conduct the audit of the Cost Accounting Records of the Company for the financial year 2021-22. In accordance with the provisions of Section 148 and other applicable provisions of Companies Act, 2013 read with the Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, ratification for the remuneration payable to the Cost Auditors for the financial year 2021-22 by way of the an Ordinary Resolution is being sought from the members, as set out at item No. 3 of the Notice.

The Board accordingly recommends the passing of the proposed Ordinary Resolution for approval of the members.

None of the Directors or Key managerial personnel of the company or their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise in passing of the said Ordinary Resolution.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
R.K.Gupta
Company Secretary

Place : Namrup
Date : 25th November, 2021

19वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की स्थगित 19वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 21 दिसंबर, 2021 को अपराह्न 3.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों से आयोजित की जाएगी, ताकि निम्नलिखित व्यवसाय पर चर्चा किया जा सकेः–

साधारण व्यवसायः

1. इस आम सभा में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए, निदेशक मंडल की संशोधित रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षा और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों को अनुमोदन करते हुए साधारण संकल्प की भांति किन्ही सुधार(रों) सहित या रहित निम्नलिखित संकल्प को पारित करनाः

   ''यह संकल्प लिया जाता है कि 30 नवंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक (वास्तविक) में कंपनी के सदस्यों द्वारा संकल्प निवर्तन को पारित करने, ताकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण संशोधित निदेशक की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर सीएंडएजी की टिप्पणियां, एतद्द्वारा स्वीकृत एवं अपनाई जाती हैं।''

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

ह/–
आर के गुप्ता
कंपनी सचिव

स्थानः नामरुप
दिनाकः 16 दिसंबर 2021

टिप्पणी

1. कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') ने 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित अपने 5 मई, 2020 के परिपत्र के द्वारा (सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' कहा जाता

NOTICE OF ADJOURNED 19TH AGM

Notice is hereby given that the Adjourned 19th Annual General Meeting of the Members of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited will be held through Video Conference (VC)/ Other Audio Video Means (OAVM) on Tuesday, the 21st day of December, 2021 at 3.00 PM, to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2021, together with the Revised reports of Board of Directors, Independent Audit and the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C & AG) thereon and to pass the following resolution with or without any modification(s) as Ordinary Resolution :

   "RESOLVED THAT In supersession to the resolution approved by the members of the Company in 19th Annual General Meeting (Original) held on 30th November, 2021, the Audited Annual Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2021 along with the revised Director's Report, Independent Audit Report and Comments of C&AG thereon, be and are hereby approved and adopted."

By Order of the Board of Directors

Sd/-
R.K.Gupta
Company Secretary

Place : Namrup
Date : 16th December, 2021

Note:

1. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted holding

है) सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') आयोजित करने की अनुमति देता है। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'')और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. मीटिंग वेब लिंक कंपनी के सभी सदस्यों को उनकी आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा जाएगा। सदस्य बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। बैठक शुरू होने के 15 मिनट के भीतर सदस्य भी शामिल हो सकते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

4. 08 अप्रैल, 2020 के एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसार, इस एजीएम के लिए सदस्यों को उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति जैसे सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होंगे और हाथ दिखाकर अपना वोट डालेंगे।

5. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार, एजीएम बुलाने की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com पर अपलोड की गई है।

6. नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों (अर्थात रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

प्रति
बीवीएफसीएल के सभी सदस्य
बीवीएफसीएल बोर्ड के सभी निदेशक
निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक
निगम के सचिवीय लेखापरीक्षक

of Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), s") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM.

2. The meeting web link will be sent to all the members of the Company at their official mail id. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the time scheduled for commencement of the meeting. Members can also join within 15 minutes of the commencement of meeting.

3. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

4. Pursuant to MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, in pursuance of Section 112 and Section 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India shall attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through show of hands.

5. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Company at www.bvfcl.com.

6. Relevant documents referred to in the Notice are open for inspection by the members at the registered office of the Company on all working days (that is, except Sundays and Public Holidays) during business hours upto the date of the Meeting.

To
All Members of BVFCL
All the Directors on the BVFCL Board
Statutory Auditors of the Corporation
Secretarial Auditors of the Corporation

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड।

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सभी क्षेत्रों में कार्य–निष्पादन को दर्शाने वाले लेखा–परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण सहित कॉर्पोरेशन की 19वीं (उन्नीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षाः

पिछले वर्ष की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.20 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ (+)/हानि (–)	(-) 101.35	(-) 93.00
मूल्यह्रास	36.40	36.70
ब्याज	0	0
कर पूर्व लाभ (+)/हानि (–)	(-)137.75	(-)129.70
कर पश्चात् लाभ (+)/हानि (–)	(-)137.75	(-)129.70

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने 101. 35 करोड़ रुपए के मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पहले (पीबीडीआईटी) जबकि यह हानि पिछले वर्ष 93.00 करोड़ रुपए थी। पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान उत्पादन और बिक्री में कमी का कारण मुख्य रूप से नुकसान में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान यूरिया का उत्पादन 131880 मी टन (पिछले वर्ष 155992 मी

DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd.

Dear Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 19th (Nineteenth) Annual Report on the performance of the your company along with the Audited Annual Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2021 together with Independent Audit Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India thereon.

1. REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE:

The summarized financial performance of the Company during the year under review vis-a-vis previous year are stated as under :

(Rs. in Crores)

Particulars	For the year ended 31.03.2021	For the year Ended 31.03.2020
Profit (+)/Loss (-) before Depreciation, Interest & Tax	(-) 101.35	(-) 93.00
Depreciation	36.40	36.70
Interest	0	0
Profit (+)/Loss (-) before Tax (PBT)	(-)137.75	(-)129.70
Net Profit (+) / Loss (-) after Tax	(-)137.75	(-)129.70

During the financial year 2020-21 under review, the company incurred losses before Depreciation, Interest & Tax (PBDIT) of Rs. 101.35 Crores against the loss before Depreciation, Interest & Tax of Rs. (-) 93.00 crores in the previous year. The increase in loss is mainly due to the decrease in production and sales during the financial year 2020-21 in comparison to the previous year. During the financial year 2020-21, urea was produced 131880 MT

टन) और 137569 मी टन (पिछले वर्ष 160186 मी टन) बेचा गया था।

2. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कॉर्पोरेशन के प्रचालनों और भावी संभावनाओं को दर्शाते हुए प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक–I पर संलग्न है जो निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

3. निगमित अधिशासन

निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित अधिशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने संबंधी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड सदस्यों की आचार संहिता नियमों के अनुपालन की घोषणा तथा वृतिशील कंपनी सचिव फर्म का प्रमाण–पत्र सहित निगमित अधिशासन पर एक रिपोर्ट तथा सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर अनुलग्नक–II में दिए गए हैं, जो निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

4. निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निगम के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री असीम कुमार घोष 30 सितबर, 2021 को अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं।
- श्री शिव प्रसाद मोहंती को भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.09.2021 के द्वारा बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया तथा उन्होने 1.10.2021 को बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं निदेशक का पद ग्रहण किया।
- बीवीएफसीएल के निदेशक (वित्त) श्री संजय माहेश्वरी 30.06.2020 को अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं।

(previous year 155992 MT) and Urea was sold 137569 MT (previous year 160186 MT).

2. MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

A Report on Management Discussion and Analysis Report covering the operations and future prospects of the Corporation is enclosed at Annexure –I, forming part of the Directors' Report.

3. CORPORATE GOVERNANCE

A report on Corporate Governance along with declaration of compliance of code of conduct rules for Senior Management and Board members, Secretarial Audit Report, Certificate from Practicing Company Secretaries firm conforming the compliance of corporate governance guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Department of Public Enterprises (DPE) and the management replies on the observations made in Secretarial Audit Report are enclosed at Annexure –II, forming part of the Directors' Report.

4. CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS'

During the period under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Corporation:

- Shri Ashim Kumar Ghosh, CMD, BVFCL has retired from the services of the company on attaining his age of superannuation on 30th September, 2021.
- Shri Siba Prasad Mohanty has been appointed for the post of Chairman & Managing Director, BVFCL vide GOI Order dated 8.09.2021 and assumed the office of CMD, BVFCL w.e.f. 1.10.2021.
- Shri Sanjai Maheshwari, Director (Finance), BVFCL retired on attaining his age of superannuation on 30.06.2020.

- श्री दिगंबर सहाय, उप महा प्रबन्धक (संचालन एवं उपकरण) को भारत सरकार के आदेश दिनांक 27.10.2020 के अनुसार निदेशक(उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 16.11. 2020 को, निदेशक(उत्पादन) बीवीएफसीएल के पद का प्रभार संभाला।
- श्री सुबाश चंद्र दास, उप महा प्रबन्धक (वित्त) नाल्को, को भारत सरकार ने 4.12.2020 के आदेश के अनुसार बीवीएफसीएल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उन्होने बीवीएफसीएल में निदेशक (वित्त) के रूप में दिनांक 18.12. 2020 को पदभार सँभाला।
- भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के आदेश द्वारा दिनांक 29 सितंबर, 2021 को श्री विनय कुमार पाण्डे की जगह श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, उर्वरक विभाग के संयुक निदेशक (एफआईसीसी) को बीवीएफसीएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के श्री के. गुरुमूर्ती निदेशक (आईएफडी) ने दिनांक 20.04.2020 को उर्वरक विभाग के उप सचिव श्री सत्य मोहन गुप्ता, जो 31 मार्च, 2020 को उर्वरक विभाग से अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, के स्थान पर बीवीएफसीएल के बोर्ड में एक अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने दिनांक 20.04.2020 के द्वारा भुवनेश्वर के वृत्तिशील चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री बिपिना बिहारी पाधी को तीन साल के लिए कंपनी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 9 मई, 2020 से पद का कार्यभार संभाला।

- Shri Digambar Sahai, DGM (Operations & Instruments) appointed as Director (Production), BVFCL by the Govt. of India vide Order dated 27.10.2020, who assumed the charge of the post of Director (Production), BVFCL w.e.f. 16.11.2020.
- Shri Subash Chandra Das appointed as Director (Finance), BVFCL by the Govt. of India vide order dated 4.12.2020. He assumed the charge of the post of Director (Finance), BVFCL w.e.f.18.12.2020.
- The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 29th September, 2021 appointed Shri Shyam Sundar Agrawal, Joint Director(FICC), DOF as a part time Govt. Nominee Director on the Board of BVFCL vice Shri Vinay Kumar Pandey, Ex-Director, DOF.
- The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 20.04.2020 appointed Shri K. Gurumurhty, Director (IFD), DOF as a part time Govt. Nominee Director on the Board of BVFCL vice Shri Satya Mohan Gupta, Ex-Deputy Secretary, DOF.
- The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 20.04.2020 appointed Shri Bipina Bihari Padhy, Practicing Chartered Accountants, Bhubaneswar as Non official Director on the Board of the Company for three years. He assumed the charge of the post w.e.f. 9th May, 2020.

- भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ने दिनांक 5.11.2021 द्वारा श्री एस. के.शर्मा और श्री रबी रंजन सेन को गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में निगम में तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया।

निदेशक मंडल बीवीएफसीएल बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त निदेशकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अपनी ईमानदारी से प्रशंसा दर्ज करने की इच्छा रखता है।

5. निदेशक के उत्तरदायित्व से संबंधित विवरणः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के साथ पढ़ी गई धारा 134 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुपालन में आपके निदेशक उल्लेख करते हैंः

क. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में अधिनियम के अनुसूची–III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उससे से कोई सामग्री प्रस्थान नहीं हैं;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय दिए हैं और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष में नुकसान के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग. निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

घ. निदेशकों ने कंपनी के भविष्य में बने रहने के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है;

- The Govt. of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers vide Order dated 5.11.2021 appointed Shri S.K. Sharma and Shri Rabi Ranjan Sen as Non official Directors on the Board of the Company for three years.

Board of Directors wishes to place on record its sincere appreciation for the services rendered by the retiring Directors during their tenure on the BVFCL Board.

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

In compliance of the provisions of Section 134 (3(c) read with Section 134 (5) of Companies Act, 2013, your Directors states that:

a) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2021, the applicable accounting standards read with requirements set out under Schedule III to the Act, have been followed and there are no material departures from the same;

b) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021 and of the loss of the Company for the year ended on that date;

c) the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d) the Directors have prepared the annual accounts on a 'going concern' basis;

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किए हैं और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;

च. निदेशकों ने लागू सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।

6. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बर्हिगमन

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने तथा विदेशी विनिमय अर्जन तथा बर्हिगमन के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी नियम की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार सूचना की जानकारी अनुलग्नक–I (क) और (ख) के रूप में संलग्न है।

7. सांविधिक लेखापरीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स पारिक एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुवाहाटी को कॉर्पोरेशन के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं पर दिनांक 27.09.2021 को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तत्पश्चात, सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर और सांविधिक लेखापरीक्षक के परामर्श से लेखापरीक्षा पैरा पर उत्तर देते समय, लेखापरीक्षा के अनंतिम 7 पैरा उठाए गए। इस प्रक्रिया में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 22.11.2021 के अनुबंध–ए को इसके खंड 1(सी) में संशोधन करके संशोधित

e) the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively;

f) the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

6. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO.

The Disclosure of information in accordance with the provisions of Section 134 (3) (m) read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014,regarding conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo are enclosed at Annexure-I (A) & (B).

7. STATUTORY AUDITORS:

M/s. Parik & Co., Chartered Accountants, Guwahati were appointed as Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India to audit the accounts of the Company for the financial year 2020-21. The above Auditors have submitted their Independent Audit Report dated 27.09.2021 on the annual financial statements of the Company for the financial year ending 31st March, 2021. Subsequently, in the process of supplementary Audit by Govt. Audit Team raised provisional 7 nos. of audit paras on the audited financial statements of the company for the financial year 2020-21 and while replying on the audit para in consultation with Statutory Auditor. In this process, Statutory Auditors has revised Annexure-A of his Audit Report dated 22.11.2021, by amending its clause 1(c). The Statutory Auditors has drawn the attention with due emphasis on

किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कतिपय प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर उचित बल देते हुए ध्यान आकर्षित किया है।उपरोक्त प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर प्रबंधन उत्तर दे रहा है, जो निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा है तथा अनुलग्नक–III में संलग्न है। लेखा परीक्षा समिति ने कार्यकारी प्रबंधन को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

8. भारत के नियंत्रक और महालेखाकार (सी एंड एजी) की टिप्पणी

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमें दिनांक 7.10.2021 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा दल से 7 (सात) टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणी सहित प्रबंधन के उत्तर 2.11.2021 को निदेशक, लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन) के कार्यालय, कोलकाता के पास भेजे गए थे। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर सीएण्डएजी की दिनांक 01.12.2021 की टिप्पणी अनुलग्नक–IV में संलग्न है, जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है और किसी भी उत्तर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीएण्डएजी द्वारा इस पर शून्य टिप्पणी दी गई है।

9. लागत लेखा परीक्षकः

आपका निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत लेखांकन रिकॉर्ड्स को बनाए रख रहा है और नियम बनाए गए हैं। मैसर्स सुभद्रा दत्ता एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, गुवाहाटी को वित्तीय

certain key audit matters. The management replies on the above key audit matters including revised dated 22.11.2021 are enclosed at Annexure -III, forming part of the Directors' Report. The Audit Committee has issued directions to the executive management to take necessary actions on them during the current financial year 2021-22.

8. COMMENT OF COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C & AG)

The Comptroller & Auditor General of India (C & AG) has undertaken supplementary audit on the audited annual financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2021 under the provisions of Section 143 (6) of the Companies Act, 2013. We have received 7(seven) Nos. observations from C & AG Audit Team on 7.10.2021 and Management reply including comment of Statutory Auditors were sent to the Director o/o the Principal Director of Audit (Agriculture, Food & Water Resources), Kolkata on 2.11.2021. The Comment of the C&AG dated 01.12.2021 on the Audited Financial Statements of the Company for the year ended on 31st March, 2021 is enclosed at Annexure-IV, forming part of the Directors' Report and do not requires for any reply, as nil comments has been reported by C&AG.

9. COST AUDITORS:

Your Corporation is maintaining cost accounting records as specified by the Central Government under the provisions of Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder. M/s. Subhadra Dutta & Associates, Cost Accountants, Guwahati were appointed to

वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के लागत लेखा रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था। उपरोक्त फर्म ने 10.10.2021 को प्रबंधन को अपनी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंप दी है। वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। हालाँकि, दिनांक 27.09.2021 को कंपनी के निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदन के बाद SRN T56637242 दिनांक 28.10.2021 को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को www.mca.gov.in वेबसाइट पर दाखिल/अपलोड किया गया।

10. आंतरिक लेखा परीक्षकः

मैसर्स बीरमीवाल एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तिनसुकिया, असम को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त फर्म ने वर्ष 2020–21 के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन की समीक्षा के बाद ऑडिट समिति ने जहाँ भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्यकारी प्रबंधन को आवश्यक दिशा–निर्देश/परामर्श जारी किए।

कंपनी के तकनीकी आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक तकनीकी लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जा रही हैं, जिसमें तकनीकी सेवा, वित्त और सामग्री प्रबंधन विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

11. राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास कर रही है। सभी सरकारी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश का पालन किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम में हिंदी राजभाषा के उपयोग व जागरूकता बढ़ाने और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ हुईं:

conduct the audit of cost accounting records of the Company for the financial year 2020-21. The above firm has submitted their Cost Audit Report to the management on 10.10.2021. The Cost Audit Report for the financial year 2020-21 was filed/uploaded on the website www.mca.gov.in vide SRN T56637242 dated 28.10.2021, after duly approved by the Board of Directors of the company on 27.09.2021.

10. INTERNAL AUDITOR:

M/s. Birmiwal and Associates, Chartered Accountants, Tinsukia, Assam was appointed as Internal Auditor of the Company for the financial year 2020-21. The above firm has submitted their audit report for the year 2020-21.

The Audit Committee after review the Internal Audit Report and compliance, issued necessary directions / advisories to the executive management for taking corrective actions, wherever sought necessary.

The Technical Internal Audit of the Namrup Plants are being conducted by an in house Technical Internal Audit Committee consisting the representatives of Technical Services, Finance and Material Management Departments.

11. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

Your Company is making all efforts to propagate and implement Official Language Policy of the Government of India. All Govt. directions for implementation of Official Language Policy of the Govt. of India are being followed. During the year under review, following activities were take place to increase the awareness and motivate the employees for the use of Hindi Raj Bhasha in the Corporation:

i) बीवीएफसीएल में 14 सितंबर से 28 सितंबर 2021 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नावली, अनुवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों ने उत्साहजनक भागीदारी की।

ii) वर्ष में कुल तीन (03) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

iii) वर्ष के दौरान हिन्दी न जानने वाले कर्मचारी/अधिकारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित हिन्दी शिक्षण योजना प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ प्रशिक्षण के तहत जुलाई–नवंबर सत्र के परीक्षण में दस (10) अभियार्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

iv) बीवीएफसीएल में दिनांक 11 जनवरी (10 जनवरी को रविवार होने के कारण) को विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर कई अधिकारियों ने नराकास द्वारा आयोजित एक तकनीकी कार्यशाला में भाग लिया।

v) बीवीएफसीएल कार्यालय परिसर में स्थान–स्थान पर हिन्दी के प्रोत्साहन हेतु "हिन्दी भाषा के प्रति प्रोत्साहित करने वाली सूक्तियों का प्रदर्शन किया गया।

vi) सरकारी कामकाज के लिए कंपनी के उच्चाधिकारियों की द्विभाषी सरकारी मोहर बनाई गई।

vii) राजभाषा के कार्यान्वयन से संबन्धित वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, गुवाहाटी, और ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान, नराकास कार्यालय को भेजी जा रही है।

i) Hindi fortnight was celebrated from 14th September to 28th September, 2021. During the fortnight competitions like essay writing, speech, questionnaire , translation etc. were organized, in which employees participated enthusiastically;

ii) Three (03) Hindi workshops were organized during the year;

iii) Ten (10) employees were trained in July-November session under Hindi teaching scheme. Prabodh/Pravin/Pragya training organized by Hindi Training Institute for the employees/officers who do not know Hindi.

iv) 11th January (being a Sunday on 10th January) was celebrated as World Hindi Day. On this occasion several officials participated in a technical workshop organized by NARAKAS.

v) For awareness of daily routine notes of Hindi, are being displayed on the official intra net and one word Hindi/English is being displayed in the campus every day, which will help in the use of Hindi.

vi) Bi-lingual official seals of higher officials of the Corporation were made for official use;

vii) Annual and quarterly report about implementation of official language are regularly sent to the Rajbhasha Department, Home Ministry, Department of Fertilizers, Govt. of India, Regional Implementation Office, Official Language Home Ministry, Guwahati and Oil India Ltd., Duliajan, Narakas office.

viii) इस वित्तीय वर्ष के दौरान बीवीएफसीएल ने उर्वरक विभाग नई दिल्ली द्वारा आयोजित त्रैमासिक बैठक और ऑयल इंडिया लिमिटेड, दूलियाजान नराकास अर्ध–वार्षिक बैठेकों में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित रूप से भाग लिया।

समीक्षा वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को हिंदी भाषा के उत्कृष्ट कार्य के लिए 18/19 अक्टूबर, 2020 को शिलांग में आयोजित ''ऑयल राजभाषा सम्मेलन–2020'' में मेघालय के माननीय राज्यपाल द्वारा 'ऑयल नराकास राजभाषा शील्ड' से पुरस्कृत किया गया।

12. धारा 197 के अधीन कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कर्मचारियों के ब्यौरा को शामिल करने से छूट दी गई है।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर उत्तर देना अनिवार्य होता है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पूर्ण स्वामित्व वाली एक सरकारी कंपनी है और सार्वजनिक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों का अनुपालन करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। आपकी कंपनी ने पारदर्शी अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी, वैकल्पिक पीआईओ तथा कंपनी के सहायक जन सूचना अधिकारी का नामांकन किया है ताकि अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों के अनुरोध का प्रभावी ढंग से उत्तर दिया जा सके। अधिनियम के अंतर्गत नामित अधिकारियों का ब्यौरा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि कंपनी के कार्यों के बारे में सूचना दी जा सके।

viii) Company is regularly participated in the quarterly meetings held at Department of Fertilizers, New Delhi and Half yearly meetings held at Oil India Ltd., Duliajan, Narakas through Video Conference.

During the year under review, your company have been awarded 'Oil Naracas Rajbhasha Shield' by the Hon'ble Governor of Meghalaya State in OIL RAJBHASHA CONVENTION, 2020 in Shillong on 18/19th October, 2020 for meritorious work in progressive use of Hindi Language in the official work.

12. PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 197:

As per the provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 and rules made there under, Government Companies are exempted from inclusion of the statement of particulars of employees.

13. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Right to Information Act 2005 mandates timely response to citizen's requests for information relating to Public Authorities. BVFCL is a wholly owned Government Company under the administrative control of the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers and come within the purview of Public Authority. As per the provisions of Right to Information Act, 2005 your company makes all efforts to follow the directives so issued under the Act. Your Company has nominated Transparency Officer, Appellate Authority, Public Information Officer and Alternate PIO to respond effectively to the requests of the applicants under the Act. The details of the officers nominated under the Act have been displayed on BVFCL website to facilitate information about the affairs of the Company.

कंपनी की वेबसाइट (www.bvfcl.com) में अद्यतन सूचना अपलोड की जाती है और सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों को अपलोड किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरटीआई के अंतर्गत अट्ठाईस (28) आवेदन प्राप्त हुए इनमें से 27 आवेदनों का निस्तारण किया गया। प्रथम अपील चरण में तीन आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निर्धारित समयावधि के भीतर निपटारा कर दिया गया।

14. ऋण / निवेश / गारंटी का ब्योरा

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, 31.03.2021 को किए गए निवेश का ब्यौरा और उपलब्ध ऋण / गारंटी का विवरण संबंधित विवरणों में वित्तीय विवरणों को दर्शाया गया है।

15. वार्षिक प्रतिलाभ का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (क) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक प्रतिलाभ का उद्धरण अनुलग्नक–V में संलग्न है जो निदेशक की रिपोर्ट का भाग है। वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिटर्न, www.bvfcl.com पर कंपनी के वेबलिंक में प्रदर्शित किया गया है, जो वेबलिंक https://www.bvfcl.com/wp-content/uploads/2021/04/Annual Return 2019-20.pdf पर उपलब्ध है।

16. सचिवालयी मानक

वर्ष 2020–21 के दौरान, आपके निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों का केंद्र सरकार द्वारा विधिवत भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मापदंडो का अनुपालन किया है।

17. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार ने निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर

The Company's website (www.bvfcl.com) is maintained with updated information and all provisions of Right to Information Act have been kept uploaded. During the year under review, Twenty Eight (28) applications were received under RTI. Out of this, 27 applications were disposed off. Three applications received at First appeal stage, which were disposed off within stipulated time period.

14. DETAILS OF LOANS/INVESTMENTS/GUARANTEES

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, the details of investments made and loans/guarantees provided as on 31.03.2021 are given in the respective notes to the financial statements.

15. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

In accordance with Section 134(3) (a) of the Companies Act, 2013, an extract of the annual return in the prescribed form is enclosed at Annexure –V, forming part of the Directors' Report. The Annual Return for the year 2019-20, has been displayed in the weblink of the company at www.bvfcl.com, which is available at weblink https://www.bvfcl.com/wp-content/uploads/2021/04/Annual Return 2019-20.pdf

16. SECRETARIAL STANDARDS

During the year 2020-21, your company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) duly approved by the Central Government under the provisions of Section 118(10) of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.

17. COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES ISSUED BY DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

The Department of Public Enterprises (DPE), Government of India, has laid down certain

केंद्रीय लोक उपक्रमों को श्रेणीकरण के उद्देश्य से कुछ मापदंडों को निर्धारित किया है और यह रिपोर्ट सरकार को त्रैमासिक/वार्षिक स्तर पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आपकी कंपनी नियमित रूप से डीपीई द्वारा निर्धारित केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वर्ष 2020–21 के दौरान, डीपीई ने आपकी कंपनी को 'उत्तम रेटिंग 'जारी की है।

18. बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकों का विस्तृत खुलासा संलग्न निगमित अधिशासन रिपोर्ट में किया गया है।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित अनुसार स्वतंत्र मानदण्ड को पूरा करने के लिए घोषणा की है।

20. केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों निर्वाचिका "विजन 2022"

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने "न्यू इंडिया–2022" की व्यापक दृष्टि से उत्पन्न चुनौतियों और अपेक्षाओं के संदर्भ में केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) की भूमिका और कार्यप्रणाली को फिर से परिभाषित करने के लिए एक सहयोगी अभ्यास शुरू किया है। 9 अप्रैल, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित तथा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा संबोधित सीपीएसई कॉन्क्लेव "न्यू इंडिया–विजन 2022" में इस अभ्यास का समापन हुआ। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने जीईएम, टीआरईडीएस और संबंध पोर्टलों पर बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है और आयात प्रतिस्थापन के लिए लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त कदम उठा रही हैं, जिसके द्वारा देश, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र, स्किल इंडिया के आयात बिल निम्नतम होंगे, डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहित होंगें, फिजूल खर्च में कमी होगी और कंपनी की भू–रणनीतिक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।

parameters for the purpose of grading the CPSEs on the basis of their compliance with guidelines on Corporate Governance and this report needs to be submitted to the Government on quarterly/annual basis. Your Company is regularly complying with the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs laid down by DPE and submits reports to the DOF/DPE. During the year 2020-21, DPE has issued 'Excellent Rating' to your Company.

18. BOARD MEETINGS

The detailed disclosures of Board meetings have been made in the annexed Corporate Governance Report.

19. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS UNDER SECTION 149 (6) OF COMPANIES ACT, 2013

The Independent Director on the Board has given declaration towards meeting the criteria of independence as laid down under section 149 (6) of the Companies Act, 2013.

20. CPSE CONCLAVE "VISION 2022"

The Department of Public Enterprises (DPE) has embarked on a collaborative exercise for re-defining the role and functioning of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) in the context of challenges and expectations emerging from broad vision of 'New India-2022'. This exercise had culminated in the CPSE Conclave "New India – Vision 2022" held on 9th April, 2018 at Vigyan Bhavan, New Delhi which was addressed by Hon'ble Prime Minister. During the period under review, your company has completed the process of on boarding GeM, TReDS and Sambandh Portals and taking adequate actions towards achieving targets for import substitution thereby minimizing the import bill of the Country, MSEs, Skill India, encourage Digital transactions, Reduction in wasteful expenditure and increasing geo-strategic reach of a Company.

21. आभारः

निदेशक मण्डल भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों जैसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ.आई.सी.सी.), कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, एमओयू कार्यबल के सदस्यों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत–लेखा परीक्षकों, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिवों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, असम गैस कंपनी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पीडीआईएल, नेशनल फर्टिलाइर्जस लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइर्जस लिमिटेड, सम्मानित डीलरों और ग्राहकों, प्रेस तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्राप्त मार्गदर्शन और सतत् सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल सभी पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूको बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया तथा एक्सिस बैंक के बहुमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल अनेक बाधाओं के बावजूद, नामरूप–II और III संयंत्रों के उत्पादन संबंधी कार्य–निष्पादन में सभी स्तरों पर सुधार करने के लिए आपके कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए भी आभार व्यक्त करता है और उनकी सराहना करता है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

ह./–
शिव प्रसाद मोहंती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नामरूप
दिनांकः 16 दिसंबर, 2021

21 ACKNOWLEDGEMENT:

The Board of Directors acknowledges the valuable guidance and continued support extended by the various Departments and Ministries of the Govt. of India viz. Ministry of Chemicals & Fertilizers, Fertilizer Industry Co-ordination Committee (FICC), Ministry of Agriculture, Indian Council for Agricultural Research, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Ministry of Railways, Ministry of Finance, Ministry of Home, Department of Public Enterprises, members of MOU task force, Statutory Auditors, Cost Auditors, Practicising Company Secretaries, Comptroller & Auditor General of India, Assam Gas Company Limited, Oil India Limited, PDIL, NFL,RCF valued dealers, customers Press and Electronic Media.

The Board of Directors wishes to place on record its sincere appreciation to all the North Eastern States, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, UCO Bank, State Bank of India, Syndicate Bank and Bank of India for their valued co-operation.

The Board of Directors also acknowledges and appreciates the untiring efforts put in by the employees of your Corporation at all levels for improving the production performance of Namrup-II and III plants, despite of several constraints.

For and on Behalf of the Board

Sd/-
Siba Prasad Mohanty
Chairman & Managing Director

Place: Namrup
Date: 16th December, 2021

अनुलग्नक–1

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. प्रस्तावना

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) वर्ष 2002 (सीआईएन U24123AS2002GOI006786) में निगमित उर्वरक विभाग (डीओएफ), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अनुसूची 'बी' श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्द्यम (सीपीएसयू) है। बीवीएफसीएल नामरूप (असम) में यूरिया, जैव–उर्वरकों, वर्मी–कम्पोस्ट खाद का उत्पादन करता है और बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों (एमओपी, एसएसपी, रॉक फॉस्फेट) और सूक्ष्म पोषक–तत्वों का कारोबार करता है। निगम ''मुक्ता'' ब्रांड नाम से अपने उत्पादों का विपणन कर रहा है।

2. उद्योग ढांचा और विकासः

यूरिया, नाइट्रोजन के एक प्रमुख स्रोत होने के कारण एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है और इसकी अन्य सभी उर्वरकों की तुलना काफी अधिक खपत है। वर्तमान में यूरिया अनिवार्य वस्तु अधिनियम (ईसीए) के तहत शामिल है और सरकार विभिन्न उत्पादकों (ईसीए) के अंतर्गत बिक्री के लिए यूरिया के संविधानिक मूल्य की घोषणा करती है और संचलन आदेश जारी करती है। संविधानिक रूप से अधिसूचित बिक्री मूल्य और सांकेतिक सर्वोच्च खुदरा मूल्य संबंधित विनिर्माण (एमआरपी) इकाई के उत्पादन की लागत से कम है। उत्पादन की लागत और बिक्री मूल्य/एमआरपी के बीच का अंतर अनुमोदित एफआईसीआई ऊर्जा मानक के आधार पर निर्माताओं को राजसहायता/रियायत के रूप में भुगतान किया जाता है।

यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस एकमात्र कच्चा माल है और यूरिया उत्पादन की कुल लागत में प्रमुख लागत के रूप में शामिल है। मैसर्स

ANNEXURE – I

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. PREAMBLE

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) incorporated in the year 2002 (CIN U24123AS2002GOI006786) is a Schedule 'B' category Central Public Sector Enterprise (CPSU) under the administrative control of the Department of Fertilizers (DOF), Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt of India. BVFCL is engaged in the manufacture of Urea, Bio- fertilizers, Vermi-Compost manure at Namrup (Assam) and trading of Seeds, Pesticides, Fertilizers (MOP, SSP, Rock Phosphate) and Micronutrients. Corporation is marketing its products under the brand name "Mukta".

2. INDUSTRY STRUCTURE & DEVELOPMENTS:

Urea, as a major source of nitrogen, is also the only controlled fertilizer and has a major share of consumption compared to all other fertilizers put together. Urea is at present covered under Essential Commodity Act (ECA) and the Government declares statutory price of urea for sale and issues movement orders under ECA to different manufacturers. The statutorily notified sale price and indicative MRP is less than the cost of production of the respective manufacturing unit. The difference between the cost of production and the selling price/ MRP is paid as subsidy/ concession to manufacturers based on approved FICC Energy norm.

Natural Gas is the only raw material for production of Urea fertilizer and accounts for most of the urea production costs. Gas supply

ऑयल द्वारा की जाने वाली गैस आपूर्ति उनके सामने आने वाली विभिन्न तकनीकी और मानव संसाधन संबन्धित समस्याओं के कारण बीच–बीच में प्रभावित होती है। गैस आपूर्ति 1.60 एमएमएससीएमडी के औसत स्तर पर प्रतिबंधित बनी रही है।

बीवीएफसीएल, पूरे उत्तर–पूर्व और पूर्वी भारत में एकमात्र यूरिया विनिर्माण इकाई होने के कारण इसे इस क्षेत्र में किसानों को समय पर यूरिया की आपूर्ति करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

3. भारतीय उर्वरक और उर्वरक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद (आईसीएफएफटीआर)

भारतीय उर्वरक उद्योग मुख्य रूप से कच्चे माल और बिचौलियों या तैयार उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर है। विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए भी, देश नए संयंत्रों की स्थापना के लिए और साथ ही मौजूदा संयंत्रों के तकनीकी उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी लाइसेंस के लिए बड़े विदेशी संस्थानों पर पूरी तरह से निर्भर है। देश में कई अनुसंधान संस्थान हैं जो मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित विषयों पर अनुसंधान कर रहे हैं, हालांकि, देश में कोई समर्पित अनुसंधान संस्थान नहीं है जो विशेष रूप से उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समर्पित है। विशेष रूप से उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की आवश्यकता है।

इसलिए, उर्वरक विभाग के निर्देश के अनुसार, 19 अगस्त 2019 को एनएफएल, आरसीएफ, फैगमिल, पीडीआईल, एफएसीटी, बीवीएफसीएल, एमएफएल, एफसीआईएल एवं एचएफसीएल के संयुक्त संस्था के रूप से भारतीय उर्वरक और उर्वरक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद का गठन किया गया। परिषद के सदस्य होने के नाते आपकी कंपनी ने 5.00 लाख रुपए निधि कोष में और 1.00 लाख रुपए वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में इस वर्ष 2020–21 के लिए अभिदान किया। आपकी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक परिषद

from M/s OIL continued to be intermittently affected due to various technical and HR problems being faced by M/s OIL. Gas supply remained restricted at an average level of 1.60 MMSCMD.

BVFCL, being the only urea manufacturing unit in entire north-east and eastern India, bears primary responsibility of supplying timely urea to farmers across the region.

3. Indian Council for Fertilizer and Fertilizer Technology Research (ICFFTR)

Indian Fertilizer industry is predominantly dependent on imports either for the raw material & intermediaries or for finished products. Further for manufacturing technology also, the country is completely dependent on big foreign players for the technology license for setting up of new plants as well as for technological up-gradation of existing plants. Country is having a number of research institutions doing research on the subjects focused primarily on agriculture, however, there is no dedicated research institution in the country which is exclusively devoted to research in fertilizer sector. There is a growing need for setting up a National Level Research & Development Centre, exclusively devoted to promotion of research in fertilizer sector.

Therefore, in line with the direction of Department of Fertilizers, Indian Council for Fertilizers and Fertilizer Technology Research was formed as a society jointly by NFL, RCF, FAGMIL,PDIL, FACT, BVFCL, MFL, FCIL and HFCL on 19th Aug, 2019. As a member of ICFFTR, your company has contributed Rs.5.00 lacs as a corpus of fund and rupees One Lac annual membership fee for the FY 2020-21. Chairman and Managing Director of your company is a member in the Governing Council of ICFFTR

की गवर्निंग काउंसिल में सदस्य हैं और कंपनी के निदेशक (उत्पादन) और उप महा प्रबंधक (तकनीकी सेवा) परिषद के कार्यकारी सदस्य हैं।

यद्यपि हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले कई शोध संस्थान हैं, तथापि, देश में कोई भी समर्पित अनुसंधान संस्थान नहीं है जो विशेष रूप से उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समर्पित है। उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की आवश्यकता बढ़ रही है।

आईसीएफएफटीआर विभिन्न सदस्य कंपनियों द्वारा किए गए अनुसंधान प्रस्तावों का वित्त पोषण कर रहा हैः

क. कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और सल्फर पोषक तत्व (हाइड्रोमेटैलर्जी) के उत्पादन के लिए फॉस्फेट जिप्सम का उपयोग– पीडीआईएल द्वारा

ख. जैविक उर्वरक का विकास, परीक्षण और प्रायोगिक स्तर पर उत्पादन – आरसीएफ द्वारा

ग. जैव–उत्तेजक का विकास, परीक्षण और प्रायोगिक पैमाने पर उत्पादन–आरसीएफ द्वारा किया जा रहा है।

4. प्रदर्शन की समीक्षाः

वर्ष 2020–21 में नामरूप–II और नामरूप–III में यूरिया का उत्पादन क्रमशः 2022 मीट्रिक टन और 129858 मीट्रिक टन की तुलना में वित्त वर्ष 2019–20 में क्रमशः 46,087 मीट्रिक टन और 1,09,905 मीट्रिक टन था 2020–21 में लक्षित यूरिया उत्पादन पुराने, अविश्वसनीय उपकरणों के विभिन्न अप्रत्याशित मुख्यतः टूट–फुट के कारण हासिल नहीं किया जा सका। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए नामरूप–II और नामरूप–III में उत्पादित प्रति मीट्रिक टन यूरिया की ऊर्जा खपत क्रमशः 29.31 जीकेल/मीटन और 15.87 जीकेल/मीटन थी।

वर्ष 2020–21 और 2019–20 के दौरान यूरिया, जैव उर्वरक और वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया हैः

and Director (Production) and Dy.GM(Technical Services) of the Company are Executive Members of ICFFTR.

Although our country has a number of research institutions doing research in the field of agriculture, however, there is no dedicated research institution in the country which is exclusively devoted to research in fertilizer sector. There is a growing need for setting up a National Level Research & Development Centre, exclusively devoted to promotion of research in fertilizer sector.

ICFFTR is funding following Research Proposals undertaken by various member companies:

1. Use of Phosphate Gypsum for production of Calcium nitrate, Calcium ammonium nitrate and Sulphur nutrient (Hydrometallurgy) – By PDIL
2. Development, testing and pilot scale production of Organic Fertilizer – By RCF
3. Development, testing and pilot scale production of Bio-stimulants – By RCF

4. REVIEW OF PERFORMANCE:

Urea Production in Namrup-II and Namrup-III in the year 2020-21 was 2022 MT and 129858 MT, respectively compared to 46,087 MT and 1,09,905 MT, respectively in FY 2019-20. The targeted Urea production in 2020-21 could not be achieved due to various unforeseen breakdowns of old, unreliable equipments. Energy consumption per MT of urea produced in Namrup-II and Namrup-III was 29.31 GCal/MT and 15.87 GCal/MT, respectively for the FY 2020-21.

Production of Urea, Bio Fertilizer and Vermi Compost during the year 2020-21 and 2019-20 are given below:

वित्त वर्ष FY Year	यूरिया (मीटन) Urea (MT)		जैव उर्वरक (मीटन) Bio-Fertilizers (MT)		वर्मी कम्पोस्ट (मीटन) Vermi Compost (MT)	
	उत्पादन Production	बिक्री Sale	उत्पादन Production	बिक्री Sale	उत्पादन Production	बिक्री Sale
2019-20	155992	160186	35.54	29.60	83.86	64.73
2020-21	131880	137569	14.755	16.484	81.02	80.19

नामरूप–II संयंत्र को वर्ष में 17.05.2019 और 06. 01.2020 को दो बड़ी विफलताओं का सामना करना पड़ा। अमोनिया सिंथेसिस रिएक्टर इनलेट (कोल्ड शॉट) में जाने वाली उच्च दबाव सिंथेसिस मिक्स गैस (एसएमजी) ले जाने वाली एक पाइपलाइन के कतरन के कारण अमोनिया सिंथेसिस सेक्शन में 06.01.2020 को दूसरी बड़ी विफलता के बाद अमोनिया और यूरिया प्लांट बंद रहा। मेसर्स पीडीआईएल को अमोनिया प्लांट के सिंथेसिस सेक्शन के स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट (एनडीटी) टीम की प्रतिनियुक्ति का काम सौंपा गया था और जहां आवश्यक हो वहां वेल्ड जोड़ों और पाइपलाइनों के एनडीटी को पूरा करने के लिए सौंपा गया था। मैसर्स पीडीआईएल और मैसर्स इंस्पेक्शन सर्वे, कोलकाता ने विभिन्न एनडीटी गतिविधियां की थीं, इसकी रिपोर्ट पीडीआईएल को भेजी गई थी और पीडीआईएल से सलाह प्राप्त हुई थी। सेवा अनुबंध के लिए कार्य आदेश/क्रय आदेश देने और पुर्जों की खरीद की प्रक्रिया प्रगति पर है। हालांकि, नामरूप–II संयंत्र को फिर से चालू करने की मंजूरी मिलने के बाद ही आदेश दिए जाएंगे। इस संबंध में उर्वरक विभाग ने 5 नवंबर, 2021 के आदेश के तहत नामरूप–II संयंत्रों की बहाली के प्रस्ताव की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

यूरिया रिएक्टर लाइनर लीकेज के रखरखाव कार्य और कोविड–19 महामारी में हुए राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण नामरूप–III संयंत्र 18.04.2020 तक बंद रहा। यूरिया रिएक्टर के बॉटम हेमिस्फेयर लाइनर की 3 पंखुड़ियों को बदला गया। लाइनर रिसाव का

Namrup-II plants suffered two major failures in the year on 17.05.2019 and 06.01.2020. Ammonia & Urea Plant continued to remain under Shutdown after the 2nd major failure on 06.01.2020 in the Ammonia Synthesis Section caused by shearing off of a pipeline carrying high pressure Synthesis Mix Gas (SMG), going to Ammonia Synthesis Reactor inlet (Cold Shot). M/s PDIL was assigned the job of deputation of Technical Experts and Non Destructive Test (NDT) Team to Study the Health of the Synthesis Section of Ammonia Plant and to carryout NDT of weld joints and pipelines wherever required. M/s PDIL and M/s Inspection Survey, Kolkata had carried out various NDT activities, report of the same were forwarded to PDIL and advice from PDIL were received. Process for Placement of Work Order/ Purchase Order for Service Contract & Procurement of spares is in progress. However, orders will be placed only after receipt of clearance to re-commission the Namrup-II plants. In this regard, The Department of Fertilizers vide Order dated 5th November, 2021 constituted a three members Committee for vetting the proposal for restoration of Namrup-II Plants.

Namrup-III plants remained under Shutdown till 18.04.2020 due to maintenance jobs of the Urea Reactor liner leakage and National Lockdown due to COVID-19 pandemic. 3 Nos. of petals of bottom hemisphere liner of Urea Reactor were replaced.

काम पूरा होने के बाद, रिएक्टर को पूरी तरह से दबाव देकर परीक्षण किया गया था। 25.04.2020 को अमोनिया का उत्पादन हासिल किया गया।

नामरूप–III प्लांट को 19.11.2020 से वार्षिक शट डाउन रहा। इस अवधि के दौरान उपस्थित कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

क) अमोनिया संयंत्र के वाटर कूल्ड कंडेनसर का प्रतिस्थापन

ख) एचटी कनवर्टर का उत्प्रेरक प्रतिस्थापन

ग) प्रोसेस एयर कंप्रेसर में वुडवर्ड गवर्नर की रेट्रोफिटिंग

घ) सिंथेसिस गैस कंप्रेसर के पहले और दूसरे बैरल की पूरी तरह मरमत

वार्षिक मरमत के दौरान, सभी नियोजित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और संयंत्रों ने 21.12.2020 को उत्पादन फिर से शुरू किया।

एलटी कन्वर्टर के डीपी की बढ़ती प्रवृत्ति और प्रोसेस एयर कंप्रेसर के फीड कंट्रोल की सीमा बाध्यता के कारण, 13.02.2021 को संयंत्रों का शट डाउन लेने का निर्णय लिया गया।

इस शट डाउन के दौरान निम्नलिखित रखरखाव कार्य किए गए:

क) एलटी कन्वर्टर डाउनस्ट्रीम–लाइनों और उपकरणों की सफाई का काम, मुख्य रूप से कंडेनसेट बॉयलर, कार्बोनेट बॉयलर और सेपरेटर।

ख) सिंथेसिस गैस कंप्रेसर दूसरा बैरल बेयरिंग परीक्षण

ग) प्रोसेस एयर कंप्रेसर और सिंथेसिस गैस कंप्रेसर की टर्बाइन धुलाई

घ) कंडेनसेट रीबॉयलर (1.32 एचई–1) की 2 रिसाव ट्यूबों को प्लग किया गया।

After completion of the liner leakage job, the Reactor was tested by fully pressurizing the same. Ammonia Production was achieved on 25.04.2020.

Namrup-III Plants were taken under Annual Shut Down from 19.11.2020. Some of the major jobs attended during this period are as follows:

a) Replacement of Water Cooled Condenser of Ammonia Plant

b) Catalyst Replacement of HT Converter

c) Retrofitting of Woodward Governor in Process Air Compressor

d) Overhauling of 1st & 2nd Barrel of Synthesis Gas Compressor.

All the planned jobs were successfully completed during the Annual Turn Around and the plants resumed production w.e.f. 21.12.2020.

In view of the increasing trend of dP of LT Converter and limitation of Feed Control of Process Air Compressor, it was decided to take the Plants under Shut Down on 13.02.2021.

Following maintenance jobs were done during this Shut Down:

a. Cleaning job of LT Converter downstream-lines and equipments, mainly Condensate Boiler, Carbonate Boiler and Separators.

b. Synthesis Gas Compressor 2nd barrel bearing check-up.

c. Turbine washing of Process Air Compressor & Synthesis Gas Compressor

d. 2 nos. leaky tube of Condensate Reboiler (1.32 HE-1) plugged.

ङ) उपकरण विभाग द्वारा प्रोसेस एयर कंप्रेसर एचपी बैरल फ्रंट वाइब्रेशन का परीक्षण

च) एलटी कनवर्टर की उत्प्रेरक उतराई और शीर्ष बैड ग्राटिंग की मरम्मत।

एलटी उत्प्रेरक (शिफ्टमैक्स –210) के आने के बाद, उत्प्रेरक की लोडिंग 15.03.2021 को शुरू हुई और 19. 03.2021 तक पूरी हो गई। 01.04.2021 से अमोनिया का उत्पादन फिर से शुरू हुआ और 04.04.2021 को यूरिया का उत्पादन प्राप्त किया गया।

5. विपणन निष्पादन समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम में निम्नलिखित विपणन गतिविधियाँ की गईः

I. विपणन प्रचालन की समीक्षाः

क) निजी उत्पादः

i) मुक्ता नीम कोटेड यूरियाः वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने 1,37,569.455 मी. टन यूरिया (पिछला वर्ष 1,60,185.915 मी. टन) बिक्री की।

ii) जैव–उर्वरकः 6.70 लाख रुपए मूल्य का 13.40 मी. टन और 4.63 लाख रुपए मूल्य का 3.084 केएल तरल जैव–उर्वरक की (पिछले वर्ष मूल्य 14.80 लाख रुपए का 29.600 मी. टन) बिक्री की गई।

iii) वर्मी कम्पोस्टः 11.26 लाख रुपए मूल्य का 80.194 मी. टन वर्मी कम्पोस्ट की (पिछले वर्ष मूल्य 9.09 लाख रुपए का 64.730 मी. टन) बिक्री की गई।

ख. व्यापारिक उत्पादः

कंपनी ने विभिन्न कृषि उत्पाद का व्यापार किया है और 2020–21 के दौरान निम्नलिखित व्यापारिक कार्यकलापों का निष्पादन किया हैः

i) यूरिया (एनएफएल): 988.05 लाख रुपए मूल्य का 18668.34 मी. टन (पिछले वर्ष 2284.06 लाख रुपए मूल्य का 43148.07 मी. टन);

e. Process Air Compressor: HP barrel front vibration probe attended by Inst. Maint

f. Catalyst unloading & repairing of top bed grating of LT Converter.

After arrival of LT Catalyst (Shiftmax-210), Loading of catalyst had started on 15.03.2021 and was completed by 19.03.2021. Ammonia Production resumed from 01.04.2021 & Urea Production was achieved at 04.04.2021.

5. MARKETING PERFORMANCE REVIEW

During the year under review, your corporation has following marketing activities:

I. Review of Marketing Operations:

a) Own Products:

i) Mukta Neem Coated Urea: During the financial year 2020-21, company sold 1,37,569.455 MT Urea (Previous year 1,60,185.915 MT).

ii) Bio-Fertilizers: 13.40 MT Bio-Fertilizers valued Rs.6.70 lakhs and 3.084 KL liquid Bio-Fertilizers valued Rs. 4.63 lakhs were sold (Previous year 29.600 MT valued Rs.14.80 lacs).

iii) Vermi Compost: 80.194 MT Vermi Compost valued Rs.11.26 lakhs were sold (Previous year 64.730 MT valued Rs. 9.09 lakhs).

b) Traded Products:

Corporation has done trading business of various Agri Inputs and performed following trading activities during 2020-21:

i) Urea (NFL) : 18668.34 MT valued Rs. 988.05 lakhs (Previous year 43148.07 MT valued Rs. 2284.06 lakhs);

ii) एसएसपी उर्वरकः 1741.81 लाख रुपए मूल्य का 23340.30 मी. टन (पिछले वर्ष 772.74 लाख रुपए मूल्य का 10232.350 मी. टन) विक्रय किए गए।

iii) एमओपी फर्टिलाइजर्सः 1360.67 लाख रुपए मूल्य का 8970.90 मी. टन विक्रय किए गए। (पिछला वर्ष 1411.81 लाख रुपए का 8676.20 मी. टन)

iv) डीएपी उर्वरकः 123.97 लाख रुपए मूल्य का 565.20 मी. टन विक्रय किया गया। (पिछला वर्ष 265.88 लाख रुपए का 1212.20 मी. टन)

v) रॉक फॉस्फेटः 485.84 लाख रुपए मूल्य का 7598.00 मी. टन विक्रय किया गया। (पिछला वर्ष 162.10 लाख रुपए का 2535.00 मी. टन)

vi) सिटी कम्पोष्टः 81.52 लाख रुपए मूल्य का 1202 मी. टन विक्रय किया गया। (पिछले वर्ष 27.47 लाख रुपए मूल्य का 565 मी. टन)

vii) जिंकः 63.13 लाख रुपए मूल्य का 159.50 मी. टन (पिछले वर्ष शून्य);

viii) बोरॉनः 10.43 लाख रुपए का 22 मी. टन (पिछले वर्ष शून्य)

ग) कृषि संवर्धन कार्यक्रमः

आपका निगम पूर्वोत्तर का एकमात्र यूरिया विनिर्माण कंपनी है, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए अपने ग्राहकों/किसानों को शिक्षित करने/जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कंपनी द्वारा आयोजित किसानों/डीलरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया हैंः

i) किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम/उर्वरक अनुप्रयोग जागरूकता कार्यक्रमः आपके निगम ने असम के विभिन्न स्थानों पर चौबीस किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम/उर्वरक अनुप्रयोग जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए हैं। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, किसानों को मृदा

ii) SSP Fertilizers: 23340.30 MT valued Rs.1741.81 lakhs were sold (Previous year 10232.350 MT valued Rs.772.74 lakhs);

iii) MOP Fertilizers : 8970.90 MT valued Rs. 1360.67 lakhs were sold (Previous year 8676.20 MT valued Rs. 1411.81 lakhs)

iv) DAP Fertilizers : 565.20 MT, valued Rs. 123.97 lakhs were sold (Previous year 1212.20 MT, valued Rs. 265.88 lakhs);

v) Rock Phosphate : 7598.00 MT, valued Rs. 485.84 lakhs were sold (Previous year 2535.00 MT, valued Rs. 162.10 lakhs);

vi) City Compost: 1202 MT valued Rs.81.52 lakhs were sold (Previous year 565 MT valued Rs.27.47);

vii) Jinc : 159.50 MT valued Rs. 63.13 lakhs (previous Year Nil);

viii) Boron : 22 MT valued Rs. 10.43 lakhs (Previous year Nil).

c) Agricultural Promotion Programme:

Your Corporation is the only urea manufacturing company in Northeast, playing proactive roles in imparting education/ creating awareness to its customers/farmers for maintaining the soil health and increase in crop production. The details of farmers/dealers training programme undertaken by the company are mentioned as below:

i) Farmers Training Programme/Fertilizers application awareness programme: Your Corporation has conducted 24 nos. of Farmers Training Programme/ Fertilizers Application Awareness Programme at different destinations of Assam. During the

परीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया और आपके निगम के उर्वरकों नीम लेपित यूरिया, जैव–उर्वरक और वर्मी खाद की संतुलित/अनुशंसित खुराक का उपयोग करने की सलाह दी गई।

ii) **डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रमः** 03 (तीन) डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीटीपी) का आयोजन असम के विभिन्न स्थानों पर किया गया था। चूंकि डीलर किसानों और खुदरा विक्रेताओं को जानकारी प्रचार–प्रसार करने में महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। अंतः डीलरों को मृदा परीक्षण के महत्व, मृदा नमूना रिपोर्ट के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लाभ और आपके निगम के नीम लेपित यूरिया, वर्मी कम्पोस्ट और जैव–उर्वरकों के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। डीलरों से अनुरोध किया गया कि वे किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति उनकी मिट्टी की आवश्यकता के अनुरूप की जाए।

iii) **फसल से सम्बंधित साहित्य का वितरणः** आपके निगम द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि फसलों के विवरण सहित 22000 इश्तहार/पर्चे वितरित किए गए, जिसमें उर्वरकों की संतुलित अनुप्रयोग, मृदा परीक्षण का महत्व और आपके निगम का नीम लेपित यूरिया, वर्मी कम्पोस्ट और जैव उर्वरक पर विशेष साहित्य शामिल हैं।

iv) **आदर्श उर्वरक खुदरा दुकानेंः** उर्वरक विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, आपका निगम अपने विपणन क्षेत्र में किसान सुविधा केंद्र (केएसके) के नाम से 10 (दस) आदर्श उर्वरक खुदरा दुकानें चला रहा है। इसमें से बीवीएफसीएल की अपनी व्यवस्था के तहत नामरूप, जोरहाट, नगांव, कामरूप, बारपेटा, बोंगईगांव और कछाड़ जिलों में 07 (सात) दुकानें खोली गई और शिबसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में 03 (तीन) दुकानें फ्रैंचाइजी आधार पर खोली गई ताकि उर्वरकों की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

Farmers Training Programme, farmers were encouraged for soil testing and advised to use balanced/recommended doses of fertilizers, Neem Coated Urea, Bio-fertilizers & Vermi compost of the your Corporation.

ii) **Dealers Training Programme:** 03 (Three) nos. of Dealers Training Programme were conducted at the different destinations of Assam. Since the dealers are vital link in disseminating the information to the farmers & retailers. Dealers were educated about the importance of soil testing, benefits of balanced use of fertilizers based on soil sample report and benefits of Neem Coated Urea, Vermi Compost & Bio-fertilizers of the your corporation. Dealers were requested to facilitate supply of fertilizers to the farmers conforming to their soil requirement.

iii) **Distribution of crop Literatures:** Your Corporation has distributed 22,000 nos. of handbills/leaflets on different crops to the farmers with details of agriculture knowledge including specific literature on balance use of fertilizers, importance of soil testing and Neem Coated Urea, Vermi Compost & Bio fertilizers of your corporation.

iv) **Model Fertilizer Retail Shops:** As per the directives of Department of Fertilizers, Govt of India, your corporation is running 10 nos. of model fertilizer retail shops in the name of Kisan Suvida Kendra (KSK) in its marketing territory. Out of this, 07 (Seven) nos. running at Namrup, Jorhat, Nagaon, Kamrup, Barpeta, Bogaigaon & Cachar districts under BVFCL own arrangement and 03 (Three) nos. at Sibsagar, Dibrugarh & Tinsukia districts of Assam on franchisee basis to ensure the smooth supplies of fertilizers.

6. यूरिया के विपणन में आने वाली बाधाएं:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित कारणों से यूरिया के विपणन में बाधाओं का अनुभव किया:

रेलवे से संबंधित मुद्दे:

- प्रतिबंधों, भीड़भाड़ और कोटा की समस्या के कारण रेक की अनुपलब्धता।

माल ढुलाई की समस्या:

- एक्स–फैक्ट्री के मामले में मणिपुर और नागालैंड के लिए अंतरराज्यीय प्रेषण के लिए गंतव्य राज्यों की माल ढुलाई दरों के बजाय औसत माल भाड़ा दरों की प्रतिपूर्ति
- पीटीपीके दरों में विसंगतियों वाले जिलेवार संशोधित गौण माल भाड़ा

संचलन समस्या:

- बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए नगण्य या कोई आपूर्ति योजना नहीं है।.
- रेक की आवाजाही के लिए 1400 किलोमीटर की दूरी की सीमा।
- कारखाने से बाहर प्रेषण के मामले में 500 किलोमीटर सड़क भाड़ा प्रतिपूर्ति की सीमा.

अन्य मुद्दे :

- विपणन विभाग बहुत सीमित जनशक्ति के साथ काम कर रहा है.
- व्यापार व्यवसाय हमेशा बाजार की स्थितियों और आपूर्ति पर निर्भर करता है

जैविक उर्वरकों का उत्पादन और विपणन:

आपकी कंपनी 2008–09 से दो प्रकार के जैव–उर्वरक अर्थात एजोटोबैक्टर और फॉस्फोबैक्ट्रिन (PSB) का उत्पादन कर रही है और 8 जनवरी 2021 से तरल रूप में उत्पादन करना शुरू कर दिया है। कैरियर सामग्री की अनुपलब्धता और उनकी आर्थिक गैर–व्यवहार्यता के कारण कैरियर आधारित जैव उर्वरक का उत्पादन

6. CONSTRAINTS FACED IN MARKETING OF UREA:

During the year under review, company experienced constraints in marketing of urea due to the following reasons :

Railway related issues:

- Non-availability of rakes due to Restrictions, Congestions and Quota problem.

Freight Problem:

- In case of Ex-factory- for interstate dispatches to Manipur & Nagaland average freight rates are reimbursed instead of destination States' freight rates.
- Secondary freight revised are District wise having discrepancies in PTPK rates.

Movement Problem:

- Negligible or no Supply plan for Bihar and West Bengal.
- Distance limitation of 1400 Kms for rake movement.
- Limitation of 500 Kms road freight reimbursement in case of Ex-factory dispatches.

Other issues:

- Mktg Dept. is working with very limited manpower.
- Trading business always depends upon the market conditions and supplies.

PRODUCTION AND MARKETING OF ORGANIC FERTILIZERS:

Your company is producing two types of Bio-fertilizers i.e. Azotobacter and Phosphobactrin (PSB) since 2008-09 and started producing in Liquid form w.e.f. 8th Jan 2021. Production of Career based Bio Fertilizer has been stopped due

रोक दिया गया है। आंतरिक विशेषज्ञता का उपयोग करके तरल जैव उर्वरक का उत्पादन शुरू किया गया है। यह मांग और विपणन योग्यता के आधार पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से स्थिर आधार पर उच्च उत्पादन प्राप्त करने में अत्यधिक फायदेमंद होगा।

वर्मी कम्पोस्ट परियोजना भी नामरूप में स्थित है जिसका उत्पादन वित्तीय वर्ष 2008–09 से किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में खाद बनाने के लिए, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट से केंचुआ रेड विग्लर्स (आइसेनिया फेटिडा) प्रजाति खरीदी गई थी। उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट एफसीओ मानदंडों के अनुसार है। वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी ने अक्टूबर 2016 से सिटी कम्पोस्ट का विपणन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल से सिटी कम्पोस्ट की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में कोई भी निर्माता उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप सिटी कम्पोस्ट की बहुत अधिक लागत आती है। 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का वर्तमान एमडीए असम के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल से असम के विभिन्न जिलों में सड़क मार्ग द्वारा परिवहन की लागत बहुत अधिक है।

आपकी कंपनी पूर्वोत्तर में एकमात्र यूरिया निर्माण कंपनी है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों/किसानों को शिक्षा प्रदान करने/जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। बीवीएफसीएल के पास नामरूप, जोरहाट, नौगांव, कामरूप, बोरपेटा, बोंगाईगांव, कछार, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में दस (10) किसान सुविधा केंद्र (मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानें) हैं।

विपणन लागत को कम करने के लिए अपनाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- आवाजाही को युक्तिसंगत बनाना– रेल–सड़क संचलन अनुपात को उर्वरक विभाग द्वारा 80:20 की अनुमेय सीमा के मुकाबले 94:06 तक लाया गया (रेलवे भाड़ा 100% प्रतिपूर्ति योग्य है)।

to non-availability of the career materials and their economic non-viability. Production of Liquid Bio Fertilizer has been started by using in-house expertise. This is highly beneficial in achieving higher production on a steady basis in economically viable way, depending upon demand and marketability.

Vermi Compost Project is also located at Namrup having production from F.Y. 2008-09 onwards. For composting at the initial stage, the earthworm Red wigglers (Eisenia fetida) species were procured from Assam Agricultural University, Jorhat. The Vermi Compost produced is as per FCO norms. Efforts are being made to further increase the production of Vermi Compost.

Your company has started marketing of City Compost from October 2016. City compost supplies are arranged from West Bengal as no manufacturer is available in NE states, which results very high cost of City compost. The current MDA of Rs.1500/MT is not sufficient for Assam as the cost of transportation by Road from West Bengal to various districts of Assam is very high.

Your company is the only urea manufacturing company in Northeast and playing proactive roles in imparting education/ creating awareness to its customers/ farmers for maintaining the soil health and increasing Crop production. BVFCL is having Ten (10) numbers of Kisan Suvidha Kendra (Model Fertilizer Retail Shops) i.e. at Namrup, Jorhat, Nagaon, Kamrup, Barpeta, Bogaigaon, Cachar, Sibsagar, Dibrugarh and Tinsukia districts of Assam.

Some of the major steps adopted to reduce marketing cost are as follows:

- Rationalization of movement - Rail-Road movement ratio brought down to 94:06 against permissible limit of 80:20 by DoF (Railway freight is 100% reimbursable).

- ✓ पूर्वोत्तर राज्यों में बिक्री को प्राथमिकता दी जाती है।
- ✓ न्यूनतम भंडारण के साथ रेल–हेड की बिक्री को अधिकतम करके माल ढुलाई लागत में कमी।
- ✓ साइलों में न्यूनतम इन्वेंटरी स्तर.
- ✓ आरटीजीएस/सीएमएस के माध्यम से अधिकतम भुगतान संग्रह होता है।

जैविक उर्वरकों के विपणन में बाधाएं:

i. किसानों के बीच जैविक उर्वरकों के उपयोग और लाभों के बारे में जागरूकता की कमी।

ii. जैविक उर्वरक रासायनिक उर्वरकों की तरह तत्काल और नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं।

iii. जैव–उर्वरक का शेल्फ जीवन पाउडर के रूप में 6–12 महीने और तरल रूप में 12–24 महीने तक सीमित है।

iv. जैव–उर्वरक उपभेदों की अनुकूलन क्षमता विशिष्ट मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों तक सीमित है।

v. जैविक खाद को रासायनिक उर्वरकों के साथ डीलरों के पास धकेला जाता है और किसानों को डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के स्तर पर जबरन बिक्री की जा रही है।

vi. पैकिंग के रिसाव/फटने से बचने के लिए इसकी हैंडलिंग और परिवहन के दौरान विशेष देखभाल की आवश्यकता है।

बाधाओं को दूर करने के लिए बीवीएफसीएल द्वारा उठाए गए कदम:

i. तरल जैव–उर्वरकों पर परिवर्तित किया गया क्योंकि उनके पास 12 से 24 महीने तक की शेल्फ लाइफ है।

ii. उर्वरक अनुप्रयोग जागरूकता कार्यक्रम (एफएएपी), जन संपर्क कार्यक्रम और किसान

- ✓ Sales in North-Eastern States is given priority.
- ✓ Reduction in Inventory Carrying Cost by maximizing Rail- head sales with minimum storage.
- ✓ Minimum Inventory level in Silos.
- ✓ Maximum Payment collection is through RTGS/CMS.

Constraints in Marketing of Organic fertilizers:

i. Lack of awareness about uses & benefits of Organic fertilizers among farmers.

ii. Organic fertilizer does not show instant and dramatic response like chemical fertilizers.

iii. The shelf life of bio-fertilizer is limited to 6-12 months in powder form and 12-24 months for liquid form.

iv. Adaptability of bio-fertilizer strains is limited to specific soil & climatic conditions.

v. Organic fertilizers are pushed to the dealers along with Chemical fertilizers and forced sale is taking place at Dealers/Retailers level to farmers.

vi. Needs special care during its handling & transportation to avoid leakage/bursting of packings.

Steps taken by BVFCL to overcome the Constraints:

i. Switched over to Liquid bio-fertilizers as they have longer Shelf life to the extent of 12 to 24 months.

ii. Training to farmers on uses and benefits of Organic fertilizers during Fertilizer Application Awareness Programme (FAAP), Mass

प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के दौरान जैविक उर्वरकों के उपयोग और लाभों पर किसानों को प्रशिक्षण।

iii. डीलरों और खुदरा विक्रेताओं को जैविक उर्वरकों की कार्रवाई के तरीके, लाभ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि वे किसानों को उचित तरीके से मार्गदर्शन कर सकें क्योंकि वे बड़े स्तर पर किसानों के साथ दिन–प्रतिदिन संपर्क कर रहे हैं।

iv. जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के कृषि विभाग/कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की भागीदारी और सक्रिय समर्थन।

v. जैविक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, बीवीएफसीएल के जैविक उर्वरक पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में बेचे जाते हैं।

vi. मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के राज्य प्रशासन/कृषि विभाग/केवीके के साथ हम निकट समन्वय में भी जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।

सब्सिडी का प्रावधानः

i. अन्य रासायनिक उर्वरकों और सिटी कम्पोस्ट की तरह सब्सिडी योजना के तहत जैविक उर्वरकों यानी जैव–उर्वरक और वर्मी–कम्पोस्ट को शामिल करने से इन उत्पादों को किसानों के नियमित पैकेज में शामिल करने में मदद मिलेगी।

ii. सिटी कम्पोस्ट के लिए एम.डी.ए. लागू@ 1500/– प्रति मीट्रिक टन की दर से बहाल करने की आवश्यकता है।

iii. वित्त वर्ष 2020–21 में व्यापार बढ़ाने की दिशा में बीवीएफसीएल विपणन विभाग की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

Contact Programme & Farmers Training Programmes etc.

iii. Training programmes to Dealers & Retailers on Organic fertilizers on mode of action, benefits so that they can guide farmers in a proper way as they are having day to day contact with the farmers at larger level.

iv. Involvement and active Support of States' Agriculture Department/ Agriculture Universities and Krishi Vigyan Kendra Scientists to promote Organic fertilizers.

v. In order to promote the use of Organic fertilizer, BVFCL's Organic fertilizers are sold in North Eastern states i.e. Assam, Manipur, Tripura, Nagaland & Mizoram.

vi. We are also trying our best efforts to promote Organic fertilizers in Meghalaya, Arunachal Pradesh & Sikkim states as well, in close coordination with the State Administration/Agriculture Department/ KVKs of these states.

Provision for subsidy:

i. Inclusion of Organic Fertilizers i.e. Bio-fertilizer and Vermi-compost under Subsidy scheme like other Chemical fertilizers & City Compost will help these products to get added into regular package of practices by the farmers.

ii. M.D.A. applicable for City compost @ Rs 1500/- Per MT needs to be restored.

iii. Achievements of BVFCL Marketing Dept. in FY 2020-21 towards enhancing the trading are as follows:

कंपनी किसानों की मदद के लिए सिटी कम्पोस्ट, एसएसपी की बिक्री आदि की व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखे हुए है ताकि सभी कृषि उत्पाद एक ही छत (सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट) के नीचे उपलब्ध हो सकें।

नीम लेपित यूरियाः मिट्टी की उर्वरता और उच्च उपज में वृद्धि पर नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) के लाभकारी प्रभावों पर विचार करते हुए नीम लेपित यूरिया के अनिवार्य 100% उत्पादन के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, बीवीएफसीएल ने नामरूप–III और नामरूप–II में संयंत्र में इन–हाउस नीम कोटिंग को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। कंपनी अपने दोनों संयंत्रों से 20 अगस्त 2015 से केवल नीम लेपित यूरिया का उत्पादन कर रही है। भारत सरकार ने यूरिया के एमआरपी से ऊपर के 5% पर एनसीयू की बिक्री को इसके उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में और कोटिंग की अतिरिक्त लागत वसूलने की अनुमति दी है।

यूरिया बैग के आकार को युक्तिसंगत बनानाः सरकार ने यूरिया बैग का आकार 50 किलो से 45 किलो करना अनिवार्य कर दिया है। कंपनी उर्वरक विभाग के निर्देश संख्या 12012/20/2007–एफपीपी दिनांक 4 सितंबर 2017 के अनुसार 50 किग्रा बैग को बदलकर 01.05.2018 से केवल 45 किग्रा यूरिया से भरे बैग का उपयोग कर रही है।.

7. चालू वर्ष के लिए भविष्य का दृष्टिकोण और पहलः

कुछ ली गई नई पहल इस प्रकार हैंः

i. ठोस जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए लिग्नाइट, आधी जली हुई चावल की भूसी आदि जैसे कैरियर सामग्री की देरी/उपलब्धता के कारण उत्पादन हानि/विलंब के कारण, विशेष रूप से पश्चात कोविड़–19 प्रतिबंधों में विभिन्न कठिनाइयों के कारण जल्द से जल्द तरल जैव उर्वरक उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे जैव उर्वरक उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित होगी जिसके लिए

The company is continuing the trading activities of Sale of City Compost, Sale of SSP etc. for agricultural products to help farmers so that all Agro products are available under one roof (Single Window Concept).

Neem Coated Urea: As per Government of India's directive for mandatory 100% production of Neem coated urea considering beneficial effects of Neem Coated Urea (NCU) on increase in soil fertility and higher yield, BVFCL has successfully set-up developed in-house Neem coating plants in Namrup-III and Namrup-II to produce only Neem coated urea. The company has been producing only Neem Coated Urea with effect from 20th August 2015 from both of its plants. The GoI has allowed sale of NCU at 5% of above MRP of Urea as encouragement for its production and to recover extra cost of coating.

Rationalizing the size of urea bag: Government has made it mandatory to resize urea bag from 50kg to 45kg. The Company is using only 45kg urea filled bags w.e.f. 01.05.2018 by replacing 50kg bags as directed by Dept. of Fertilizer vide No. 12012/20/2007-FPP dated 4th Sept. 2017.

7. FUTURE OUTLOOK AND INITIATIVES FOR THE CURRENT YEAR:

Some of the new initiatives taken are as follows:

i. Due to delay/non-availability of career material like Lignite, Half burnt Rice Husk etc. for production of solid Bio Fertilizers causing production loss/delay, particularly due to various difficulties in post COVID-19 restrictions, decision has been taken to start producing Liquid Bio Fertilizers at the earliest. This will ensure increased Bio Fertilizer production which will not require

किसी कैरियर सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। यह यूरिया की खपत को कम करने के उद्देश्य से जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप है, जिसके परिणामस्वरूप यूरिया उत्पादन और मिट्टी के उन्नयन में आत्मनिर्भरता होगी।

ii. मई 2020 के महीने में, यूरिया–III संयंत्र को उसके रिएक्टर लाइनर रिसाव के कारण एक सप्ताह के लिए रोक दिया गया था, अमोनिया–III संयंत्र में उत्पादित अमोनिया और CO_2 के साथ यूरिया–II संयंत्र चलाया गया था। उत्पादन के इस दृष्टिकोण को अतीत में कभी नहीं आजमाया गया था, लेकिन तकनीकी कर्मियों के अभिनव विचार और इसे प्राप्त करने के उनके उत्साह के परिणामस्वरूप उत्पादन जारी रहा।

iii. कनवर्टर में अमोनिया संश्लेषण प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए, लूप से परिचालित गैस की कुछ मात्रा को निरंतर शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। संश्लेषण लूप में निष्क्रिय (आर्गन और मीथेन) स्तरों के निर्माण से बचने के लिए यह शुद्धिकरण विशेष रूप से आवश्यक है। यदि निष्क्रिय स्तर बढ़ता है तो लूप का दबाव बढ़ जाएगा और कनवर्टर की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी जिससे कनवर्टर तापमान में गिरावट आएगी जो प्रक्रिया को रोक भी सकती है और उत्पादन बंद कर सकती है।

iv. इस उद्देश्य के लिए, सिंथेसिस गैस कंप्रेसर रीसर्क्युलेटर के निकास से एक ब्लीड लाइन सिंथेसिस लूप गैस को शुद्ध करने के लिए प्रदान की जाती है और जिसे या तो फ्लेयर हेडर या अमोनिया रिकवरी सेक्शन में भेजा जा सकता है। विभिन्न परिचालन/मशीनरी मुद्दों के कारण अमोनिया रिकवरी सेक्शन लंबे समय से चालू नहीं था। इन मुद्दों को आंतरिक रूप से सुलझा लिया गया है और धारा को लाइन में ले लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप

any career material. This is in line with the GoI initiative to promote organic fertilizers with the aim to reduce Urea consumption, resulting Atmanirbharta in Urea production and soil upgradation.

ii. In the month of May 2020, Urea-III plant was stopped for one week due to its reactor liner leakage, Urea-II plant was run with the Ammonia and CO_2 produced in Ammonia-III plant. This approach of production had never been tried in past, but the innovative idea of technical personnel and their zeal to achieve the same resulted in continuing production.

iii. For sustenance of ammonia synthesis reaction in the converter, continuous purging of some quantity of circulated gas from the loop is needed. This purging is particularly needed to avoid the build-up of the inert (Argon and Methane) levels in the synthesis loop. If inert level rises then the loop pressure will increase and also there will be slow down of the converter reaction leading to drop in converter temperature which may even cease the reaction and stop production.

iv. For this purpose, a bleed line from exit of Synthesis Gas Compressor recirculator is provided for purging synthesis loop gas and which can be sent either to flare header or to ammonia recovery section. Ammonia recovery section was not operational since long due to different operational/machineries issues. These issues have been sorted out in-house and the section has been taken in line. This has resulted in reduction of

प्राथमिक सुधारक में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की खपत में लगभग 900 एनएम³/घंटा मूल्य 5200.00 रुपए प्रति घंटे की गैस खपत में कमी आई है और साथ ही लगभग 3.0 मीट्रिक टन/दिन अमोनिया उत्पादन में वृद्धि हुई है।

8. बीवीएफसीएल नामरूप से संबंधित आत्मनिर्भर भारत की स्थिति रिपोर्ट:

आपकी कंपनी 1960 और 1970 दशक के दो बहुत पुराने डिजाइन किए गए प्लांट चलाकर और बहुत ही कम उत्पादन लागत पर स्वदेशी यूरिया का उत्पादन करके आत्मनिर्भर भारत में अपना अहम योगदान दे रही है। संयंत्र निकटवर्ती कुओं से केवल एपीएम प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहा है और इस तरह आयातित एलएनजी/आरएलएनजी आदि पर कोई निर्भरता सुनिश्चित नहीं कर रहा है, इसके अलावा, क्योंकि संयंत्र बहुत पुराने हैं, इसलिए अधिकांश पुर्जों को अब स्थानीय विक्रेताओं द्वारा विकसित करने के लिए स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है।

मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

क. वर्ष के दौरान, कंपनी ने केवल पास के क्षेत्रों से उपलब्ध सस्ती प्राकृतिक गैस का उपयोग किया है और किसी भी एलएनजी/आरएलएनजी या अन्य आयातित फीडस्टॉक का उपयोग नहीं किया है। संयंत्रों के अपने प्रभावी जीवन को पार करने और लगातार विफलताओं से परेशान होने के बावजूद, स्थानीय प्राकृतिक गैस का उपयोग करके स्वदेशी सस्ते यूरिया का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा की बचत हासिल की गई, जिसे यूरिया में कमी को पूरा करने के लिए अन्यथा आयात करना होता।

ख. अगले तीन वर्षों के लिए वस्तुओं की सूची तैयार की गई है, जिसे विशेष रूप से स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जा सकता है।

ग. आत्मनिर्भर को प्रोत्साहित करने के लिए यूरिया उत्पादन को तीन गुना से अधिक बढ़ाकर

approximately 900 NM³/Hr gas consumption of value Rs.5200.00 per hour, of Natural Gas consumption as fuel in primary reformer and also an increase in about 3.0 MT/ day ammonia production.

8. STATUS REPORT FOR ATMANIRBHAR BHARAT PERTAINING TO BVFCL NAMRUP:

The Company is immensely contributing to Atmanirbhar Bharat by producing indigenous urea by running two very old designed plants of 1960's and 1970's at a very low production cost. The plant is using only APM Natural Gas from the near-by wells and thereby ensuring no dependence on imported LNG/RLNG etc. Moreover, as the plants are very old, so most of the spares are now procured from indigenous sources by developing local vendors for the same.

Salient points are given below:

a) During the year, the Company has used only cheap Natural Gas available from the near-by fields and not used any LNG/ RLNG or other imported feedstock. Inspite of the plants surpassing their effective life and troubled with frequent failures, saving of foreign exchange was achieved by producing indigenous cheap urea using local Natural Gas, which would have to be imported otherwise to meet the shortfall in Urea.

b) List of items have been prepared for the next three years, which can be procured exclusively from indigenous sources.

c) A proposal to replace the existing plants by establishing a new modern project of

यूरिया आयात की निर्भरता को कम करने की उद्देश्य से मौजूदा संयंत्रों को बदल के एक नए आधुनिक परियोजना स्थापन का एक प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचाराधीन है।

घ. अन्य परियोजनाओं के विपरीत जहां उनकी फीडस्टॉक आवश्यकता के लगभग 30% के लिए आरएलएनजी पर निर्भर हैं, मौजूदा संयंत्र और प्रस्तावित परियोजना पूरी तरह से घरेलू प्राकृतिक गैस जो मैसर्स ऑयल से पास के क्षेत्रों से उपलब्ध है, पर आधारित होगी। इससे आत्मनिर्भरता योजना को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

ङ. जब देश में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी, इस परियोजना से पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आदि को यूरिया का निर्यात करने की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि इन देशों से इसकी निकटता और अच्छी संयोजकता है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में पहले ही यूरिया का 2.0 से अधिक लाख मी.टन नेपाल को निर्यात किया है। यह 'मेक इन इंडिया' के साथ–साथ 'मेक फॉर वर्ल्ड' के लिए माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।

च. कंपनी ने एमएसई विक्रेताओं से 25% की अनिवार्य खरीद आवश्यकता के विपरीत वित्त वर्ष 2020–21 में कुल खरीद का 33% खरीदा है।

छ. वित्त वर्ष 2020–21 में कुल खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत 39.45% है।

9. उर्वरक विभाग के पास लंबित मुद्दे:

i. संयंत्रों में कम उत्पादन के परिणामस्वरूप निराशाजनक निधि सृजन को देखते हुए, अगले तीन वर्षों के लिए उत्पादित बीवीएफसीएल यूरिया के लिए रियायती दर को आईपीपी दर में संशोधित किया जा सकता है।

bigger capacity is under consideration of DoF to reduce dependence of urea import by boosting Urea production by more than three times to encourage Atmanirbharta.

d) Unlike other projects which are dependent on RLNG for about 30% of their feedstock requirement, the existing plants and the proposed project will be based entirely on domestic Natural Gas available from the near-by areas from M/s OIL. This will give a big boost to the scheme of Atmanirbharta.

e) This project has a very high potential to export Urea to the neighbouring countries like Bangladesh, Nepal, Myanmar etc. because of its close proximity to these countries and good connectivity, when self sufficiency in urea production is achieved in the country. The Company had already exported more than 2.0 LMT of Urea to Nepal in the last few years. This will boost the vision of honourable Prime Minister for 'Make for World', along with 'Make in India'.

f) The Company has procured 33% of the total procurement in FY 2020-21 from GeM portal against the mandatory procurement requirement of 25% from MSEs for the available items.

g) Percentage of procurement of Goods and Services from MSEs (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs) out of total procurement is 39.45% in FY 2020-21.

9. ISSUES PENDING WITH DEPARTMENT OF FERTILIZERS:

i. In view of low production in the plants resulting dismal fund generation, Concessional Rate may be revised to IPP rate for BVFCL urea produced, for next three years.

ii. ऊर्जा खपत मानदंड और यूरिया के रियायती मूल्य में संशोधन। यूरिया के रियायती मूल्य और विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंड की समीक्षा करने के अनुरोध के साथ दिनांक 24.02.2020 के माध्यम से डीओएफ को एक पत्र भेजा गया।

iii. आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए व्यापारिक व्यवसाय करने के लिए मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ एक मार्केटिंग टाई–अप किया है। नामरूप–II संयंत्र के बंद होने एवं नामरूप–III संयंत्र में हुए कम उत्पादन के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक विभाग और कृषि निदेशालय, असम से अनुरोध किया गया है कि यूरिया उत्पाद को उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स एनएफएल के साथ संपर्क करें। इस क्षेत्र की यूरिया की मांग को पूरा करने के लिए मैसर्स एनएफएल से प्रतिक्रिया प्राप्त होनी बाकी है।

iv. यूरिया रियायती मूल्य निर्धारित करने के लिए रियायती गैस मूल्य (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 40% रियायत) का गैर–मोपिंग के परिणामस्वरूप सीपीएसई को भारत सरकार की नीति का कोई लाभ उपलब्ध नहीं है।

v. प्राकृतिक गैस की कीमत में कमी और कंपनी की प्राप्य सब्सिडी से बाद में वसूली के कारण 32.69 करोड़ रुपए में से, एफआईसीसी द्वारा 26.25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और मामले की समीक्षा करने के अनुरोध के साथ उर्वरक विभाग को कंपनी की अनिश्चित वित्तीय स्थिति को देखते हुए 6.44 करोड़ रुपए की शेष राशि जारी करने के लिए 24.06.2021 को एक पत्र भेजा गया।

vi. संशोधित एनपीएस–III योजना के तहत बीवीएफसीएल की नामरूप–II और नामरूप–III इकाइयों के लिए यूरिया के 150 रुपए प्रति

ii. Revision in energy consumption norm and Concessional price of urea. A letter was sent to DoF vide dated 24.02.2020 with a request to review the Concessional Price and Specific Energy Consumption Norm of Urea.

iii. Your company has entered into a Marketing tie-up with M/s National Fertilizers Limited, for doing trading business for FY 2019-20 and 2020-21. Department of Fertilizers and Directorate of Agriculture, Assam has been requested to take-up the matter with M/s NFL to provide their urea product to meet the shortage in the North Eastern region, because of shutdown of Namrup-II plants and low production in Namrup-III plants. Response from M/s NFL is yet to be received to meet the demand of urea of this region.

iv. Non-mopping of discounted gas price (40% concession for NE states) for determining urea Concessional price, resulting no benefit of GoI policy being available to the CPSE.

v. Due to de-escalation of Natural Gas price and subsequent recovery from Company's subsidy receivable. Out of Rs. 32.69 crores, Rs. 26.25 crores has been released by FICC and a letter dated 24.06.2021 has been sent to DOF with a request to review the case and release the balance amount of Rs. 6.44 crores in view of precarious financial status of the company.

vi. The release of Special Compensation of Rs.150 per MT of Urea for Namrup-II and Namrup-III units of BVFCL under

मीट्रिक टन के विशेष मुआवजे को जारी करने के लिए कंपनी के वित्तीय तनाव को देखते हुए डीओएफ द्वारा समीक्षा की आवश्यकता है।

vii. नेपाल को यूरिया निर्यात के लिए स्वीकृति, क्योंकि कंपनी ने पहले के वर्षों में अब तक लगभग 2.25 एलएमटी निर्यात किया था और इससे सीपीएसई के साथ 65:35 के अनुपात में लाभ साझा करके भारत सरकार के खजाने को बढ़ावा मिलेगा।

10. असम सरकार के साथ उठाए जा रहे मुद्दे:

i. केन्द्रीय विद्यालय नामरूप का परियोजना केवी से सिविल केवी में परिवर्तन:

केन्द्रीय विद्यालय, नामरूप बीवीएफसीएल के पूर्ण संरक्षण में एक प्रोजेक्ट स्कूल है और कंपनी गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद, केवीएस मानदंडों के अनुसार स्कूल की पूर्ण वित्तीय और ढांचागत देनदारियों को लंबे समय से ले रही है।

गंभीर वित्तीय संकट और दिन–प्रतिदिन खर्च में वृद्धि के कारण, बीवीएफसीएल के लिए स्कूल चलाना कठिन हो गया है।

इस संबंध में केवीएस के आयुक्त को कई बार इस प्रोजेक्ट स्कूल को संभालने और सिविल सेक्टर में चलाने के लिए पत्र भेजे गए, लेकिन इस संबंध में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

हालांकि, केवी नामरूप पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, आस–पास के संगठनों जैसे असम पेट्रो–केमिकल्स लिमिटेड और नामरूप थर्मल पावर स्टेशन (एपीजीसीएल) से केवी, नामरूप के वित्तीय बोझ को साझा करने का अनुरोध किया गया है। लेकिन आज तक इस संबंध में कोई अंतिम नतीजा नहीं निकला है।

Modified NPS-III Scheme needs review by DOF considering financial strain of the company.

vii. Approval for Urea export to Nepal, as the Company had so far exported about 2.25 LMT in earlier years and the same will boost GoI exchequer by profit sharing in 65: 35 ratio with CPSE.

10. THE ISSUES BEING TAKEN-UP WITH THE GOVT. OF ASSAM:

i. Conversion of the Kendriya Vidyalaya Namrup from Project KV to Civil KV:

Kendriya Vidyalaya, Namrup is a Project School under the full patronage of BVFCL and the Company has been taking the full financial and infrastructural liabilities of the school as per the KVS norms so long, inspite of severe financial crisis.

Due to acute financial crisis and day by day increase in the expenditure, it has become unmanageable for BVFCL to run the school.

In this connection, letters were sent to the commissioner of KVS on many times to take over this Project School and to run in civil sector, but no positive response has been received in this regard.

However, to lower the financial burden towards KV Namrup, the nearby organizations like Assam Petro-chemicals Ltd and Namrup Thermal Power Station (APGCL) have been requested for sharing the financial burden of KV, Namrup. But till date no final outcome has been received in this regard.

ii. असम सरकार द्वारा बीवीएफसीएल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का अधिग्रहणः

आपकी कंपनी नामरूप में 29 अस्थायी शिक्षकों और 1 स्थायी शिक्षक के साथ एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चला रही है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, बीवीएफसीएल के मौजूदा संयंत्रों से बहुत कम यूरिया उत्पादन के कारण कम फंड सृजन, तीव्र वित्तीय संकट के कारण, कंपनी को स्कूल चलाने के लिए भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने असम सरकार से स्कूल को अपने कब्जे में लेने और सरकार द्वारा प्रायोजित स्कूल के रूप में चलाने का अनुरोध किया है।

iii. भूमि संपत्ति का मुद्रीकरणः

कंपनी के पास निम्नलिखित विवरण के अनुसार उसके स्वामित्व में भूमि हैः

भूमि का प्रकार	भूमि क्षेत्रफल	
	हेक्टेयर	वर्ग मीटर
फैक्टरी	86.97	869744
बस्ती	262.40	2623968
कुल	349.37	3493712

बीवीएफसीएल की अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण और औद्योगिक विकास एवं अधिकतम उपयोग हेतु अध्ययन करके रोड मैप तैयार करने के लिए पत्र दिनांक 12.11.2020 के माध्यम से एआईडीसी से अनुरोध किया है।

एआईडीसी ने एपीएल के तहत नई औद्योगिक परियोजना की स्थापना में बीवीएफसीएल भूमि के उपयोग के लिए असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एपीएल), नामरूप के पत्र दिनांक 05.01.2021 के माध्यम से सहमति और विचार मांगे हैं। मेसर्स एपीएल ने दिनांक 18.01.2021 के पत्र द्वारा भी प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है।

ii. Taking over of the BVFCL Higher Secondary School by Govt. of Assam:

Your company is running a Higher Secondary School at Namrup with 29 Nos. Temporary Teachers and 1 No. Permanent Teacher. As stated above, due to acute financial crisis due to low fund generation because of very low Urea production from the existing plants of BVFCL, the Company is facing huge financial crunch to continue to run the school.

In view of the above, your company has requested to the Govt. of Assam to take over the school and run as Govt. sponsored school.

iii. Monetization of land assets:

The Company is having land under its ownership as per the following details:

Type of land	Land area	
	Hectare	Sq. Mtr
Factory	86.97	869744
Township	262.40	2623968
Total	349.37	3493712

BVFCL has requested AIDC, vide letter dated 12.11.2020 for conducting a study and preparation of a road map for monetization of surplus land of BVFCL and its maximum utilization for industrial development.

AIDC asked consent & views of Assam Petrochemicals Limited (APL), Namrup vide letter dated 05.01.2021 for utilization of BVFCL land in setting up of new Industrial Project under APL. M/s APL vide letter dated 18.01.2021 has also in principle agreed to the proposal.

इसके अलावा, एआईडीसी ने पत्र दिनांक 10.03.2021 के माध्यम से बीवीएफसीएल से एपीएल द्वारा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए उपलब्ध भूमि का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है और तदनुसार, बीवीएफसीएल ने अपनी परिधि के भीतर एपीएल के निकट स्थित लगभग 14.72 हेक्टेयर भार मुक्त भूमि का आकलन किया है। इस संबंध में एपीएल से औपचारिक उत्तर आना बाकी है। असम सरकार कृपया जल्द से जल्द इसके लिए पहल करे।

11. समझौता ज्ञापन रेटिंगः

कंपनी ने उर्वरक विभाग के साथ वर्ष 2004–05 से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शुरू किया है। लोक उद्द्यम विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान रेटिंग ''खराब'' दी गई है।

वर्ष 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन पर 28.10.2020 को सचिव (उर्वरक), उर्वरक विभाग और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीवीएफसीएल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। उर्वरक विभाग में नियमित रूप से आयोजित तिमाही समीक्षा बैठक में एमओयू मापदंडों की समीक्षा की जा रही है।

12. नियंत्रण मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों आदि के विभिन्न निर्देशों का अनुपालन।

भारत सरकार ने सीपीएसई के विभिन्न मापदंडों पर नजर रखने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टलों की स्थापना की है जैसे कि समन्वय, समाधान, सम्बंध, द्रष्टि आदि और कंपनी नियमित रूप से नवीनतम उपलब्ध जानकारी के साथ इन साइटों को अद्यतन कर रही है और पूरी तरह से सभी अनिवार्ताओं का अनुपालन कर रही है।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने हाल ही में ई–समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है जो एक ऑनलाइन निगरानी और अनुपालन तंत्र है, जिसे विभिन्न कार्यान्वयन

Further, AIDC vide letter dated 10.03.2021 has requested BVFCL to provide about the details land available for setting up of new industrial unit by APL and accordingly, BVFCL has assessed approximately 14.72 Hectare of encumbrance free land situated adjacent to APL within their periphery. A formal call from APL is yet to be obtained in this regards. Govt. of Assam may kindly take initiative for the same at the earliest.

11. MoU Rating :

The Company had started signing MoU with Department of Fertilizers w.e.f. 2004-05 and Ratings obtained during the year 2019-20 was "Poor".

MoU for the year 2020-21 was signed between the Secretary (Fertilizers),DOF and the CMD, BVFCL on 28.10.2020. MoU parameters are being reviewed in the Quarterly Review Meeting held at Department of Fertilizers regularly.

12. Compliance of various directives of the controlling Ministry and other GoI Ministries/ agencies etc.

Govt. of India has set-up many online portals viz. Samanvay, Samadhan, Sambandh, Drishti etc. to monitor various parameters of the CPSEs and the Company is regularly updating these sites with the latest available information and fully complying all the requirements.

Department of Public Enterprises has recently launched eSamikSha portal which is an online Monitoring and Compliance Mechanism, developed

एजेंसियों जैसे भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के लंबित कार्य–बिंदुओं/प्रस्तावों/मुद्दों/परियोजनाओं/योजनाओं/लक्ष्यों आदि के अनुपालन को फास्ट ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है।

एक बार कार्रवाई–बिंदुओं/प्रस्तावों/मुद्दों/लक्ष्यों, आदि को ई–समीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ दिया जाता है, जब तक इसे अनुपालन नहीं मिलता सिस्टम स्वचालित रूप से संबंधित हितधारक(कों) को नियमित अंतराल के अद्यतन के लिए प्रेरणा देता है। निगरानी एजेंसी (यॉँ) विभिन्न असाधारण और अनुपालन स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर सकती है।

यह प्रणाली निगरानी एजेंसी (यों) को किसी विशेष कार्य–बिंदुओं/प्रस्तावों/मुद्दों/लक्ष्यों आदि पर हितधारक (कों) को दिशा–निर्देश/टिप्पणी देने और ईमेल/एसएमएस भेजने की सुविधा प्रदान करती है। निगरानी एजेंसी(यों) की दिशा/टिप्पणी को हितधारक (कों) द्वारा तुरंत कार्रवाई करने के लिए अलग–अलग रंगों के प्रदर्शन से प्राथमिकता दिया जा सकता है। कंपनी ने अपने नोडल अधिकारी को विधिवत नामित किया है, जो नवीनतम भारत सरकार का पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग करके सम्पर्क रख रहा है।

13. नामरूप–IV परियोजना की स्थापना के संबंध में स्थिति रिपोर्टः

चूंकि संयंत्र पुरानेपन की समस्या का सामना कर रहें हैं और वैसे भी अपनी संभावित आयु को पार कर चुके हैं, इसलिए किसी नई परियोजना की स्थापना तुरंत नहीं की जाती है, तो उपकरणों और मशीनरी की बड़ी खराबी के परिणामस्वरूप यूरिया उत्पादन में गंभीर बाधा हो सकती है। अभी भी घरेलु उपलब्ध संसाधनों के साथ, नई परियोजना के चालू होने तक संयंत्रों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार, 28.01.2016 को आरएफक्यू और 17.06.2016 को आरएफपी

to fast track the compliance of pending action-points/proposals/issues/projects/schemes/targets, etc. of various implementing agencies such as Ministries/Departments/Organizations of Government of India, State Governments, Autonomous Bodies, PSUs, etc.

Once the action-points/proposals/issues/targets, etc. are added in the eSamikSha digital platform, system automatically pushes it for the regular interval updation to the respective stakeholder(s), till it get compliance. Monitoring Agency(ies) may obtain various exceptional and compliance status reports on the fly.

This system also facilitates the Monitoring Agency (ies) to further give directions/remarks and send email/SMS to the stakeholder(s) on a particular action-points/ proposals/issues/targets etc. Monitoring Agencies(ies) directions/remarks may be prioritized and displayed in different colours to act promptly by the stakeholder(s). The Company has duly nominated its Nodal Officer and is effectively interacting by using the latest GoI portal.

13. STATUS REPORT TOWARDS SETTING-UP OF NAMRUP-IV PROJECT:

As the plants are facing ageing problem and they have already surpassed their effective life, so if the establishment of a new project is not immediately expedited, serous interruption in urea production may be resulted because of major failures of the equipments and machineries. Still with the available in-house resources, utmost efforts are being made to continue to run the plants safely till the new project is commissioned.

As per the Cabinet Approval, RFQ was floated on 28.01.2016 and RFP was floated on 17.06.2016.

जारी किया गया था। दो बोलीकर्ता मैसर्स गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड पहले से योग्य होने के बावजूद किसी ने भी आरएफपी के जवाब में अपनी वित्तीय बोली प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित दो चरण की बोली प्रक्रिया असफल रही, क्योंकि प्रस्ताव पर अनुरोध के लिए बोलीदाताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

पीपीपी मोड बोली में कोई प्रतिक्रिया न देखते हुए, उर्वरक विभाग में 05.09.2016 को एक बैठक आयोजित की गई थी और अन्य बातों के साथ साथ यह निर्णय लिया गया था कि नामरूप में बीवीएफसीएल के नए अमोनिया–यूरिया संयंत्र (अर्थात नामरूप–IV) की स्थापना के लिए पीएसयू मार्ग के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा जाए। सीपीएसई और असम सरकार के एक संयुक्त उद्द्यम गठन करके नामांकन मार्ग के माध्यम से वार्षिक 12.70 लाख मी. टन की प्राकृतिक गैस आधारित संयंत्र की स्थापना के लिए उर्वरक विभाग द्वारा एक नई पहल की गई।

माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में 21.01.2021 को प्रस्तावित नामरूप–IV परियोजना के सभी हितधारकों की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई और परियोजना के लिए इक्विटी के निम्नलिखित वितरण पर सहमति हुई।

असम सरकार	26%
एनएफएल	28%
ऑइल	18%
आरसीएफ	17%
बीवीएफसीएल	11%

उपरोक्त के मद्देनजर, उर्वरक विभाग ने सीएमडी, एनएफएल को तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और परियोजना को सफल बनाने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) की विस्तृत जानकारी मांगी थी ताकि उर्वरक विभाग द्वारा

Two bidders viz. M/s Gujarat Fertilizers & Chemicals Limited and M/s Adani Enterprises Ltd. were pre-qualified, but none of them submitted their financial bids in response to RFP. As such, the Two Stage bidding process approved by the Union Cabinet could not be successful, as there was no response from the Bidders for the Request for Proposal.

In view of no response received in PPP mode bidding, a meeting was held on 05.09.2016 at DoF and it was inter-alia decided that a proposal should be put up for setting up the new Ammonia-Urea plant of BVFCL at Namrup (i.e. Namrup-IV) through PSU route. A new initiative was taken by DoF for setting-up of a 12.70 LMTPA NG based plant through nomination route by forming a JV of CPSEs and Govt. of Assam.

A high level meeting of all the stake holders of the proposed Namrup-IV project was held on 21.01.2021 under the chairmanship of Hon'ble Minister for Chemicals and Fertilizers and the following distribution of equity for the project was agreed.

Govt. of Assam	26%
NFL	28%
OIL	18%
RCF	17%
BVFCL	11%

In view of the above, Department of Fertilizers had advised CMD, NFL to prepare and submit the Techno Economic Feasibility Report (TEFR) and detailed demand for Viability Gap Funding (VGF) to make the project successful so that the matter can be taken-

इस मामले को कैबिनेट की मंजूरी के लिए उठाया जा सके।

तदनुसार, एनएफएल ने टीईएफआर को अद्यतन करने और वीजीएफ के लिए मांग प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

14. जोखिम प्रबंधनः

आपकी कम्पनी ने आकलन और न्यूनतम पद्धतियों के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की थी जिसकी निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। संभावित जोखिमों को विभिन्न किस्मों के अंतर्गत समूह बद्ध किया गया है अर्थात् फीड/ईधन, संयंत्र संचालन और अनुरक्षण उत्पादन, उपयोगिताएं, पर्यावरण नियामक, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, बाजार, वित्त मानव संसाधन, परियोजना प्रबंधन, सूचना प्रोद्योगिकी, कानूनी और आंतरिक नियंत्रण जैसे विशिष्ट जिम्मेदार क्षेत्रों के तहत संभवतः जोखिमों की पहचान की गई है और उन्हे वर्गीकृत किया गया है।

15. पर्यावरण और सुरक्षा प्रबंधनः

i. बीवीएफसीएल ने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सभी संगत और लागू कानूनों/नियमों/मानकों आदि का पालन कर रही है जैसे जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, बैटरियां (प्रबंधन और हैण्डलिंग) नियम 2001 आदि। विभिन्न कानूनों/नियमों/सरकारी आदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली सभी विवरणियों/रिपोर्टों आदि को समय पर नियमित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अनुसार प्रचालन करने के लिए सहमति के नवीकरण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को नियमित रूप से आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। आपदा की स्थिति में आसपास रहने वाले लोगों की बीमा कवरेज के लिए सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 के अंतर्गत 15.00 करोड़ रुपए की एक बीमा पॉलिसी ली गई है।

up by Department of Fertilizers for approval of the Cabinet.

Accordingly, NFL has initiated the process of updating the TEFR and submission of demand for VGF.

14. RISK MANAGEMENT:

Your company had laid down Risk Management Policy for Assessment & Minimization procedures to be reviewed by the Board of Directors on quarterly basis. The possible risks have been identified and grouped under specific responsibility areas such as Feed/Fuel, Plant Operation & Maintenance, Utilities, Environment Regulatory, Business Competition, Market, Finance, Human Resources, Project Management, Information Technology, Legal and Internal Control.

15. ENVIRONMENT & SAFETY MANAGEMENT:

i. BVFCL Namrup is committed to work for the protection of environment and it is adhering to all the relevant and applicable laws/rules/ standards etc. viz. The Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981, Environment Protection Act 1986, Public Liability Insurance Act 1991, Batteries (Management & Handling) Rules 2001 etc. All the returns/reports etc., which are required to be submitted as per various laws/rules/govt. orders are submitted regularly in time. Consent to Operate is renewed by the Pollution Control Board, Assam regularly as per Water Act and Air Act. A policy of Rs.15.00 crores under Public Liability Insurance Act 1991 has been taken to give insurance coverage to the nearby people, in case of disaster.

ii. बीवीएफसीएल में सभी सुरक्षा मानदण्डों का सख्ती से पालन किया जाता है। कर्मचारियों को समय–समय पर व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) जारी किए जाते हैं और उनकी समय–समय पर स्वास्थ्य जांच भी की जाती है। सभी कार्य सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार किए जाते हैं। बीवीएफसीएल में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक फायर ब्रिगेड भी है, जो बीवीएफसीएल संयंत्रों और आसपास के क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में पड़ोसी उद्योगों के साथ परस्पर सहायता योजना के अनुसार बाहरी सहायता भी मांगी जाती है और इसे आपदा स्थिति में उपलब्ध कराया जाता है।

iii. तरल अमोनिया को 1500 मी.टन की क्षमता वाले प्रत्येक दो होटर्न गोलकों में संग्रहीत करके रखा जाता है जो पेट्रोलियम विस्फोटक और सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) लाइसेन्स द्वारा स्टेटिक और मोबाइल प्रेशर (अनफायर्ड) नियम 2016 के तहत आते हैं।

iv. वर्ष 2019–20 के लिए बाहरी सुरक्षा लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। पहली बार बाहरी सलाहकार को नियोजित के साथ हजॉप स्टडी (खतरा अध्यन) किया गया जिसने सुरक्षा संपरीक्षा की। साथ ही सलाहकार द्वारा ऑन–साइट आपातकालीन योजना को 01.01.2020 तक अद्यतन किया गया।

16. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.03.2016 राजपत्रित अधिसूचना के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियम विनिर्दिष्ट किया गया। यह नियम प्लास्टिक कचरे के संग्रह और प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत और अपशिष्ट जनरेटर, साथ ही उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारी तय करते हैं।

ii. All safety norms are strictly followed in BVFCL. Personnel Protective Equipments (PPE) is periodically issued to employees and health check-ups are also carried out. All jobs are executed as per safety norms. BVFCL is also having a well equipped Fire Brigade, which is capable of meeting all regular need. As per Mutual Aid Scheme with the neighboring industries in Dibrugarh and Tinsukia district, external assistance is also available in case of any disaster.

iii. Liquid ammonia is stored in two Horton Spheres of 1500 MT capacity each which are covered by Petroleum Explosives & Safety Organization (PESO) licence under Static and Mobile Pressure (Unfired) Rules 2016.

iv. External Safety Audit for the year 2019-20 has been successfully conducted. Hazop Study was done for the first time along with Risk Assessment Report by engaging the external Consultant, which conducted the Safety Audit. Also the On-site Emergency Plan was updated by the Consultant, as on 01.01.2020.

16. PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016

The Ministry of Environment Forests and Climate Change (MoEF & CC), Government of India, vide gazette Notification dated 18.03.2016 has specified rules for Plastic Waste Management. The Rules fix the responsibility of local bodies, Gram Panchayat and Waste generators, as well as producers, importers and brand owners for collection and management of plastic waste.

उर्वरक उत्पाद क्योंकि प्लास्टिक की थैलियों में विक्रय किए जाते हैं उर्वरक उद्योग ब्रांड मालिकों की श्रेणी में आता है जो बहुस्तरीय होते हैं और पॉलीप्रोपाइलीन से बने एचडीपीई/एचडीपीई से बने होते हैं। इसलिए, नियमों के अनुसार, बाजार में उत्पादों को पेश करने वाले सभी ब्रांड मालिकों को अपने उत्पादों के कारण उत्पन्न प्लास्टिक कचरे को वापस इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली या योजना स्थापित करनी होगी।

चूँकि पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के हर स्थानों में बड़ी संख्या में बिक्री बिंदुओं के माध्यम से उर्वरक बैग बेचे जाते हैं और किसानों द्वारा उनकी उपज आदि के भंडारण के लिए कई बार उपयोग किया जा रहा है, इन बैगों का संग्रह व्यावहारिक रूप से असंभव है। चूंकि ये नियम पूर्ण उर्वरक उद्योग पर लागू होते हैं जो उक्त अधिसूचना के अनुपालन में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, दि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (एफएआई) ने उर्वरक उद्योग की छूट के लिए उर्वरक विभाग के माध्यम से एमओईएफ और सीसी के साथ मामला उठाया है।

17. प्रमुख अवसर और खतरे:

i) कंपनी के लिए अवसर:

- पड़ोसी देशों को यूरिया का निर्यात के लिए संभावना।
- रसायनों और बिजली उत्पादन के लिए विविधीकरण की संभावना।
- अन्य कृषि उत्पादों में विविधकरण।
- नई ब्राउन फील्ड परियोजना की स्थापना।

ii) कंपनी के जोखिम:

- अन्य यूरिया निर्माण कंपनियों जिनकी ऊर्जा खपत और उत्पादन लागत कम हैं से प्रतिस्पर्धा।

Fertilizer industry falls under the category of brand owners as the fertilizer products are sold in plastic bags that are multi-layered and composed of HDPE/HDPE lined with polypropylene. Hence as per rules, all the Brand Owners who introduce the products in the market have to establish a system or plan for collecting back the plastic waste generated due to their products.

Since fertilizer bags are sold through a large number of sales points in every nook and corner of the North Eastern Region, West Bengal, and Bihar and are being used multiple times by the farmers for storage of their produce etc, collection of these bags is practically impossible. Since these rules apply to the complete fertilizer industry which is finding difficulty in complying with the said notification, Fertilizer Association of India (FAI) took up the matter with MoEF & CC through DoF for exemption of fertilizer industry.

17. KEY OPPORTUNITIES AND THREATS :

i) The Opportunities to the company:

- Scope for exporting of urea to neighbouring states.
- Scope for diversification to produce chemicals and generation of power.
- Diversification into other agricultural products.
- Setting up new brown field project

ii) The Threats to the company:

- Competition from other urea manufacturing companies having lower Energy consumption and lower cost of production.

- रियायती दर पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बनाए रखने की अनिश्चितता।
- निधि सृजन में कमी के कारण पूंजी निवेश की कमी।
- उत्पादन की उच्च लागत और अन–व्यवहार्यता के कारण कंपनी का बंद होना ।
- संयंत्र चलाने के लिए जनशक्ति की अत्यधिक कमी।
- कुशल एवं अनुभवी मानवशक्ति का अन्य केंद्रीय लोक क्षेत्र के उपक्रमों में आकर्षित पारिश्रमिक के लिए लगातार पलायन।
- मौजूदा संयंत्र की जगह नए बड़े आकार के परियोजना की स्थापना में विलम्ब ।

iii) शक्ति और कमजोरी :

कंपनी की शक्ति :

i) भारत सरकार द्वार अधिसूचित मूल्य पर उपलब्ध एपीएम प्राकृतिक गैस से फीड स्टॉक और इंधन की संपूर्ण आवश्यकता पूरी की जा रही है।

ii) इकाई फीड/ईंधन प्राकृतिक गैस के स्रोत के निकट स्थित है।

iii) यदि इकाइयों को बिना किसी रुकावट चलाया जाए तो इकाइयों में उत्पादन लागत काफी कम है।

iv) यह पूरे असम, पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और बिहार में एकमात्र यूरिया उत्पादक कंपनी है जहाँ अभी भी 40 लाख मी. टन तक की आपूर्ति की कमी है।

v) भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बाहर स्थित अन्य कंपनियों की तुलना में यूरिया परिवहन सम्बधित लाभप्रद स्थिति।

vi) नामरूप संयंत्र गैस कुआं के निकट होने के कारण प्राकृतिक गैस की परिवहन लागत में कमी।

- Uncertainty of continuation of supply of Natural Gas at a concessional rate.
- Shortage of capital investment due to paucity in fund generation.
- Closure of the company due to high cost of production & un-viability.
- Acute shortage of manpower to run the plants.
- Continuous attrition of qualified and experienced manpower to other CPSUs offering attractive remuneration.
- Delay in establishing a new bigger size project replacing the existing one.

iii) Strength and Weakness:

The strengths of the company:

i) Entire requirement of feedstock and fuel is being met from APM Natural Gas available at GoI notified price.

ii) The unit is close to the source of Feed/ Fuel NG.

iii) Lower absolute cost of production in the units if run without interruption.

iv) It is the only urea producing company in the entire Assam, North-Eastern States, West Bengal and Bihar where still there is shortfall to the extent of 40 Lakh MT exists.

v) Transportation advantage for supply of Urea compared to other companies situated outside North-Eastern states of India.

vi) Lower transportation cost of the natural gas because of location of Namrup plants near to the gas wells.

vii) असम जो मुख्यतः आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र हैं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सृजन करेगा।

iv) कंपनी की कमजोरी:

i) राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ी नहीं है।

ii) आधुनिक मानक आकार के संयंत्र की तुलना में छोटी क्षमता के संयंत्र।

iii) एफसीआईएल और एचएफसीएल से विरासत में मिली पुरानी ऊर्जा अदक्ष प्रौद्योगिकी।

iv) संयंत्र की वर्धित आयु सीमा।

v) अप्रचलन के कारण अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता।

vi) कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की अनुपलब्धता।

vii) कुशल जनशक्ति की अत्यधिक कमी।

18. सूचना प्रौद्योगिकी उन्नयन और ई–शासन

I) सूचना प्रौद्योगिकी उन्नयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम ने नामरूप इकाई और आगंतुक प्रबंधन प्रणाली में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू करने की पहल की है, जो प्रगति पर है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन, मौजूदा वित्तीय लेखा प्रणाली और वेतन पत्रक प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन पर विचार चल रहा है। निगम में अधिकारियों के मूल्यांकन रिपोर्ट को ऑनलाइन भरने के लिए एक प्रणाली लागू की गई है। फैक्ट्री परिसर और बीवीएफसीएल अस्पताल के अंदर मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। बीवीएफसीएल अतिथि शाला में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना प्रक्रिया में है। आपके निगम में रेडिफमेल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कॉर्पोरेट ईमेल सेवा चलाई जा रही है। एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसमें विभिन्न कार्यस्थल पर 150 कार्य स्टेशन शामिल हैं, प्रबंधित फायरवॉल के माध्यम से लीज्ड लाइन इंटरनेट सुविधा के साथ

vii) Direct and indirect generation of employment in the states of Assam & other North-Eastern states, which are predominantly economically backward.

iv) The Weakness of the company:

i) Not connected to the National Gas Grid.

ii) Small capacity of the plants compared to modern standard size plant.

iii) Old energy inefficient technology inherited from FCIL and HFCL.

iv) Old age of the plants.

v) Non-availability of spares due to obsolescence.

vi) Non-availability of skilled & trained manpower.

vii) Acute shortage of skilled manpower

18. IT UPGRADATION AND E-GOVERNANCE

I) IT UPGRADATION

During the year under review, your corporation has implemented Web based Video Conferencing Solution, Biometric Attendance System in the Namrup unit. CCTV Surveillance System has been installed in the main locations inside the factory campus and BVFCL Hospital. Installation of CCTV Surveillance System in BVFCL Guest House is in process. Your Corporation has a corporate email service using Rediffmail platform. A Local Area Network covering 150 work stations at different location is in position along with leased line internet facility through managed firewall. Email space has been upgraded from 200 MB to 25GB. E-payments are being made to all

उपलब्ध कराए गए है। ईमेल स्पेस को 200 एमबी से 25 जीबी तक अपग्रेड किया गया है। आपके निगम के सभी हितधारकों को ई–भुगतान किया जा रहा है। ग्राहकों के साथ डिजिटल लेनदेन को पूरा करने के लिए विपणन और वित्त विभागों में पीओएस मशीनें लगाई गई हैं।

II) ई–गवर्नेंस

अधिकारियों के कौशल और ज्ञान के स्तर को उन्नत करने के लिए ई–लर्निंग को लागू किया गया है।

इस सुविधा का उपयोग मानक विशेषताओं वाले तथा 5.00 लाख रुपए से अधिक मूल्य के गैर–स्वामित्व वाली वस्तुऐं शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है। सभी निविदाएं आपके निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.bvfcl.com और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। सरकारी ई–मार्केटिंग प्लेस (GeM) के माध्यम से खरीद का उपयोग किया जा रहा है। आपकी निगम की वेब साइट को अद्यतन जानकारी के साथ बनाए रखा गया है। रिक्तियां/सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट और राष्ट्रीय कैरियर सेवा के पोर्टल में प्रकाशित किए जाते हैं। आधिकारिक ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को अद्यतन जानकारी के साथ बनाए रखा जा रहा है। अधिकारियों को अपने कौशल और ज्ञान के स्तर को उन्नत करने के लिए ई–लर्निंग प्रक्रिया में है। असम में सभी वैधानिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल (https://eodb.assam.gov.in/) आसानी से उपयोग किया जा रहा है।

19. बीमा

आपके निगम की संपत्तियां और बीमायोग्य परिसंपत्तियां जैसे संयंत्र और मशीनरी, भवन स्टॉक्स और अन्य का पर्याप्त रूप से बीमाकृत हैं। सार्वजनिक बीमा अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार आपके निगम ने कोई आपदा होने की स्थिति में आसपास क्षेत्रों के लोगों को बीमा कवरेज देने के लिए 15 करोड़ रुपए की एक पॉलिसी ली है।

the stakeholders of Your Corporation. POS machines have been installed in Marketing and Finance Departments to cater digital transactions with the customers.

II) E-GOVERNANCE

E learning for officials to upgrade their skill & knowledge level has been implemented.

E-procurement has already been implemented in your corporation for high value transactions. The use of this facility has been extended to include non proprietary items having standard specifications and of value higher than Rs. 5.00 Lakhs. All tenders are uploaded in your Corporation's official website at www.bvfcl.com & Central Public Procurement Portal. Procurement through Government e-Marketing place (GeM) is being utilized. Your Corporation's web site is maintained with updated information. Vacancies/Notices are published in the company's website and the portal of National Career Service. Official Twitter and Facebook account are being maintained with updated information. The web portal ease of doing in Assam (https://eodb.assam.gov.in/) is being utilized for obtaining all statutory certificates.

19. INSURANCE

The properties and insurable assets of your corporation such as Plant & Machineries, Building Stocks and others are adequately insured. As required under the provisions of Public Insurance Act, 1991, Your Corporation has taken a policy of Rs. 15 crores to give insurance coverage to the peoples of adjoining areas, in case of any disaster.

20. सुरक्षा

नामरूप फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा की निगरानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा की जा रही है और निगम की टाउनशिप में, सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा पहरेदारी के साथ–साथ रात की गश्त की निगरानी आउटसोर्स निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा की जा रही है। निगम पूरे क्षेत्र/टाउनशिप में शांति बनाए रखने के लिए नामरूप टाउनशिप में और उसके आसपास सतर्कता रखने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण को एक रात्रि गश्त वाहन प्रदान कर रहा है। बीवीएफसीएल फैक्टरी परिसर की संपूर्ण सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, सीआईएसएफ इकाई कमांडर के साथ समय–समय पर सुरक्षा बैठकें आयोजित की जाती है और यदि उनके द्वारा किसी भी आवश्यकता/दुर्बलता को उल्लेख किया जाता है तो शीघ्र ही उस पर अमल किया जाता है। प्रबंधन, सुरक्षा कर्मचारी और आपके निगम के कर्मचारी समय–समय पर निगम की सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं।

वर्तमान में बीवीएफसीएल कारखाना क्षेत्र में तैनाती के लिए सीआईएसएफ कर्मियों की स्वीकृत संख्या 176 है। हालांकि, इस वर्ष सीआईएसएफ प्राधिकारी और बीवीएफसीएल प्रबंधन के साथ निगम में सीआईएसएफ कर्मियों की शक्ति का पुनः मूल्यांकन के लिए संयुक्त कार्रवाई की गई है। लेकिन, सीआईएसएफ मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली से निगम द्वारा इस आशय का अंतिम मूल्यांकन शक्ति अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, आउटसोर्स सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से 28 (अट्ठाईस) रक्षक और 3 (तीन) पर्यवेक्षक की नियुक्ति के साथ पूरे बीवीएफसीएल टाउनशिप में 24X7 घंटे के लिए कुल 31(इकत्तीस) निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।

21. अखंडता संधि

आपके निगम ने अपनी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अखंडता संधि (आईपी) को लागू किया है। वर्तमान में, आपके निगम में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिशों पर दो स्वतंत्र बाहरी परिवीक्षक (आईईएम) नियुक्त किए गए हैं, जो एक करोड़ रुपए और उससे अधिक मूल्य के सभी निविदाओं में अखंडता संधि (आईपी) के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

20. SECURITY

The security of the Namrup Fertilizer Complex is being monitored by the CISF and in Corporation's township, the security guarding in Public Buildings as well as night patrolling are being monitored by the outsourced private security Agency. Corporation is providing a night patrolling van to local police Authority to keep vigil in and around the Namrup Township for maintenance of peace and tranquility in entire area/township. In order to review the entire security system of BVFCL Factory premises, Security meeting is organized from time to time with CISF Unit Commander and the requirement/ infirmity if any highlighted by them are immediately addressed. The management, security staff and the employees of your corporation are sensitized periodically to the security needs of corporation.

At present the sanctioned strength of CISF personnel for deployment in BVFCL factory area is 176. However, joint survey has been carried out in this year with CISF Authority and BVFCL management to reassess the strength of CISF personnel in the corporation. But, final evaluated strength to this effect yet obtain by the corporation from CISF head quarters, New Delhi.

Moreover, with the engagement of 28 nos. of Guards and 3 nos. Supervisors all total 31 nos. Private Security personnel are deployed in entire BVFCL township are on 24*7 hrs. through outsource security agency.

21. INTEGRITY PACT

Your Corporation has implemented Integrity Pact (IP) in all the Procurement of Goods and Services having threshold value of Rs. 1.00 Crores and above after obtaining approval of Board of Directors. Further, the Integrity Pact clause is invariably incorporated in all the Tenders having value more than Rs. One Crore and above.

22. आईएसओ 9001 और 14001 प्रमाण पत्र की स्थिति

कंपनी के सामान्य सर्विस विभाग और नामरुप–III के संयंत्रों समूह में कार्यान्वयनः

आईएसओ 9001:2015 और 14001:2015 के लिए प्रमाणन बीवीएफसीएल के नामरूप–III समूह संयंत्रों और सामान्य सेवा विभागों में लागू किया जा रहा है। पहला निगरानी लेखा परीक्षा जनवरी, 2020 के महीने में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। दूसरी निगरानी लेखा परीक्षा फरवरी, 2021 के महीने में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। लेखा परीक्षा को ऑनलाइन टूल और आवश्यक दस्तावेजों का उपयोग करके ऑडियो और वीडियो कॉल के माध्यम से कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण दूरस्थ रूप से किया गया था तथा एजेंसीः मेसर्स स्विस सर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली प्रमाणन डाक के माध्यम से भेजे गए थे।

आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 के प्रमाण पत्र 17/01/2019 की प्रभावी तारिख से प्राप्त हुआ है, जो 16/01/2022 तक वैध है।

23. आंतरिक नियंत्रण प्रणालीः

कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा और नियमित प्रबंधन समीक्षाओं द्वारा समर्थित वित्त और लेखा के संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। लेखांकन में, वाउचर बनाने के स्तर से वाउचर बनाने तक आंतरिक नियंत्रण का सही उपयोग किया जाता है, जहां प्रत्येक वाउचर की जाँच की जाती है और शक्ति प्रत्यायोजन के अनुसार संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाते हैं। दैनिक नकद बही खाता शेष राशि की व्यक्तिगत आधार पर भौतिक गणना की जाती है और खाता से उसकी जांच की जाती है। इसी प्रकार, सभी बैंक खातों को समय–समय पर मिलान किया जाता है। लेखांकन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत प्रणाली में दर्ज किए गए जर्नल वाउचर सहित वाउचरों

22. STATUS OF ISO 9001 & 14001 CERTIFICATE

Implementation in Namrup-III Group of Plants and Common Services Departments of BVFCL:

The Certification for ISO 9001:2015 and 14001:2015 are being implemented in Namrup-III group of plants and common services Departments of BVFCL. First Surveillance Audit was successfully conducted in the month of January, 2020. Second Surveillance Audit was successfully conducted in the month of February, 2021. The Audit was done remotely due to COVID 19 pandemic situation through Audio & Video calls using online tools plus required documents were sent through post. Certification Agency: M/s SWISS CERT PRIVATE LIMITED, New Delhi.

Certificates for ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 were obtained w.e.f. 17/01/2019, which is valid till 16/01/2022.

23. INTERNAL CONTROL SYSTEM:

The Company has adequate internal control system in the respective areas of Finance & Accounts supported by Internal Audit and regular management reviews. In the accounting, internal control is exercised right from the preparation of vouchers where each voucher is checked and countersigned by respective senior officers as per delegation of power. The daily cashbook balance on manual basis is physically counted and checked with the book. Similarly, all bank accounts are also reconciled periodically. Internal control is also exercised for accounting where vouchers including journal vouchers entered into the system are checked and validated before those are accounted

का लेखाकरण से पूर्व जांच और वैधीकरण किया जाता है। मुद्रा संबंधी प्रत्येक खरीद/कार्यों के अनुबंध या अन्य प्रत्येक को प्रस्ताव की नीति और कार्यविधि के अनुसार जांच की जाती है और उचित निर्णय लेने से पहले एक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सभी लागू कानूनों, कंपनी की परिसंपत्तिओं की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन का अनुपालन शामिल हैं। इस प्रणाली की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और सुधार हेतु कार्रवाई की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन वित्त और लेखा विभाग द्वारा समर्थित बाहरी योग्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा में दस्तावेजों/रिकॉर्ड/कार्यविधियों की जांच की जाती है और अनुपालन के लिए आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेखापरीक्षा समिति नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता की समीक्षा करती है। जैसा कि आंतरिक लेखा परीक्षा फर्म और कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि वर्तमान लेखांकन सॉफ्टवेयर में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच और संतुलन, जो कि कोबोल प्रोग्रामिंग पर आधारित है, को उद्योग में प्रचलित नवीनतम लेखाकरण सॉफ्टवेयर के साथ बदलकर मजबूत करने की आवश्यकता है।

24. मानव संसाधन विकास

क. जनशक्ति स्थिति:

31 मार्च 2021 को आपके निगम में कुल जनशक्ति 499 थी। सरकारी निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है। दिनांक 31.03.2021 की जनशक्ति स्थिति निम्नानुसार थी:

for. Every proposal for purchase/works contract or others having monetary involvement are examined as per policy and procedures and reviewed by a committee before taking appropriate decision. Internal Control System includes compliance of all the applicable laws, safety of assets of the company and risk management. The System is reviewed from time to time and action taken for improvement. Internal Audit is conducted by the outside qualified agency supported by the Finance & Accounts Department. Internal Audit examines documents / records / procedures and submits periodical reports for compliance. The Internal Audit Reports and follow up actions thereon are regularly placed before the Audit Committee. Audit Committee regularly reviews the internal audit and adequacy of internal control. As reported by the Internal Audit Firm and the Statutory Auditors of the Company that the check and balance of internal control system in the present accounting software, which is based on the COBOL Programming , needs to be strengthened by replacing the same with the latest accounting software prevailed in the Industry.

24. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

A. MANPOWER POSITION:

The total manpower status in your corporation as on 31st March 2021 was 499. Reservation of SC/ST/OBC/Ex- Serviceman and Physically handicapped categories in the service are being maintained as per the government directives. The manpower position as on 31.03.2021 was as under: -

क्रमांक	वर्ग	संख्या	%
1	अनुसूचित जाति	42	8.42
2	अनुसूचित जनजाति	66	13.23
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	159	31.86
4	भूतपूर्व सैनिक	0	0.00
5	शारीरिक रूप से विकलांग	1	0.20
6	महिलाएं	34	6.81
7	अल्पसंख्यक	27	5.41
8	अन्य	170	34.07
	कुल	**499**	**100**

ख. **प्रशिक्षणः**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रशिक्षण रिकॉर्ड की रिपोर्ट

कोविड महामारी के प्रसार और उसके बाद के लॉकडाउन और संपार्श्विक कारणों के कारण, इन–हाउस कार्यक्रम योजना के अनुसार आयोजित नहीं किए जा सके। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्रशिक्षण विभाग में केवल 01 (एक) इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः

1. **बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम**

क्र. सं.	विषय	स्तर तथा प्रतिभागी के संख्या	दिनांक	फेकल्टी
1	सुरक्षा जागरूकता, अग्निशमन और प्राथमिक चिकित्सा	अधिकारी=33 कर्मचारी=09	26.02.21	आंतरिकः अग्निशमन और सुरक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग

Sl. No.	Categories	Nos.	%
1	Scheduled Caste	42	8.42
2	Scheduled Tribe	66	13.23
3	OBC	159	31.86
4	Ex- Servicemen	0	0.00
5	Physically handicapped	1	0.20
6	Women	34	6.81
7	Minority	27	5.41
8	Others	170	34.07
	TOTAL	**499**	**100**

B. TRAINING :

A report of the Training Records during the FY 2020-21

Due to the spread of COVID pandemic and subsequent lockdown and collateral reasons, in-house programmes could not be conducted as planned. During the year ending on 31st March' 2021, only 01 (one) in-house training programmes could be conducted at Training Department. Brief details of the programme is stated as below :

I. External Training Programmes

Sl. No.	Title of the programme	Level & No. of participants	Date	Faculty
1	Safety Awareness, Fire Fighting & First Aid	Officers = 33 Workmen= 09	26.02.21	Internal: Fire & safety Deptt, Medical Deptt

वेबिनार: वर्ष के दौरान कर्मचारियों ने 03 वेबिनार में भाग लिया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विषय	आयोजक	अवधि	प्रतिभागी
1	संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए महिला सशक्तिकरण'	एकीकृत प्रशिक्षण और नीति अनुसंधान, नई दिल्ली।	24 तथा 25 जुलाई 2020	02
2	नई श्रम संहिता 2020 पर कार्यशाला	ब्लूमसिया इनकोर्पोरेट मुंबई	21 एवं 22 जनवरी 2021	01
3	सार्वजनिक खरीद, खरीद, सरकारी बाजार (जीईएम)	एकीकृत प्रशिक्षण और नीति अनुसंधान (आईटीपीआर) नई दिल्ली	19 एवं 20 फरवरी 2021	02

Webinars: During the year employees attended 03 webinars as detailed below :

Sl. No.	Title	Organised by	Duration	No. of participating officers
1	Women Empowerment for Organisational Excellence'	Integrated Training & Policy Research, New Delhi.	24th & 25th July 2020	02
2	Workshop on New Labour Codes 2020	Bloomasia Incorporate, Mumbai	21 & 22 January 2021	01
3	Public Procurement, Procurement, Govt. Marketplace (GeM)	Integrated Training & Policy Research (ITPR) New Delhi	19th & 20th February 2021	02

ई–लर्निंग: बीवीएफसीएल प्रबंधन ने संबंधित क्षेत्रों में कर्मचारियों के बीच ई–लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की। तद्नुसार 03 (तीन) कर्मचारी ई–लर्निंग पाठ्यक्रमों में निम्नानुसार सफल हुए:

क्र. सं.	विषय	आयोजक	अवधि
01	रासायनिक सुरक्षा प्रक्रिया	एनपीटीईएल, आईआईटी रूड़की	सितंबर से दिसंबर, 2020 (12 सप्ताह)

E-learning : BVFCL management initiated a process for encouraging e-learning amongst the employees on the relevant fields. Accordingly the 03 (three) employees succeeded in e-learning courses as below :

Sl. No.	Title	Organised by	Duration
01	Chemical Process Safety	NPTEL, IIT, Roorkee	Sep-Dec, 2020 (12 weeks)

बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	विषय	आयोजक	स्थान	अवधि	प्रतिभागी
1	अग्रिम प्रशिक्षण सतत पर कार्यक्रम उत्सर्जन और प्रवाह निगरानी प्रणाली	सीएसई नई दिल्ली	एएईटीआई, तिजारा राजस्थान	04.03.2021 to 06.03.2021	02
2	दक्षताओं का निर्माण व्यक्तिगत उत्कृष्टता	लोक उद्यम विभाग	शिलोंग मेघालय	22/03/21 to 25/03/21	02

External training programmes :

Sl. No.	Title	Organised by	Venue	Duration	No. of partic-ipating officers
1	Advance Training Programme on Continuous Emission and Effluent Monitoring System	Centre for s Science and Environment (CSE), New Delhi	AAETI, Tijara (Rajasthan).	04.03.2021 to 06.03.2021	02
2	Building competencies of personal excellence	Department of Public Enterprises	Shillong, Meghalaya	22/03/21 to 25/03/21	02

ग. औद्योगिक संबंध रिपोर्टः

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध परिदृश्य कुल मिलाकर शांतिपूर्ण था।

घ. अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ. ज. जा.), अन्य पिछड़े वर्ग (ओ. बी.सी.) तथा शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) के कल्याण और विकास के लिए कंपनी की गतिविधियाँ

आपका निगम भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के आरक्षण से संबन्धित राष्ट्रपति के दिशानिर्देश और निर्देशों/आदेशों का पालन कर रहा है। कंपनी में किसी भी रिक्ति पद पर आवेदन करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क की भुगतान में पूरी तरह से छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करना होता है।

आपके निगम में सम्पर्क अधिकारी के अधीन एक अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी प्रकोष्ठ है, जो अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर तथा अ.जा./अ.ज.जा. एसोसिएशनों के साथ चर्चा करके शिकायत का समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है।

आपके निगम में सभी कल्याण सुविधाएं अन्य कर्मचारियों सहित अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के कर्मचारियों को भी प्रदान के जाती हैं। हमारी कंपनी को भारत सरकार से जनजाति उप–योजना के अंतर्गत निधि का कोई आवंटन प्राप्त नहीं होता।

01.01.2021 को अ. जा./अ. ज. जा. और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व को करने वाला वार्षिक विवरण निर्धारित प्रारूप में दर्शाया गया है तथा पिछले कैलेंडर वर्ष अर्थात 2020 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या अनुलग्नक–1 (ग) में संलग्न है।

C. INDUSTRIAL RELATIONS REPORT:

The Industrial Relations Scenario during the year was by and large peaceful.

D. ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR WELFARE AND ADVANCEMENT OF SCHEDULED CASTES (SCs), SCHEDULED TRIBES (STs), OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) AND PHYSICALLY HANDICAPPED (PH).

Your corporation is following the presidential directive and guidelines/ orders issued by the Government of India from time to time in the matter of reservation in services for SCs, STs and OBCs. Candidates belonging to SC and ST are fully exempted from payment of fee while applying for any post in the Company. However, they are required to pay processing fees.

Your corporation is having one SC/ST/OBC Cell under the Liaison Officer, who initiates necessary action to settle the grievances of the employees belonging to SC/ST community on priority basis and in consultation with SC/ST Associations.

All the welfare facilities of your corporation are also extended to the employees of SC/ST community along with other employees. Our company do not received any allocation of fund under tribal sub-plan from the Govt. of India.

The Annual statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 1.01.2021 and Number of appointments made during the preceding calendar year i.e. 2020 is enclosed at Annexure – 1(C).

25. सूक्ष्म और लघु उद्यम की सार्वजनिक क्रय नीति (एमएसई) आदेश, 2012

वित्तीय वर्ष 2020–21 में, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च, 2012 (यथा संशोधित) के आदेश अनुसार आपके निगम ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं का कुल वार्षिक खरीद के न्यूनतम 25% के संशोधित मापदंड के मुकाबले 39.45% तक समग्र खरीद किया है। इसके अलावा, केवल कुल खरीद से बाहर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से सामग्री और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत कुल खरीद का 1.35% था। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने केवल महिला उद्यमों के स्वामित्व में रहे सूक्ष्म और लघु उद्यम से 1.59% उत्पादों और सेवाओं की खरीद हासिल की है। सभी निविदा आमंत्रण सूचनाओं (एनआईटी) में एमएसई के लिए लागू छूट पर सरकार के दिशा–निर्देशों का उल्लेख करते हुए आवश्यक प्रावधान किया गया हैं। एमएसएमई से खरीद के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीदने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी कंपनी एमएसएमई पार्टियों को बिलों में छूट की सुविधा प्रदान करने के लिए राजसहायता और एनएसई के रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) के टीआरडीएस मंच के साथ पंजीकृत है।

26. सतर्कता

कंपनी के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं और सीवीओ को कंपनी के सतर्कता अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रबंधन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखते हुए नियमित और निवारक सतर्कता गतिविधियों जैसे आकस्मिक जांच, प्रशासनिक निर्णयों के लिए सतर्कता मंजूरी, स्थानांतरण नीति को लागू करना और संवेदनशील पदों पर अधिकारियों के रोटेशन जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। प्रणालीगत सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सतर्कता अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की निगरानी और समीक्षा की जा रही है।

25. PUBLIC PROCUREMENT POLICY OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSES) ORDER, 2012

As per this directive of Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, vide order dated 23rd March, 2012 (as amended), your corporation has achieved an overall procurement of products produced and services rendered by Micro, Small and Medium Enterprises to the extent of 39.45% against set amended parameter of minimum of 25% of total annual purchases in the financial year 2020-21.Moreover, percentage of procurement of Goods and Services only from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs out of total procurement was 1.35%. During the year, your corporation has achieved overall procurement of products and services rendered by MSE owned by Women Enterprises only of 1.59%. In all Notice Inviting Tenders (NIT) necessary provision has been made stating the Government Guidelines for relaxation applicable to MSEs. All efforts are being made to procure items specified for procurement from MSMEs. Your Company is registered with TReDS platform of Receivable Exchange of India Limited (RXIL), a joint venture by SIDBI and NSE for providing bills discounting facilities to MSME Parties.

26. VIGILANCE

Vigilance Division of the Company is headed by Chief Vigilance Officer (CVO) and the CVO is assisted by a team of Vigilance officers of the Company. Regular and preventive vigilance activities such as surprise checks, vigilance clearance for administrative decisions, enforcement of transfer policy and rotation of officers on sensitive posts was carried out by maintaining close coordination with the Management. The roles and responsibilities of vigilance officers are being monitored and reviewed to bring the focus on systemic improvement.

कर्मचारियों के बीच उच्च स्तर की जागरूकता बनाए रखने के लिए उचित जोर जा रहा है। उचित सतर्कता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में सतर्कता कर्मियों को उनके ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए भेजा जा रहा है ताकि उन्हें अपेक्षित स्तर पर लाया जा सके और गुणवत्ता को दूसरों के बराबर विकसित किया जा सके।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच और पिछले जांच मामलों पर लंबित विभागीय कार्रवाई की अनुवर्ती कार्रवाई भी पूरी तत्परता के साथ की गई थी।

06 (छह) शिकायतें, (03 डीओएफ के साथ और बाकी 03 बीवीएफसीएल के साथ) पिछले वर्ष यानी 2019 – 20 से आगे लाई गईं; 02 (दो) शिकायतें, एक बीमा कंपनी से और इसी तरह की शिकायत सीवीसी पोर्टल से आवश्यक कार्रवाई के लिए और दूसरी शिकायत वर्ष 2020–2021 के दौरान अन्य स्रोत से प्राप्त हुई थी और इन्हें जांच के लिए लिया गया था। इन 08 (आठ) शिकायतों/मामलों में से, 04 (चार) मामले पूरे हो चुके हैं और बंद/निपटान के लिए विचार किया गया है; डीओएफ को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। एक अन्य मामले में, सीवीओ ने गहन जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक वरिष्ठ कार्यपालक से संबंधित जांच रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत की जो लंबित है। शेष 02 (दो) मामले सक्षम प्राधिकारी, उवर्रक विभाग के निर्णय के लिए लंबित हैं।

इसके अलावा, सतर्कता को अग्रेषित दो मुद्दों की विशेष आधार पर सीवीओ द्वारा पूरी तरह से जांच की गई थी और परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, एक बोर्ड स्तर के अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी जो प्रगति पर है।

वर्ष के दौरान, सतर्कता की भूमिका को समझने और उन्हें नीतियों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से सतर्कता अधिकारियों और लाइन प्रबंधकों के बीच नियमित आधार पर बातचीत का आयोजन किया गया।

Due thrust was given to maintain high degree of awareness amongst the employees. In order to impart proper vigilance training vigilance functionaries are being sent at different training institutes for updating their knowledge and skill to bring them in a requisite level and to develop the quality at par the others.

Investigation of complaints received from various sources and follow up of pending departmental action on previous investigated cases was also done with due diligence.

06 (Six) complaints, (03 with DoF and rest 03 with BVFCL) were brought forward from the last year i.e. 2019 — 20; 02 (Two) complaints, one from Insurance Company and similar complaint from CVC portal for necessary action and another complaint was received from other source during the year 2020 — 2021 and these were taken up for investigation. Out of these 08 (Eight) complaints/ cases, 04 (Four) cases have been completed & considered for closure/disposed off; based on the Inquiry report submitted to DOF, disciplinary proceedings has been initiated against a senior officer. In another case, after thorough inquiry CVO submitted the investigation report pertaining to one senior executive to Management for disciplinary action which is pending. Rest 02 (Two) cases are pending for decision of Competent Authority i.e. DoF.

Moreover, two issues forwarded to vigilance were thoroughly examined by CVO on special ground and based on the examination report, disciplinary action against one Board level officer was initiated which are in progress.

During the year, interactions were organized between the vigilance functionaries and the line managers on regular basis, with a view to understand the role of vigilance and to educate them on the policies.

वर्ष 2019 के "संदिग्ध अधिकारियों की सहमत सूची" और "संदिग्ध वफादारी के अधिकारियों की सूची" की समीक्षा की गई और वर्ष 2020 के लिए दोनों सूची तैयार की गई और सीएमडी और सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, गुवाहाटी, असम के परामर्श से समय पर अंतिम रूप दिया गया और सूचीबद्ध अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वर्ष 2020 के लिए "सहमत सूची" और "संदिग्ध वफादारी के अधिकारियों की सूची" की एक प्रति केंद्रीय सतर्कता आयोग और उर्वरक विभाग को उनकी सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की गई है।

चल और अचल संपत्ति पर संपत्ति रिटर्न (हर साल 20% संपत्ति रिटर्न) अधिकारियों की यादृच्छिक रूप से जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी चल/अचल लेनदेन के बारे में प्रबंधन को समय पर जानकारी देते हैं और यह जांचने के लिए कि क्या कोई अधिकारी, विशेष रूप से उन वरिष्ठ/संवेदनशील पदों पर तैनात, ऐसी संपत्ति रखते हैं, जिन्हें उनकी आय के ज्ञात स्रोत के रूप में अनुपातहीन कहा जा सकता है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप ठेके देने, खरीद आदि से संबंधित गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर जोर दिया गया।

कंपनी में नैतिक विकास का माहौल बनाने के लिए सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में कर्मचारियों के बीच स्लोगन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान स्कूली बच्चों के बीच ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और पेंसिल शेड ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

'Agreed List of Suspected Officers' and 'List of Officers of Doubtful Integrity' for the year 2019 were reviewed & prepared both the list for the year 2020 and finalized in time in consultation with CMD and CBI, Anti-Corruption Branch, Guwahati, Assam. and a close watch is being kept on the listed officers. A copy of the "Agreed List" and 'List of Officers of Doubtful integrity' for the year 2020 has been furnished to Central Vigilance Commission and Department of Fertilizers for their information & further necessary action.

Property returns on Movable and Immovable property (20% of property returns every year) of the officers is being scrutinized at random to ensure that employees submit timely information to the Management about moveable/immovable transactions and to check whether any of the officers, particularly those posted at senior/sensitive positions, are holding assets which may be termed as disproportionate to their known source of income.

To ensure transparency, emphasis was made on computerization of activities relating to award of contracts, purchases, etc. in line with instructions received from the Department of Fertilizers/Central Vigilance Commission.

Vigilance Awareness Week was observed in the Company w.e.f. 27th October to 2nd November, 2020 in compliance of CVC guidelines in order to create an environment of ethical growth in the Company. As a part of Vigilance Awareness Week slogan and essay competition were held among employees. During the observance, online quiz competition and pencil shade drawing competition were also organized among the school children.

27. कल्याण उपाय (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)

आपके निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ तथा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में अनेक उपाय किए है (8 किलोमीटर के दायरे के आसपास के क्षेत्रों में)। जिनका संक्षिप्त ब्योरा निम्न प्रकार हैं:

अपने कर्मचारियों और आश्रितों के लिए आवास और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, निगम कर्मचारियों तथा टाउनशिप और आसपास के गांवों के बच्चों को भी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आपका निगम एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एक केन्द्रीय विद्यालय, एक आदर्श उच्च विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) और एक प्राथमिक विद्यालय चला रहा है। आपके निगम ने पहले नामरूप कॉलेज की स्थापना, उच्च शिक्षा के लिए एक बी.एड कॉलेज और नामरूप में एक राज्य औषधालय की स्थापना के लिए अपना संरक्षण प्रदान किया था। आपके निगम ने रियायती दर पर आवासिक क्षेत्र में जगह प्रदान करके एक जूनियर कॉलेज और एक असमिया माध्यम विद्यालय को भी मदद की है।

कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरणों सहित एक अस्पताल भी उपलब्ध है। जहां आसपास के स्थानीय लोगों और ठेका श्रमिकों को भी मामूली शुल्क पर उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

आपका निगम नामरूप और आसपास के क्षेत्रों में जनता को पेयजल सुविधाएं, बाजार, धार्मिक/सांस्कृतिक और अन्य संस्थानों के लिए भूमि और टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, रोजगार विनिमय केंद्र और नागरिक रक्षा कार्यालय के लिए भी जगह उपलब्ध करता है।

इलाके में सामाजिक–सांस्कृतिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, समय–समय पर पास के शैक्षिक और सामाजिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

27. WELFARE MEASURES (CORPORATE SOCIAL RESONSIBILITY)

Your Corporation undertakes various welfare schemes for its employees and a host of measures as its Corporate Social Responsibility limited to (the surrounding areas within 8 kms radius). Briefly they comprise of the following:

Besides extending housing and medical facilities to its employees and dependents, your Corporation also provides educational facilities to the children of employees and the wards of the Township and the nearby villages. Your corporation is running one Higher Secondary School, one Kendriya Vidyalaya and one Model Higher Secondary School (English Medium) besides one Primary School and extended its patronage earlier for establishment of Namrup College, one B.Ed College for higher education and establishment of a State Dispensary at Namrup. Your Corporation also extends its helping hand to a Junior College and one Assamese medium school, by providing accommodations within the colony area at concessional rate.

One hospital with modern equipments is available to extend medical facilities to employees & their dependents. Nearby people of the localities and contract workers are also provided treatment at nominal fee.

Your Corporation extends facilities to the public of Namrup and adjoining areas like Drinking Water Facilities, Market, Land for Religious / Cultural and other institutions and accommodation for Telephone Exchange, Post Office, Employment Exchange and Civil Defense Office.

In order to maintain the total socio-cultural harmony of the locality, time to time financial assistance are extended to the nearby educational institutions and other social organizations.

निगम में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे भविष्य निधि, उपदान, पेंशन के साथ साथ, कर्मचारियों के कल्याण के लिए ईडीएलआई के बदले एलआईसी की समूह बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, समूह बचत लिंक्ड बीमा योजना, मेडिक्लेम पॉलिसी और प्रतिपूर्ति योजना लागू की गई हैं।

कर्मचारियों को उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह सशक्तिकरण का एक क्षेत्र जिसके द्वारा उन्हें कंपनी में पदोन्नति के तरफ ले जाने में सक्षम बनाता है और जिससे साथ ही साथ उनके ज्ञान और आत्मविश्वास के स्तर में सुधार हो।

इसके अलावा कंपनी में किसी भी स्त्री–पुरुष भेदभाव व महिला कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित कदम उठाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आपकी निगम में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ समाज तथा हमारे आस–पास के लोगों के प्रति ध्यान रखना है, और उन्हें हर समय योगदान देना है जिस से उनका मूल्य बढ़ सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

इस संबंध में, ''स्वच्छ भारत अभियान'' के अंतर्गत बीवीएफसीएल के कर्मचारियों तथा इसके स्थानीय लोगों के लिए समय–समय पर कुछ जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, तथा सभी कार्यालयों, विद्यालयों जैसे सार्वजनिक भवनों में आपकी कंपनी की फैक्ट्री कैंटीन, अस्पताल और बीवीएफसीएल अतिथि शाला, टाउनशिप में दैनिक बाजार, खेल के मैदान और सार्वजनिक सड़क के किनारे स्वच्छता अभियान की शुरूवात की गई।

इसके अलावा, कोविड़ महामारी से लड़ने के लिए, समय–समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का सही और सक्रिय रूप से पालन करने के अलावा, बीवीएफसीएल द्वारा जागरूकता अभियान, शपथ ग्रहण, कोविड़–19 से संबंधित बैनर, पोस्टर का प्रदर्शन जैसे सभी आवश्यक कदम उठाए

In addition to social security schemes like Provident fund, Gratuity, Pension in the Corporation, the Group Insurance Scheme of LIC in lieu of EDLI, Group Personal Accident Insurance Scheme, Group Savings Linked Insurance Scheme, Medi claim policy and reimbursement Scheme are implemented for the welfare of the employees.

Employees are encouraged to acquire higher qualifications, an area of empowerment which would enable them to go up the ladder in the company as well improve their knowledge and confidence levels.

Moreover, without indulging any gender discrimination, special attention are being paid in taking the appropriate steps for all round development of the female employees in the corporation.

In your Corporation, Corporate Social Responsibility means caring for the society, for the people around us and contributing in every way possible to add value and improving their quality of life.

In this connection, under "Swachh Bharat Abhiyan", some awareness programme have been undertaken from time to time for the employees of BVFCL as well as the residents of its locality and cleanliness drive has been initiated at all offices, public buildings like school, factory canteen, hospital & guest house of BVFCL, daily markets, play grounds and public road sides in BVFCL township.

Further, to fight against COVID pandemic, besides following religiously and proactively the guidelines stipulated by the Concerned Authority from time to time, all necessary steps have been undertaken by BVFCL like awareness Campaign, Oath taking, display of Banners, Posters on COVID-19 related

गए हैं। सामाजिक व्यवहार मानदंड, जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग ताकि संदेशों को भारत के अधिकतम नागरिकों तक पहुंचाया जा सके और जिला प्राधिकरण को भी समर्थन दिया जा सके।

28. कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत प्रकटनः

आपके निगम ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को देखने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में तथा इसके अंतर्गत जारी नियम 14 के साथ महिलाओं के यौन उत्पीड़न की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी पुष्टि करती है कि वर्ष 2020–21 के दौरान इस तरह के उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

social behavior norms, use of Social Media to spread the awareness so as to reach the messages to maximum citizens of India and supports extended to the District Authority as well.

28. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

Your Corporation has constituted an Internal Complaints Committee under Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 to look into the matters relating prevention of Sexual Harassment of Women employees at the work places. Pursuant to the provisions of Section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 read with Rule 14 of the Rules issued there under, your Company confirms that there has been no complaint of such harassment has been received during the year 2020-21.

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1(क):
ANNEXURE-I(A) TO DIRECTORS' REPORT

फॉर्म–क FORM – A

ऊर्जा संरक्षण के बारे में प्रकटन का ब्योरा देने के लिए फॉर्म
Form for disclosure of particulars with respect to conservation of energy:

क. बिजली एवं ईंधन की खपत A. Power & Fuel Consumption

		यूनिट			Unit	2020-21	2019-20
1.	**खरीदी गई**		**1.**	**Purchased**			
(क)	कुल यूनिट	कि.वाटघंटा (एन–II)	(a)	Total Unit	Kwh (N-II)	78233	280969
		(एन–III)			(N-III)	1344117	938191
	कुल लागत	रुपए लाखो में		Total Cost	Rs. in Lakhs	354.58	319.87
	दर	रुपए / कि.वाटघंटा		Rate	Rs./ Kwh	24.93	26.24
(ख)	अपना उत्पादन	कि.वाटघंटा (एन–II)	(b)	Own Generation	Kwh (N-II)	0	0
	कुल यूनिट	(एन–III)		Total Unit	(N-III)	86709080	127869870
	कुल लागत	रुपए लाखो में		Total Cost	Rs. in Lakhs	2340	4166
	दर	रुपए / कि.वाटघंटा		Rate	Rs./ Kwh	2.70	3.26
2.	**प्राकृतिक गैस (बिल मे दी गई मात्रा)**		**2.**	**Natural Gas (Billed Quantity)**			
(क)	केप्टिव ऊर्जा संयंत्र के लिए		(a)	For Captive Power Plant			
	कुल मात्रा	एसएम³		Total Quantity	SM³ (N-II)	2461637	19715004
		एसएम³ (एन–III)			SM³ (N-III)	27699737	26000799
	कुल लागत	रुपए लाखो में		Total Cost	Rs. in Lakhs	1488.65	3149.58
	दर	रुपए / 1000 एसएम³		Rate	Rs./1000 SM³	4935.63	6889.48
(ख)	बायलरों के लिए (एसबी, डबल्यूएचबी)		(b)	For Boilers (S.B.,W.H.B.)			
	कुल मात्रा (कैंटीन सहित)	एसएम³ (एन–II)		Total Quantity (incl. Canteen)	SM³ (N-II)	39055	13324052
		(एन–III)			(N-III)	55724951	59855856
	कुल लागत	रुपए लाखो में		Total Cost	Rs. in Lakhs	2752.30	5041.72
	दर	रुपए / 1000 एसएम³		Rate	Rs./1000 SM³	4935.63	6889.48
(ग)	फीड भंडारण के लिए		(c)	For Feed Stock			
	कुल मात्रा	एसएम³ (एन–II)		Total Quantity	SM³ (N-II)	0	31957114
		(एन–III)			(N-III)	79993931	72594602
	कुल लागत	रुपए लाखो में		Total Cost	Rs. in Lakhs	3948.20	7203.07
	दर	रुपए / 1000 एसएम³		Rate	Rs./1000 SM³	4935.63	6889.48
(घ)	**रिफॉर्म ईंधन'के लिए***		(d)	For Reformer Fuel*			
	कुल मात्रा	एसएम³ (एन–II)		Total Quantity	SM³ (N-II)	0	34618379
	कुल लागत	एसएम³ (एन–III)		Total Cost	(N-III)	96466028	87187649
	दर	रुपए लाखो में		Rate	Rs. in Lakhs	4761.20	8391.81
		रुपए / 1000 एसएम³			Rs./1000 SM³	4935.63	6889.48

ख) यूरिया के उत्पादन की प्रति मी. टन खपत **B. Consumption per MT of production of Urea**

					Unit	2019-20	2018-19
1.	**प्राकृतिक गैस**		**1.**	**Natural Gas**			
(i)	फीड भंडारण	एसएम³/मी.टन (एन-II)	(i)	Feed Stock	SM³/ MT (N-II)	0	693.41
(ii)	बिजली (सीपीपी)	(एन-III)	(ii)	Electricity (CPP)	(N-III)	616.01	660.52
		एसएम³/मी.टन (एन-II)			SM³/MT (N-II)	1217.43	427.78
		(एन-III)			(N-III)	213.31	236.58
(iii)	बायलर	एसएम³/मी.टन (एन-II)	(iii)	Boilers	SM³/ MT (N-II)	19.31	289.11
		(एन-III)			(N-III)	429.12	544.61
(iv)	रिफार्मर ईंधन*	एसएम³/मी.टन (एन-II)	(iv)	Reformer Fuel*	SM³/ MT (N-II)	0.00	751.15
		(एन-III)			(N-III)	742.86	793.30
2.	**बिजली**		**2.**	**Electricity**			
	खरीदी गई	कि.वाटघंटा/मी.टन (एन-II)		Purchased	Kwh/ MT (N-II)	38.69	6.10
		(एन-III)			(N-III)	10.35	8.54
	उत्पादित (सीपीपी)	कि.वाटघंटा/मी.टन (एन-II)		Generated (CPP)	Kwh/ MT (N-II)	0	0
		(एन-III)			(N-III)	657.48	819.72

*सहायक बायलर और सहायक वाष्प सुपर हीटर में एनजी खपत भी शामिल है।

* Includes NG consumption in Aux. Boiler & Aux. Steam Super Heater also.

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–1 (ख)

फॉर्म ख

प्रौद्योगिकी समावेश संरक्षण, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन के सबंध में विवरणों का प्रकटीकरणः

क. ऊर्जा संरक्षण उपायः

नामरूप–II और नामरूप–III दोनों संयंत्रों ने अपने प्रभावी आर्थिक जीवन को पार कर लिया है और एचटीएएस और पीडीआईएल जैसे प्रोसेस लाइसेंसर्स द्वारा यह पुष्टि की गई है कि अंतर्निहित कमियों, जैसे कि वर्तमान में मानक आकार संयंत्र की तुलना में कम क्षमता, अप्रमाणित प्रौद्योगिकी और अप्रचलित उपकरण जिन्हें लंबे समय से ओईएम द्वारा बंद कर दिए गए है आदि के कारण इन संयंत्रों के प्रदर्शन में कोई बड़ा सुधार संभव नहीं है। आगे यह 2011 में प्रमाणित किया गया था कि इन संयंत्रों को 4 से 5 साल तक चलाया जा सकता है और मौजूदा इकाइयों को बंद करके अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नए मानक आकार के संयंत्र की स्थापना ही दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए एकमात्र विकल्प है। यह यूरिया नीति 2015 और उसके बाद के संशोधनों में परिलक्षित हुई फंड की कमी और पर्याप्त पेबैक अवधि न होने के कारण पूंजी निवेश अगले 4–5 वर्षों के लिए संयंत्रों को चलाने की आवश्यकता के आधार पर, और बेहद अपरिहार्य मामलों तक सीमित है।

हालांकि, नए संयंत्र के चालू होने तक किफायती व्यवहार्य तरीके से मौजूदा संयंत्रों को चालू रखने के लिए, तदर्थ आधार पर 15 साल से अधिक पहले एफआईसीसी द्वारा तय ऊर्जा खपत मानदंड को मध्यवर्ती अवधि के दौरान परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। मैसर्स पीडीआईएल को नियोजित करके ऊर्जा खपत मानदंड की समीक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। मैसर्स पीडीआईएल नामरूप–II और नामरूप–III संयंत्रों के एफआईसीसी ऊर्जा खपत मानदंड की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था और उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में नामरूप–II और नामरूप–III के लिए क्रमशः FICC द्वारा अपनाए जाने वाले नए ऊर्जा खपत मानदंड के रूप में 01. 01.2015 से 18.12 जीकैल/एमटी यूरिया और 01.01.2017

ANNEXURE-I(B) TO DIRECTORS' REPORT:

FORM B

DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

A. ENERGY CONSERVATION MEASURES:

Both Namrup-II and Namrup-III plants have surpassed their effective economic life and it has been confirmed by process licensors like HTAS and PDIL that no major improvement in performance is possible in these plants due to inherent deficiencies in these plants like small capacity compared to present day standard size plant, unproven technology and obsolete equipments which were long discontinued by the OEMs etc.. It was further reported in 2011 that these plants could be run for another 4 – 5 years and establishment of a new standard size plant based on state-of-the-art technology, after closing the existing units, is the only alternative for long term survival. This has been reflected in the Urea Policy 2015 and subsequent amendments. Due to paucity of fund and not having sufficient payback period, capital investments are restricted to extremely unavoidable cases and on the basis of need to run the plants for next 4 – 5 years.

However, to run the existing plants in economical viable manner till the new plant is commissioned, energy consumption norm fixed by FICC more than 15 years back on ad-hoc basis are required to be reworked because of change in circumstances during the intervening period. M/s PDIL was engaged to review the FICC energy consumption norm of Namrup-II and Namrup-III plants and the report submitted by them has recommended 18.12 GCal/MT of urea w.e.f. 01.01.2015 and 13.243 GCal/MT of urea w.e.f. 01.01.2017 for Namrup-II and Namrup-III respectively as the new energy consumption norm to

से 13.243 जीकैल/एमटी यूरिया की सिफारिश की गई। तदनुसार, नामरूप–II संयंत्रों में बढ़ी हुई ऊर्जा खपत मानदंड को मंजूरी देकर और नामरूप–III के लिए आईपीपी दरों के विस्तार के माध्यम से उत्पादित यूरिया के रियायती मूल्य के रूप में बीवीएफसीएल संयंत्रों को विशेष छूट देने के लिए उर्वरक विभाग से संपर्क किया गया था।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषणः

समय–समय पर निष्पादित सभी नवीकरण और प्रतिस्थापन कार्यों में, नवीनतम उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों की खरीद की जाती है। कुछ उदाहरण में, प्राथमिक सुधारक में मल्टी–होल उत्प्रेरक की खरीद, आंतरिक विशेषज्ञता द्वारा नीम लेपित यूरिया सुविधा की स्थापना, ऑनलाइन प्रदूषण निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।

तरल जैव उर्वरक की शुरुआतः

कोविड–19 कठिनाइयों के बावजूद उत्पादन प्रक्रियाओं को जारी रखने/बनाए रखने के लिए कंपनी द्वारा किए गए प्रयासः

असम में और विशेष रूप से डिब्रूगढ़ जिले में कोविड–19 वायरस के प्रसार के कारण, कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों के साथ–साथ उनके परिवारों और आम लोगों में वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जा रही है।

कर्मचारियों और श्रमिकों ने लॉकडाउन के दौरान नामरूप–II को फिर से शुरू करने तथा नामरूप–III में यूरिया उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य घंटों से अधिक समय काम किया, क्योंकि राज्य प्राधिकारी द्वारा लॉकडाउन निर्देशों के मद्देनजर कुल कर्मचारियों में से केवल 10% की अनुमति थी। कुछ पुर्जों/मरम्मत का काम जिसमें बाहरी भागीदारी की आवश्यकता थी, अपनी कार्यशालाओं और स्थानीय विक्रेताओं के उपयोग के साथ तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को जारी रखके परिहार की जा सकी।

लॉकडाउन अवधि के दौरान टाउनशिप में पेयजल और प्लांट एवं टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति बनाए रखी गई।

be adopted by FICC. Accordingly, DoF was approached to extend special dispensation to BVFCL plants by approving the enhanced energy consumption norm for Namrup-II and through extending IPP rates as the Concessional Price for the Urea produced from Namrup-III plants.

B. Technology Absorption:

In all the renewal and replacement jobs executed periodically, products with latest available upgraded technology are procured. Some examples are, procurement of multi-whole catalyst in primary reformer, setting-up of Neem Coated Urea facility by in-house expertise, implementation of Online Pollution Monitoring System etc.

Commencement of Liquid Bio Fertilizers:

Efforts made by the Company to continue/sustain the production processes despite Covid-19 difficulties:

Due to spread of COVID-19 virus in Assam in general and in Dibrugarh district in particular, utmost care is being taken to stop further spread of virus amongst the employees and other workers as well as to their families and general people.

Employees and workers worked beyond their stipulated duty hours to re-start the Namrup-III plants during lockdown and resume urea production in Namrup-III, as only 10% of the total staff was allowed by the State authorities in view of the strict lockdown. Some of the spares/repairing jobs required external involvement, could be avoided by utilizing own workshops and local vendors as well as maintaining supply chain management.

Sanitary water supply to the township and power supply to the plants and township was maintained during the lockdown period.

न्यूनतम 15% एल्युमिना निहित फेरिक एलम और कास्टिक सोडा फ्लेक्स का कम भण्डार था, जो दूरवर्ती जगह से खरीदे जाते हैं और निर्माताओं द्वारा सड़क मध्यम से पहुँचाए जाते हैं। हालांकि जब नामरूप–III संयंत्रों को फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद थी देश में व्यापी लॉक डाउन के कारण, ये सामग्रीयां उस समय जल्दी से प्राप्त नहीं हो सकते थी। फेरिक एलम की खेप तब तक बरेली (यूपी) स्थित निर्माता द्वारा उत्पादित की जानी थी, जो शुरू में लॉक डाउन के कारण बंद हो गई थी। यूपी में संबंधित जिला अधिकारियों के साथ संपर्क में रहने पर, उत्पादन शुरू हो गया और खेप समय पर साइट पर पहुंच गई, जिससे नामरूप–III पुनः शुरू होने में देरी नहीं हुई। कास्टिक सोडा फ्लेक्स खेप को अंर्तराज्य प्रविष्टि बिंदु पर रोका गया, जो नामरूप से लगभग 1000 किमी दूर तथा और खेप की गति को तेज करने के लिए असम सरकार के साथ सम्पर्क किया गया। इन वस्तुओं की समय पर डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में, उत्पादन में देरी के कारण संयंत्र शुरू होने में देरी होने की संभावना थी। हालांकि, राज्य अधिकारियों द्वारा सक्रिय समर्थन के साथ, खेप को तुरंत असम राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।

कोविड–19 कठिनाइयों के बावजूद यूरिया उत्पादन और विपणन को बनाए रखने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कुछ एहतियाती कदम इस प्रकार हैं:

क. बीवीएफसीएल ने कोविड–19 का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का बहुत धार्मिक और सटीक रूप से पालन किया है। इस संबंध में, प्रबंधन द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो कंपनी में हितधारकों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए गठित की गई है।

ख. बीवीएफसीएल फैक्ट्री परिसर, टाउनशिप और बाजार क्षेत्रों में पूर्ण स्वछता बनाए रखे है और संपूर्ण स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्थानों को समय–समय पर साफ किया जा रहा

There was low stock of Ferric Alum with minimum 15% Alumina and Caustic Soda flex, which are procured from far-off places and transported by road by the manufacturers. However, due to country wide lock down, these items might not be received quickly at the time when Namrup-III plants were expected to be re-started. The consignment of Ferric Alum was yet to be produced by the manufacturer located at Bareilly (UP), which was initially closed due to lock down. On being pursued with the concerned district authorities at UP, production started and the consignment reached at site in time, so that Namrup-III re-start was not delayed. Caustic Soda flex consignment was held-up at interstate entry point, about 1000 km from Namrup and was taken-up with Govt. of Assam for expediting movement of the consignment. In case of non-delivery of these items in time, start-up was likely to be delayed leading to production loss. However, with active support extended by the State authorities, the consignment was immediately allowed to enter the state of Assam.

Some of the precautionary steps taken by the Company to sustain Urea production and marketing despite COVID-19 difficulties are as follows:

a. BVFCL has followed very religiously and proactively the guidelines stipulated by National Disaster Management Authority, Ministry of Home Affairs and State govt. to combat COVID-19. In this connection, a Committee has been constituted by the management to monitor the compliance of guidelines by the stake holders in the Company.

b. BVFCL is maintaining complete Swachhta in the Factory premises, Township and Market areas and the places are being periodically

है। पहले चरण में सभी स्थानों को सोडियम हाइपो–क्लोराइट की तत्काल अनुपलब्धता के कारण कीटाणुरहित द्रवण का उपयोग करके साफ किया गया। बाद के चरणों में, स्थानों को नियमित रूप से सोडियम हाइपो–क्लोराइट मिश्रण के साथ ठीक से साफ किया गया।

ग. कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए संदिग्ध रोगियों के सख्त अलगाव के लिए बीवीएफसीएल अस्पताल में पर्याप्त बेड के साथ संगरोध कमरे की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, आपकी कंपनी के अस्पताल में कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार के बाहरी राज्य से आने वाले सदस्यों के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।

घ. इस अवधि के दौरान, बीवीएफसीएल ने कर्मचारियों और उनके वार्डों के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की मदद से कोविड–19 के निदान के लिए समय–समय पर परीक्षणों की व्यवस्था की थी और कोविड–19 पोजिटिव सभी मामलों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके अलावा, कोविड–19 पोजिटिव व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संपर्क में आने पर और अन्य संदिग्ध लक्षणों प्रत्यक्ष होने पर ऐसे कर्मचारियों को संगरोध किया गया था।

ङ. फैक्ट्री का मूल प्रवेश द्वार में भीड़ से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जनरल शिफ्ट की कर्तव्य समय को संशोधित किया गया है।

च. बीवीएफसीएल के ठेकेदार के श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों को मास्क वितरित किए गए।

छ. टाउनशिप में नियमित रूप से कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने के संबंध में घोषणा की गई।

sanitized to maintain complete hygiene. In the first phase all the places were sanitized using disinfected solution due to immediate non-availability of Sodium Hypo-chlorite. In the subsequent phases, the places have been regularly sanitized properly with Sodium Hypo-chlorite solution.

c. Arrangement of quarantine room at BVFCL Hospital with sufficient beds has been done for strict isolation of doubtful patients to prevent the spread of COVID-19. In addition, necessary action has been initiated at BVFCL Hospital for quarantining officials and family members of BVFCL employees who will be coming from the outside state.

d. During the period, BVFCL had arranged tests from time to time for diagnosis of COVID-19 with the help of District Health Department for the employees and their wards and immediate necessary action was initiated in this regard in all the cases when anybody tested positive for COVID-19. Further, employees were quarantined, whenever they have come in direct/ indirect contact with COVID-19 positive persons and other doubtful symptoms.

e. Duty timing of General Shift has been revised to avoid rush in the factory main gate and to maintain social distance.

f. Masks were distributed to all the employees including Contractor's workers of BVFCL.

g. Announcement at the township made regarding precautionary measures to be taken to prevent the spread of COVID-19.

ज. प्रशासन विभाग को सलाह दी गई थी कि बाहर से कंपनी की फैक्ट्री परिसर/टाउनशिप में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की सम्पूर्ण रिपोर्ट बनाए रखें और जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी दें।

झ. सभी कार्य स्थानों तथा फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार पर लिक्विड हैंड वॉश रखे गए क्योंकि बार–बार हाथ धोने से वायरस खत्म होता है और कोविड–19 की प्रसार को रोकता है।

ञ. फैक्ट्री परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की नियमित जाँच के लिए फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर स्थापित किया गया।

ट. सामग्री प्रबंधन विभाग को सलाह दी गई कि यदि आवश्यक न हो तो कम से कम 24 घंटे के लिए बाहर से प्राप्त सामग्री को अलग रखें और सामग्री को संभालने से पहले और बाद में हाथ की उचित धुलाई की निगरानी करें।

ठ. सभी को सलाह दी गई है कि कोविड–19 के प्रसारण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 'आरोग्य सेतु ' ऐप का उपयोग करें।

ड. बीवीएफसीएल कोविड–19 महामारी और इस क्षेत्र में अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति के बावजूद भी यूरिया उत्पादन और प्रेषण को बनाए रखने में सभी चुनौतियों का सामना किया।

ग. आर एंड डी प्रयासः शून्य

घ. आर एंड डी के परिणाम से व्युत्पन्न लाभः शून्य

ङ. **विदेशी मुद्रा कमाई और निर्गमनः** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है, लेकिन पूंजीगत उपकरणों के लिए विदेशी वस्तुओं की खरीद के लिए 21.73 लाख रुपए खर्च किया गया है।

h. Administration Department was advised to maintain the detail report of persons visiting factory premises/ BVFCL colony from outside & report the same to District Administration.

i. Liquid hand wash kept at all work places as well as Factory main gate as frequent hand washing kills the virus and prevents the spread of COVID-19.

j. Thermal scanner installed at Factory Main Gate for regular checking of all who enters into the factory premises.

k. Material Management Department has been advised to keep aside the materials received from outside for atleast 24 hrs., if not essential and monitoring of proper washing of hand before and after handling of materials.

l. It has been advised to all to use the 'Aarogyasetu' App for breaking the chain of transmission of COVID-19.

m. BVFCL took all the challenges in maintaining the production and despatches of urea inspite of the limitations due to COVID-19 pandemic and unprecedented flood situation in the area.

C. R & D Efforts : Nil

D. Benefit derived as a result of R & D : Nil

E. **Foreign Exchange Earning and Outgo :** During the year under review, company has not earned any foreign exchange but expend Rs. 21.73 Lakhs towards purchase of foreign goods for Capital equipment.

अनुलग्नक – I (ग) ANNEXURE – I (C)

1 जनवरी, 2021 को अ.जा., अ.ज.जा. और पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक विकलांग का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण तथा पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या सार्वजनिक उद्यम का नाम ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, नामरूप

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs, OBCs AND PHs AS ON 1ST JANUARY, 2021 AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PRECEDING CALENDER YEAR.

NAME OF THE PUBLIC ENTERPRISES: BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED, NAMRUP.

समूह **Groups**	01.01.2021 को अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व **Representation of SCs / STs / OBCs as on 01.01.2021**				2020 कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या **Number of appointments made during the calendar year 2020**											
					सीधी भर्ती पद्धति द्वारा **Recruitment Method**				पदोन्नति द्वारा **By Promotion**				अन्य तरीके द्वारा **By Other Methods**			
	कर्मचारियों की कुल संख्या **Total No. of employees**	अ.जा. **SCs**	अ.ज.जा. **STs**	अ.पि.व. **OBCs**	योग **Total**	अ.जा. **SCs**	अ.ज.जा. **STs**	अ.पि.व. **OBCs**	योग **Total**	अ.जा. **SCs**	अ.ज.जा. **STs**	अ.पि.व. **OBCs**	योग **Total**	अ.जा. **SCs**	अ.ज.जा. **STs**	अ.पि.व. **OBCs**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15	16	17
ग्रुप क Group A	257	23	23	73	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप ख Group B	173	10	35	63	-	-	-	-	30	1	9	9	-	-	-	-
ग्रुप ग Group C	69	07	06	24	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
ग्रुप घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) (Excluding Safai Karmachari)	11	01	02	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप घ सफाई कर्मचारी Group D (Safai Karmachari)	03	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग Total	**513**	**44**	**66**	**167**	**03**	**-**	**-**	**-**	**31**	**1**	**9**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है (यह जनशक्ति उपर्युक्त विवरण में शामिल है।):
The representation of physically handicapped manpower as under (included in the above statement):

ग्रुप **Group**	योग **Total**	अ.जा. **SCs**	अ.ज.जा. **STs**	अ.पि.व. **OBCs**
ग्रुप ख Group B	-	-	-	-
ग्रुप ग Group C	1	-	-	1
ग्रुप घ Group D	-	-	-	-

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

कंपनी अधिशासन पर रिपोर्ट

निगम अधिशासन पर कंपनी का सिद्धांत

आपकी कंपनी में निगम अधिशासन एक सतत् प्रयास रहा है जो प्रणाली के सभी घटकों की समग्र भलाई और कल्याण को ध्यान में रखता है और प्रत्येक कारोबार के सभी निर्णयों में भागीदारों के हितों का ख्याल रखता है। आपकी कंपनी निगम अधिशासन के उच्चतम मानकों का पालन करके विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मूल उद्देश्य सभी स्तरों पर निगमित दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और ओजपूर्ण उर्जावान तथा उद्यमशीलता के प्रति जागरुक कॉर्पोरेशन संस्कृति, पारदर्शिता और उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना और उसका पालन करना है। आपकी कम्पनी का मानना है कि अधिशासन को निगमित लक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत हितो मे सतंलुन बनाना चाहिए तथा औचित्य, समानता, उचित और न्यायोचित के स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार प्रचालन करना चाहिए। आपकी कंपनी में निर्णय लेने में सुधार करने और ऐसे निर्णयों के पीछे तर्कसंगतता के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता पर बल दिया जाता है ताकि भागीदारों का विश्वास जीता जा सके।

I. निदेशक मण्डलः

क. बोर्ड का गठन

बी.वी.एफ.सी.एल. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के प्रावधानों के अनुसरण में एक 'सरकारी कंपनी' है, जिसकी 100% प्रदत्त शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

ख. बोर्ड/समिति का उत्तरदायित्व और मूल्यांकन प्रक्रिया

बोर्ड का उत्तरदायित्व कंपनी की रणनीतिक नीतियों का पर्यवेक्षण करना और कॉर्पोरेशन निष्पादन की समीक्षा और निगरानी करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना तथा कंपनी के प्रचालन में कार्यपालक प्रबंधन के जोखिम को कम करने वाले प्रयासों की समीक्षा करना है। समिति/बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड उपयुक्त प्रणाली/तंत्र पर विचार कर रहा है।

ANNEXURE - II TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance has been a continuous endeavor in your corporation that cares for an overall well-being and welfare of all the constituent of the system and takes into account the stakeholder's interest at every business decision. Your corporation is committed to pursue growth by adhering to the highest standards of corporate governance. The primary objective is to create and adhere to a corporate culture of consciousness, transparency and openness in creating awareness of corporate vision and spark dynamism and entrepreneurship at all levels. Your corporation believes that governance must balance individual interest with corporate goals and operate within the accepted norms of propriety, equity, fair play and a sense of justice. In your corporation, accountability and transparency are key drivers to improve decision making and rationale behind such decisions to create stakeholders confidence.

I. BOARD OF DIRECTORS:

A. CONSTITUTION OF BOARD

Pursuant to the provisions of Section 2 (45) of the Companies Act, 2013, your corporation is a "Government Company" holding 100% of its paid up share capital by the President of India. Members of the Board of Directors are appointed by the President of India.

B. RESPONSIBILITIES AND EVALUATION PROCESS OF BOARD / COMMITTEE

The responsibilities of Board is to oversee the company's strategic policies, review and monitor corporate performance, ensure regulatory compliance and reviewing the risk minimizing efforts of executive management in the operation of Company. Board is considering appropriate mechanism for evaluating performance of Committees/ Board.

ग. बोर्ड/समिति की बैठकें और प्रक्रिया/कार्यविधि

I. निर्णयन प्रक्रिया को संस्थागत बनाना

सभी कॉर्पोरेट मामलों को संस्थागत बनाने और बोर्ड द्वारा अपेक्षित चर्चा/निष्कर्षों के मामलों में अग्रिम योजना बनाने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं की स्थापना करने हेतु आपकी कंपनी ने निदेशक मण्डल और उसकी समिति की बैठकों के लिए दिशा–निर्देश परिभाषित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में बोर्ड/समिति की बैठकों को निर्णयन प्रक्रिया को एक सूचित और कुशल तरीके से व्यवस्थित बनाने की अपेक्षा की गई है। बोर्ड बैठकों से संबंधित कंपनी के दिशानिर्देशों जहां तक व्यावहारिक हो, समिति की बैठकों के लिए भी लागू होते है।

II. बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए अनुसूची तथा कार्यसूची मदों का चयन

क. बोर्ड/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त अग्रिम नोटिस देते हुए बैठकें बुलाई जाती हैं। विशिष्ट तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्प नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं। तात्कालिकता या आकस्मिकता के मामले में संकल्प परिचालन के द्वारा पारित किए जाते हैं।

ख. बैठकों में अर्थपूर्ण, सुविचारित और केन्द्रित निर्णय होने में सहायता के लिए प्रबंधन रिपोर्टों और अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों वाली विस्तृत कार्यसूची अग्रिम रूप में सदस्यों के मध्य परिचालित कर दी जाती है। जहां किसी दस्तावेज को परिचालित करना व्यावहारिक न हो अथवा कार्य सूची गोपनीय प्रकृति की हो वहां उसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रस्तुत किया जाता है। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुमति और निदेशक मंडल/समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अधीन अतिरिक्त अथवा अनुपूरक कार्य सूची पर विचार किया जाता है।

C. BOARD/COMMITTEE MEETINGS AND PROCEDURES.

I. Institutionalize decision making process

With a view to institutionalize all corporate affairs and set up systems and procedures for advance planning for matters requiring discussion/ decisions by the Board, your corporation has defined guidelines for the meetings of the Board of Directors and Committee thereof. These guidelines seek to systematize the decision making process at the meetings of Board/ Committees, in an informed and efficient manner. Your corporation's guidelines relating to Board meetings are applicable to Committee Meetings as far as practicable.

II. Scheduling and selection of Agenda items for Board/Committee Meetings.

a. The meetings are convened by giving appropriate advance notice after obtaining approval of the Chairman of the Board/ Committee. To address the specific urgent need, meetings are also being called at a shorter notice. In case of exigencies or urgency, resolutions are passed in circulation.

b. Detailed agenda containing the management reports and other explanatory statements are circulated in advance amongst the members of the Board/Committee for facilitating meaningful informed and focused decisions at the meetings. Wherever it is not practicable to circulate any document or the agenda is of confidential nature, the same is tabled with the approval of CMD and majority of members present in the meeting. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary agenda are being considered subject to the permission of CMD and majority of members present in the meeting of Board/ Committee.

ग. बोर्ड के सदस्य कंपनी की सभी सूचना प्राप्त करने तथा चर्चा हेतु एजेंडा में किसी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए हकदार है। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ प्रबंधन को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि बोर्ड में चर्चा किए जा रहे और/या प्रस्तुत की जा रही मदों के संबंध में अतिरिक्त सूचना आदान उपलब्ध कराई जा सके।

घ. बोर्ड/समिति की बैठक आम तौर पर नामरूप में निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है। हालांकि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, देश में कोविड महामारी के हालात को देखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षा समिति की बैठकें विडियों कांफ्रोस के माध्यम से आयोजित की गई।

ड. संबंधित विभागों के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा कार्यसूची दस्तावेज तैयार किए जाते हैं जिन्हें कार्यात्मक निदेशकों द्वारा आयोजित और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कंपनी के सचिव द्वारा बोर्ड/समिति के सदस्यों में विधिवत अनुमोदित कार्यसूची दस्तावेज अग्रिम में परिचालित किए जाते हैं।

च. कंपनी सचिव पिछली बोर्ड/समिति की बैठकों के निर्णयों के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों से संबंधित विभाग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है तथा बैठक की कार्यसूची में शामिल करने से पहले कार्यात्मक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ परामर्श करके रिपोर्ट का समेकन करता है।

छ. प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत को निर्धारित समय के अंदर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सचिवालय मानक के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत को अंतिम रूप देने के बाद, कंपनी के सचिव द्वारा बोर्ड/समिति के सभी सदस्यों को कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रति परिचालित की जाती है। बोर्ड/समिति के इन कार्यवृत को बोर्ड/समिति की अगली बैठकों में नोट किया जाता है।

c. The members of the Board are entitled to access all the information of the corporation and are free to recommend inclusion of any matter in agenda for discussion. In case of need, the senior officials of the corporation are invited to attend the Board/Committee meetings to provide additional inputs relating to the items being discussed and / or giving presentation to the Board/Committee.

d. The meetings of Board/ Committee are normally held at the registered office of the corporation in Namrup. However, during the year under review, considering covid pandemic scenario in the country, meetings of Board of Directors and Audit Committee were held through Video conference.

e. The agenda papers are prepared by the Sr. executives of concern departments, sponsored by the Functional Directors and approved by the CMD. Duly approved agenda papers are circulated amongst the members of the Board/ Committee by the Company Secretary well in advance.

f. Company Secretary follow up with the concern Department for the action taken reports based on the decisions of earlier Board/ Committee meetings and compiled the reports in consultation with Functional Directors and CMD before including in the agenda of the Board/ Committee meetings.

g. Minutes of the proceedings of each Board/ Committee meeting are finalized as per the provisions of Secretarial Standard approved by the Central Government within stipulated time. After the finalisation of minutes by the chairman, certified copy of minutes are circulated to all the members of the Board/ Committee by the company secretary. These minutes of Board / Committee are noted in the next Board/ Committee meetings, respectively.

ज. बोर्ड / समिति के निर्णयों का सार कंपनी सचिव द्वारा उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को परिचालित किया जाता है।

झ. निदेशकों की प्रशिक्षण तंत्र के संबंध में डीपीई द्वारा जारी नियमित अधिशासन दिशा–निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक प्रशिक्षित नीति अनुमोदित की है और कम से कम एक सरकारी निदेशक, एक गैर आधिकारिक निदेशक तथा एक कार्यात्मक निदेशक को प्रत्येक वर्ष संबंधित निदेशकों की सुविधा अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रायोजित ऐसे प्रशिक्षण, संगोष्ठी, सम्मेलन, सम्मेलनों में नामित करने का निर्णय लिया है।

III. कानूनों का अनुपालन

कार्यपालक प्रबंधन कानूनो, नियमों और दिशानिर्देशों आदि के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सभी लागू कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तिमाही सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट (सभी विभागों से एकत्रित) की बोर्ड द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

घ. बोर्ड की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गई थीं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मंडल की बैठक संख्या	तारीख	कितने निदेशकों ने भाग लिया
101	30.06.2020	4
102	27.11.2020	4
103	24.12.2020	5
104	13.01.2021	6

ङ. बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2021 तक, कंपनी के निदेशक मंडल में छह (06) सदस्य थे, जिनमें श्री असीम कुमार घोष,

h. The extract of decisions of Board/ Committee are circulated by the Company Secretary to the HODs of concerned Departments for taking necessary actions thereon.

i. As per the Corporate Governance Guidelines issued by DPE regarding training mechanism of Directors, Board of Directors has approved a Training Policy and undertake to nominate every year at least One Govt. Director, One non official Director and One Functional Director at the convenience of concerned Directors for such training, seminar, conference, conventions sponsored by the prestigious institutions.

III. COMPLIANCE OF LAWS

Executive management is responsible to ensure adherence to all the applicable provisions of laws, rules and guidelines, etc. A quarterly statutory compliance report (collected from all the departments) confirming adherence to all the applicable laws, rules, guidelines, etc. are being reviewed by the Board on quarterly basis.

D. BOARD MEETINGS

During the year under review, 4 (four) meetings of Board of Directors were held, details of which are as under :

Board Meeting No.	Date	No. of Directors attended
101	30.06.2020	4
102	27.11.2020	4
103	24.12.2020	5
104	13.01.2021	6

E. COMPOSITION OF BOARD

As on 31st March, 2021, there were six (06) members in the Board of Directors of the Company,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री दिगंबर सहाय, निदेशक (उत्पादन), श्री सुबास चंद्र दास, निदेशक (वित्त), श्री विनय कुमार पाण्डे, सरकार नामित निदेशक (उर्वरक विभाग), श्री के. गुरुमूर्ति, सरकार नामित निदेशक (उर्वरक विभाग) और श्री बिपिना बिहारी पाधी, गैर–आधिकारिक निदेशक।

निदेशकों के गठन और श्रेणी, बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, कंपनी के प्रत्येक निदेशक के लिए अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशकों और सदस्यता का विवरण नीचे दिया गया है:

comprises Shri Ashim Kumar Ghosh, Chairman & Managing Director, Shri Digambar Sahai, Director (Production), Shri Subash Chandra Das, Director (Finance), Shri Vinay Kumar Pandey, Govt. Nominee Director (DOF), Shri K. Gurumurthy, Govt. Nominee Director (DOF) and Shri Bipina Bihari Padhy, Non Official Director.

The details of composition and category of Directors, attendance of each Director at the Board Meetings and the last AGM, directorship and membership in committees of other companies for each director of the company are given below.

नाम सर्व / श्री **Name S/Shri**	उपस्थिति विवरण **Attendance particulars**		निदेशक और समिति सदस्यों / अध्यक्ष का विवरण **Details of Directorship and Committee members/ Chairman**	
	वर्ष के दौरान बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या **No. of meetings attended during the year**	29.12.2021 (मूल) और 02.03.2020 (आस्थगित) को हुई पिछली वार्षिक आम बैठक **Last AGM Held on 29.12.2020 (Original) and 2.03.2021 (Adjourned)**	अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकों का विवरण **Details of Directorships in other public limited companies**	समितियों की सदस्यता और समिति की अध्यक्षता का विवरण **Details of committee memberships and committee Chairmanship**
Functional Directors				
श्री असीम कुमार घोष अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (उत्पादन), अतिरिक्त प्रभारी / (*) Shri Ashim Kumar Ghosh, Chairman & Managing Director and Director (Production [Additional Charge](*)	4	हां (मूल) हाँ (स्थगित) Yes (original) Yes (Adjourned)	एफएआई FAI	–लेखा परीक्षा समिति में सदस्य –पारिश्रमिक समिति में सदस्य -Member in Audit Committee -Member in Remuneration Committee
श्री दिगंबर सहाय, निदेशक (उत्पादन)(**) Shri Digambar Sahai, Director (Production) (**)	2	हां (मूल) नहीं (स्थगित) Yes (original) No (Adjourned)	-	–लेखा परीक्षा समिति में सदस्य –पारिश्रमिक समिति में सदस्य -Member in Audit Committee -Member in Remuneration Committee

श्री सुबास चन्द्र दास, निदेशक वित्त (***) Shri Subash Chandra Das Director (Finance) (***)	2	हां (मूल) नहीं (स्थगित) Yes (original) No (Adjourned)	-	
अंशकालिक सरकारी निदेशक **Part Time Official Directors**				
श्री विनय कुमार पाण्डे सरकार नामित निदेशक (****) Shri Vinay Kumar Pandey Govt. Nominee Director (****)	4	नहीं (मूल) नहीं (स्थगित) No (original) No (Adjourned)	-	–लेखा परीक्षा समिति में सदस्य –पारिश्रमिक समिति में सदस्य - Member of Audit Committee - Member in Remuneration Committee
श्री के. गुरुमूर्ति, सरकार नामित निदेशक (*****) Shri K. Gurumurthy Govt. Nominee Director (*****)	1	हां (मूल) नहीं (स्थगित) Yes (original) No (Adjourned)	-	–लेखा परीक्षा समिति में सदस्य –पारिश्रमिक समिति में सदस्य -Member of Audit Committee -Member in Remuneration Committee
अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक **Non Official Part Time Director**				
श्री बिपिना बिहारी पाधी (******) गैर आधिकारिक निदेशक Bipina Bihari Padhy, (******) Non Official Director	4	हां (मूल) नहीं (स्थगित) Yes (original) No (Adjourned)	-	–लेखा परीक्षा समिति में अध्यक्ष –पारिश्रमिक समिति में अध्यक्ष - Chairman of Audit Committee - Chairman of Remuneration Committee

(*) निदेशक (उत्पादन) के पद का अतिरिक्त प्रभार 15.11.2020 तक
(*) Hold Additional Charge of the post of Director (Production) upto 15.11.2020

(**) दिनांक 16.11.2020 से निदेशक (उत्पादन) का पद ग्रहण किया
(**) Assumed the post of Director (Production) w.e.f. 16.11.2020.

(***) दिनांक 18.12.2020 से निदेशक (वित्त) का पद ग्रहण किया।
(***) Assumed the post of Director (Finance) w.e.f. 18.12.2020.

(****) 29.09.2021 से निदेशक का पद समाप्त हो गया
(****) Ceased the Directorship w.e.f. 29.09.2021.

(*****) 13.05.2020 से निदेशक का पद ग्रहण किया
(*****) Assumed the Directorship w.e.f. 13.05.2020

(******) दिनांक 09.05.2020 से निदेशक का पद ग्रहण किया
(******)Assumed the Directorship w.e.f.9.05.2020

कंपनी का कोई निदेशक उन सभी कम्पनियों में, जिसका वह निदेशक है, 10 (दस) से अधिक समितियों में सदस्य या 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

No Director of the company is a member in more than 10 (ten) committee or is a Chairman of more than five (5) committees across all companies in which he is a Director.

च. आचरण संहिता

आपके निगम ने कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालक (उप महा प्रबंधक और ऊपर के अधिकारी) के लिए लागू आचरण संहिता और नैतिकता को अपनाया है। आचरण संहिता को निर्देशकों और कर्मचारियों को ईमानदारी से, निष्पक्ष, नैतिक रूप से और पारदर्शिता और अखंडता के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक को वार्षिक आधार पर आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि की जानी चाहिए। आचरण संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.bvfcl.com पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशक मंडल के सभी सदस्य (मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित) और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने आचरण संहिता का अनुपालन किया है और उनके द्वारा उस प्रभाव की पुष्टि भी की गई है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक घोषणा अनुबंध –II (क) में दी गई है।

F. CODE OF CONDUCT

Your Corporation has adopted a code of conduct and ethics applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel (DGM and above) of the Company. The code requires Directors and employees to act honestly, fairly, ethically, and with transparency and integrity. The Board of Directors and Senior Management Personnel are required to affirm compliance with the code of conduct on an annual basis. The code has been displayed on the Company's website at www.bvfcl.com. All members of Board of Directors (including Chief Vigilance Officer) and Senior Management Personnel have complied with the code and the compliance has been affirmed by them to that effect. A declaration to this effect, duly signed by the Chairman and Managing Director is placed at Annexure -II (A).

छ. निदेशक मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली सूचना

कार्यपालक प्रबंधन, निदेशक मण्डल के समक्ष निम्नलिखित सूचनाएँ या तो कार्यसूची पत्र के भाग के रूप में रखेगा या बोर्ड की बैठक के दौरान प्रस्तुत करेगाः

- वार्षिक प्रचालन योजना और बजट तथा अन्य अद्यतन स्थिति।
- पूंजी बजट और कोई अद्यतन स्थिति।
- कंपनी और इसके प्रचालन प्रभागों या कारोबार के हिस्से का तिमाही परिणाम।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत।
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक सहित मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या निष्कासन की सूचना।
- कारण बताओ, मांग, मुकदमा चलाए जाने की सूचनाएं और दण्ड की सूचनाएँ, जो वस्तुतः महत्वपूर्ण हों।

G. INFORMATION PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS

The Executive Management of your Corporation shall present following information before the Board of Directors, either as part of the agenda papers or are tabled/ presented during the course of Board meeting :

- Annual operating plans and budgets and any updates.
- Capital budgets and any updates.
- Quarterly results for the company and its operating divisions or business segments.
- Minutes of meetings of audit committee and other committees of the Board.
- The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the board level, including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important.

- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई द्रव्यात्मक बहिस्राव या पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएँ।
- कंपनी के लिए या कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई सामग्री चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल का पर्याप्त भुगतान नहीं होना।
- ऐसा कोई मामला, जिसमें भौतिक प्रकृति के संभावित जनता या उत्पाद दायित्व के दावे शामिल हों, किसी निर्णय या आदेश सहित जिसमें कंपनी के आचरण पर निर्देश दिया गया हो या दूसरे उद्यम के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया हो जिस पर कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हो।
- किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण।
- ऐसा लेन–देन जिसमें साख, ब्राण्ड इक्विटी या बौद्धिक सम्पदा के लिए पर्याप्त भुगतान किया गया हो।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनका प्रस्तावित समाधान, मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे, वेतन समझौता पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना आदि।
- प्राकृतिक सामग्री, राजसहायता, परिसंपत्तियां की बिक्री, जो सामान्य कारोबार का हिस्सा नहीं होता।
- विदेशी मुद्रा विनिमय के खुलासों का तिमाही विवरण और मुद्रा विनिमय दर के प्रतिकूल उतार–चढ़ाव के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण हों।
- किसी भी विनियामक, संवैधानिक या सूचीबद्ध आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवाएं जैसे लाभांश का भुगतान नहीं होना, शेयर हस्तांतरण में विलम्ब, आदि का अनुपालन न होना।

2. लेखा परीक्षा समिति:

I. गठन और संघटन

वित्तीय वर्ष 2020–21 के समाप्ति में, लेखा परीक्षा समिति में चार (04) सदस्यों नामतः श्री बिपिना बिहारी

- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- Any material default in financial obligations to and by the company or substantial non-payment for goods sold by the company.
- Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgement or order which may have passed strictures on the conduct of the company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the company.
- Details of any joint venture or collaboration agreement.
- Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/industrial relations front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- Sale of material nature of investments, subsidiaries, assets, which is not in normal course of business.
- Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- Non-compliance of any regulatory, statutory requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

2. AUDIT COMMITTEE:

I. Constitution and Composition

At the end of financial year 2020-21, Audit Committee comprises Four (04) members i.e. Shri

पाधी, गैर आधिकारिक निदेशक (अध्यक्ष); श्री दिगंबर सहाय, निदेशक (उत्पादन); श्री विनय कुमार पाण्डे, सरकार नामित निदेशक (उर्वरक विभाग), श्री के. गुरुमूर्ति, सरकार नामित निदेशक (उर्वरक विभाग) शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति ने बैठकों में निम्नलिखित कार्यों की समीक्षा की हैः

i) कच्ची सामग्रियां, मध्यवर्ती, तैयार उत्पाद तथा पैकिंग सामग्रियों के भौतिक सत्यापन की तिमाही रिपोर्टें;

ii) तिमाही आंतरिक लेखा परीक्षा (तकनीकी) रिपोर्ट;

iii) आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा;

iv) बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पूर्व कंपनी की वार्षिक लेखा परीक्षा की समीक्षा;

v) सांविधिक लेखा परीक्षाओं की लेखा परीक्षा टिप्पणियों की समीक्षा तथा उस पर प्रबंधन का उत्तर;

vi) सीएण्डएजी की टिप्पणियां की समीक्षा;

vii) सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की समीक्षा;

viii) लेखा परीक्षा समिति की पिछली बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा;

ix) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट;

x) कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणन/घोषणा की समीक्षा;

xi) कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा;

xii) लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा;

xiii) त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक लागत लेखा अभिलेखों की समीक्षा;

xiv) भारित पैक्ड यूरिया बैग का भौतिक सत्यापन;

xv) कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति;

xvi) बाह्य सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा।

Bipina Bihari Padhy, Non Official Director (Chairman); Shri Digambar Sahai, Director (Production); Shri Vinay Kumar Pandey, Govt. Nominee Director (DOF), Shri K. Gurumurthy, Govt. Nominee Director (DOF).

During the year under review, Audit Committee has reviewed the followings business in the meetings:

i) Quarterly reports of physical verification of Raw Materials, Intermediate, Finished product and Packing materials ;

ii) Quarterly Internal Audit (Technical) Reports;

iii) Review Internal Audit Reports

iv) Review of Annual Accounts of the Company before approval by the Board;

v) Review of Audit observations of Statutory Auditors and management replies thereon;

vi) Review comments of C & AG ;

vii) Review remuneration of Statutory Auditors;

viii) Review of action taken reports on the decisions of earlier Audit Committee meetings.

ix) Management Discussions and Analysis Report;

x) Review Certification/declaration of financial statements by the Chairman and Managing Director and Director (Finance) of the Company;

xi) Review appointment of Internal Auditors of the Company

xii) Review appointment of Cost Auditors;

xiii) Review quarterly/half yearly/Annual cost accounting records;

xiv) Physical verification of weighted packed urea Bags

xv) Appointment of registered valuer for valuation of assets of the company

xvi) Review External Safety Audit Report

निगम के निदेशक मण्डल ने 06.06.2003 को आयोजित अपनी 12वीं वार्षिक बैठक में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया था। लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों को गठन के समय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा उसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित अधिशासन के दिशानिर्देशों के अनुरूप 03.06.2011 को आयोजित निदेशक मण्डल की 57वीं बैठक में संशोधित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार आगे संशोधन 10.04.2016 को आयोजित 76 वीं बैठक (आस्थगित) में किया गया था।

II. बीवीएफसीएल की लेखा परीक्षा समिति हेतु विचारार्थ विषय

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार है:

1) कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना, इसकी वित्तीय सूचनाओं का खुलासा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।

2) बोर्ड को लेखा परीक्षको के पारिश्रमिक के निर्धारण की सिफारिश करना;

3) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त अन्य किसी सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन करना।

4) बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले, तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में समीक्षा की जानाः

    क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल करने हेतु आवश्यक मामले;

    ख. लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, तथा उसके कारण;

    ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर शामिल प्राक्कलन की मुख्य लेखांकन प्रविष्टियां;

Board of Directors of the Corporation has constituted Audit Committee initially in their 12th meeting held on 6.06.2003. The terms of reference of the Audit Committee has been approved by the Board at the time of constitution and modified in 57th meeting of Board of Directors held on 3.06.2011 in line with the guidelines of corporate governance issued by the Department of Public Enterprises (DPE) and Further modified in 76th (Adjourned) meeting held on 10.04.2016 in line with the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013.

II. TERMS OF REFERENCE FOR AUDIT COMMITTEE OF BVFCL

The following are terms of reference of Audit Committee :

1. Oversight of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.

2. Recommending to the Board the fixation of audit fees.

3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.

4. Reviewing with the management quarterly, half yearly and the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:

    a. Matters required to be included in the Directors Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of section 134 (5) of the Companies Act, 2013;

    b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;

    c. Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;

घ. लेखा परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

ङ. वित्तीय विवरणों के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

च. किसी संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा करना; और

छ. लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में अर्हता;

ज. कंपनी के भविष्य में बने रहने का अनुमान;

झ. आईसीएआई के लेखांकन मानक का अनुपालन;

ञ. कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना;

5) आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रबंधन निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा।

6) आंतरिक लेखा परीक्षा की कार्यप्रणाली की पर्याप्तता सहित आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के गठन, स्टाफिंग और विभागाध्यक्षों की वरीयता, रिर्पोटिंग संरचना व्याप्ति और आंतरिक लेखा परीक्षा की बारंबारता की समीक्षा करना।

7) आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना।

8) ऐसे मामलों, जहां संदिग्ध हेराफेरी या अनियमितता या महत्वपूर्ण प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली असफल हो जाए, वहाँ आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों की समीक्षा कर मामले को बोर्ड को सूचित करना।

9) लेखा परीक्षा प्रारंभ करने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और संभावना पर चर्चा तथा किसी समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा उपरांत चर्चा।

d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;

e. Compliance with legal requirements relating to financial statements;

f. Disclosure of any related party transactions; and

g. Qualifications in the draft audit report.

h. The going concern assumption.

i. Compliance with Accounting Standard of ICAI.

j. Reviewing the company's financial and risk management policies.

5. Reviewing with the management performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.

6. Reviewing the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.

7. Discussion with internal auditors and/or auditors any significant findings and follow up there on.

8. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.

9. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.

10) जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के गैर–भुगतान के मामले में) तथा ऋणदाताओं को भुगतान में हुई पर्याप्त चूक के कारणों पर विचार करना।

11) भ्रष्टाचार को उजागर करने की प्रणाली के कार्यों की समीक्षा करना।

12) सीएण्डएजी लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

13) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संसदीय समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए समीक्षा करना।

14) स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा निदेशक मण्डल के बीच संचार के खुले अवसर उपलब्ध कराना।

15) कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा करना। इस प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा समिति किसी सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी विशिष्ट वर्ष में किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के बारे में निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण को विभिन्न शेयरधारकों के खुलासे के लिए उस वर्ष की बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरणः ''संबंधित पार्टी लेनदेन" शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 में निहित है।

16) कवरेज को पूरा करने, अनावश्यक प्रयासों में कमी लाने, और सभी लेखा–परीक्षा के संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षक प्रयासों का समन्वय करने हेतु स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना।

17) स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्नलिखित की समीक्षा करने पर विचार करनाः

10. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non payment of declared dividends) and creditors.

11. To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.

12. To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit.

13. To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.

14. Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors.

15. Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions. A statement in the prescribed format giving details about all related party transactions taken place in a particular year should be included in the Board's report for that year for disclosure to various stakeholders.

Explanation: The term **"related party transactions"** shall have the same meaning as contained in the Accounting Standard 18, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

16. Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.

17. Consider and review the following with the independent auditor and the management:

– कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और

– आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के निष्कषों और सिफारिशों के साथ प्रबंधन के उत्तर।

18. आंतरिक लेखा परिक्षक, स्वतंत्र लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार एवं समीक्षा करना:

– पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्षों का पता लगाना।

– लेखा परीक्षण कार्यकलापों के दायरे पर कोई प्रतिबंध लगाने या अपेक्षित सूचना तक पहुँच बनाने के दौरान सामने आई कोई कठिनाइयां।

स्पष्टीकरण: यदि कंपनी ने कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुशरण में कोई लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है तो उक्त लेखा परीक्षा समिति के लिए इन निर्देशों में निहित अनुसार ऐसे अतिरिक्त कार्यों/ विशेषताएं होंगी।

19) लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लिखित अनुसार अन्य कोई कार्य करना।

20) कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करना।

21) कंपनी की वचनबद्धता या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां–कहीं आवश्यक हो।

22) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का मूल्यांकन

23) अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच

24) संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन या बाद में किसी आशोधन का अनुमोदन।

III लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां

अपनी भूमिका के अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं:

- The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and

- Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.

18. Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:

- Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations

- Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.

Explanation: If the company has set up an Audit Committee pursuant to provision of the Companies Act, the said Audit Committee shall have such additional functions/features as contained in these guidelines.

19. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

20. Reviewing the company's financial and risk management policies.

21. Valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary.

22. Evaluation of internal financial controls

23. Scrutiny of inter-corporate loans and investments.

24. Approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties.

III. POWERS OF AUDIT COMMITTEE

Commensurate with its role, the Audit Committee empowered by the Board of Directors the following:

(i) अपने विचारार्थ विषय में किसी कार्यकलाप की जांच करना।

(ii) किसी कर्मचारी से सूचना प्राप्त करना तथा कंपनी के अभिलेखों में निहित सूचना का जायजा लेना।

(iii) निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अधीन बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।

(iv) बाहरी व्यक्तियों से संगत विशेषज्ञता प्राप्त करना, यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए।

(v) कंपनी से पिछले कार्यालय का स्वतंत्र समर्थन तथा अन्य स्रोत।

(vi) भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा देना।

IV. लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की तीन (3) बैठके आयोजित की गईं:

लेखा परीक्षा संख्या	दिनांक	भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या
66	30.06.2021	4
67	27.11.2020	4
68	24.12.2020	3

भारत सरकार के उर्वरक विभाग के माध्यम से कंपनी में नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) निगम की लेखा परीक्षा समिति की बैठक में स्थायी रूप से विशेष आमंत्रित हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उन्होने सभी तीनों लेखा समिति की बैठक में भाग लिया।

V. कंपनी का कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

1. निदेशकों का कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा साठ वर्ष है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को

(i) To investigate any activity within its terms of reference.

(ii) To seek information on and from any employee and assess to information contained in the records of the Company.

(iii) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors.

(iv) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

v) To have independent back office support and other resources from the company.

(vi) To protect whistle blowers.

IV. AUDIT COMMITTEE MEETINGS

During the year under review, three (03) Audit Committee Meetings were held.

Audit Committee No.	Date	No. of Directors attended
66	30.06.2021	4
67	27.11.2020	4
68	24.12.2020	3

Chief Vigilance Officer (CVO) of the Company appointed by the Govt. of India through Department of Fertilizers is the permanent Special Invitee in the Audit Committee meeting of the Corporation. During the year under review, he has attended in all the three meeting of Audit Committee.

V. Company Secretary of the Company acts as the Secretary to the Audit Committee.

1. Tenure of Directors

The age limit of Chairman & Managing Director and other Whole Time Functional Directors is sixty years. The Chairman and Managing Director and the Whole Time Functional Directors of the Company are appointed by the

भारत के राष्ट्रपति द्वारा उर्वरक विभाग के माध्यम से उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की तारीख तक या भारत सरकार से अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है। उर्वरक विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी निदेशक उर्वरक विभाग के अधिकारी न रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को एक बार में तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. निदेशकों का पारिश्रमिक

आपकी कंपनी पूर्णतया स्वामित्व वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है। इस प्रकार, नियुक्त कार्यात्मक निदेशक वेतनमानों के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) पैटर्न के अंतर्गत तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी (सरकारी नामित) निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। वे सरकारी कर्मचारियों के रूप में उर्वरक विभाग से नियमित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। निगम के निदेशक मण्डल के अंशकालिक गैर आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक बोर्ड और/या उनकी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 10,000/– रुपए का उपस्थिति शुल्क का भुगतान पाने के पात्र होते हैं और उन्हें वास्तविक यात्रा व्यय, आवास, भोजन सुविधा तथा कंपनी के व्यवसाय से संबंधित अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।

निगम कार्य मंत्रालय (एमसीए) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेशन ने समय–समय पर निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का गठन/पुनर्गठन किया है। 31 मार्च 2021 में पारिश्रमिक समिति में चार सदस्य गैर आधिकारिक निदेशक (अध्यक्ष), निदेशक (उत्पादन) और बोर्ड (डीओएफ) में दो सरकारी नामित निदेशक अर्थात श्री विनय कुमार पाण्डे और

President of India through the Department of Fertilizers for a period of five years from the date of taking charge or till the date of superannuation or till further instructions from the Government of India, whichever event occurs earlier. The Government Directors representing the Department of Fertilizers, Government of India, retires from the Board on ceasing to be officials of the Department of Fertilizers. Independent Directors are appointed by the Government of India for a tenure of three years at a time.

2. Remuneration of Directors

Your company is a wholly owned Central Public Sector Undertaking and being the Government Company under the provisions of Companies Act,2013 and rules made there under, the Functional Directors of the Company are appointed /nominated by President of India through the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers. The Functional Directors so appointed, draw remuneration under Industrial Dearness Allowance (IDA) pattern of pay scales and as per the terms and conditions issued by Government of India from time to time. The part-time official (Government Nominee) Directors on the Board of the Company do not draw any remuneration from the Company. They only draw regular remuneration from the Department of Fertilizers as Government officials. The Part Time Non Official Directors (Independent) on the Board of the Company entitled for the payment of sitting fee of Rs. 10,000/- for each meeting of the Board and/or Committee and reimbursement of actual travelling, boarding, lodging and other expenses incurred in connection with the business of the Corporation.

In compliance with the conditions of guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Department of Public Enterprises (DPE), Corporation has constituted/ re-constituted remuneration committee of Directors from time to time. As on 31st March, 2021, the Remuneration Committee of the Board of your corporation comprises four members i.e. Non Official Director (Chairman), Director (Production) and two Govt. Nominee Directors

श्री के. गुरुमूर्ति, वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन पूल और कार्यपालक और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों में उनके वितरण संबंधी नीति पर निर्णय लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में, परिश्रमिक समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई। हालांकि, पारिश्रमिक समिति की पहली बैठक 24 अगस्त, 2018 को आयोजित की गई थी जिसमें निगम में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पट्टे पर आवास दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अनुशंसित, पार्क्स/भत्तों में कैफेटेरिया दृष्टिकोण का पालन करने, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा की गई और जिसे 27 सितंबर, 2018 को आयोजित 94 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार और अनुमोदित किया गया।

27.11.2020 को आयोजित निदेशक मण्डल की 102वीं बैठक में, परिश्रमिक समिति का पुनः गठन किया गया, जिसमें श्री बिपिना बिहारी पाधी, गैर आधिकारिक निदेशक (अध्यक्ष), श्री दिगंबर सहाय, निदेशक (उत्पादन), श्री विनय कुमार पाण्डे, नामित सरकारी निदेशक (उर्वरक विभाग) श्री के. गुरुमूर्ती, सरकारी नामित निदेशक (उर्वरक विभाग) और श्री वाई. के. गोयल, महा प्रबन्धक (विपणन एवं मा. सं) उपरोक्त बैठक के संयोजक होंगे। उपरोक्त समिति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी और इस बैठक के लिए कोरम समिति का एक तिहाई सदस्य या दो सदस्य जो भी अधिक हो, होनी चाहिए।

3. सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कॉर्पोरेशन कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी स्वैच्छिक कॉर्पोरेशन शासन दिशानिर्देशों की शर्त V के अनुपालन में मैसर्स प्रवीन छाजर एंड एसोसिएट्स, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा रिपोर्ट में दी गई टिप्पणीयों पर प्रबंधन के उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक–II (ख)(घ) में संलग्न है।

4. निगमित अधिशासन दिशानिर्देशों पर अनुपालन प्रमाण–पत्र

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित अधिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध

on the Board (DOF) viz. Shri Vinay Kumar Pandey and Shri K. Gurumurthy, to decide the Annual Bonus, Variable pay pool and policy for its distribution across the executive and non- unionized supervisors. No meeting of remuneration committee meeting was held during financial year 2020-21. However, 1st meeting held on 24.08.2018 and recommended for framing lease accommodation guidelines for senior executives in the corporation, follow cafeteria approach in perks/allowances, review existing superannuation benefits in compliance of DPE guidelines, which was accepted and approved by the Board of Directors in their 94th meeting held on 27th September, 2018.

In 102nd meeting of Board of Directors held on 27.11.2020, Remuneration Committee was re-constituted comprising members Shri Bipina Bihari Padhy, Non Official Director (Chairman), Shri Digambar Sahai, Director (Production), Shri Vinay Kumar Pandey, Govt. Nominee Director(DOF), Shri K. Gurumurthy, Govt. Nominee Director (DOF)and Shri Y.K.Goel, GM(Marketing & HR) will be convener of the above meeting. The above Committee shall meet at least twice in a financial year and the quorum shall be one-third of its total strength or two members, whichever is higher.

3. Secretarial Audit report

Secretarial Audit Report have been obtained from M/s Pravin Chhajer & Associates, Practicing Company Secretaries, Guwahati regarding compliance of the conditions V of Voluntary Corporate Governance guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the management replies on the observations stated in the report are enclosed at Annexure- II (B) (D) to the Directors' Report.

4. Compliance Certificate on Corporate Governance guidelines

Compliance Certificate have been obtained from M/s Pravin Chhajer & Associates, Practicing Company Secretaries,

में मैसर्स प्रवीन छाजर एंड एसोसिएट्स, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है और यह निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक–II (ग) में संलग्न है और अनुपालन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक–II (घ) में संलग्न हैं।

5. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई, 2010 के लिए निगमित अधिशासन पर दिशानिर्देशों के खंड सं. 4.5 (vi) के अनुपालन में, कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर वार्षिक प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–II (ङ.) में संलग्न किया गया है।

6. व्हीसल ब्लोअर नीति

आपकी कंपनी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी कंपनी होने के नाते मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अधीन है। इसलिए सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए कंपनी में एक प्रणाली स्थापित की गई है कि वे मुख्य सर्तकता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में सीधे तौर पर रिपोर्ट करें। निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को किसी कर्मचारी से मिलने के लिए नहीं रोका जाता है।

7. प्रकटनः

- कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधियों के साथ कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है (निदेशकों द्वारा उद्घाटन व्यक्तिगत रूप से कंपनी अधिनियम की धारा 184 के अनुसरण में किया गया है) जिनका कंपनी में संभावित हित है, जिसे बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में नोट किया गया था। संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन को नोट सं. 2.26 में दर्शाया गया है जो संबंधित पार्टी लेनदेन पर लेखांकन मानक–18 के अनुसार वार्षिक

Guwahati regarding compliance of the conditions of Corporate Governance in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE) is enclosed at Annexure- II (C) to the Directors' Report and the management replies to the observations stated in the Compliance Certificate is enclosed at Annexure- II (D) to the Directors' Report.

5. CEO /CFO Certification

In compliance of clause no. 4.5 (vi) of the guidelines on corporate governance for CPSEs, 2010 issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Chairman & Managing Director and Director (Finance) of the Company give annual certificate on financial reporting and internal controls to the Board of Directors of the Company. The certificate given by the Chairman & Managing Director and Director (Finance) is enclosed at Annexure-II (E) to the Directors' Report.

6. WHISTLE BLOWER POLICY

Your company being a Government Company under the administrative control by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers is covered under Central Vigilance Commission (CVC). Therefore, as per CVC guidelines, a mechanism has been established in the Company for all its stakeholders to report about any unethical/corruptible behavior, actual or suspected fraud to the CVO or the Chairman and Managing Director directly. No employee has been denied access to the Chairman of the Audit Committee of the BVFCL Board.

7. DISCLOSURES :

- The Company has not entered into any related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 184 of Companies Act) having potential interest with the Company at large, which were noted by the Board in its meeting. Transactions with related parties are disclosed in Note No. 2.26 forming part of the Annual Accounts, in line with the Accounting Standard -18 on Related Party

लेखाओं का हिस्सा है।

- कंपनी ने वर्ष 2010 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित अधिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कदम उठाए हैं।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- बही खातों में व्यय संबंधी ऐसी कोई मद नहीं डाली गई है जो व्यवसाय के प्रयोजन के लिए न हो।
- निदेशक मण्डल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया है जिसकी प्रकृति व्यक्तिगत हो।
- वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारण निम्नानुसार हैः

	2020-21		2019-20		टिप्पणियां
	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल वित्त व्यय का प्रतिशत (आंतरिक)	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल वित्त व्यय का प्रतिशत (आंतरिक)	
प्रशासनिक	2.42	शून्य	1.27	शून्य	
कार्यालयी खर्च	0.02	शून्य	0.03	शून्य	

Transactions.

- The Company has taken adequate steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), 2010.
- The Company has complied with the Presidential directive received during the financial year 2017-18.
- No items of expenditure debited in the books of accounts, which are not for the purpose of the business.
- No expenditure incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and top Management.
- Details of Administrative and Office expenses as a percentage of total expenses vis – a vis financial expenses and reasons for increase are as under :

	2020-21		2019-20		Remarks
	% of Total Exp.	% of Total Finance Exp.(Int.)	% of Total Exp.	% of Total Finance Exp.(Int.)	
Administrative	2.42	Nil	1.27	Nil	
Office Exp.	0.02	Nil	0.03	Nil	

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II (क)

आचार–संहिता के अनुपालन की घोषणा

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित शासन के दिशानिर्देशों के खण्ड 3.4.2 के अनुपालन में बोर्ड ने कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों के लिए आचार–संहिता का अनुमोदन किया है जिसे कंपनी के वेबसाइट www.bvfcl.com पर प्रदर्शित किया गया है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालक एतद्द्वारा उपर्युक्त आचार–संहिता के अनुपालन का समर्थन करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड

ह/–
शिव प्रसाद मोहंती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 29 नवंबर, 2021
स्थान : नामरूप

ANNEXURE –II (A) TO DIRECTORS' REPORT

DECLARATION OF COMPLIANCE OF CODE OF CONDUCT

In compliance with the clause 3.4.2 of guidelines of Corporate Governance for CPSUs issued by the Department of Public Enterprises, Board has approved the Code of Conduct Rules for all members of Board of Directors and Senior Management of the company, which has been posted on company's website www.bvfcl.com.

All the members of Board of Directors and the Senior Management Executives do hereby affirms the compliance with the above Code of Conduct Rules.

For and on behalf of Board of Directors of
Brahmaputra Valley Fertilizer Corpn. Ltd.

Sd/-
Siba Prasad Mohanty
Chairman and Managing Director

Date : 29th November, 2021
Place : Namrup

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II (ख)

फार्म एमआर–3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में

सेवा में,

सदस्यों,

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U24123AS2002GOI006786

डाकघरः पर्वतपुर, नामरूप, जिलाः डिब्रूगढ़ (असम)–786623

हमने विद्यमान सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखा परीक्षा की है और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद से कंपनी के रूप में उल्लेख किया गया है) द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट पद्धति का अनुपालन किया गया है। सचिवालयी लेखा परीक्षा इस तरह से की गई थी कि इसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन मूल्यांकन करने और उस पर हमारा मत व्यक्त करने का उचित आधार दिया है।

हम रिपोर्ट करते हैं किः–

क. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

ख. हमने लेखापरीक्षा अभिलेखों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो कि सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी राय को तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।

ग. हमने कंपनी के वित्तीय विवरण के सही होने और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

ANNEXURE–II (B) TO DIRECTORS' REPORT

FORM MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021
Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014

To,

The Members,

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

CIN: U24123AS2002GOI006786

P.O. Parbatpur, Namrup, Dibrugarh (Assam)-786623

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED** (hereinafter called the company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

We report that:-

a. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our Audit.

b. We have followed the Audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

c. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial statement of the Company.

घ. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच केवल प्रायोगिक आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक ही सीमित थी।

ङ़ सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए कोई आश्वासन है जिस से कम्पनी प्रबंधन ने कार्यो का संचालन किया है।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कंपनी द्वारा रखे गए बही–खाते, कागजात, लघु बही–खाते, प्रपत्र और दायर विवरणियां तथा अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन तथा इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालय की लेखा परीक्षा करने के दौरान दी गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में कंपनी ने 31 मार्च, 2021 (''लेखा परीक्षा अवधि'') को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखा परीक्षा अवधि के दौरान इसमे शामिल सांविधिक प्रावधानों की सूची का अनुपालन किया है तथा यह कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली है जो यहां आगे की गई रिपोर्ट के अधीन हैः

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा रखे गए बही खातों, कागजातों, लघु बही–खातों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की हैः

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियमों;

ii. अन्य कानून, जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं।

हमने निम्नलिखित से संबंधित लागू खण्डों के साथ अनुपालन की भी जांच की हैः

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ख) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन स्वैच्छिक दिशा–निर्देश, 2009;

d. The compliance of the provisions of the Corporate and other applicable Laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the management. Our examination was limited to the verifications of procedures on test basis.

e. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st day of March, 2021 ("audit period"), complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED. ("The Company") for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

(ii) Other Laws specifically applicable to the Company.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:-

a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

b) Corporate Governance Voluntary Guidelines, 2009 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

ग) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए जारी कॉर्पोरेशन अधिशासन दिशा निर्देश।

c) Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणी के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि तथा **नोट–I में दी हमारी टिप्पणी को छोड़कर** प्रावधानों का पालन किया हैः

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above **except our observation in Note-1** subject to observation as under:

हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः–

We further report that:-

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की स्थिति एक असूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उर्वरक विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों के नाम पर हैं।

The status of the Company during the financial year has been that of an Unlisted Public sector Company and all the shares are held in the name of President of India and officials of Department of Fertilizers, Govt. of India.

कंपनी के निदेशक मंडल को, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या को छोड़कर, विधिवत रूप से गठित किया गया है जो भारत सरकार के भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, 2010 के लिए कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है।

The Board of Directors of the Company is duly constituted except inadequate number of Independent Directors on the board which is not as per guidelines of Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। बोर्ड की बैठकों, कार्य–सूची और कार्य–सूची पर विस्तृत टिप्पणियों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को अग्रिम में, कम से कम सात दिन पहले पर्याप्त नोटिस भेजा गया था (कुछ बोर्ड बैठक को छोड़कर जब तत्काल मामलों पर कम नोटिस पर बैठक आयोजित करने के लिए निदेशकों से सहमति प्राप्त हुई थी), और बैठक से पहले एजेंडा वस्तुओं पर आगे और जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act. Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, (except at few board meeting when consent was received from the directors to hold meeting at shorter notice on urgent matters) and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं और इसलिए, कार्यवृत के भाग के रूप में कोई विरोध नहीं हुआ और न ही उसे कार्यवृत में दर्ज किया गया। कंपनी ने कार्यवृत्त में निदेशक मंडल से प्राप्त कुछ टिप्पणियों को भी दर्ज किया है।

Board decisions are carried out with unanimous consent and therefore, no dissenting views were required to be captured and recorded as part of the minutes. The Company has also recorded few comments received from the Board of Directors in the minutes of the Company.

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि विद्यमान कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में ऐसी कोई घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी जिसका उपरोक्त निर्दिष्ट कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई प्रभाव पड़ा हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित का कोई मामला सामने नहीं आयाः

i. शेयर/डिबेंचर/स्वेट इक्विटी आदि का सार्वजनिक/अधिकार/अधिमान्य मुद्दा ;

ii. प्रतिभूतियों का ऋण मुक्ति/वापस खरीद;

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुपालन में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय;

iv. विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण, आदि;

v. विदेशी तकनीकी सहयोग।

कृते प्रवीण छाजर एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./–
(प्रवीण कुमार छाजर)
प्रोपराईटर
एम.संख्याः ए25787
सीओपीः 9231

दिनांकः 27.11.2021
स्थानः गुवाहाटी
यूडीआईएनः A025787C001573509

टिप्पणीः

1. हमारे लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, केंद्रीय

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the company had no specific events / actions which have a major bearing on the company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

We further report that during the audit period there were no instances of:

(i) Public/Right/Preferential issue of shares / debentures/sweat equity, etc.;

(ii) Redemption / buy-back of securities;

(iii) Major decisions taken by the members in pursuance to section 180 of the Companies Act, 2013;

(iv) Merger / amalgamation / reconstruction, etc.;

(v) Foreign technical collaborations.

FOR PRAVIN CHHAJER & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

SD/-
(PRAVIN KUMAR CHHAJER)
Proprietor
M. No.: A25787
COP: 9231

Date: 27.11.2021
Place: GUWAHATI
UDIN: A025787C001573509

Note:

1. During the course of our Audit, it was observed that the number of Independent Directors on the Board of Directors, Audit Committee, Remuneration

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर 2010 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी, जिसे भारी उद्योग एवं लोक उद्यम और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। यह भी देखा गया कि चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और यथाक्रम समिति को नियुक्त किया गया और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस 2010, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया।

2. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी नीतियों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर सीपीएसई के संबंध में वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (2020–21) निर्दिष्ट प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित किया गया था। मानव संसाधन और प्रशासन मामलों से संबंधित कुछ डीपीई दिशानिर्देश अनुपालन के लिए प्रबंधन के विचाराधीन हैं। इसके अलावा, इसी तरह की टिप्पणियों को कंपनी को जारी पूर्ववर्ती सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी सूचित किया गया था। निदेशक मंडल को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

3. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं की है। 27/11/2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पारिश्रमिक समिति की कम से कम दो बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया, बशर्ते कि कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाए।

4. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी की सीएसआर समिति को भंग कर दिया गया था क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही इकाई है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्धारित मानदंड को बचाए रखने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।

Committee of the Company were not as per the guidelines issued on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010, issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India. It was also observed that during the current Financial year 2021- 22, the adequate number of Independent Directors on the Board of the Company and respected Committee were appointed and complied with the guidelines issued on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010, issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

2 During the course of our Audit, it was observed that Annual Compliance Report (2020-21) in respect of CPSE's on implementation of Policies and guidelines issued by Department of Public Enterprise (DPE) were reported to the Administrative Ministry specified. Few DPE guidelines pertaining to HR and administration matters are under the consideration of management for compliance. Further, similar observations were also reported in the Earlier Secretarial Audit report issued to the Company. The Board of Directors are advised to take necessary action in this regard.

3 During the course of our audit, it was observed that the Company has not held any meeting of Remuneration Committee. The meeting of the Board of Directors held on 27/11/2020, also decided to hold at least two meetings of the Remuneration Committee provided that at least one meeting to be conducted in each half of the calendar year.

4 During the Course of our audit, it was observed that the CSR Committee of the Company was dissolved as the Company is a loss making unit and the criteria enumerated in the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 regarding the Corporate Social Responsibility has ceased to attract the Company.

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II (ग)

निगमित अधिशासन रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य,
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड,
CIN: U24123AS2002GOI006786
डाकघरः पर्बतपुर, नामरूप, जिलाः डिब्रूगढ़ (असम)–786623

हमने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यथासंशोधित केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए निगम अधिशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा निगम अधिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगम अधिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच निगम अधिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों को छोड़कर कंपनी ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित लागू अनुसार केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम, 2010 की ऊपर उल्लिखित निगमित शासन में निर्धारित शर्तों का पालन किया है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए कोई आश्वासन है जिससे कम्पनी प्रबंधन ने इसके कार्यों का संचालन किया हैं।

ANNEXURE-II (C) TO DIRECTORS' REPORT

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
The Members,
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER COPORATION LIMITED
CIN: U24123AS2002GOI006786
P.O. Parbatpur, Namrup, Dibrugarh (Assam)-786623

We have examined the Compliance of Conditions of Corporate Governance by BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED ("The Company") for the year ended on 31st March 2021 as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 as amended issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

The Compliance of Conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the Compliance of the Conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the Conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 as amended issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India, as applicable except few observations made during the course of our Audit.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

दिशानिर्देशों की सभी अनिवार्य शर्तों का पालन निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन किया गया थाः –

1) हमारी लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कंपनी के निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम 2010 के कॉर्पोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। कंपनी बोर्ड के निदेशक को सलाह दी जाती है कि वह इस विषय में उचित कार्यवाही करें। यह भी देखा गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी।

2) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी नीतियों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर सीपीएसई के संबंध में वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (2020–21) निर्दिष्ट प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित किया गया था। मानव संसाधन और प्रशासन मामलों से संबंधित कुछ डीपीई दिशानिर्देश अनुपालन के लिए प्रबंधन के विचाराधीन हैं। इसके अलावा, इसी तरह की टिप्पणियों को कंपनी को जारी पूर्ववर्ती सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी सूचित किया गया था। निदेशक मंडल को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

3) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं की है। 27/11/2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पारिश्रमिक समिति की कम से कम दो बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया, बशर्ते कि कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाए।

4) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी की सीएसआर समिति को भंग कर दिया गया था क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही इकाई है और

All mandatory conditions of the said guidelines were complied subject to following observations:-

1) During the course of our Audit, it was observed that the number of Independent Directors on the Board of Directors, Audit Committee, Remuneration Committee of the Company were not as per the guidelines issued on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010, issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India. It was also observed that during the current financial year 2021-22, the adequate number of Independent Directors on the Board of the Company were appointed by the Government of India as per Corporate Governance guidelines.

2) During the course of our Audit, it was observed that Annual Compliance Report (2020-21) in respect of CPSE's on implementation of Policies and guidelines issued by Department of Public Enterprise (DPE) were reported to the Administrative Ministry specified. few DPE guidelines pertaining to HR and Administration matters are under the consideration of management for compliance. Further, similar observations were also reported in the Earlier Secretarial Audit report issued to the Company. The Board of Directors are advised to take necessary action in this regard.

3) During the course of our audit, it was observed that the Company has not held any meeting of Remuneration Committee. The meeting of the Board of Directors held on 27/11/2020, also decided to hold at least two meetings of the Remuneration Committee provided that at least one meeting to be conducted in each half of the calendar year.

4) During the Course of our audit, it was observed that the CSR Committee of the Company was dissolved as the Company is a loss making unit

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्धारित मानदंड को बचाए रखने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।

कृते प्रवीण छाजर एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./–
(प्रवीण कुमार छाजर)
प्रोपराईटर
एम.संख्याः A25787
सीओपीः 9231
यूडीआईएनः A025787C001573553

दिनांकः 27.11.2021
स्थानः गुवाहाटी

and the criteria enumerated in the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 regarding the Corporate Social Responsibility has ceased to attract the Company.

FOR PRAVIN CHHAJER & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

Sd/-
(PRAVIN KUMAR CHHAJER)
Proprietor
M. No.: A25787
COP: 9231
UDIN: A025787C001573553

Date: 27.11.2021
Place: GUWAHATI

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II (घ)

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2021 के लिए निगमित अधिशासन और सचिवालयी लेखा परीक्षा प्रबंधन की रिपोर्ट/जवाब

क्र. सं	टिप्पणी	प्रबंधन जवाब
1	हमारी लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कंपनी के निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम 2010 के कॉर्पोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। यह भी देखा गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है।	तथ्य कथन
2	हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी नीतियों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर सीपीएसई के संबंध में वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (2020–21) निर्दिष्ट प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित किया गया था। मानव संसाधन और प्रशासन मामलों से संबंधित कुछ डीपीई दिशानिर्देश अनुपालन के लिए प्रबंधन के विचाराधीन हैं। इसके अलावा, इसी तरह की टिप्पणियों को कंपनी को जारी पूर्ववर्ती सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी सूचित किया गया था। निदेशक मंडल को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।	चालू वित्तीय वर्ष में सलाह के अनुसार मानव संसाधन और प्रशासन मामलों से संबंधित प्रासंगिक डीपीई दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

ANNEXURE-II (D) TO DIRECTORS' REPORT

MANAGEMENT REPLIES ON THE OBSERVATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE AND SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 31ST MARCH, 2021

S. No.	Observations	Management replies
1	During the course of our Audit, it was observed that the number of Independent Directors on the Board of Directors, Audit Committee, Remuneration Committee of the Company were not as per the guidelines issued on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010, issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India. It was also observed that during the current financial year 2021-22, the adequate number of Independent Directors on the Board of the Company were appointed by the Government of India as per Corporate Governance guidelines	Statement of Fact.
2	During the course of our Audit, it was observed that Annual Compliance Report (2020-21) in respect of CPSE's on implementation of Policies and guidelines issued by Department of Public Enterprise (DPE) were reported to the Administrative Ministry specified. few DPE guidelines pertaining to HR and Administration matters are under the consideration of management for compliance. Further, similar observations were also reported in the earlier Secretarial Audit report issued to the Company. The Board of Directors are advised to take necessary action in this regard.	The necessary corrective actions are being taken to implement the relevant DPE guidelines related to HR and Administration matters as advised in the current financial year.

3	हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं की है। 27/11/2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पारिश्रमिक समिति की कम से कम दो बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया, बशर्ते कि कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाए।	पारिश्रमिक समिति के गठन में समय–समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। अब निदेशक मंडल के गठन में बदलाव के बाद पारिश्रमिक एवं अन्य समिति का पुनर्गठन यथासमय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक अनुपालन किया जाएगा।
4	हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी की सीएसआर समिति को भंग कर दिया गया था क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही इकाई है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्धारित मानदंड को बचाए रखने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।	तथ्य कथन

3	During the course of our audit, it was observed that the Company has not held any meeting of Remuneration Committee.The meeting of the Board of Directors held on 27/11/2020, also decided to hold atleast two meetings of the Remuneration Committee provided that at least one meeting to be conducted in each half of the calendar year.	There are changes in the composition of Remuneration Committee from time to time. Now, after the changes in the composition of Board of Directors, the remuneration and other committee will be re-constituted by the Board in due course. The necessary compliance will be made in this regard.
4	During the Course of our audit, it was observed that the CSR Committee of the Company was dissolved as the Company is a loss making unit and the criteria enumerated in the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 regarding the Corporate Social Responsibility has ceased to attract the Company.	Statement of Fact.

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II (ड़)

सीपीएसई 2010 के निगमित अधिशासन पर दिशानिर्देशों के अंतर्गत शर्तों के अनुपालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी से प्रमाण–पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नामरूप

मैं, असीम कुमार घोष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सुबास चंद्र दास, निदेशक (वित्त), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीपीएसई, 2010 के निगमित अधिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 4.5 (vi) के अनुसार एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि:

(क) हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

i) इन विवरणों में कोई वास्तविक रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है या किसी वास्तविक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकता है;

ii) ये विवरण कंपनी के कार्यों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया जो कंपनी की आचार संहिता का उल्लघंन या धोखाधड़ी, अवैध हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का

ANNEXURE- II (E) TO DIRECTORS' REPORT

Certification of Chief Executive Officer and Chief Finance Officer in compliance of Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, 2010

To,
The Board of Directors
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Namrup

I, Ashim Kumar Ghosh, Chairman and Managing Director and Subash Chandra Das, Director (Finance) of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited do hereby give certification as per Clause 4.5 (vi) of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, 2010, that:

(a) We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the financial year ended 31st March, 2021 and that to the best of my knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and Regulations.

(b) To the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the financial year ended 31st March, 2021 which are fraudulent, illegal or violates the Company's code of conduct.

(c) We accept the responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of Internal Control Systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the

मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को प्रचालन या ऐसे आंतरिक नियंत्रण, की रूपरेखा में कमी, का खुलासा कर दिया है यदि कोई हो, जिनके बारे में हमें जानकारी है, और इन उपायों को सुधारने के लिए हमारे द्वारा किए गए या प्रस्तावित उपायों के बारे में बताया है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को बताया है किः

i) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है;

ii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है;

iii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हमें किसी बड़ी धोखाधड़ी का पता नहीं चला है जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की महत्वपूर्ण संलिप्तता हो और जिसमें कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में कोई भूमिका हो।

ह./–	ह./–
(सुबाश चंद्र दास)	**(असीम कुमार घोष)**
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN : 08988297	DIN : 08222413

दिनांक 30.09.2021
स्थान : नामरुप

auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation or such internal control, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee that :

(i) There was no significant change in internal control over financial reporting during the financial year ended 31st March, 2021;

(ii) There was no significant change in accounting policies during the financial year ended 31st March, 2021; and

(iii) We have not come across any instance during the financial year ended 31st March, 2021 of any significant fraud and the involvement of the management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting.

Sd/-	Sd/-
(Subash Chandra Das)	**(Ashim Kumar Ghosh)**
Director (Finance)	Chairman and Managing Director
DIN : 08988297	DIN : 08222413

Date : 30.09.2021
Place: Namrup

निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताई गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के संशोधित उत्तर।

संवैधानिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
3. सामग्री अनिश्चितता से संबन्धित चिंताजनक मामले कंपनी का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि कंपनी का निवल मूल्य 25128.04 लाख रुपए नकारात्मक है। कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और इस साल भी कंपनी को 13775.24 लाख रुपए का घाटा हुआ है, जिसमें 13775.24 लाख रुपए की संचित हानि को अपनी शेयर पूंजी 36583.24 लाख रुपए के खिलाफ वृद्धि किया। इस प्रकार स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि कंपनी का अस्तित्व संदेह के घेरे में है और इसे चलाने के लिए सरकार से कुछ वित्तीय सहायता के पश्चात ही चिंता के अस्तित्व को बचाया जा सकता है।	कंपनी के वित्तीय विवरण चिंताजंक आधार पर तैयार किए गए हैं। प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है और बीवीएफसीएल कोर क्षेत्र में एक सीपीएसयू है और उत्तर पूर्वी राज्यों के आवश्यकता को पूरी करने में एक प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्ता है। निवल संपत्ति में गिरावट के कारण भारत सरकार/बीवीएफसीएल प्रबंधन का कंपनी के संचालन को रोकने का कोई इरादा नहीं है।
4. लेखा परीक्षा के प्रमुख मामलेः	
4.1 मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के दौरान 13775.24 लाख रुपए का नुकसान पूर्व अवधि की शुद्ध आय 358.41 लाख रुपए के लेखांकन के बाद है। इस प्रकार पूर्व अवधि की आय पर विचार किए बिना कंपनी का वास्तविक चालू वर्ष का घाटा 14133.65 लाख रुपए है।	तथ्य कथन
4.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2020–21 के लिए 666.92 लाख रुपए की नवीकरणीय खरीद के दायित्व का भुगतान नहीं किया है (भारतीय ऊर्जा विनिमय वेबसाइट के अनुसार जून–2020 को आरईसी प्रमाणपत्रों की अंतिम व्यापार दर के अनुसार की गई गणना)	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2020–21 के लिए लगभग 666.92 लाख रुपए (भारतीय ऊर्जा विनिमय वेबसाइट के अनुसार जून, 2020 के दौरान आरईसी प्रमाणपत्रों की अंतिम व्यापार दर गणना के अनुसार) के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व का भुगतान जीएसटी और आईईएक्स शुल्क के बिना नहीं किया है। इस संबंध में नियामक प्राधिकारी के समक्ष आरपीओ की छूट के लिए एक अपील दायर की गई थी। असम विद्युत नियामक आयोग ने बीवीएफसीएल प्रबंधन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के माध्यम से आरपीओ के गैर–अनुपालन के मुद्दे को उठाने की सलाह दी। बोर्ड ने अपनी 105वीं बैठक में कार्यकारी प्रबंधन को उर्वतक विभाग के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क करने के लिए अधिकृत किया है ताकि एईआरसी नियामक प्राधिकरणों के आदेशों के अनुपालन से बीवीएफसीएल को छूट मिल सके।
4.3 एफआईसीसी विनियमन के अनुसार, कंपनी अंतिम बिंदु पर बिक्री से स्टॉक क्लीयरेंस के बाद अर्थात् कृषि उपभोक्ताओं को अंतिम रूप से बेचना ही सब्सिडी का दावा करने का हकदार है, लेकिन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में सब्सिडी आय का हिसाब रखा है, जो कि अंतिम बिंदु से स्टॉक की निकासी के बिना 1276.28 लाख रुपए है (यानी 31 मार्च 2021 तक पीओएस स्टॉक 20176.121 मीट्रिक टन सामग्री थोक विक्रेता और रिटेलर्स के साथ) बीवीएफसीएल प्रबंधन ने बताया है	राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब ग्राहक (अर्थात डीलर/ संपूर्ण विक्रेता) को वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण को स्थानांतरित करके कंपनी द्वारा प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट किया जाता है और यह संभव है कि भुगतान वास्तव में प्राप्त होने पर ध्यान दिए बिना विचार प्राप्त किया जाएगा। दिनांक 31.03.2021 तक पूरे विक्रेता/डीलरों, खुदरा विक्रेताओं आदि के पास पड़े 20176.21 मी टन के यूरिया स्टॉक के संबंध में,

ANNEXURE-III, FORMING PART OF DIRECTO'S REPORT

Revised Management Replies on the observations stated in independent Audit Report for the financial year ended 31st March, 2021.

STATUTORY AUDITORS' OBSERVATIONS	MANAGEMENT REPLY
3. Material Uncertainty Related to Going Concern The net worth of the Company has been totally eroded, as the net worth of the Company is in negative of Rs. 25128.04 Lakhs. The company is continuously running in loss and this year also the company has incurred loss of Rs. 13775.24 Lakhs, which has geared up the accumulated loss to Rs. 61711.28 Lakhs against its Share Capital of Rs. 36583.24 Lakhs. . Thus apparently it seems that the Company's existence of Going Concern is under doubt unless and until the company would get some major Financial Reshuffle or Support from Govt.	Financial Statements of the company has been prepared on a going concern basis. Management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern and BVFCL being a CPSU in core sector & lead fertilizer supplier cater to the requirement of entire north eastern states. GoI/ BVFCL management has no intention to cease the operation of the company because of erosion in net worth.
4. KEY AUDIT MATTERS :	
4.1 The current reporting period loss of Rs. 13775.24 Lakhs is after accounting of prior period net income of Rs. 358.41 Lakhs. Thus without considering Prior Period income the Company real current year loss is of Rs. 14133.65 Lakhs.	Statement of Fact.
4.2 The Company has not paid or provided for liability of Renewal Purchase Obligation for the Financial Year 2014-15 to 2020-21 Rs. approx 666.92 Lakhs (calculated as per last traded rate of REC certificates was updated on June – 2020 as per Indian Energy Exchange Website) .	The Company has not paid or provided for liability of Renewable Purchase Obligation for the Financial Year 2015-16 to 2020-21 approximating Rs.666.92 Lakhs (calculated as per last traded rate of REC certificates during June, 2020 as per Indian Energy Exchange Website) Excluding GST and IEX charges. In this regard an appeal for exemption of RPO was filed before Regulatory Authority. Assam Electricity Regulatory Commission advised BVFCL management to raise the issue of non compliance of RPO with MNRE through MoC&F. Board in its 105th meeting has authorized Executing Management to approach Ministry of New & Renewable Energy, GoI through DoF to get the exemption for BVFCL from the compliance of Orders of AERC Regulatory Authorities.
4.3 As per FICC Regulation, the Company is entitled to claim the subsidy only after clearance of stock from ultimate Point of Sale, i.e ultimate sell to the agricultural consumers. But the Company has accounted Subsidy Income in the Financial Year 2020-21 amounting to Rs.1276.28 Lakhs without clearance of Stock from ultimate Point of Sale (i.e. on the POS stock 20176.121 MT lying with whole sellers and retailers as on 31.03.2021).	Revenue is recognized when performance obligation is satisfied by the company by transferring control of goods or services to the customer (i.e. dealer/ whole seller) and it is probable that consideration will be received regardless of when the payment is actually received.

कि कंपनी ने पूर्ववर्ती मिसाल के अनुसार, पीओएस स्टॉक पर 1276.28 लाख रुपए की सब्सिडी आय का हिसाब लगाया है और बीवीएफसीएल प्रबंधन पूरे विक्रेताओं से खुदरा विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए बीवीएफसीएल नीम लेपित यूरिया स्टॉक को अलग करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।	पूरी मात्रा को पीओएस बिक्री के माध्यम से 15.06.2021 से पहले पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और तदनुसार सब्सिडी बिल उर्वरक विभाग को जमा कर दिया गया है और उसके बाद निपटारा किया गया है।
4.4 वर्ष के दौरान कुल 1,37,569.455 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री के मुकाबले 20176.121 मीट्रिक टन का पीओएस स्टॉक बताया गया है। इस प्रकार यूरिया की बहुत अधिक मांग और यूरिया की आपूर्ति की कमी के बावजूद, यूरिया की बिक्री के लगभग 2 महीने पीओएस स्टॉक के रूप में पड़े रहने की सूचना है। आंतरिक लेखा परीक्षक ने दिनांक 11.02.2020 को तिनसुकिया में 4 सत्यापित डीलरों में से दो डीलरों के गोदाम स्टॉक के सत्यापन के मामलों में यूरिया के भौतिक स्टॉक की पर्याप्त कमी की सूचना दी है। इस प्रकार नामित थोक विक्रेताओं द्वारा काला बाजार में यूरिया के स्टॉक के दुरूपयोग/विपथन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह बीवीएफसीएल प्रबंधन द्वारा डीलर्स स्टॉक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पूर्ण कमी को दर्शाता है।	31.03.2021 को 20176.121 एमटी का बीवीएफसीएल यूरिया स्टॉक 15/06/2021 से पहले समाप्त कर दिया गया है। 15 जून, 21 तक कुल पीओएस बिक्री 22447.755 मीट्रिक टन है और संबंधित सब्सिडी की प्रतिपूर्ति पहले ही साप्ताहिक डीबीटी बिल के माध्यम से की जा चुकी है। संबंधित डीलरों के भौतिक और बुक स्टॉक में विसंगति के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया है। सभी फील्ड मार्केटिंग अधिकारियों को समय–समय पर सभी डीलरों का दौरा करने और भौतिक स्टॉक का सत्यापन करने और प्रबंधन को कोई विचलन पाए जाने पर रिपोर्ट देने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएंगे।
4.5 प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने यूरिया के 1,44,490.345 मीट्रिक टन स्टॉक के कुल प्रारंभिक और उत्पादन स्टॉक में से केवल 20.865 मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक की कमी पाई है। इस प्रकार भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 0.01% के यूरिया स्टॉक की नाममात्र की कमी है। 28 अगस्त 2021 की अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने बीवीएफसीएल के दो विपणन अधिकारियों को 29/08/2021 को तिनसुकिया रेलवे यार्ड में पाए गए यूरिया स्टॉक की कथित अतिरिक्त बैग उतारने पर गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त बोरी के प्रेषण में कथित संलिप्तता पर दो विपणन अधिकारियों की गिरफ्तारी की घटना से ही उत्पादन विभाग से विपणन विभाग और विपणन विभाग से रेलवे लदान यार्ड/ट्रक खेपों को यूरिया स्टॉक भेजने पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी का पता चलता है। भौतिक सत्यापन पर यूरिया स्टॉक की बहुत सामान्य कमी लेकिन यूरिया स्टॉक के बेहिसाब प्रेषण की घटना को देखते हुए यह मुद्दा यूरिया स्टॉक के उत्पादन के उचित लेखांकन पर भी संदेह पैदा करता है।	20.865 मीट्रिक टन तैयार माल की कमी की मात्रा वह आंकड़ा था जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही में भौतिक स्टॉक सत्यापन में पाया गया था जो कि स्वीकृत मानदंड के भीतर था। इसे लेखापरीक्षा समिति की 69वीं बैठक दिनांकः 13/05/2021 में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। लगभग 0.01% के यूरिया स्टॉक की नाममात्र की कमी वित्त वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही से संबंधित है, जिसे ऑडिट कमेटी द्वारा अभी तक नोट नहीं किया गया है और 2021–22 की दूसरी तिमाही के लिए 30 सितंबर 2021 के बाद किया जाएगा। यूरिया की अधिक बोरियां रेलवे के माध्यम से भिजवाने के संबंध में नामरूप थाने के साथ ही सतर्कता विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है. रिपोर्ट्स का इंतजार है। इस घटना के घटित होने के बाद, वैगन लोडिंग गतिविधियों के दौरान बैगों की निगरानी/गिनती के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की तैनाती के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत किया गया है।
4.6 कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक 131 निजी डीलरों (सभी गैर–सरकारी और/या गैर पीएसयू डीलरों) को उनके सुरक्षा जमा के 346.48 लाख रुपए की राशि के खिलाफ 709.81 लाख रुपए की क्रेडिट बिक्री की अनुमति दी है, इस प्रकार प्राइवेट व्यापारियों को 1056.29 लाख रुपए के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सीमा मंजूर की गई है। बीवीएफसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा कवर के क्रेडिट बिक्री केवल व्यापारिक वस्तुओं के लिए ही है पर स्वयं निर्मित यूरिया और बायो फर्टिलाइजर पर नहीं।	बीवीएफसीएल के स्वामित्व वाले उत्पादों यानी यूरिया, वर्मी कम्पोस्ट और जैव उर्वरक की पूरी बिक्री डीलरों से भुगतान प्राप्त होने के बाद ही की जाती है। केवल व्यापारिक उत्पादों को क्रेडिट आधार पर बिक्री की अनुमति है। कंपनी के व्यवसाय के विकास और टॉपलाइन में सुधार के लिए, ट्रेडेड उत्पाद के लिए डीलरों को सामान्य रूप से क्रेडिट अवधि की अनुमति दी जाती है। व्यापारिक उत्पाद के मामले में बीवीएफसीएल कार्यशील पूंजी की कोई भागीदारी नहीं है।

The BVFCL management has explained the company has accounted subsidy income of Rs. 1276.28 lakhs on the POS stock, as per past precedence and the BVFCL managements are putting their best efforts to liquidate the BVFCL neem coated urea stock from whole sellers to retailers and from retailers to end users.	As regards the urea stock of 20176.21 MT lying with whole seller/ dealers, retailers etc. as on dated 31.03.2021, the entire quantity has been fully liquidated before 15.06.2021 through POS sale & Accordingly subsidy bills have been submitted to DoF & settled thereafter.
4.4 There is reported POS Stock of 20176.121 MT against the total Sale of 1,37,569.455 MT of Urea during the year. Thus around 2 months of the urea sales is reported to lying as POS Stock, in spite of very high demand of urea and scarcity of supply of Urea. Internal Auditor has reported substantial shortage of Physical Stock of Urea in cases of verification of go down stock of two dealers out of 4 verified dealers on 11.02.2020 at Tinsukia. Thus the chances of misappropriation / diversion of urea stock in black market cannot denied by the designated wholesalers. This shows complete lacking of Internal Control System of Dealers Stock by the BVFCL Management.	BVFCL urea stock of 20176.121 MT as on 31.03.2021 has been liquidated before 15/06/2021. The total PoS sale up to 15th June'21 is 22447.755 MT and corresponding subsidy has already been reimbursed through weekly DBT bill. Audit observation is noted regarding discrepancy in physical & book stocks of the concerned dealers. Suitable instructions will be issued to all field Marketing officials to periodically visit all the dealers and verify the physical stocks and give report to Management if any deviation is observed.
4.5 As per physical verification report produced by the management, the Company has found shortage of Finished Goods of only 20.865 MT of Urea Stock out of total Opening & Production stock of 1,44,490.345 MT Stock of Urea. Thus as per physical verification report there is only nominal shortage of Urea Stock of around 0.01%. As per newspapers report dated 28th August 2021 the local police has arrested two marketing officials of BVFCL on 29/08/2021 on the alleged excess bag unloading of Urea Stock found at Tinsukia Railway Yard. The incident of arrest of two marketing officers on alleged involvement in dispatch of excess bag itself reveals the lacking of internal control system on dispatch of Urea Stock from Production Department to Marketing Department and also from Marketing Department to Railway Loading Yard / Truck Consignments. This issue also raises suspicion on proper accounting of production of Urea Stock, in view of very normal shortage of Urea Stock on physical verification but the incident of unaccounted dispatch of Urea Stock.	The quantity of shortage of Finished Goods of 20.865 MT was the figure that had been found in the Physical Stock Verification in the fourth quarter ending 31st March, 2021 which was well within the approved norm. This has been already put up to Audit Committee in its 69th Meeting dated 13/05/2021. The nominal shortage of Urea stock of around 0.01% pertains to the 1st quarter of FY 2021-22 which is yet to be taken note by the Audit Committee and for the 2nd quarter of 2021-22 will be done after 30th September 2021. Regarding dispatch of excess bags of Urea through Railway, the matter is under investigation by Namrup Police Station as well as by Vigilance Deptt. The reports are awaited. After occurrence of this event, internal control system has been further strengthened by way of deployment of sufficient numbers of officials to supervise/counting of bags during wagon loading activities.
4.6 The Company has allowed credit sales of Rs. 1056.29 Lakhs as at 31st March 2021 to 131 Dealers (all Non Govt. and/ or Non PSU dealers) against their Security Deposits amounting to Rs. 346.48 Lakhs, thus there is excess credit limit allowed to the Pvt. Dealers amounting to Rs.709.81 Lakhs The BVFCL management has explained that credit sale without adequate security cover were allowed on trading goods only and not on the own manufactured products of Urea & Bio Fertilizer. But we were not in a position to verify this contention of the	Entire sale of BVFCL owns products i.e. Urea, Vermi-compost & Bio fertilizers are done only after receipt of payment from the dealers. Only trading products are allowed for sale on credit basis. For business growth of the company & improvement in Topline, credit period are normally allowed to the dealers for traded product. In case of trading product there is no involvement of BVFCL working capital. After realization of amount against credit sale from dealers' amount is paid to suppliers. As sale of trading product is made on credit basis due to this reasons

लेकिन हम प्रबंधन के इस विवाद को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि कंपनी स्वयं निर्मित माल की बिक्री के लिए और व्यापारिक सामानों की बिक्री के लिए डीलरों के अलग–अलग खाता नहीं बनाती है, लेखापरीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27 नवंबर, 2020 के विशिष्ट निर्देश के बावजूद कि ''कंपनी के खातों की पुस्तकों में यूरिया और व्यापार व्यवसाय के समेकित लेखांकन की मौजूदा प्रथा उचित नहीं है और वांछित है कि इसे तत्काल प्रभाव से अलग लेखा शीर्षों के तहत रखा जाना चाहिए। ''	डीलर से क्रेडिट बिक्री के खिलाफ राशि की वसूली के बाद आपूर्तिकर्ताओं को राशि का भुगतान किया जाता है। चूंकि ट्रेडिंग उत्पाद की बिक्री क्रेडिट आधार पर की जाती है, इस कारण से 31.03.2021 तक 1056.90 लाख रुपए देनदार के रूप में और 1651.87 लाख रुपए लेनदारों के रूप में आपूर्तिकर्ता को देय हैं। शुरुआत से ही बीवीएफसीएल उत्पाद और ट्रेडिंग उत्पादों को संयुक्त रूप से खातों में बुक किया गया था। जैसा कि हम एकीकृत और COBOL आधारित पुराने FAS अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं और सिस्टम स्वयं और ट्रेडिंग उत्पाद के लिए अलग खाता नहीं बना सका। ''ईआरपी–एसएपी प्रणाली'' के प्रस्तावित कार्यान्वयन के बाद, प्रत्येक उत्पाद के संबंध में अलग लेखांकन बनाए रखा जाएगा।
4.7 852.42 लाख रुपए के व्यापार प्राप्य (नोट 2.12) में मंत्रालय से 2.25 लाख रुपए (वर्ष 2010 के) प्राप्त सब्सिडी का दावा शामिल है जो कि वसूली योग्य नहीं लगता है। बीवीएफसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को अभी भी मंत्रालय से 2.25 लाख रुपए की प्राप्य सब्सिडी वापस मिलने की उम्मीद है।	2010 से खातों में मंत्रालय से प्राप्य के रूप में 2.25 लाख रुपए का उल्लेख किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।
4.8 लघु अवधि के ऋण और अग्रिम रुपए 3538.12 लाख (नोट 2.14) में जीएसटी के खाते में 3033.33 लाख रुपए का इनपुट क्रेडिट शामिल है, जबकि जीएसटी पोर्टल के अनुसार 31 मार्च 2021 को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस 3223.63 लाख रुपए है।	तथ्य कथन
4.9 लघु अवधि के ऋण और अग्रिम रुपए 3538.12 लाख (नोट 2.14) में वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान विभिन्न ट्रांसपोर्टरों को संबंधित वित्तीय वर्षों में उनके उत्पादित बिल के मुकाबले 70.39 लाख रुपए का पूर्वदात खर्च शामिल है। लेकिन कंपनी ने सेवाओं का लाभ उठाने के वर्ष में इस पूर्वदात खर्च के खिलाफ संबंधित व्यय बुक नहीं किया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कंपनी 70.39 लाख रुपए के इन सभी भुगतानों को संबंधित पार्टी के खातों के साथ समेट लेगी और यदि आवश्यक हो तो वित्त वर्ष 2021–22 में देय समायोजन प्रविष्टियां पारित करेगी।	तथ्य कथन वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 11.90 लाख रुपए का मिलान किया जा रहा है।
4.10 268.06 लाख रुपए की अन्य मौजूदा संपत्ति (नोट 2.15) में 216.31 लाख रुपए की विविध देनदार संपत्ति (413.88 लाख रुपए की मूल बकाया राशि, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 197.57 लाख रुपए), एक साल की आय 243.55 लाख रुपए (नोट 2.17) के मुकाबले शामिल है। इस प्रकार लगभग 10 महीने की लेखा आय अभी भी किरायेदार से बकाया प्राप्तियों के रूप में अवरुद्ध है। बीवीएफसीएल ने बीवीएफसीएल कर्मचारी (कर्मचारियों) की गारंटी पर दूसरों को किरायेदारी का अधिकार दिया है, हालांकि बीवीएफसीएल ने अपने कर्मचारी की ऐसी गारंटी को रद्द करने के लिए कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की, ताकि चूककर्ता किरायेदारों से बकाया वसूल किया जा सके। इसके अतिरिक्त कुल 2726 क्वार्टरों में से 124 क्वार्टर खाली बताए गए हैं, 2 क्वार्टर अनाधिकृत व्यवसाय के तहत और 209 क्वार्टर अयोग्य घोषित किए गए हैं, लेकिन इन 335 क्वार्टरों की सटीक स्थिति रिपोर्ट यहां तक कि आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा मांगें जाने पर भी प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी।	चूककर्ताओं से बकाया राशि की वसूली एवं परिसमापन के संबंध में, निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैः 1. चूककर्ताओं को न्यूनतम दो नोटिस जारी किए गए। 2. यदि कम से कम दो नोटिस प्राप्त होने के बाद भी चूककर्ताओं की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो वसूली और क्वार्टर से बेदखली के लिए मामलों को एस्टेट कोर्ट में रिपोर्ट किया जाता है। 3. आज की तारीख में 25 मामले संपदा न्यायालय के अधीन हैं। जबकि 335 क्वार्टस की सटीक स्थिति की रिपोर्ट आंतरिक लेखापरीक्षक को पहले ही 31/05/2021 को प्रस्तुत की जा चुकी थी।

management, as the Company do not maintain separate account ledgers of the dealers for sale of own Manufactured Goods and Sale of Trading Goods, in spite of specific direction of Audit Committee Meeting dated 27th November 2020 that "existing practice of consolidated accounting of Urea & Trading business in the books of accounts of the company is not proper and desired that it should be kept under separate accounting heads with immediate effects."	Rs. 1056.90 lakh stands as debtors and Rs. 1651.87 lakhs stands as creditors as payable to supplier as on 31.03.2021. From beginning BVFCL product & trading products were booked jointly in accounts. As we are using unix and COBOL based old FAS accounting software and system could not generate separate ledger for own and trading product. After proposed implementation of "ERP-SAP system", separate accounting to be maintained in respect of each product.
4.7 Trade Receivables of Rs. 852.42 Lakhs (Notes 2.12) includes claim for subsidy receivables from Ministry Rs. 2.25 Lakhs (of the Year 2010) which seem to be not realizable. The BVFCL Management has explained that the company is still hopeful to get back the subsidy receivable from Ministry of Rs. 2.25 lakhs.	Rs. 2.25 lakhs as receivable from Ministry stands in accounts from 2010 is noted and required provision will be made in next financial year 2021-22.
4.8 Short Term Loans and Advances Rs. 3538.12 Lakhs (Note 2.14) includes Input Credit on account of GST Rs. 3033.33 lakhs, whereas as per GST portal electronic credit ledger balance as on 31st March 2021 is Rs. 3223.63 lakhs.	Statement of Fact
4.9 Short Term Loans and Advances Rs. 3538.12 Lakhs (Note 2.14) includes prepaid expenses of Rs. 70.39 Lakhs paid to the various Transporters during the Financial Year 2016-17 to 2020-21 against their produced bill in respective Financial Years. But the Company has not booked the corresponding expenditure against this prepaid expenses in the year of availing the services. The management has explained that the company shall reconcile all these payments of Rs. 70.39 lakhs with the respective party ledgers and if require shall pass the due adjustment entries in FY 2021 – 22	Statement of fact. Rs. 11.90 lakhs is being reconciled for the FY 2019-20.
4.10 Other Current Assets Rs. 268.06 Lakhs (Note 2.15) includes Sundry Debtors Estate of Rs. 216.31 Lakhs (Original dues of Rs. 413.88 lakhs Less Provisions for Doubtful Debts Rs. 197.57 Lakhs), against one year accounted income of Rs. 243.55 Lakhs (Note 2.17). Thus almost 10 months accounted income is still blocked as arrear receivables from Tenant. BVFCL has granted tenancy right to others on the guarantee of BVFCL Employee(s), however BVFCL has never exercised to revoke such guarantee of its employee to recover the dues from defaulting tenants. Further out of total 2726 Quarters 124 Quarters are reported to be vacant, 2 Quarters under unauthorized Occupation and 209 Quarters declared as unfit, but the exact status report of the these 335 Quarters could not be furnished by the management, even on the requisitions made by the Internal Auditors.	Regarding recovery & liquidation of outstanding dues from defaulters, the following actions have been taken: 1. Minimum two Notices issued to defaulters. 2. In case no positive response comes from defaulters after receipt of minimum two notices, cases are reported to the Estate Court for recovery and eviction from quarters. 3. As on date, 25 cases are under disposal of the Estate Court. Regarding exact status report of the 335 quarters, the report was already been submitted to the Internal Audit on 31/05/2021.

4.11 बीवीएफसीएल में वित्तीय सहमति प्रणाली वर्तमान में बीवीएफसीएल के तत्कालीन सीएमडी को तत्कालीन उप वित्त प्रबंधक द्वारा 12.12.2015 के तीन पृष्ठों के अंतर कार्यालय ज्ञापन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसमें बीवीएफसीएल अधिकारियों के विभिन्न रैंकों द्वारा व्यय की मात्रा के आधार पर वित्तीय सहमति अधिकार का प्रयोग करने का प्रस्ताव है। तत्कालीन सीएमडी ने अपने नोट दिनांक 12.12.2015 द्वारा उक्त आईओएम पर मौजूदा डीओपी को फिर से डिजाइन करने के लिए एक समिति बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन कंपनी ने आज तक ऐसी कोई समिति नहीं बनाई है और इस प्रकार कंपनी वित्तीय प्रतिनिधिमंडल और सहमति के प्रयोग के लिए उक्त आईओएम दिनांक 12.12.2015 को लगातार अपना रही है। आईओएम दिनांक 12.12.2015 में प्रस्तावित वित्तीय प्रत्यायोजन शक्ति पीएसयू पर लागू सामान्य वित्तीय नियम के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना और कंपनी के बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित नहीं किया गया है। ऑडिट कमेटी के कार्यवृत्त दिनांक 24 दिसंबर 2020 के अनुसार, ऑडिट कमेटी को सूचित किया गया था कि एनएफएल, आरसीएफ और बीसीपीएल के डीओपी के आलोक में गठित समिति द्वारा प्रत्येक बिंदु की गहन जांच के बाद सीएमडी, बीवीएफसीएल के शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) का मसौदा तैयार किया गया है। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, लेखा परीक्षा समिति सीएमडी, बीवीएफसीएल के प्रस्तावित डीओपी की सिफारिश करती है और बोर्ड के अनुमोदन के लिए यथाशीघ्र शक्तियों को कंपनी के कार्यात्मक निदेशक को उचित तरीके से सीएमडी द्वारा उप–शक्तियां किया जाना आवश्यक है। जबकि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा उप प्रत्यायोजित शक्तियां, पूरे संगठन में हमेशा अपनाई और पालन की जाने वाली तीन स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। आगे लेखापरीक्षा समिति ने जोर दिया कि शक्तियों के प्रत्यायोजन को अंतिम रूप देते समय, जीएफआर में निहित प्रावधान और सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों और निदेशक मण्डल द्वारा सुझाई गई तीन स्तरीय प्रणाली का सभी चरणों में पालन किया जाना चाहिए, ताकि निर्णय लेने में तथा आंतरिक जांच और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवर्धन हो और साथ ही उसी दिन निदेशक मण्डल समिति ने ऑडिट कमेटी की अनुशंसा को भी मंजूरी दे दी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक डीओपी को अंतिम रूप नहीं दिया है, जैसा कि लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा सुझाया गया है। कंपनी ने कथित आईओएम दिनांक 12.12.2015 में प्रस्तावित निर्धारित वित्तीय प्रत्यायोजन शक्ति का उल्लंघन किया है, क्योंकि पचास लाख रुपए से अधिक के व्यय के लिए वित्तीय सहमति केवल दो स्तरीय प्रतिनिधिमंडल प्रणाली की सिफारिश पर दी गई थी। ऐसे मामलों के कुछ उदाहरण हैं:	

4.11 Financial Concurrence System in BVFCL is currently monitored and guided by a three pages Inter Office Memorandum dated 12/12/2015 by the then Deputy Finance Manager to the then CMD of BVFCL, proposing to exercise the Financial Concurrence Right by the different ranks of BVFCL officials based on volume of expenditures. The then CMD by his note dated 12/12/2015 has recommended on the said IOM to form a committee to re- design the existing DOP. But the Company has not formed any such committee till date and thereby the company is continuously adopting the said IOM dated 12/12/2015 for exercising of Financial Delegation and Concurrence. The Financial delegation power proposed in the IOM dated 12/12/2015 is only a half hearted draft without complying the guideline of General Financial Rule applicable on PSU and also not vetted by the Board of the Company. As per Audit Committee minutes dated 24th December 2020, the Audit Committee was informed that the draft Delegation of Power (DOP) of CMD, BVFCL, has been prepared after thoroughly examining each point by the constituted Committee in the light of DOP of NFL, RCF & BCPL. After detailed deliberation, Audit Committee recommends the proposed DOP of CMD, BVFCL and powers are required to be sub - delegated by CMD to the Functional Director of the Company in appropriate manner, as early as possible for approval of the Board. While Sub Delegating powers by CMD, there must be a three tiers system adopted and followed in the entire organization always. Further Audit Committee stressed that , while finalisation of delegation of powers, the provision contained in GFR and observations of Statutory Auditors and the three tier system suggested by the BOD to be followed at all stages, so that there will be value addition in decision making and also to ensure internal check and Balance. The BOD Committee on the same day also approved the recommendation of Audit Committee. However, the Company has not yet finalised the DOP, as suggested by the Audit Committee & BOD. The Company has even seen to superseded the prescribed financial delegation power proposed in the stated IOM dated 12/12/2015, as the financial concurrence for expenditure beyond of Rs. Fifty Lakhs were seen to be granted merely on the recommendation of Two Tier Delegation System. Few Examples of such cases are:	

कार्य का नाम	ठेकेदारों का नाम	वित्तीय सहमति देने और सिफारिश करने में शामिल अधिकारियों का पदनाम.	अनुबंध के अधिनिर्णय की तारीख	कुल कार्य मूल्य (रु. लाख में)
यूरिया–III प्लांटमें एकल पार्टी के नामांकन पर यूरिया रिएक्टर के नीचे भाग के लाइनर पीटल्स का प्रतिस्थापन का कार्य।	मेसेर्स एसोसिएटेड वर्क्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	डीजीएम(वित्त) एवं सीएमडी	05.10.2020	94.28
बीवीएफसीएल संयंत्रों से प्रेषण के लिए यूरिया की हैंडलिंग	मेसर्स चेतिया इंफ्राकॉम	डीएफएम(प्रभारी) एवं सीएमडी	30.09.2020	81.24
बीवीएफसीएल संयंत्रों से प्रेषण के लिए यूरिया की हैंडलिंग	मेसर्स चेतिया इंफ्राकॉम	डीएफएम(प्रभारी) एवं निदेशक वित्त	31.07.2020	670.11

बोर्ड के संकल्प दिनांक 30 जून 2020 के अनुसार, कंपनी प्रबंधन को सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक तिमाही में बोर्ड के समक्ष नामांकन/एकल निविदा आधार पर दिए गए अनुबंधों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कंपनी प्रबंधन बोर्ड के इस निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहा है।

बीवीएफसीएल एक पीएसयू है और इसलिए यह अपने सभी वित्तीय लेनदेन पर उचित आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच तंत्र का पालन करने के लिए बाध्य है और विशेष रूप से वित्तीय लेनदेन की उच्च मात्रा के लिए सहमति देने पर अधिक सतर्क जांच और नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन एक मध्य स्तर के अधिकारी के हाथ से आंतरिक नियंत्रण तंत्र (वित्तीय लेनदेन के उच्चतम स्लैब तक) को बायपास करने की अनुमति देने के उदाहरणों को वित्तीय लेनदेन की निगरानी और नियंत्रण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा कंपनी तकनीकी सलाहकार, आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति जैसे विशेषज्ञ सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए भी वित्तीय सहमति देने के लिए 'बोली लगाने वालों की भारित औसत विधि और बोली लगाने वालों के तकनीकी अनुभव का औसत तरीका' अपनाने के बजाय एल 1 मूल्य मानदंड के बहुत पुराने पैटर्न को अपना रही है, और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से अधिक योग्य और विशिष्ट पेशेवरों/तकनीकी विशेषज्ञों के लिए प्रवेश रुक जाता है और अंत में कंपनी को स्वीकार किए गए असाइनमेंट सफल करने में विक्रेताओं की विफलता के कारण बाध्य समय के भीतर सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट सेवाएं प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है (जैसे नियुक्त सलाहकार मेसर्स एल्फा लिंक्स टेकनालजिस, बैगलोर ईआरपी सिस्टम का गैर कार्यान्वयन जहां बीवीएफसीएल अधिकारियों का समय बर्बाद हुआ)।

Name Work	Name Contractors of	Designation of Officers involved in granting and recommending Financial Concurrence.	Date of award of Contract	Total work Value (Rs. in Lakhs)
bottom hemisphere liner petals replacement job of Urea-III Plant on nomination to single party.	Associated works Infra Pvt. Ltd.	DGM (Finance) & CMD	05.10.2020	94.28
Handling of Urea for dispatch from BVFCL Plants	M/s. Chetia Infracom	DFM (I/C) & CMD	30.09.2020	81.24
Handling of Urea for dispatch from BVFCL Plants	M/s. Chetia Infracom	DFM (I/C) & Director Finance	31.07.2020	670.11

As per Board Resolution dated 30th June 2020, the Company Management was directed to place the details of contracts awarded on nomination/ single tender basis before the Board every quarter in compliance of CVC guidelines. However the Company Management seems to be totally non compliant on this direction of Board.

The BVFCL is a PSU and hence it is bound to follow the proper internal control and internal checks mechanism on all of its Financial Transactions and must exercise more vigil checks and controls particularly on granting the concurrence for high volume of Financial Transactions. But the instances of allowing to bypass the internal control mechanism (even of highest slab of Financial Transactions) from the hand of a sitting middle officer cannot be treated as vigil checks and controls of Financial Transactions.

Further the Company is adopting the very old pattern of L1 Price Criteria instead of adopting to 'Weighted average method of Quoted Price & Technical Experience of bidders' for granting Financial Concurrence even for the appointment of specialize services providers like appointment of Technical Consultants, Internal Auditors etc. and thereby indirectly debarring entry to the more deserving and specialized professionals/ technical experts and ultimately the company is being deprived of from getting best specialize services within time bound due to failure vendors in delivering the accepted assignments (like non implementation of ERP System by the appointed consultants M/s Alfa Links Technologies, Bangalore even after wasting of most of time and energy of the BVFCL Officials.

वित्त विभाग विभिन्न तरीकों से निष्पादन विभाग के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करता है जैसे कि आवश्यक सुधारों के लिए कमियों को इंगित करना, दोषपूर्ण प्रक्रियाओं के पालन के लिए उचित सुझाव देना, वाणिज्यिक डेटा प्रदान करके बातचीत टीम की मदद करना, आदि। कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए नवीनतम बदलाव, वैधानिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को बढ़ाते हुए और अत्यधिक भ्रष्टाचारों पर सीएजी की रिपोर्टों को देखते हुए, विशेष रूप से 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और अन्य घोटालों में, एक स्वतंत्र वित्त सहमति विभाग के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करना सभी सार्वजनिक उपक्रमों में उचित आंतरिक नियंत्रण का दायरा जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन द्वारा निर्धारित शक्तियों की नीतियों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और प्रतिनिधिमंडल का सभी प्रकार से अनुपालन किया जाता है। व्यय विभाग (भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन) ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 निर्धारित किए हैं। सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआरएस) भारत सरकार के नियमों और आदेशों का एक संकलन है, जिसमें सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है। इन नियमों और आदेशों को सरकार और निर्दिष्ट निकायों के तहत सभी विभागों और संगठनों द्वारा देखे जाने वाले कार्यकारी निर्देशों के रूप में माना जाता है। बीवीएफसीएल केंद्रीय सरकार का एक उपक्रम है और इसलिए इसके वित्तीय प्रतिनिधिमंडल और सहमति सामान्य वित्तीय नियमों 2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उक्त वित्तीय प्रतिनिधिमंडल और सहमति शक्ति को भी विधिवत रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए।	
4.12 एमएसएमई अधिनियम, 2006 एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए किसी भी सामान या सेवाओं के प्राप्तकर्ता के लिए 45 दिन की क्रेडिट अवधि को निर्दिष्ट करता है। यदि खरीदार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 15 के तहत आवश्यक भुगतान करने में विफल रहता है, तो खरीदार 45 दिनों से अधिक की देरी के लिए आपूर्तिकर्ता को मासिक ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, राशि पर देय एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना। लेकिन कंपनी ने 45 दिनों से अधिक के भुगतान में देरी के मामले में खरीदारों को निर्धारित चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान नहीं किया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि खरीद आदेश/कार्य आदेश के अनुसार, एमएसएमई को किए गए विलंब भुगतान पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यह स्पष्टीकरण एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 का उपयुक्त अनुपालन नहीं है।	कंपनी एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार 45 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर सभी एमएसएमई विक्रेताओं को समय पर भुगतान जारी कर रही है, ऐसे मामलों की अपेक्षा करता है जहां भुगतान के लिए आवश्यक चालान या किसी अन्य संबन्धित दस्तावेज विक्रेताओं द्वारा बिलो की प्रस्तुति में क्रम या विलंबित नहीं होते हैं । इसलिए वर्ष के दौरान एमएसएमईडी पार्टियों को देय ब्याज राशि देय/उपार्जित या देय नहीं है।
4.13 अनुभव प्रमाण पत्र/झूठी घोषणा आदि से संबंधित अपने कुछ पूर्व कर्मचारियों और वर्तमान कर्मचारियों के साथ कुछ कानूनी विवादों का सामना करने के बावजूद, कंपनी हमारे सत्यापन के लिए स्वतंत्र एचआर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी, जैसा कि बोर्ड ने 30 जून 2020 को अपनी बैठक में निर्देशित किया था। मानव संसाधन लेखा परीक्षा के अभाव में, हम कर्मचारी के साथ कुछ और कानूनी विवादों के क्रिस्टलीकरण की संभावनाओं पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	हालांकि मानव संसाधन लेखा परीक्षा एक वैधानिक/अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, फिर भी बीवीएफसीएल ने मानव संसाधन गतिविधियों के व्यापक मूल्यांकन और मानव संसाधन नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के पालन में अधिक प्रभावशीलता लाने के लिए मानव संसाधन लेखा परीक्षा मेसर्स संदीप मुखर्जी कंसल्टिंग सर्विसेज, कोलकाता का संचालन किया है। सलाहकार ने अपनी मसौदा रिपोर्ट जमा कर दी है जो अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है

Finance Department acts as a facilitator to the executing department in various ways such as pointing out deficiencies for necessary corrections, giving the appropriate suggestions in case of faulty procedures being followed, helping the negotiation team by providing commercial data, etc. In view if the latest changes made in the Companies Act 2013, enhancing the role of statutory auditors and in view of CSG's reports on mega corruptions, particularly in 2G spectrum scam, commonwealth games scam and other scams, it would be prudent to have and independent finance concurrence department with due scope of proper internal control in all PSUs who ensures that the policies, systems, procedures and delegation of powers laid-down by the management are complied in all respects. Department of Expenditure (under Ministry of Finance, Govt. of India has prescribed General Financial Rules 2017. General Financial Rules (GFRs) are a compilation of rules and orders of Government of India to be followed by all while dealing with matters involving public finances. These rules and orders are treated as executive instructions to be observed by all Departments and Organizations under the Government and specified Bodies. The BVFCL is a Central Govt. Undertaking and hence its Financial Delegation and Concurrence must be in accordance with the Guidelines of General Financial Rules 2017 and the said Financial Delegation and Concurrence Power must also be duly vetted by the Board of Directors of the Company.	
4.12 The MSMED Act, 2006 specifies 45 day credit period for the recipient of any goods or services to pay to the MSME supplier. In case the buyer fails to make payment as required under Section 15 of the Micro Small and Medium Enterprises Development Act, the buyer is liable to pay compound interest with monthly rests to the supplier for delayed period beyond 45 days, on the amount, payable at three times the bank rate notified by Reserve Bank of India as provided under Section 16 of the MSMED Act, 2006. But the Company has not paid/ provided for prescribed interest to the buyers in case of delayed payment beyond 45 days. The Company has explained that as per Purchase Order/ Work Order, there is no provision for interest on delay payment made to MSME. But this explanation is not the suitable compliance of the MSMED Act, 2006	The company is releasing timely payment to all MSME vendors within the stipulated period of 45 days as per the MSMED Act 2006 except cases where the required invoices or any other related documents for payments are not in order or delayed in presentation of bills by the vendors. Therefore interest amount due to MSMED parties during the year is not due/accrued or payable.
4.13 The company could not produce for our verification the Independent HR Audit Report, as directed by the Board in its Meeting dated 30th June 2020, inspite of facing some legal disputes with some of its Ex employee and current employees, relating to experience certificate/ false declaration etc. In absence of HR Audit, we are unable to comment on the possibilities of crystalising of some more legal disputes with employee.	Although HR Audit is not a statutory /mandatory requirement, still BVFCL has conducted the HR Audit M/s Sandeep Mukherjee Consulting Services, Kolkata for a comprehensive assessment of HR activities and bring more effectiveness into observance of HR policies, procedures & systems. The consultant has submitted their draft report which is under process of finalization

4.14 समय की कमी और स्वयं को गहन जांच लेखापरीक्षा में शामिल करने के लिए वैधानिक बाधाओं के कारण, हम श्री संजय माहेश्वरी {पूर्व निदेशक वित्त सह सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार पर} से प्राप्त मेल दिनांक 12 अगस्त 2021 (सीएजी को भी संबोधित) में लगाए गए शिकायतों की जांच नहीं कर सके। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के मामलों में भ्रष्टाचार, कदाचार और गैर–पेशेवर व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ शिकायत का विवरण 1000 से अधिक पृष्ठों में सीवीओ, बीवीएफसीएल (श्री प्रभास कुमार) और बीवीएफसीएल और उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ गहरी मिलीभगत से पूर्व और वर्तमान सीएमडी, बीवीएफसीएल द्वारा वर्णित है। इसलिए हम वित्तीय निहितार्थ और आंतरिक नियंत्रण उपायों की कमी पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, जैसा कि उक्त पत्र में आरोप लगाया गया है। माननीय सीएजी अपने विवेक के अनुसार आरोपों की जांच कर सकते हैं। हालाँकि, प्रथम दृष्टया, हमने देखा है कि बीवीएफसीएल के मानव संसाधन विभाग ने जानबूझकर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 10 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और अपनी ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में अवैध रूप से बाधा डाली है और अवैध के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। श्री संजय माहेश्वरी के वास्तविक ईपीएफ दावे को रोकना, यहां तक कि वित्त विभाग के संदर्भ संख्या A/VI/PF/20-21/1505 दिनांक 14.09.2020 के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि ईपीएफ धन की कुर्की के खिलाफ सुरक्षा है और इसे रोका नहीं जा सकता।	लेखापरीक्षा के अवलोकन को नोट किया गया क्योंकि वे वित्तीय निहितार्थ और आंतरिक नियंत्रण उपायों की कमी पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, जैसा कि पूर्व निदेशक (वित्त) के ई–मेल दिनांक 20.09.2021 में आरोपित है। श्री संजय माहेश्वरी, पूर्व निदेशक (वित्त) के विरुद्ध सेवानिवृत्ति से पूर्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। ऐसे मामलों में, सतर्कता विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के बाद सेवानिवृत्ति देय राशि का अंतिम निपटान किया जाता है। सतर्कता निकासी लंबित होने के कारण पीएफ राशि का भुगतान तत्काल नहीं किया जा सका। तत्पश्चात श्री एस. माहेश्वरी, पूर्व निदेशक (वित्त) की सेवानिवृत्ति बकाया राशि को जारी/रोकने के संबंध में हमारे पैनल में शामिल अधिवक्ता से कानूनी राय प्राप्त की गई। कानूनी राय मिलने के बाद, मामले से रसायन और उर्वरक मंत्रालय को अवगत कराया गया और मंत्रालय भी पीएफ राशि जारी करने के लिए सहमत हो गया। तद्नुसार, श्री संजय माहेश्वरी को उनके संचित भविष्य निधि देय ब्याज का भुगतान दिनांक 10.08. 2021 को कर दिया गया है।
4.15 कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी) के माध्यम से लेखांकन लेनदेन के केवल कुछ हिस्से को संसाधित करने की जगह है और मौजूद आईटी प्रणाली पुरानी है और पूर्णतः प्रमाणित नहीं है। बीवीएफसीएल फैक्टरी परिसर के भीतर प्रमुख लेखा प्रणाली को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोबोल 85 के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, हालांकि नोएडा लेखा में दूरस्थ स्थित केंद्र टैली लेखा प्रणाली में किया जा रहा है। हालांकि, गुवाहाटी मैनुअल मासिक ट्रायल बैलेंस भेज रहा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग पर कोबोल 85 लेखांकन की प्रणाली बहुत पुरानी है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है। फैक्ट्री परिसर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्तमान में स्थापित प्रचालन सिस्टम कोबोल 85 केवल सामग्री प्रबंधन विभाग, भंडार लेखा विभाग और केंद्रीय खाता विभाग के लिए एकीकृत है। बिक्री विभाग, मानव संसाधन विभाग और दूरदराज के स्थित केंद्रों (नोएडा और गुवाहाटी) के त्रैमासिक सारांशित शेष राशि को प्रत्येक केंद्रों के लिए समेकित मैनुअल जर्नल वाउचर पास करके केंद्रीय खातों से व्यक्तिगत रूप से एकत्रिक किया जा रहा है। यह सेंट्रल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अद्यतनीकरण में देरी का मुख्य कारण है। इसके अलावा बीवीएफसीएल के केंद्रीय खाते दूरस्थ केंद्रों के ट्रायल बैलेंस से संबंधित डेटा विवरण तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इस प्रकार लेखांकन सॉफ्टवेयर की वर्तमान स्थापित प्रणाली वास्तविक समय लेखांकन प्रबंधन सूचना प्रणाली उत्पन्न करने में असमर्थ है। वर्तमान प्रचालन प्रणाली बैच प्रोसेसिंग का अनुसरण करता है जो कि वास्तविक समय की प्रौद्योगिकी प्रणाली नहीं है। यह प्रणाली एक कमांड आधारित प्रणाली है और रिपोर्ट एमएस–एक्सेल या एमएस–वर्ड में उत्पन्न नहीं होती हैं, जिससे उत्पन्न रिपोर्ट के केवल व्यक्तिगत विश्लेषण की संभावना होती है। यह रिपोर्ट के विश्लेषण में कर्मचारी और लेखा परीक्षकों सहित सभी संबंधितों का बहुत समय और ऊर्जा की खपत करता है।	एक दीर्घकालिक समाधान के लिए और लेखा सॉफ्टवेयर को ऑडिट ट्रेल के साथ अपनाने के लिए एमसीए की हालिया अधिसूचना पर विचार करते हुए, कार्यकारी प्रबंधन ने सलाहकार के माध्यम से एसएपी ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी है। इस संबंध में कंपनी एसएपी कार्यान्वयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए आरएफक्यू जारी करने की प्रक्रिया में है। ईआरपी–एसएपी के वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लागू होने की उम्मीद है।

4.14 Due to lack of time and Statutory Constraints for involving our self in deep investigation audit, we could not examine the complaints levied in mail dated 12th August 2021 (also addressed to CAG), received from Shri Sanjai Maheshwari {Ex Director Finance Cum CMD (Additional Charge)} describing in more than 1000 Pages the details of complaint against Corruption, Malpractices & Unprofessional Business activities into affairs of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) by past & present CMD, BVFCL in deep collusion with CVO, BVFCL(Mr. Prabhas Kumar) and senior officials of BVFCL & Department of Fertilizers. Hence we are unable to comment the Financial Implication and lacking of Internal Control measures, as alleged in the said letter. The Hon'ble CAG may investigate the allegations, as per their own discretions. However, prima facie, we have observed that HR Department of BVFCL has intentionally violated the provisions of Section 10 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 by way of illegal obstruction in granting NOC from its side and paved the way for illegal withholding of genuine EPF Claim of Shri Sanjai Maheshwari, even in spite of clear direction of Finance Department vide Ref. No. A/VI/PF/20-21/1505 dated 14.09.2020 that there is protection against attachment of EPF money and it cannot be withheld.	Observation of Audit is noted as they are unable to comment on the Financial Implication and lack of Internal Control measures, as alleged in the e-mail dated 20.09.2021 of Ex-Director (Finance). Disciplinary proceeding was initiated against Shri Sanjai Maheshwari, Ex-Director (Finance) before superannuation. In such cases, final settlement of retirement dues are made after conclusion of disciplinary proceedings by Vigilance. Due to the pendency of vigilance clearance, PF amount could not be paid immediately. Subsequently legal opinion was obtained from our empanelled Advocate pertaining to release/ withhold of retirement dues of Shri S. Maheshwari, Ex-Director (Finance). After receipt of legal opinion, the matter was appraised to Ministry of Chemical & Fertilizers and the Ministry also agreed to release of PF amount. Accordingly, his accumulated PF dues alongwith interest has been paid to Shri Sanjai Maheshwari on 10.08.2021.
4.15 The Company is processing only some portion of accounting transactions through IT System and that too present established IT system is outdated and is not full proof. Major Accounting System within BVFCL Factory Premises is being operated through COBOL 85 on UNIX Operating System, however remote located centers at Noida accounting is being done in Tally Accounting System. However, Guwahati is sending manual monthly Trial Balance. COBOL 85 on UNIX Operating is too old system of accounting. This operating system is outdated. The present installed Operating System COBOL 85 on UNIX Operating System at Factory Premises is integrated for MM Department, Store Account Department & Central Account Department only. Quarterly summarized Trial Balance of Sales Department, HR Department and remote located centres (NOIDA & Guwahati) are being manually merged into Central Accounts by passing consolidated manual Journal vouchers for each centers. This is the main reason of delay in updation of Central Account Trial Balance. Further BVFCL Central Accounts is unable to access data details related to Trial Balance of remote centers. Thus the present installed system of Accounting software is unable to generate real time accounting MIS. The present operating system follows batch processing which is not a real time processing system. This system is a command based system and the reports are not generated in MS-Excel or MS-Word, thereby rendering possibility of only manual analysis of the reports generated. This consumes a lot of time and energy of all concerned, including the employee and the auditors, in analysis of the reports.	For a long term solution & considering the recent notification of MCA for adoption of Accounting Software with audit trail, Executive Management has approved for implementation of SAP ERP through Consultant. In this regard company is in the process of floating RFQ for appointment of consultant for SAP Implementation. ERP-SAP is expected to be roll out during FY 2022-23. .

चूंकि सभी वित्तीय डेटा कोबोल 85 यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल नहीं हैं, इसलिए, एकल लीडर्स के यथार्थवादी वित्तीय रिकॉर्ड को निकालने के लिए सब्सिडियरी लजेर्स पर निर्भरता होती है। कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक ने कुछ उदाहरणों में मुख्य खातों बही और सहायक कंपनियों के बीच मतभेदों को इंगित किया है, जिससे सटीकता और प्रणाली की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है। एक्सेल आधारित शीट्स में कंपनी के और भी कई सब्सिडियरी खाता का रखरखाव किया जा रहा है, जो कि सम्पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इस तरह के डेटा के अनधिकृत विचलन की संभावना है और किसी भी समय किसी विशेष खातों के शेष में परिवर्तन की संभावना हो सकती है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए, आईटी लेखांकन की एक नई प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है, ताकि बीवीएफसीएल के पूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड को पूर्ण प्रमाण रिकॉर्डिंग और सुरक्षा के साथ रिकॉर्ड किए गए वित्तीय लेनदेन में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं के साथ सभी रिकॉर्ड किए गए वित्तीय लेनदेन एकल आईटी प्रणाली में शामिल किया जा सके।	
31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक–क) दिनांक 22.11.2021 में बताई गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब	
सांविधिक लेखापरीक्षकों के अवलोकन	**प्रबंधन उत्तर**
i) ख) कंपनी के पास वास्तव में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रूप में 1.70 लाख रुपए की अमूर्त संपत्ति है और कंपनी ने इसके लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।. हालांकि, कंपनी ने अमूर्त संपत्ति (परियोजना) के तहत 715.68 लाख रुपए के एक अन्य व्यय का भी खुलासा किया है, जो वास्तव में प्रस्तावित ब्राउन फील्ड अमोनिया/यूरिया प्रोजेक्ट–कॉम्प्लेक्स (नामरूप–IV) से संबंधित पूर्व–संचालन व्यय है, लेकिन ये व्यय नहीं हैं अमूर्त संपत्ति की प्रकृति में और वर्गीकृत और मूर्त संपत्ति के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए–पूंजी अमूर्त आस्तियों (परियोजनाओं) के तहत इसे दर्शाने के बजाय कार्य प्रगति पर है।	हमने सांविधिक लेखापरीक्षक के अवलोकन को नोट किया। बीवीएफसीएल के पास गुडविल, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, पेटेंट जैसी अमूर्त संपत्ति उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1.70 लाख रुपए की राशि के लिए सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त संपत्ति बैलेंस शीट में नोट संख्या 2.9 के तहत शुद्ध मूल्य के रूप में दिखाई जाती है। अगले वित्तीय वर्ष में अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।

Since all of the financial data are not incorporated in the COBOL 85 UNIX Operating System. Therefore, there is compelled dependency on Subsidiary Ledges to get extracted the realistic financial records of a single ledgers. Internal Auditor of the company has pointed out differences between main ledger and subsidiary ledgers in a few instances thereby raising a doubt on the accuracy and the reliability of the system. Further many subsidiary ledgers of the Company is being maintained in Excel Based Sheets, which is not at all full roof, as the possibility of un authorised tempering of such data and possibility of getting alteration of balances of any particulars individual ledgers at any time cannot be denied. In order to overcome the shortcomings of the present system, a new system of IT Accounting needs to be put in place at the earliest, so that the complete financial records of BVFCL can be incorporated in a single IT System with full proof recording and safety of all recorded financial transactions with no chances of tampering of the recorded Financial Transactions..	

Management Replies on the observations stated in Revised Independent Audit Report (Annexure-A) dated 22.11.2021 on the financial year ended 31st March, 2021.

STATUTORY AUDITORS' OBSERVATIONS	MANAGEMENT REPLY
i) b) The Company is actually having intangible assets in the form of computer software amounting to Rs. 1.70 lakhs and the company has maintained proper records for this. However, the Company has also disclosed another expenditure of Rs. 715.68 Lakhs under intangible Assets (project), which is really the pre-operative expenditure related to proposed brown field Ammonia /Urea Project-complex (Namrup-IV) , But these expenditure are not in the nature of Intangible assets and should be classified and depicted as Tangible Assets –Capital work-in-progress instead of depicting the same under Intangible Assets (Projects).	We noted the observation of the Statutory auditor. Intangible assets like goodwill, licenses, trademarks, patents are not available with BVFCL, But intangible assets like software for an amount of Rs. 1.70 Lakh is shown as net value under note no. 2.9 in the Balance Sheet. Noted for compliance in next financial year.

निदेशकों का कार्यवृत

1. श्री शिव प्रसाद मोहंती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1.10.2021 से) [DIN-05336787]

श्री एस. पी. मोहन्ती, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक बीवीएफसीएल ने बेहरामपुर विश्व विद्यालय, ओडिशा से व्यवसाय प्रबन्धन (बिजनेस मैनेजमेंट) में मास्टर (स्नातकोत्तर) किया है। इन्होंने आई.आई.एम, लखनऊ से कार्यकारी विकास कार्यक्रम और आई.आई.एम, कोलकाता से उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम पूर्ण किया है।

श्री मोहन्ती का मुख्य रुप से कृषि आदानों के विपणन में 32 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है। उन्होंने वर्ष 1989 से 2015 तक राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया है। श्री मोहन्ती को आर.सी.एफ. एल में वर्ष 1995 के दौरान ''वर्ष के मार्किटिंग मैन'' का पुरस्कार तथा वर्ष 2012 में ''सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी'' पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

श्री मोहन्ती अभी भी एचआईएल इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत हैं। श्री मोहंती जी की अध्यक्षता में हिल (इंडिया) लिमिटेड को ब्यूरोक्रेसी टूडे (सी.एस.आर एक्सीलेंस अवॉर्ड), स्कोच मेरिट अवॉर्ड, फिक्की इंडिया कैम, ग्रीनटेक सी.एस.आर. अवार्ड, ई.टी. नाऊ वर्ल्ड सी.एस.आर. अवॉर्ड, सी.एम.ओ. एशिया द्वारा ग्रामीण विपणन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय अवॉर्ड, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत राजभाषा कीर्ति पुरस्कार आदि कई प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त हुए है।

श्री एस. पी. मोहन्ती को दक्षिण अमेरिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डा0 राधाकृष्णन, शिक्षक कल्याण और अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि (डी. लिट्ट) से सम्मानित किया गया है। हाल ही में, इन्हें भारत के 50 सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रामीण विपणन प्रौफैशनल्स के रूप में सम्मानित किया गया है।

इन्हें आर्थिक अध्ययन संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनोमिक स्टेडीज) द्वारा ''उद्योग रत्न पुरस्कार''

DIRECTORS' PROFILES

1. Shri Siba Prasad Mohanty, Chairman & Managing Director (From 1.10.2021) [DIN- 05336787]

Shri S. P. Mohanty, Chairman and Managing Director of BVFCL have done his Masters in Business Management from Berhampur University, Odisha. He completed his Executive Development Programme from IIM Lucknow and Advanced Management Programme from IIM, Kolkata.

Sh. Mohanty carries more than 32 years rich and diverse experience primarily in Marketing of Agri Inputs. He has also worked in M/s Rashtriya Chemical & Fertilizers Ltd (RCF), Mumbai, in different capacities from 1989 to 2015. Dr. Mohanty is recipient of "MARKETING MAN OF THE YEAR" Award during 1995 and "BEST EMPLOYEE" Award during 2012 in RCF.

Sh. Mohanty is also in additional charge of CMD, HIL (India) Ltd. Under the Chairmanship of Sh. Mohanty, HIL (India) Limited has been awarded with several Prestigious Awards by renowned Institutions like Bureaucracy Today (CSR Excellence Award), SKOCH Merit Award, FICCI INDIA CHEM, Greentech CSR Award, ET-Now World CSR Award, National Award for Excellence in Rural Marketing by CMO Asia, Rajbhasha Award under Kirti Puraskar Scheme of Rajbhasha Vibhag etc.

Sh. S. P. Mohanty has been conferred honorary Doctorate Degree (D. Litt) by Dr. Radhakrishnan, Teacher's Welfare and R&D Centre affiliated to University of South America. Recently, he has been awarded with the most Influential 50 Rural Marketing Professional of India Award.

He has been awarded "UDYOG RATTAN AWARD" and "EXCELLENCE AWARD" by the Institute of

एवं ''उत्कृष्टता पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया है। श्री मोहन्ती को हिन्दी दिवस 2016 के अवसर पर, श्री किरेन रिजीजू, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा अन्य उच्च गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में ''हिन्दी गौरव'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री मोहन्ती को तमिलनाडू और असम के राज्यपाल द्वारा सराहनीय सेवा, उत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लेखनीय भूमिका के लिए ''भारत ज्योति पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया है। वे इंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (एफ.आई.ओ.डी), फिक्की फसल सुरक्षा समिति के सह–अध्यक्ष, स्कोप के शासी निकाय के कार्यपालक सदस्य भी हैं। वे विपणन एवं ग्रमीण विपणन पक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए प्रमाणित प्रशिक्षक एवं अग्रणी वक्ता हैं। इन्होंने कृषि आदानों के विपणन पर अनेकों लेखों और रेडियो/टेलीविजन वार्तालाप के माध्यम से योगदान दिया है। श्री मोहन्ती अपनी आधिकारिक क्षमता में विभिन्न देशों नामतः ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, नार्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण अफ्रिका के व्यापक रुप से दौरे कर चुके हैं। भारतीय उर्वरक संघ (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों के लिए एक नियमित संकाय सदस्य हैं।

2. श्री असीम कुमार घोष, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (30.09.2021 तक) [DIN-08222413]

श्री असीम कुमार घोष एनआईटी दुर्गापुर 1985 बैच से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उन्होंने एचएफसीएल बरौनी में कनिष्ठ कार्यपालक प्रशिक्षु (मैकेनिकल) के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और एचएफसीएल दुर्गापुर में कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल) बन गए। उन्होंने मार्च 2003 में नामरूप उर्वरक इकाई में कार्यभार संभाला। उन्होंने बीवीएफसीएल, नामरूप में महाप्रबंधक (यूनिट) बनने से पहले मैकेनिकल विभाग में विभिन्न पदों पर एचएफसीएल और बीवीएफसीएल में कार्य किया।

लगभग 30 वर्षों का उनका कुल कार्य अनुभव पूरी तरह से क्षमता उपयोग, ऊर्जा खपत और लाभ प्रदता के संदर्भ में संयंत्रों का समग्र सुधार करने के लिए

Economic Studies. Sh. Mohanty was also awarded "HINDI GAURAV AWARD" on the occasion of Hindi Divas 2016 by Sh. Kiren Rijiju, Minister of State for Home Affairs, Government of India in the presence of other high dignitaries. Sh. Mohanty has been awarded with BHARAT JYOTI AWARD for meritorious services, outstanding performances and remarkable role by the Governor of Tamil Nadu and Assam. He is also a "FELLOW MEMBER" of Institute of Directors (FIoD), Co-Chairman of FICCI Crop Protection Committee, Executive Member Governing Body of SCOPE. He is also a certified trainer for conducting International Trainings and Lead Speaker on Marketing & Rural Marketing aspects. He has also contributed number of articles and delivered Radio/Television talks on Agriculture Inputs Marketing. Sh. Mohanty has extensively travelled to number of countries namely Australia, Finland, Norway, Denmark, Netherlands, Germany, France and South African Countries in his official capacity. He is a regular faculty member for different Seminars organized by Fertilizer Association of India (Eastern Zone).

2. Shri Ashim Kumar Ghosh, Chairman & Managing Director (Upto 30.09.2021) [DIN- 08222413]

Shri Ashim Kumar Ghosh is a graduate in Mechanical Engineering from NIT Durgapur 1985 batch. He started his career as Junior Executive Trainee (Mechanical) at HFCL Barauni & became Junior Engineer (Mechanical) at HFCL Durgapur. He joined Namrup Fertilizer Unit in March 2003. He worked in HFCL and BVFCL at various capacities in Mechanical discipline before becoming GM (Unit) at BVFCL, Namrup.

His total work experience of around 30 years has been dedicated entirely to the industrial aspects of maintenance, Production planning and operations in Ammonia & Urea plants aiming to

अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के रखरखाव, उत्पादन योजना और संचालन के औद्योगिक पहलुओं के प्रति समर्पित रहा है। उन्होंने नामरूप की पुनरुद्धार परियोजना में सक्रिय और संयंत्रों के नामरूप–II समूह के निर्माण और स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई।

उन्होंने संश्लेषण कनवर्टर बास्केट के प्रतिस्थापन सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें ताप विनिमायक, प्रशीतन टॉवर नवीनीकरण, नामरुप–III के सिन्थेसिस गैस कंप्रेशर के ईएमजी टरबाइन की रिट्रोफिटिंग, संयंत्र में अन्य किफायती उपाय करना शामिल रहा है, जिससे बीवीएफसीएल, नामरूप उर्वरक संयंत्रों की आयु बढ़ गई। 11 सितंबर 2018 से, उन्होंने निदेशक (उत्पादन) बीवीएफसीएल, का पद ग्रहण किया तथा दिनांक 14/10/2019 को, श्री घोष ने बीवीएफसीएल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद भार संभाला। श्री घोष एफएआई के बोर्ड में निदेशक और आईसीएफएफटीआर की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं।

3. श्री दिगंबर सहाय, निदेशक (उत्पादन) (DIN 0008961963)

श्री दिगंबर सहाय 1986 बैच के आईआईटी, मद्रास से स्नातकोत्तर, एमटेक (यांत्रिक) हैं। उन्हें अमोनिया–यूरिया उर्वरक संयंत्रों में 26 वर्षों सहित विभिन्न उद्योगों में 33 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी में प्रबंधन प्रशिक्षु (यांत्रिक) के रूप में अपने औद्योगिक जीवनवृत की शुरुआत की और वहाँ छह साल तक काम किया। उन्होंने 1992 से इंडो गल्फ फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन में 15 साल से अधिक समय तक अभियंता से वरिष्ठ प्रबंधक तक विभिन्न क्षेत्रों जैसे रखरखाव, कुल उत्पादक रखरखाव और समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने जुबिलेंट ऑर्गेनोसिस लिमिटेड में 3 वर्षों के लिए परिवर्तन प्रबंधन के प्रमुख के रूप में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने 4 साल से अधिक एक इंजीनियरिंग उद्योग नामतः लक्ष्मी प्रिसिजन स्क्रूज लिमिटेड में गुणवत्ता तथा सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के प्रमुख के रूप में काम किया। श्री सहाय दिसंबर 2015 में ब्रह्मपुत्र

overall improvement of plants in terms of capacity utilization, energy consumption & profitability. He played an active role in Namrup Revamp Project and took a lead role in erection & commissioning of Namrup-II group of plants.

He has initiated a number of actions including replacement of Synthesis converter basket, many critical heat exchangers, cooling tower renovation, retrofitting of EMG turbine of Syn. Gas Compressor of N-III, other cost effective measures in the plant leading to the long term sustenance of BVFCL, Namrup Fertilizer plants. From 11th September, 2018, he assumed the post of the Director (Production),BVFCL. W.e.f 14/10/2019, Shri Ghosh took over the charge of Chairman and Managing Director of BVFCL. He is also Director on the Board of FAI and member of Governing Council of ICCFTR.

3. Shri Digambar Sahai, Director (Production) (DIN 0008961963)

Shri Digambar Sahai is a Post Graduate, M.Tech (Mechanical) from IIT, Madras of 1986 batch. He has more than 33 years experience in different industries including 26 years in Ammonia-Urea Fertilizer Plants. He started his industrial carrier as Management Trainee (Mechanical) in Hindustan Fertilizer Corporation Limited, Barauni and worked there for six years. He also worked in Indo Gulf Fertilizer Corporation from 1992 for more than 15 years in various positions from Engineer to Senior Manager in different fields like Maintenance, Total Productive Maintenance and Total Quality Management. He also worked in Jubilant Organosys Limited as Head of Change Management for 3 years. Thereafter he worked for more than 4 years in an Engineering Industry namely Lakshmi Precision Screws Limited as Head of Quality and Total Quality Management. He joined Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Namrup

वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड(बीवीएफसीएल), नामरूप में उप महा प्रबन्धक (प्रचालन तथा उपकरण) के पद पर नियुक्त हुए। 16 नवंबर, 2020 को उन्होंने बीवीएफसीएल में निदेशक (उत्पादन), का प्रभार ग्रहण किया। श्री सहाय आईसीएफएफटीआर की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं।

4. **श्री सुबाश चंद्र दास, निदेशक (वित्त) (DIN–08988297)**

श्री सुबाश चंद्र दास ने बीवीएफसीएल में निदेशक (वित्त) का प्रभार 18 दिसंबर 2020 को ग्रहण किया। उनके पास इस्पात और एल्यूमीनियम क्षेत्र के कई–प्रमुख सीपीएसई जैसे सेल, नाल्को और निजी पेपर उद्योग में समृद्ध उद्योग में 24 वर्षों से अधिक वर्षो का अनुभव है।

बीवीएफसीएल में निदेशक (वित्त), के रूप में अपने वर्तमान कार्यभार से पहले, श्री दास उप महा प्रबन्धक (वित्त), नाल्को में 22.12.2017 से कार्यरत थे। वह नाल्को के पवन ऊर्जा परियोजनाओं, व्यवसाय विकास और अनुसंधान एवं विकास प्रभाग के लिए वित्त कार्य के प्रभारी थे और साथ ही सीएसआर ट्रस्ट और नाल्को के अधिवर्ष निधि के मामलों की देखरेख करते थे। नाल्को में शामिल होने से पहले, उन्होंने स्टील प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। दो दशक से अधिक के जीवनवृत अवधि के दौरान, उन्होंने वित्तीय योजना और नियंत्रण, लेखा और लेखा परीक्षा, एमआईएस और बजट, निधि प्रबंधन और निवेश, वाणिज्यिक और कर मामलों आदि के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया।

05.07.1971 को जन्मे श्री दास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के अधिसदस्य हैं और भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची के पूर्व छात्र भी हैं, जहां से उन्होंने प्रबंधन में प्रबन्धक पीजी डिप्लोमा पूरा किया।

पेशेवर जिम्मेदारियों में उत्कृष्ट होने के अलावा, वह सामाजिक गतिविधियों और सामुदायिक विकास में समान रूप से सक्रिय रहे हैं।

in December, 2015 as Dy. General Manager (Operation & Instrumentation). He Assumed the charge of Director (Production), BVFCL w.e.f. 16th November, 2020. Shri Sahai is also member of Executive Committee of ICFFTR.

4. **Shri Subash Chandra Das, Director (Finance) (DIN-08988297)**

Shri Subash Chandra Das has assumed charge of Director (Finance), BVFCL w.e.f. 18th December 2020. He has a rich industry experience of more than 24 years in steel and aluminium sector in premier CPSEs like SAIL & NALCO and private paper industry.

Prior to his present assignment as Director (Finance), BVFCL, Shri Das was working as DGM (Finance), NALCO w.e.f. 22.12.2017. He was in-charge of finance function for wind power projects, Business Development and R&D division of NALCO and also supervising affairs of CSR Trust and superannuation funds of NALCO. Prior to joining NALCO, he worked in various capacities at Steel Authority of India Limited, Rourkela Steel Plant. During a career span of more than two decades, he garnered experience in the field of Financial Planning and Control, Accounts & Audit, MIS & Budget, fund management & Investment, Commercial and Tax matters etc.

Born on 05.07.1971, Shri Das is a Fellow Member of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI) and also an alumnus of Indian Institute of Management Ranchi from where he completed Executive PG Diploma in Management.

Apart from excelling in professional responsibilities, he has been equally active in social activities and community development.

5. श्री के. गुरुमूर्ति, सरकारी निदेशक (DIN -08741900)

उर्वरक विभाग में निदेशक (बजट और वित्त) श्री के गुरुमूर्ति ने आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, तिरुपति से डेयरी प्रौद्योगिकी में 4 1/2 वर्ष का स्नातक और उस्मानिया विश्वविद्यालय से एलएलबी में स्नातक प्राप्त किया। यूपीएससी सिविल सेवा 1993 की परीक्षा उत्तीर्ण की और केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) को आवंटित किया गया। श्री के. गुरुमूर्ति के पास समृद्ध प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी अनुभव है और उन्होने दूरसंचार विभाग, ईपीएफओ और कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय में निदेशक के रूप में और ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चेन्नई में एक रजिस्ट्रार के रूप में कार्य किया है। जनवरी 2015 से जुलाई 2017 तक, माननीय स्पीकर, आंध्र प्रदेश विधान सभा ओएसडी के रूप में और नवंबर 2019 तक एपी के अतिरिक्त सचिव, जीएडी, के रूप में काम किया तथा उन्हें सरकारी व्यावसायिक नियमों के बारे में पूरी जानकारी है तथा दायर कार्यालयों के कार्यालय में ई–कार्यान्वयन के साथ भी जुड़े थे। स्वच्छ सत्नापल्ली और स्वच्छ भारत संदेश के एक हिस्से के रूप में, माननीय स्पीकर के नाम पर गिनीज विश्व रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए एक विचार और कार्यान्वयन में काम किया और गिनीज विश्व रिकार्ड में एक घंटे में 11987 लोगों द्वारा एक अंग दान प्रतिज्ञा रिकॉर्ड में भी वे शामिल है। 2/2017 में राष्ट्रीय महिला संसद सम्मेलन में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें भारत के प्रतिकोण से 20,000 से अधिक महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6. श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, सरकारी निदेशक, उर्वरक विभाग (DIN–9351744)

श्याम सुंदर अग्रवाल को परियोजना प्रबंधन, वित्तीय विश्लेषण और परियोजना वित्त में विशेषज्ञता के साथ वित्त और खातों में व्यापक अनुभव है।

एफआईसीसी से पहले, उन्होंने 5 वर्षों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में उप निदेशक के रूप में कार्य किया है, जहां उन्होंने मेगा फूड पार्क योजना जो क्लस्टर दृष्टिकोण और ऑपरेशन ग्रीन्स योजना जो

5. Shri K. Gurumurthy, Govt. Director (DIN -08741900)

Shri K Gurumurthy, Director(Budget and Finance),in the Department of Fertilizers, did 4 1/2 Years graduation in Dairy Technology from Andhra Pradesh Agricultural University, Tirupati and LLB from Osmania University. Passed UPSC Civil services 1993 exam and allotted to Central Secretariat Services(CSS). Shri K Gurumurthy is having rich Administrative, Financial and Legal experience and served in the Department of telecommunication, in EPFO and as Director in the Ministry of Corporate affairs and as a Registrar in Debt Recovery Tribunal, Chennai. From January 2015 to July 2017, worked as OSD to Hon'ble speaker, Andhra Pradesh Legislative Assembly and as Additional Secretary, GAD, Govt of AP till November 2019 and is having full knowledge on Government business rules and was associated in the implementation of E – office in field Offices. As part of Swachh sattenapalli and clean India Message, conceived and implemented an idea in obtaining Guinness World Record in the name of Hon'ble Speaker and also involved in Guinness world record an organ donation pledge in one hour by 11987 people. Played key role in national women's parliament conclave in 2/2017 which was attended from nook and corner of India by more than 20,000 women participants.

6. Shri Shyam Sundar Agrawal, Govt. Director, DOF (DIN –9351744)

Shyam Sundar Agrawal has extensive experience in finance and accounts, with specialities in Project Management, Financial Analysis, and Project Finance

Prior to FICC, he has served as Deputy Director in Ministry of Food Processing Industries for 5 years, where he was instrumental in implementation

टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक योजना है, जिसका उद्देश्य प्रसंस्करण के लिए एक आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा बनाना है, मंत्रालय की इस प्रमुख योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए), फार्मास्युटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ भी 5 साल तक काम किया है, जहां वे एपीआई के लागत आधारित मूल्य निर्धारण, फॉर्मूलेशन के बाजार आधारित मूल्य निर्धारण, मूल्य नियंत्रण की निगरानी और प्रवर्तन तथा दोषी कंपनियों से अधिक राशि वसूलने के संबंध में कार्य कर रहे थे। भारत सरकार की सेवा में शामिल होने से पहले, उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में काम किया।

वह 2002 बैच के चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और उन्होंने चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए, यूएसए) के 2 स्तरों को भी पास किया है।

7. **श्री विनय कुमार पाण्डे, सरकारी निदेशक, उर्वरक विभाग (DIN-0008529023)**

श्री विनय कुमार पाण्डे (आईएसएस, 2004 बैच), उर्वरक विभाग में निदेशक बीवीएफसीएल बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में कार्यरत हैं । उन्होंने 1999 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से सांख्यिकी में स्नाकतोत्तर किया और लेक्चररशिप के लिए सीएसआईआर (एनईटी) भी उत्तीर्ण किया। वह दिसंबर 1999 से सरकारी सेवा में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में अन्वेषक के रूप में खंडवा मध्य प्रदेश, और इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश में कार्यरत थे। उन्हें वर्ष 2004 में भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के लिए चुना गया। उन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के फील्ड कार्यालयों (ग्वालियर, मध्य प्रदेश और रायपुर, छत्तीसगढ़) में सेवा की है। वह सितंबर, 2010 से दिल्ली में तैनात व्यय विभाग वित्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प में अपनी सेवाएँ, दिसंबर 2018 में

of Mega Food Parks Scheme, a flagship scheme of the Ministry, aiming to create a modern food processing infrastructure for the processing units based on a cluster approach and formulation and implementation of Operation Greens Scheme – A Scheme for integrated development of Tomato, Onion and Potato (TOP) value chain. He has also worked with National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), Department of Pharmaceutical, Ministry of Chemicals & Fertilisers for 5 years, where he was doing Cost based pricing of APIs, Market based pricing of formulations, Monitoring & Enforcement of price control, Recovery of overcharging amount from delinquent companies. Prior to joining Government of India, He worked in Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) for about 8 years.

He is a 2002 Batch Chartered Accountant and has also cleared 2 levels of Chartered Financial Analyst (CFA, USA).

7. **Shri Vinay Kumar Pandey, Govt. Director, DOF (DIN- 008529023)**

Shri Vinay Kumar Pandey (ISS, 2004 Batch), working as Director in the Department of Fertilizers, is the Govt. Nominee Director on the BVFCL Board. He did his M.Sc in Statistics from Banaras Hindu University, Varanasi in 1999 and qualified CSIR (NET) also for Lecturership. He was in Government service from December, 1999 as Investigator in National Sample Survey Organisation and served at Khandwa, M.P. and Allahabad, U.P. He got selected for Indian Statistical Service (ISS) in 2004. He has served in the field offices (Gwalior, M.P. & Raipur, Chhattisgarh) of Ministry of Statistics & Programme Implementation. He is posted in Delhi since September, 2010 and has served in Department of Expenditure, M/o Finance, Ministry of Labour & Employment and Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation before

उर्वरक विभाग में निदेशक के रूप में शामिल होने से पहले, अपनी सेवा दे चुके हैं।

8. श्री बिपिना बिहारी पाधी, गैर सरकारी निदेशक (DIN-01859238)

श्री बिपिना बिहारी पाधी (DIN–01859238) जिनकी आयु लगभग 65 वर्ष है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एक फैलो सदस्य हैं और वर्तमान में 2013 से चार्टर्ड काउंटेंट रूप में कार्यरत हैं। वह बहुत पुरानी फर्म मेसर्स अनिल मिहिर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट भुवनेश्वर, जिसका देश के विभिन्न स्थानों में कार्यालय हैं में वरिष्ठ भागीदार हैं, और राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के आंतरिक, वैधानिक और समवर्ती लेखा परीक्षा में एक विशाल अनुभव है। 2013 से पूर्व उन्होंने ओडिशा सरकार के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे निर्माण, धातु, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट नियामक, आदि में वित्तीय प्रमुख के रूप में कार्य किया। अपने 38 वर्षों के सेवा जीवन के दौरान, वित्त, लेखा परीक्षा, कानूनी, सचिवीय मामले, बैंकिंग, शहरी विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त किया।

उनके पास अतिरिक्त योग्यताएं जैसे बेहरामपुर विश्वविद्यालय से विधि स्नातक, कंपनी सचिव (इंटर) हैं। वह विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं।

1.05.2020 को बीवीएफसीएल के बोर्ड में एक गैर आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र) के रूप में उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई है और उन्होने अपना पदभार 9.05.2020 को ग्रहण किया।

9. श्री रबी रंजन सेन, गैर आधिकारिक निदेशक (DIN - 09400040)

श्री रबी रंजन सेन पश्चिम बंगाल के कटवा कॉलेज में एक एसोसिएट प्रोफेसर और इतिहास विभाग के प्रमुख हैं। उन्होंने जेएनयू, नई दिल्ली से इतिहास में एमए और एम.फिल किया है, और 2002 से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने 18वीं शताब्दी के महाराष्ट्र, 19वीं

joining as Director in the Department of Fertilizers in December, 2018.

8. Shri Bipina Bihari Padhy, Non Official Director (DIN -01859238)

Shri Bipina Bihari Padhy (DIN – 01859238) aged about 65 years is a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of India and presently practicing as Chartered Accountant since, 2013. He is a senior partner in very old firm M/s. Anil Mihir & Associates, Chartered Accountants Bhubaneswar, having offices in different locations of the country and have a vast experience in Internal, Statutory and Concurrent Audit of Nationalized Banks and PSUs. Earlier to 2013, he served as Financial Head in various industrial sectors of Odisha Government like Construction, Metal, Chemicals, Electronics, Real Estate Regulator, etc. During his 38 years service career, gained extensive experience in the field of Finance, Audit, Legal, Secretarial matters, Banking, Urban Development, Electronics, etc.

He possess additional qualifications such as Bachelor of Law from Behrampur University, Company Secretary (Inter). He is also associated with various social activities.

He has been appointed by the Govt. of India as a Non Official Director (Independent) on the Board of BVFCL on 1.05.2020 and assumed charge w.e.f. 9.05.2020

9. Shri Rabi Ranjan Sen, Non Official Director (DIN - 09400040)

Shri Rabi Ranjan Sen is an Associate Professor and Head of the Department of History at Katwa College, West Bengal. He has done M.A. and M.Phil in History from JNU, New Delhi, and has been teaching since 2002. He has researched and written on various topics like 18th Century

शताब्दी के बंगाल के पुनर्जागरण के आंकड़े, पश्चिम में योगिक संस्कृति के प्रसार जैसे विभिन्न विषयों आदि पर शोध और लेखन किया है। वे भारतीय इतिहास, संस्कृति, विरासत और विचार, विशेष रूप से वेदांत और सामाजिक–धार्मिक आंदोलनों पर पत्रिकाओं में नियमित रूप से योगदान दे रहें हैं।

वह अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल में हाशिए के समुदायों के बीच शैक्षणिक संस्थानों और सुविधाओं के पोषण के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। वह 2014–2018 से मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग (राज्य उच्च शिक्षा) के सदस्य और 2017–2020 तक उत्तर–पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग में कार्यकारी परिषद, सदस्य (आगंतुक नामित) रहें हैं।

उन्हें भारत सरकार द्वारा 02.11.2021 को बीवीएफसीएल के बोर्ड में एक गैर–आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

Maharashtra, renaissance figures of 19th Century Bengal, spread of Yogic culture in the West, etc. He contributes regularly to periodicals on Indian history, culture, heritage and thought, especially Vedantic and socio-religious movements.

He has been active in social and educational activities since his student days and is currently deeply involved with nurturing of educational institutions and facilities in rural areas and among marginalised communities in West Bengal. He has been a Member of Rashtriya Uchha Shiksha Ayog (State Higher Education Council), Govt. of Madhya Pradesh, from 2014-2018 and also Member (Visitor's Nominee), Executive Council, North-Eastern Hill University, Shillong from 2017- 2020.

He has been appointed by the Govt. of India as a Non-Official Director on the Board of BVFCL on 02.11.2021.

कार्यालय महा निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Office of the Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

गोपनीय

रिपोर्ट/2-66/डी.जी.ए./(ए.एफ.&डब्ल्यू.आर)/Company/A/cs/BVFCL/2020-21/

दिनांक :- /11/2021

सेवा में,

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
नामरूप, पी .ओ.
परबतपुर -786623,
जिला - डिब्रूगढ़ (असम)

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणियाँ ।

महोदया,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणियाँ भेजी जा रही है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें ।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरी

हस्ता/-
(कीर्ति तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एंव जल संसाधन)

आठवाँ व नवाँ तल, सी०ए०जी० संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष/Phone : 011-23239419/20, फैक्स/Fax : 011-23239416
E-mail : pdaafwr@cag.gov.in

रिपोर्ट/2-66/डी.जी.ए./(ए.एफ.&डब्ल्यू.आर)/Company/A/cs/BVFCL/2020-21/ दिनांक: /11/2021

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड को शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र की प्रति के साथ प्रेषित प्रति, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, (RC-स्कंध) नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

(कीर्ति तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एंव जल संसाधन)

रिपोर्ट/2-66/डी.जी.ए./(ए.एफ.&डब्ल्यू.आर)/Company/A/cs/BVFCL/2020-21/ 4857 दिनांक: 1 /11/2021 12

प्रति उप-निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (कृषि, खाद्य एव जल संसाधन), शाखा कार्यालय कोलकाता को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

30/11/21
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रतिवेदन)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2021 की अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया है, जो 27 सितंबर, 2021 की उनकी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए, पूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए, मेरे पास धारा 143(6)(बी) अधिनियम के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रस्ताव या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

ह./
(कीर्ति तिवारी)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

जगहः नई दिल्ली
दिनांकः 30 नवंबर, 2021

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

The preparation of financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31st March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 22nd November, 2021 which supersedes their earlier Audit Report dated 27th September, 2021.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31st March 2021 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revision made in the statutory auditor's report, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

For and behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Keerti Tewari)
Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)

Place: New Delhi
Dated: 30th November, 2021

मैसर्स पारीक एंड कंपनी
गुवाहाटी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर्शीवाद, नामघर पथ, नतून छाछल, सिक्स माईल,
गुवाहाटी–781022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड ,
पंजीकृत कार्यालय : डाकघर पर्बतपुर, नामरूप,
जिला– डिब्रूगढ़, असम

1. राय

हमने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरण वर्ष 31 मार्च 2021 तक की लेखा परीक्षा की है तथा 31 मार्च, 2021 का तुलन–पत्र को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण; तथा वित्तीय विवरण (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित) है।

हमारे विचार में और हमारी उत्कृष्ट सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते है, जिसमें 31 मार्च 2021 को कंपनी के कार्य स्थिति इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह की स्थिति दर्शायी गई है।

2. राय के लिए आधार

हमने अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मानको के अनुसार की है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम स्वतंत्र रूप से भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा

M/S PARIK & CO.
GUWAHATI

CHARTERED ACCOUNTANTS
Aasheerwad, Namghar Path, Natun Chachal, Six Mille,
Guwahati-781022

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members,
Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation limited,
Registered Office: P.O. Parbatpur, Namrup,
Dibrugarh District, Assam

1. Opinion:

We have audited the accompanying financial statements of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, and the Statement of Profit and Loss, and Statement of Cash Flows for the year then ended, and Notes to the Financial Statements (including a summary of significant accounting policies and other explanatory information).

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021, its loss and cash flows for the year ended on that date.

2. Basis for opinion:

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing specified under section 143 (10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company

जारी नैतिक संहिता के अनुसार जो नैतिक आवश्यकताओं के साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके बाद के नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics.

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखा परीक्षा मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

3. सामग्री अनिश्चितता से संबंधित चिंता

कंपनी का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि कंपनी का निवल मूल्य 25128.04 लाख रुपए नकारात्मक है।

कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और इस साल भी कंपनी को 13775.24 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसने अपने शेयर कैपिटल के 36583.24 लाख रुपए के मुकाबले संचित नुकसान को 61711.28 रुपए कर दिया है।

इस प्रकार स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि जब तक कि कंपनी को कुछ बड़े वित्तीय फेरबदल या सरकार से सहायता नहीं मिलेगी कंपनी का अस्तित्व तब तक चिंता व संदेह के दायरे में है।

3. Material Uncertainty Related to Going Concern

The net worth of the Company has been totally eroded, as the net worth of the Company is in negative of Rs. 25128.04 Lakhs.

The company is continuously running in loss and this year also the company has incurred loss of Rs. 13775.24 Lakhs, which has geared up the accumulated loss to Rs. 61711.28 Lakhs against its Share Capital of Rs. 36583.24 Lakhs. .

Thus apparently it seems that the Company existence of Going Concern is under doubt unless and until the company would get some major Financial Reshuffle or Support from Govt.

4. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यवसायी निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों लेखा–जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, जो हमारी राय का आधार बना तथा हमारे द्वारा इन मामलों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं कि जा सकती है ।

एक असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग इस कंपनी पर लागू नहीं होती है।

4. Key audit matters:

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of Key Audit Matters as per SA 701, are not applicable to this Company, as it is an unlisted company.

हालाँकि, हम उल्लेखित प्रमुख मामलों के तहत दिए गए विवरण को महत्वता से पढ़ने पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

4.1 मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के दौरान 13775.24 लाख रुपए का नुकसान पूर्व अवधि की शुद्ध आय 358.41 लाख रुपए के लेखांकन के बाद हुआ है। इस प्रकार पूर्व अवधि की आय पर विचार किए बिना कंपनी का वास्तविक चालू वर्ष का घाटा 14133.65 लाख रुपए है।

4.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2020–21 के लिए लगभग 666.92 लाख रुपए की नवीकरणीय खरीद के दायित्व का भुगतान नहीं किया है (यह गणना असम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी, आरईसी प्रमाणपत्रों की अंतिम व्यापार दर के अनुसार गणना की गई थी, जिसे भारतीय ऊर्जा विनिमय वेबसाइट के अनुसार जून–2020 को अपडेट किया गया था।)

4.3 एफआईसीसी विनियमन के अनुसार, कंपनी अंतिम बिंदु पर बिक्री से स्टॉक क्लीयरेंस के बाद अर्थात् कृषि उपभोक्ताओं को अंतिम रूप से बेचना ही सब्सिडी का दावा करने का हकदार है, लेकिन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में सब्सिडी आय का हिसाब रखा है, जो कि अंतिम बिंदु से स्टॉक की निकासी के बिना 1276. 28 लाख रुपए है (यानी 31.03.021 तक पीओएस स्टॉक 20176.121 मीट्रिक टन सामग्री थोक विक्रेता और रिटेलर्स के साथ).

बीवीएफसीएल प्रबंधन ने बताया है कि कंपनी ने पूर्ववर्ती मिसाल के अनुसार, पीओएस स्टॉक पर 1276.28 लाख रुपए की सब्सिडी आय का हिसाब लगाया है और बीवीएफसीएल प्रबंधन थोक विक्रेताओं से खुदरा विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए बीवीएफसीएल नीम लेपित यूरिया स्टॉक को अलग करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।

4.4 वर्ष के दौरान कुल 1,37,569.455 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री के मुकाबले 20176.121 मीट्रिक टन का पीओएस स्टॉक बताया गया है। इस प्रकार यूरिया की बहुत अधिक मांग और यूरिया की आपूर्ति की कमी के

However, we draw attention to read this Audited Statements with due emphasis on under mentioned Key Matters:

4.1 The current reporting period loss of Rs. 13775.24 Lakhs is after accounting of prior period net income of Rs. 358.41 Lakhs. Thus without considering Prior Period income the Company real current year loss is of Rs. 14133.65 Lakhs.

4.2 The Company has not paid or provided for liability of Renewal Purchase Obligation for the Financial Year 2014-15 to 2020-21 Rs. approx 666.92 Lakhs (calculated as per last traded rate of REC certificates was updated on June – 2020 as per Indian Energy Exchange Website).

4.3 As per FICC Regulation, the Company is entitled to claim the subsidy only after clearance of stock from ultimate Point of Sale, i.e ultimate sell to the agricultural consumers. But the Company has accounted Subsidy Income in the Financial Year 2020-21 amounting to Rs.1276.28 Lakhs without clearance of Stock from ultimate Point of Sale (i.e. on the POS stock 20176.121 MT lying with whole sellers and retailers as on 31.03.2021).

The BVFCL management has explained that the company has accounted subsidy income of Rs. 1276.28 lakhs on the POS stock, as per past precedence and the BVFCL managements are putting their best efforts to liquidate the BVFCL neem coated urea stock from whole sellers to retailers and from retailers to end users.

4.4 There is reported POS Stock of 20176.121 MT against the total Sale of 1,37,569.455 MT of Urea during the year. Thus around two months of the urea sales is reported to lying as POS Stock, inspite

बावजूद, यूरिया की बिक्री के लगभग 2 महीने पीओएस स्टॉक के रूप में पड़े रहने की सूचना है। आंतरिक लेखा परीक्षक ने दिनांक 11.02.2020 को तिनसुकिया में 4 सत्यापित डीलरों में से दो डीलरों के गोदाम स्टॉक के सत्यापन के मामलों में यूरिया के भौतिक स्टॉक की पर्याप्त कमी की सूचना दी है। इस प्रकार नामित थोक विक्रेताओं द्वारा काला बाजार में यूरिया के स्टॉक के दुरूपयोग/विपथन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह बीवीएफसीएल प्रबंधन द्वारा डीलर्स स्टॉक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पूर्ण कमी को दर्शाता है।

4.5 प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने यूरिया के 1,44,490.345 मीट्रिक टन स्टॉक के कुल प्रारंभिक और उत्पादन स्टॉक में से केवल 20.865 मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक की कमी पाई है। इस प्रकार भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 0.01% के यूरिया स्टॉक की नाममात्र की कमी है। 28 अगस्त 2021 की अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने बीवीएफसीएल के दो विपणन अधिकारियों को 29/08/2021 को तिनसुकिया रेलवे यार्ड में पाए गए यूरिया स्टॉक की कथित अतिरिक्त बैग उतारने पर गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त बोरी के प्रेषण में कथित संलिप्तता पर दो विपणन अधिकारियों की गिरफ्तारी की घटना से ही उत्पादन विभाग से विपणन विभाग और विपणन विभाग से रेलवे लदान यार्ड/ट्रक खेपों को यूरिया स्टॉक भेजने पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी का पता चलता है। भौतिक सत्यापन पर यूरिया स्टॉक की बहुत सामान्य कमी लेकिन यूरिया स्टॉक के बेहिसाब प्रेषण की घटना को देखते हुए यह मुद्दा यूरिया स्टॉक के उत्पादन के उचित लेखांकन पर भी संदेह पैदा करता है।

4.6 कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक 131 निजी डीलरों (सभी गैर–सरकारी और/या गैर पीएसयू डीलरों) को उनके सुरक्षा जमा के 346.48 लाख रुपए की राशि के खिलाफ 1056.29 लाख रुपए की क्रेडिट बिक्री की अनुमति दी है, इस प्रकार प्राइवेट व्यापारियों को 709.81 लाख रुपए के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सीमा मंजूर की गई है।

of very high demand of urea and scarcity of supply of Urea. Internal Auditor has reported substantial shortage of Physical Stock of Urea in cases of verification of godown stock of two dealers out of 4 verified dealers on 11.02.2020 at Tinsukia. Thus the chances of misappropriation / diversion of urea stock in black market can not denied by the designated wholesalers. This shows complete lacking of Internal Control System of Dealers Stock by the BVFCL Management.

4.5 As per physical verification report produced by the management, the Company has found shortage of Finished Goods of only 20.865 MT of Urea Stock out of total Opening & Production stock of 1,44,490.345 MT Stock of Urea. Thus as per physical verification report there is only nominal shortage of Urea Stock of around 0.01%. As per newspapers report dated 28th August 2021 the local police has arrested two marketing officials of BVFCL on 29/08/2021 on the alleged excess bag unloading of Urea Stock found at Tinsukia Railway Yard. The incident of arrest of two marketing officers on alleged involvement in dispatch of excess bag itself reveals the lacking of internal control system on dispatch of Urea Stock from Production Department to Marketing Department and also from Marketing Department to Railway Loading Yard / Truck Consignments. This issue also raises suspicion on proper accounting of production of Urea Stock, in view of very normal shortage of Urea Stock on physical verification but the incident of unaccounted dispatch of Urea Stock.

4.6 The Company has allowed credit sales of Rs. 1056.29 Lakhs as at 31st March 2021 to 131 Dealers (all Non Govt. and/ or Non PSU dealers) against their Security Deposits amounting to Rs. 346.48 Lakhs, thus there is excess credit limit allowed to the Pvt. Dealers amounting to Rs.709.81 Lakhs

बीवीएफसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा कवर के क्रेडिट बिक्री केवल व्यापारिक वस्तुओं के लिए ही है पर स्वयं निर्मित यूरिया और बायो फर्टिलाइजर पर नहीं। लेकिन हम प्रबंधन के इस विवाद को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि कंपनी स्वयं निर्मित माल की बिक्री के लिए और व्यापारिक सामानों की बिक्री के लिए डीलरों के अलग–अलग खाता नहीं बनाते है, लेखापरीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27 नवंबर, 2020 के विशिष्ट निर्देश के बावजूद ''कंपनी के खातों की पुस्तकों में यूरिया और व्यापार व्यवसाय के समेकित लेखांकन की मौजूदा प्रथा उचित नहीं है और यह वांछित है कि इसे तत्काल प्रभाव से अलग लेखा शीर्षों के तहत रखा जाना चाहिए''।

4.7 व्यापार प्राप्य 852.42 लाख रुपए (नोट्स 2.12) में वसूली योग्य दावा मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी के लिए 2.25 लाख रुपए (वर्ष 2010 के) का दावा शामिल है जो कि वसूली योग्य नहीं लगती है।

बीवीएफसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कंपनी अभी भी 2.25 लाख रुपए के मंत्रालय से सब्सिडी प्राप्तियों को वापस पाने की उम्मीद है।

4.8 अल्पाविधि ऋण और अग्रिम 3538.12 लाख रुपए (नोट 2.14) में जीएसटी के खाते में 3033.33 लाख रुपए का इनपुट क्रेडिट शामिल है, जबकि जीएसटी पोर्टल के अनुसार 31 मार्च 2021 को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस 3223.63 लाख रुपए है।

4.9 लघु ऋण और अग्रिम के 3538.12 लाख रुपए (नोट 2.14) में वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान विभिन्न ट्रांसपोर्टरों को संबंधित वित्तीय वर्षों में उनके उत्पादित बिल के मुकाबले 70.39 लाख रुपए का पूर्वदात खर्च शामिल है। लेकिन कंपनी ने वर्ष के दौरान सेवाओं का लाभ उठाने के इस पूर्वदात खर्च के खिलाफ संबंधित व्यय को बुक नहीं किया है।

प्रबंधन ने समझाया है कि कंपनी 70.39 लाख रुपए के इन सभी भुगतानों को संबंधित पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं

The BVFCL management has explained that credit sale without adequate security cover were allowed on trading goods only and not on the own manufactured products of Urea & Bio Fertilizer. But we were not in a position to verify this contention of the management, as the Company do not maintain separate account ledgers of the dealers for sale of own Manufactured Goods and Sale of Trading Goods, in spite of specific direction of Audit Committee Meeting dated 27th November 2020 that " existing practice of consolidated accounting of Urea & Trading business in the books of accounts of the company is not proper and desired that it should be kept under separate accounting heads with immediate effects.

4.7 Trade Receivables of Rs. 852.42 Lakhs (Notes 2.12) includes claim for subsidy receivables from Ministry Rs. 2.25 Lakhs (of the Year 2010) which seem to be not realizable..

The BVFCL Management has explained that the company is still hopeful to get back the subsidy receivable from Ministry of Rs. 2.25 lakhs.

4.8 Short Term Loans and Advances Rs. 3538.12 Lakhs (Note 2.14) includes Input Credit on account of GST Rs. 3033.33 lakhs, whereas as per GST portal electronic credit ledger balance as on 31st March 2021 is Rs. 3223.63 lakhs.

4.9 Short Term Loans and Advances Rs. 3538.12 Lakhs (Note 2.14) includes prepaid expenses of Rs. 70.39 Lakhs paid to the various Transporters during the Financial Year 2016-17 to 2020-21 against their produced bill in respective Financial Years. But the Company has not booked the corresponding expenditure against this prepaid expenses in the year of availing the services.

The management has explained that the company shall reconcile all these payments of Rs. 70.39

के साथ समेट लेगी और यदि आवश्यक हो तो वित्त वर्ष 2021–22 में देय समायोजन प्रविष्टियों को पारित करेगा।

4.10 अन्य चालू संपत्ति 268.06 लाख रुपए की (नोट 2.15) में 216.31 लाख रुपए की विविध देनदार संपत्ति (413. 88 लाख रुपए की मूल बकाया राशि, संदिग्ध ऋणों के लिए 197.57 लाख रुपए कम प्रावधान) शामिल हैं, जबकि एक साल की आय 243.55 लाख रुपए (नोट 2.17) है। इस प्रकार लगभग 10 महीने की लेखा आय अभी भी किरायेदार से बकाया प्राप्तियों के रूप में अवरुद्ध है। बीवीएफसीएल ने कर्मचारी (कर्मचारियों) की गारंटी पर दूसरों को किरायेदारी का अधिकार दिया है, हालांकि बीवीएफसीएल ने अपने कर्मचारी की ऐसी गारंटी को रद्द करने के लिए कभी भी प्रयोग नहीं किया है ताकि बकाया किरायेदारों से बकाया वसूल किया जा सके। इसके अतिरिक्त कुल 2726 क्वार्टरों में से 124 क्वार्टर खाली बताए गए हैं, 2 क्वार्टर अनाधिकृत व्यवसाय के तहत और 209 क्वार्टर अयोग्य घोषित किए गए हैं, लेकिन इन 335 क्वार्टरों की सटीक स्थिति रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी, यहां तक कि आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई मांगों पर भी नहीं।

4.11 बीवीएफसीएल में वित्तीय समयावधि प्रणाली की निगरानी और मार्गदर्शन वर्तमान में बीवीएफसीएल के तत्कालीन सीएमडी को तत्कालीन उप वित्त प्रबंधक द्वारा दिनांक 12/12/2015 को प्रेषित किए गए तीन पृष्ठों वाले आंतरिक कार्यालय ज्ञापन(आईओएम) द्वारा किया गया जहां व्यय की मात्रा के आधार पर बीवीएफसीएल के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों का वित्तीय सहमति क्षमता का प्रस्ताव था। तत्कालीन सीएमडी ने अपने नोट 12/12/2015 के अनुसार मौजूदा शक्तियों का प्रत्यायोजन को फिर से रूपांकन करने के लिए एक समिति बनाने के लिए उक्त अंतर कार्यालय ज्ञापन (आईओएम) पर सिफारिश की थी। लेकिन कंपनी ने आज तक ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया और इस तरह कंपनी लगातार वित्तीय प्रतिनिधि शक्ति और संशोधन नियमन के लिए 12.12.

lakhs with the respective party ledgers and if require shall pass the due adjustment entries in FY 2021 – 22.

4.10 Other Current Assets Rs. 268.06 Lakhs (Note 2.15) includes Sundry Debtors Estate of Rs. 216.31 Lakhs (Original dues of Rs. 413.88 lakhs Less Provisions for Doubtful Debts Rs. 197.57 Lakhs), against one year accounted income of Rs. 243.55 Lakhs (Note 2.17). Thus almost 10 months accounted income is still blocked as arrear receivables from Tenant. BVFCL has granted tenancy right to others on the guarantee of BVFCL Employee(s), however BVFCL has never exercised to revoke such guarantee of its employee to recover the dues from defaulting tenants. Further out of total 2726 Quarters 124 Quarters are reported to be vacant, 2 Quaters under unauthorised Occupation and 209 Quarters declared as unfit, but the exact status report of the these 335 Quarters could not be furnished by the management , even on the requisitions made by the Internal Auditors.

4.11 Financial Concurrence System in BVFCL is currently monitored and guided by a three pages Inter Office Memorandum dated 12/12/2015 by the then Deputy Finance Manager to the then CMD of BVFCL, proposing to exercise the Financial Concurrence Right by the different ranks of BVFCL officials based on volume of expenditures. The then CMD by his note dated 12/12/2015 has recommended on the said IOM to form a committee to re- design the existing DP. But the Company has not formed any such committee till date and thereby the company is continuously adopting the said IOM dated 12/12/2015 for exercising of Financial Delegation and Concurrence. The Financial delegation power

2015 को जारी उक्त आईओएम को ही अपना रही है। आईओएम दिनांक 12.12.2015 में प्रस्तावित वित्तीय प्रत्यायोजन शक्ति पीएसयू पर लागू सामान्य वित्तीय नियम के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना और कंपनी के बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा के कार्यवृत्त दिनांक 24 दिसंबर 2020 के अनुसार, लेखा परीक्षा को सूचित किया गया था कि एनएफएल, आरसीएफ और बीसीपीएल के प्रत्यायोजन शक्ति (डीओपी) के आलोक में गठित समिति द्वारा प्रत्येक बिंदु की पूरी जांच के बाद सीएमडी, बीवीएफसीएल के डीओपी का मसौदा तैयार किया गया था। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, लेखा परीक्षा समिति ने सीएमडी, बीवीएफसीएल के प्रस्तावित डीओपी की सिफारिश की और यथाशीघ्र शक्तियों को कंपनी के कार्यात्मक निदेशक को उप–प्रत्यायोजित करने की आवश्यकता हेतु बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया है। जबकि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा उप प्रत्यायोजित शक्तियां, पूरे संगठन में अपनाने और पालन की जाने वाली हमेशा तीन स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। आगे लेखापरीक्षा समिति ने जोर दिया कि शक्तियों के प्रत्यायोजन को अंतिम रूप देते समय, जीएफआर में निहित प्रावधान और सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों और गैर आधिकारिक निदेशक द्वारा सुझाई गई तीन स्तरीय प्रणाली का सभी चरणों में पालन किया जाना चाहिए, ताकि निर्णय लेने में मूल्यवर्धन हो और साथ ही आंतरिक जांच और संतुलन सुनिश्चित की जा सके। उसी दिन निदेशक मंडल ने लेखा समिति की अनुशंसा को भी मंजूरी दे दी गई।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक डीओपी को अंतिम रूप नहीं दिया है, जैसा कि लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा सुझाया गया था।

कंपनी ने निर्धारित आंतरिक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12.12.2015 में प्रस्तावित निर्धारित वित्तीय प्रतिनिधि शक्ति का भी उल्लघन किया है, क्योंकि पचास लाख रुपए से अधिक खर्च के लिए वित्तीय सहमति दो स्तरीय प्रतिनिधि प्रणाली से संस्तुत की जाने चाहिए। ऐसे मामलों के कुछ उदाहरण हैं:

proposed in the IOM dated 12/12/2015 is only a half hearted draft without complying the guideline of General Financial Rule applicable on PSU and also not vetted by the Board of the Company.

As per Audit Committee minutes dated 24th December 2020, the Audit Committee was informed that the draft delegation of power (DOP) of CMD, BVFCL, has been prepared after throughly examining each points by the constituted Committee in the light of DOP of NFL, RCF & BCPL. After detailed deliberation, Audit Committee recommends the proposed DOP of CMD, BVFCL and powers are required to be sub - delegated by CMD to the Functional Director of the Company in apporiate manner, as early as possible for approval of the Board. While Sub Delegating powers by CMD, there must be a three tiers system adopted and followed in the entire organization always. Further Audit Committee stressed that , while finalisation of delegation of powers, the provision contained in GFR and observations of Statutory Auditors and the three system suggested by the NOD to be followed at all stages, so that there will be value addition in decision making and also to ensure internal check and Balance. The Board of Directors on the same day also approved the recommendation of Audit Committee.

However, the Company has not yet finalised the DOP, as suggested by the Audit Committee & Board of Director.

The Company has even seen to superseded the prescribed financial delegation power proposed in the stated IOM dated 12/12/2015, as the financial concurrence for expenditure beyond of Rs. Fifty Lakhs were seen to be granted merely on the recommendation of Two Tier Delegation System.

कार्य का नाम	ठेकेदारों का नाम	वित्तीय सहमति देने और सिफारिश करने में शामिल अधिकारियों का पदनाम	अनुबंध के अधिनिर्णय की तारीख	कुल कार्य मूल्य (रु लाख में)
एकल पार्टी के नामांकन पर यूरिया–III संयंत्र का यूरिया रिएक्टर बॉटम गोलार्ध लाइनर पंखुड़ी प्रतिस्थापन कार्य	मेसर्स एसोसिएटेड वर्क्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	उप महा प्रबन्धक (वित्त) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	05.10.2020	94.28
बीवीएफसीएल संयंत्रों से प्रेषण के लिए यूरिया की हैंडलिंग	मेसर्स चेतिया इंफ्राकॉम	उप वित्त प्रबन्धक (प्रभारी) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.09.2020	81.24
बीवीएफसीएल संयंत्रों से प्रेषण के लिए यूरिया की हैंडलिंग	मेसर्स चेतिया इंफ्राकॉम	उप वित्त प्रबन्धक (प्रभारी) निदेशक (वित्त)	31.07.2020	670.11

बोर्ड संकल्प दिनांक 30 जून 2020 के अनुसार, कंपनी प्रबंधन को सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक तिमाही में बोर्ड के समक्ष नामांकन/एकल निविदा आधार पर दिए गए अनुबंधों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कंपनी प्रबंधन बोर्ड के इस निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहा है।

बीवीएफसीएल एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसलिए यह अपने सभी वित्तीय लेनदेन पर उचित आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच तंत्र का पालन करने के लिए बाध्य है और विशेष रूप से वित्तीय लेनदेन की उच्च मात्रा के लिए सहमति देने पर अधिक सतर्कता जांच और नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए। लेकिन एक मध्य अधिकारी के हाथ से आंतरिक नियंत्रण तंत्र (यहां तक कि वित्तीय लेन–देन के उच्चतम स्लैब) को बायपास करने की अनुमति के उदाहरणों को वित्तीय लेनदेन के सतर्क जांच और नियंत्रण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा कंपनी तकनीकी सलाहकार, आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति जैसे विशेषज्ञ सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए भी वित्तीय सहमति देने के लिए 'बोली लगाने वालों की भारित औसत विधि और बोली लगाने वालों के तकनीकी अनुभव का औसत तरीका' अपनाने के बजाय एल 1 मूल्य मानदंड के बहुत पुराने पैटर्न को अपना रही है,

Name of Work	Name of Contractors	Designation of Officers involved in granting and recommending Financial Concurrence.	Date of award of Contract	Total work Value (Rs. in Lakhs)
Urea Reactor bottom hemisphere liner petals replacement job of Urea- III Plant on nomination to single party.	M/s. Associated works Infra Pvt. Ltd.	DGM (F) & CMD	05.10.2020	94.28
Handling of Urea for dispatch from BVFCL Plants	M/s. Chetia Infracom	DFM (I/C) & CMD	30.09.2020	81.24
Handling of Urea for dispatch from BVFCL Plants	M/s. Chetia Infracom	DFM (I/C) & Director Finance	31.07.2020	670.11

As per Board Resolution dated 30th June 2020, the Company Management was directed to place the details of contracts awarded on nomination/ single tender basis before the Board every quarter in compliance of CVC guidelines. However the Company Management seems to be totally non compliant on this direction of Board.

The BVFCL is a PSU and hence it is bound to follow the proper internal control and internal checks mechanism on all of its Financial Transactions and must exercise more vigil checks and controls particularly on granting the concurrence for high volume of Financial Transactions. But the instances of allowing to bypass the internal control mechanism (even of highest slab of Financial Transactions) from the hand of a sitting middle officer can not be treated as vigil checks and controls of Financial Transactions.

Further the Company is adopting the very old pattern of L1 Price Criteria instead of adopting to 'Weighted average method of Quoted Price & Technical Experience of bidders' for granting Financial Concurrence even for the appointment of specialize services providers like appointment of

और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से अधिक योग्य और विशिष्ट पेशेवरों/तकनीकी विशेषज्ञों के लिए प्रवेश रुक जाता है और अंत में कंपनी को स्वीकार किए गए असाइनमेंट सफल करने में विक्रेताओं की विफलता के कारण बाध्य समय के भीतर सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट सेवाएं प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है (जैसे नियुक्त सलाहकार मेसर्स एल्फा लिंक्स टेकनालजिस, बैगलोर ईआरपी सिस्टम का गैर कार्यान्वयन जहां बीवीएफसीएल अधिकारियों का समय बर्बाद हुआ)।

वित्त विभाग विभिन्न तरीकों से निष्पादन विभाग के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करता है जैसे कि आवश्यक सुधारों के लिए कमियों को इंगित करना, दोषपूर्ण प्रक्रियाओं के पालन के लिए उचित सुझाव देना, वाणिज्यिक डेटा प्रदान करके बातचीत टीम की मदद करना, आदि। कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए नवीनतम बदलाव, वैधानिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को बढ़ाते हुए और अत्यधिक भ्रष्टाचारों पर सीएजी की रिपोर्टों को देखते हुए, विशेष रूप से 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और अन्य घोटालों में, एक स्वतंत्र वित्त सहमति विभाग के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करना सभी सार्वजनिक उपक्रमों में उचित आंतरिक नियंत्रण का दायरा जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन द्वारा निर्धारित शक्तियों की नीतियों और प्रणालियों, प्रक्रियाओं का सभी प्रकार से अनुपालन किया जाता है।

व्यय विभाग (भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन) ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 निर्धारित किए हैं। सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआरएस) भारत सरकार के नियमों और आदेशों का एक संकलन है, जिसमें सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है। इन नियमों और आदेशों को सरकार और निर्दिष्ट निकायों के तहत सभी विभागों और संगठनों द्वारा देखे जाने वाले कार्यकारी निर्देशों के रूप में माना जाता है। बीवीएफसीएल केंद्रीय सरकार का एक उपक्रम है और इसलिए इसके वित्तीय प्रतिनिधि शाक्तियों और सहमति सामान्य वित्तीय नियमों 2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उक्त वित्तीय प्रतिनिधि शाक्तियों और सहमति शक्ति को भी विधिवत रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

Technical Consultants, Internal Auditors etc. and thereby indirectly debarring entry to the more deserving and specialized professionals/ technical experts and ultimately the company is being deprived of from getting best specialize services within time bound due to failure vendors in delivering the accepted assignments (like non implementation of ERP System by the appointed consultants M/s Alfa Links Technologies, Banglore even after wasting of most of time and energy of the BVFCL Officials.

Finance Department acts as a facilitator to the executing department in various ways such as pointing out deficiencies for necessary corrections, giving the appropriate suggestions in case of faulty procedures being followed, helping the negotiation team by providing commercial data, etc. In view if the latest changes made in the Companies Act 2013, enhancing the role of statutory auditors and in view of CSG's reports on mega corruptions, particularly in 2G spectrum scam, commonwealth games scam and other scams, it would be prudent to have and independent finance concurrence department with due scope of proper internal control in all PSUs who ensures that the policies, systems, procedures and delegation of powers laid-down by the management are compiled in all respects.

Department of Expenditure (under Ministry of Finance, Govt. of India has prescribed General Financial Rules 2017. General Financial Rules (GFRs) are a compilation of rules and orders of Government of India to be followed by all while dealing with matters involving public finances. These rules and orders are treated as executive instructions to be observed by all Departments and Organizations under the Government and specified Bodies. The BVFCL is a Central Govt. Undertaking and hence its Financial Delegation and Concurrence must be in accordance with the Guidelines of General Financial Rules 2017 and the said Financial Delegation and Concurrence Power must also be duly vetted by the Board of Directors of the Company.

4.12 एमएसएमई अधिनियम, 2006 एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए किसी भी सामान या सेवाओं के प्राप्तकर्ता के लिए 45 दिन की क्रेडिट अवधि को निर्दिष्ट करता है। यदि खरीदार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 15 के तहत आवश्यक भुगतान करने में विफल रहता है, तो खरीदार 45 दिनों से अधिक की देरी के लिए आपूर्तिकर्ता को मासिक ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, राशि पर देय एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना। लेकिन कंपनी ने 45 दिनों से अधिक के भुगतान में देरी के मामले में खरीदारों को निर्धारित चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान नहीं किया है।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि खरीद आदेश/कार्य आदेश के अनुसार, एमएसएमई को किए गए विलंब भुगतान पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यह स्पष्टीकरण एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 का उपयुक्त अनुपालन नहीं है।

4.13 बोर्ड की बैठक दिनांक 30 जून 2020 में निर्दिष्ट कंपनी ने अपने पूर्व कर्मचारी और वर्तमान कर्मचारियों के साथ अनुभव प्रमाण पत्र/झूठी घोषणा आदि से संबंधित कानूनी विवादों का सामना करने के बावजूद निकट भविष्य में कोई मानव संसाधन लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की है। मानव संसाधन ऑडिट के अभाव में, हम कर्मचारी के साथ कुछ और कानूनी विवादों के क्रिस्टलीकरण की संभावनाओं पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4.14 समय की कमी और स्वयं को गहन जांच लेखापरीक्षा में शामिल करने के लिए वैधानिक बाधाओं के कारण, हम श्री संजय माहेश्वरी {पूर्व निदेशक वित्त सह सीएमडी (अतिरिक्त निदेशक भार)} से प्राप्त मेल दिनांक 12 अगस्त 2021 (सीएजी को भी संबोधित) में लगाए गए शिकायतों की जांच नहीं कर सके। हालांकि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के मामलों में भ्रष्टाचार, कदाचार और गैर–पेशेवर व्यावसायिक

4.12 The MSMED Act, 2006 specifies 45 day credit period for the recipient of any goods or services to pay to the MSME supplier. In case the buyer fails to make payment as required under Section 15 of the Micro Small and Medium Enterprises Development Act, the buyer is liable to pay compound interest with monthly rests to the supplier for delayed period beyond 45 days, on the amount, payable at three times the bank rate notified by Reserve Bank of India as provided under Section 16 of the MSMED Act, 2006. But the Company has not paid/ provided for prescribed interest to the buyers in case of delayed payment beyond 45 days.

The Company has explained that as per Purchase Order/ Work Order, there is no provision for interest on delay payment made to MSME. But this explanation is not the suitable compliance of the MSMED Act, 2006.

4.13 The company could not produce for our verification the Independent HR Audit Report, as directed by the Board in its Meeting dated 30th June 2020, inspite of facing some legal disputes with some of its Ex employee and current employees, relating to experience certificate/ false declaration etc. In absence of HR Audit, we are unable to comment on the possibilities of crystalising of some more legal disputes with employee.

4.14 Due to lack of time and Statutory Constraints for involving our self in deep investigation audit, we could not examine the complaints levied in mail dated 12th August 2021 (also addressed to CAG), received from Shri Sanjai Maheswari {Ex Director Finance Cum CMD (Additional Charge)} describing in more than 1000 Pages the details of complaint against Corruption, Malpractices & Unprofessional

गतिविधियों के खिलाफ सीवीओ, बीवीएफसीएल (श्री प्रभास कुमार) के साथ बीवीएफसीएल और उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बीवीएफसीएल के पूर्व और वर्तमान सीएमडी, बीवीएफसीएल द्वारा की गई गहरी मिलीभगत का 1000 से अधिक पृष्ठों में शिकायत का विवरण वर्णित है। इसलिए हम वित्तीय निहितार्थ और आंतरिक नियंत्रण उपायों की कमी पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, जैसा कि उक्त पत्र में आरोप लगाया गया है। माननीय सीएजी अपने विवेक के अनुसार आरोपों की जांच कर सकते हैं।

हालांकि, प्रथम दृष्टया, यह देखा गया कि बीवीएफसीएल प्रबंधन ने श्री संजय माहेश्वरी के वास्तविक ईपीएफ दावे को अवैध रूप से रोककर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 10 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

4.15 कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी) के माध्यम से लेखांकन लेनदेन के केवल कुछ हिस्से को संसाधित करने की जगह है और मौजूद आईटी प्रणाली पुरानी है और पूर्णतः प्रमाणित नहीं है।

यूनिक्स ऑपरेटिंग पर कोबोल 85 लेखांकन की प्रणाली बहुत पुरानी है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है। फैक्ट्री परिसर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्तमान में स्थापित प्रचालन सिस्टम कोबोल 85 केवल सामग्री प्रबंधन विभाग, भंडार लेखा विभाग और केंद्रीय खाता विभाग के लिए एकीकृत है। बिक्री विभाग, मानव संसाधन विभाग और दूरदराज के स्थित केंद्रों (नोएडा और गुवाहाटी) के त्रैमासिक सारांशित शेष राशि को प्रत्येक केंद्रों के लिए समेकित मैनुअल जर्नल वाउचर पास करके केंद्रीय खातों से व्यक्तिगत रूप से एकत्रिक किया जा रहा है। यह सेंट्रल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अद्यतनीकरण में देरी का मुख्य कारण है। इसके अलावा बीवीएफसीएल के केंद्रीय खाते दूरस्थ केंद्रों के ट्रायल बैलेंस से संबंधित डेटा विवरण तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इस प्रकार लेखांकन सॉफ्टवेयर

Business activities into affairs of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) by past & present CMD, BVFCL in deep collusion with CVO, BVFCL(Mr. Prabhas Kumar) and senior officials of BVFCL & Department of Fertilizers. Hence we are unable to comment the Financial Implication and lacking of Internal Control measures, as alleged in the said letter. The Hon'ble CAG may investigate the allegations, as per their own discretions.

However, prima facie, we have observed that BVFCL Management has violated the provisions of Section 10 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 by way of illegal withholding of genuine EPF Claim of Shri Sanjai Maheswari.

4.15 The Company are processing only some portion of accounting transactions through IT System and that too present established IT system is outdated and is not full proof.

Major Accounting System within BVFCL Factory Premises is being operated through COBOL 85 on UNIX Operating System, however remote located centers at Noida accounting is being done in Tally Accounting System. However, Guwahati is sending manual monthly Trial Balance. COBOL 85 on UNIX Operating is too old system of accounting. This operating system is outdated. The present installed Operating System COBOL 85 on UNIX Operating System at Factory Premises is integrated for MM Department, Store Accounting Department & Central Account Department only. Quarterly summarized Trial Balance of Sales Department, HR Department and remote located centres (NOIDA & Guwahati) are being manually merged into Central Accounts by passing consolidated manual

की वर्तमान स्थापित प्रणाली वास्तविक समय लेखांकन प्रबंधन सूचना प्रणाली उत्पन्न करने में असमर्थ है। वर्तमान प्रचालन प्रणाली बैच प्रोसेसिंग का अनुसरण करता है जो कि वास्तविक समय की प्रौद्योगिकी प्रणाली नहीं है। यह प्रणाली एक कमांड आधारित प्रणाली है और रिपोर्ट एमएस–एक्सेल या एमएस–वर्ड में उत्पन्न नहीं होती हैं, जिससे उत्पन्न रिपोर्ट के केवल व्यक्तिगत विश्लेषण की संभावना होती है। यह रिपोर्ट के विश्लेषण में कर्मचारी और लेखा परीक्षकों सहित सभी संबंधितों का बहुत समय और ऊर्जा की खपत करता है।

चूंकि सभी वित्तीय डेटा कोबोल 85 यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल नहीं हैं, इसलिए, एकल लीडर्स के यथार्थवादी वित्तीय रिकॉर्ड को निकालने के लिए सब्सिडियरी लजेर्स पर निर्भरता होती है। कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक ने कुछ उदाहरणों में मुख्य खातों बही और सहायक कंपनियों के बीच मतभेदों को इंगित किया है, जिससे सटीकता और प्रणाली की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है। एक्सेल आधारित शीट्स में कंपनी के और भी कई सब्सिडियरी खाता का रखरखाव किया जा रहा है, जो कि सम्पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इस तरह के डेटा के अनधिकृत विचलन की संभावना है और किसी भी समय किसी विशेष खातों के शेष में परिवर्तन की संभावना हो सकती है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए, आईटी लेखांकन की एक नई प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है, ताकि बीवीएफसीएल के पूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड को पूर्ण प्रमाण रिकॉर्डिंग और सुरक्षा के साथ रिकॉर्ड किए गए वित्तीय लेनदेन में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं के साथ सभी रिकॉर्ड किए गए वित्तीय लेनदेन एकल आईटी प्रणाली में शामिल किया जा सके।

Journal vouchers for each centers. This is the main reason of delay in updation of Central Account Trial Balance. Further BVFCL Central Accounts is unable to access data details related to Trial Balance of remote centers. Thus the present installed system of Accounting software is unable to generate real time accounting MIS. The present operating system follows batch processing which is not a real time processing system. This system is a command based system and the reports are not generated in MS-Excel or MS-Word, thereby rendering possibility of only manual analysis of the reports generated. This consumes a lot of time and energy of all concerned, including the employee and the auditors, in analysis of the reports.

Since all of the financial data are not incorporated in the COBOL 85 UNIX Operating System. Therefore, there is compelled dependency on Subsidiary Ledges to get extracted the realistic financial records of a single ledgers. Internal Auditor of the company has pointed out differences between main ledger and subsidiary ledgers in a few instances thereby raising a doubt on the accuracy and the reliability of the system. Further many subsidiary ledgers of the Company is being maintained in Excel Based Sheets, which is not at all full proof, as the possibility of un authorised tempering of such data and possibility of getting alteration of balances of any particular individual ledgers at any time can not be denied.

In order to overcome the shortcomings of the present system, a new system of IT Accounting needs to be put in place at the earliest, so that the complete financial records of BVFCL can be incorporated in a single IT System with full proof recording and safety of all recorded financial transactions with no chances of tampering of the recorded Financial Transactions.

5. वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी भी शामिल है जिसमें अनुलग्नक से लेकर बोर्ड की रिपोर्ट और व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को व्याक्त नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है, और यह भी विचार करें कि क्या अन्य जानकारी भौतिक रूप से खुद को साबित करने के लिए वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है अथवा हमारे लेखा परीक्षण के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का कोई गलत अर्थ तो भी हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

6. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में मामलों के लिए जिम्मेदार होता है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक भी शामिल हैं, की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और

5. Information other than the financial statements and auditors' report thereon:

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report & Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially mis-stated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material mis-statement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

6. Management's responsibility for the Financial Statements:

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting

धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखने व ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना, जो उचित और विवेकपूर्ण हों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करता हो, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू हो तथा सही और उचित दृष्टिकोण उपलब्ध कराता हो तथा इसमें सामग्री का गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी या किसी त्रुटि के कारण हो, शामिल है।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में उसकी क्षमता आंकलन करने के लिए, सुनाम प्रतिष्ठान संबंधी मामलों को यथा संभव प्रकटन के लिए तथा लेखांकन के लिए सुनाम प्रतिष्ठान आधार पर मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि अन्यथा प्रबंधन कंपनी को बंद करने का या प्रचालन छोड़ देने का इरादा न रखे तो अथवा इसके विपरीत कोई वास्तविक विकल्प न हो तो।

7. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य है एक उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण सामग्रिक रूप से किसी सामग्री मिथ्या विवरण से, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से, सम्पूर्ण मुक्त है और हमारे राह सहित एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानको के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और इन्हें वास्तविक माना जाता यदि व्यक्तिगत या समुच्चय में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उनसे यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material mis-statement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The board of directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

7. Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material mis-statement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material mis-statement when it exists. Mis-statements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

लेखा मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हमारी व्याप्ति निम्न उल्लेखित है :

- धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, चाहे वे जोखिमों के लिए उत्तरदायी हों, लेखा परीक्षा प्रक्रिया को चिह्नित और मूल्यांकन करते हैं, डिजाइन और निष्पादित करते है, और साक्ष्यों को प्राप्त करते है जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली सामग्री के नुकसान का पता नहीं लगाना त्रुटि से हुए जोखिम से अधिकतर होता है, चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवर राइड शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करते समय लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।

- लेखा के साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के लेखांकन की सुनाम प्रतिष्ठान आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला जाना, यह देखने के लिए कि क्या कोई सामग्री अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो कंपनी की सुनाम प्रतिष्ठान की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम निष्कर्ष निकालते

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material mis-statement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material mis-statement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material

हैं कि किसी सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के लिए अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना होगा और यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करना होगा, हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं और हमने अपने कंपनी की सुनाम प्रतिष्ठान के अस्तित्व पर अपने संदेश को "सुनाम प्रतिष्ठान संबंधी शीर्ष सामग्री अनिश्चितता रिपोर्टिंग में विधिवत रखा है।

- खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और यह भी देखना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त किया हो।
- हमने अन्य मामलों के बीच अधिशासन से प्रभारित व्यक्तियों के साथ योजनबद्ध विषय क्षेत्र, लेखा परीक्षा समय और आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखा परीक्षा निष्कर्षो के बारे में संपर्क रखा है, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
- हम अधिशासन से जुड़े सभी को आश्वासन प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संचार करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपायों को मान्यता प्रदान करे।
- अधिशासन के साथ जुड़े हुए सभी के साथ संचारित मामलों से हम यह निर्धारित करते हैं कि मौजूदा समय के वित्तीय वक्तव्यों की लेखापरीक्षा में उन मामलों का सबसे अधिक महत्व था और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा

uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report and we have duly placed our doubt on the company existence of going concern under. the reporting Head Material Uncertainty Related to Going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore

मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, अथवा जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों के कारण ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभ को कम करने की अपेक्षा की जाएगी।

8 अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 की अपेक्षानुसार हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर यथा लागू एक विवरण अनुलग्नक ''क'' में दिया है।

8.2 धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं की :

क. हमने समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारे विचार में कंपनी द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बही खाते रखे गए हैं जैसा कि इन बहीखातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

ग. इस रिपोर्ट द्वारा तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण बही खातों के अनुरूप हैं;

घ. हमारे विचार में उपर्युक्त वित्तीय विवरण संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत नियम 7 कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के मानक के अनुरूप हैः

the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

8. Report on other legal and regulatory requirements:

8.1 As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraph 3 and 4 of "the Order", to the extent applicable.

8.2 As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as it appears from our examination of those books;

c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

ङ. कंपनी मामले विभाग द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना सं. जीएसई 829(ई) के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, अनुलग्नक–ख में अलग से जारी किया गया है, और

छ. हमारी राय में और हमारी उत्कृष्ट जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अन्य मामलों को शामिल किया जाना चाहिएः

i. कंपनी ने नोट 2.28 के तहत अपने वित्तीय विवरण पर लंबित मुकदमेबाजी की राशि आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की है, हालांकि कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर अपने लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा नहीं किया है;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदा सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई सामग्री पूर्ववर्ती हानि हुई थी; और

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक धनराशि में कोई विलंब नहीं हुआ है।

8.3 अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रक्रियाओं के अनुसार कंपनी के

e) In pursuance to the notification No GSE 829(E) dated 21.10.2003, issued by the Department of Company Affairs; section 164(2) of the Companies Act,2013 pertaining to disqualification of Directors is not applicable to a Government Company.

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure B". and

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

i. The Company has disclosed the amount of pending litigation on its financial statement under Note 2.28 as contingent liability, however the company has not disclosed the impact of its pending litigation on its financial position.

ii. The Company does not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

8.3 With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in terms of the directions of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(5) of the Act and on the basis of our examination of the books and records

बही खातों और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देशों और उप–निर्देशों में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक 'ग' में दिया है।

कृते पारिक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 302147 E
सीएंडएजी एमपैनलमेंट नंबरः ER0855

ह./–
भागीदार
सीए बिपिन कुमार
आईसीएआई सदस्यता संख्या 059805
यूडीआईएन : 21059805AAAAFP6605

स्थान : गुवाहाटी
दिनांक : 27.09.2021

of the Company carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India and according to the information and explanations given to us, we give in the "Annexure C" statements on the matters specified in the Directions and Sub-directions of Comptroller & Auditor General of India.

For **PARIK & CO**
Chartered Accountants:
FRN: 302147E
C&AG Empanelment No: ER0855

Sd/-
Partner
CA Bipin Kumar
ICAI Membership No. 059805
UDIN:21059805AAAAFP6605

Place : Guwahati
Date : 27.09.2021

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–क

वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के पैरा 8.1 में संदर्भित।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) क. (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के विवरण और मूल्य दिखाते हुए कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड बनाए रखा है। चूंकि कंपनी की सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एक ही स्थान यानी नामरूप (असम) तक ही सीमित हैं, इसलिए कंपनी ने अपने अचल संपत्ति रजिस्टर में अपनी अचल संपत्तियों की विशिष्ट स्थितियों को बनाए नहीं रखा है।

(ब) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में किसी भी अमूर्त संपत्ति की सूचना नहीं दी है, इसलिए कंपनी पर अमूर्त संपत्ति के रिकॉर्ड का रखरखाव लागू नहीं होता।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित जो इस कंपनी की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक समिति द्वारा किया गया था और उक्त समिति ने प्रमाणित किया है कि कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ नियंत्रण में हैं। संबंधित विभाग और निरीक्षण संयंत्र और मशीनरी काम करने की स्थिति में हैं। हालाँकि, अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की आंतरिक समिति रिपोर्ट अपने स्थायी परिसंपत्तियों रजिस्टर के साथ सत्यापित मात्रात्मक सामंजस्य प्रदान नहीं करती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी की गठित इन हाउस कमेटी ने अपनी भू–संपत्ति एवं भवन के भौतिक सत्यापन की स्थिति का उल्लेख नहीं किया।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेख और हमें

Annexure A to the Independent Auditor's Report for the Financial Year 2020-21

Referred to in paragraph 8.1 of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statements.

We report that:

i) a) (A) The company has maintained computerized records showing particulars and value of Property, Plant & Equipments. Since all of the Property, Plant & Equipments of the company is confined to one place i.e. Namrup (Assam) only therefore the company has not maintained the specific situations of its Fixed Assets in its Fixed Assets Register.

(B) The Company has not reported any intangible assets in its Financial Statement, therefore maintenance of records wrt intangible assets is not applicable on company.

b) As per information and explanations given to us, fixed assets of the company were physically verified by a commitee specially constituted for this purpose and the said committee has certified that all assets of the company are under the control of the respective department and inspected plants and machinery are in working condition. However the in-house committee report of physical verification of fixed assets do not provide quantitative reconciliation of verified Fixed Assets with its Fixed Assets Register. Further the constituted in house committee of the Company did not mentioned about the physical verification position of its landed property and building.

c) According to the information and explanations given to us, the records examined by us and

प्रदान किए गए हस्तांतरित विलेखों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, अधिकार विलेख, जिसमें भूमि और भवनों के सभी अचल गुण शामिल हैं, जो फ्री होल्ड हैं, कंपनी के नाम पर तुलना पत्रों दिनांक के अनुसार आयोजित किया गया। भूमि और भवन की अचल संपत्तियों के संबंध में, जिन्हें पट्टे पर लिया गया है और वित्तीय विवरणों में अचल संपत्तियों के रूप में खुलासा किया गया है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के नाम पर (एक कंपनी जिससे बीवीएफसीएल का विलय हुआ है) तुलना पत्रों की तिथि के अनुसार किया गया है, जोकि पट्टा समझौते कंपनी के नाम पर हैं।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ''बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii) क. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है और इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन में देखी गई विसंगतियां सामान्य और मानदंडों के भीतर थीं जो 10% से बहुत कम थीं, और कथित सामान्य नुकसान खातों की किताबों में सूची को ठीक से निपटान गया है।

ख. कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ नहीं उठा रही है और इसलिए (ii) (बी) CARO 2020, कंपनी पर लागू नहीं है।

based on the examination of the conveyance deeds provided to us, we report that, the title deeds, comprising all the immovable properties of land and buildings which are freehold, are held in the name of the Hindustan Fertlizer Corporation Limited (a Company from which the BVFCL demerged) as at the balance sheet date. In respect of immovable properties of land and building that have been taken on lease and disclosed as fixed assets in the financial statements, the lease agreements are in the name of the Company.

d) According to the information and explanations given to us, the company has not revalued its Property, Plants & Equipments during the reporting Financial Year.

e) According to the information and explanations given to us, no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any Benami property under the "Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 and Rules made thereunder.

ii) a) As per informations and explanations given to us, the inventories has been physically verified by the management at reasonable intervals and the discrepancies noticed in physical verification of inventory was normal and within the norms and was much lesser than 10%, and the said normal loss of inventory has been properly dealt with in the books of accounts.

b) The Company is not availing any working capital limits from any banks or financial institution and hence (ii) (b) of CARO 2020, is not applicable on Company.

iii) कंपनी ने कोई गारंटी या सुरक्षा या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी भी अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित और मीन कोई निवेश नहीं किया है और सीएआरओ 2020 का खंड (iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

iv) कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और इसके द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है।

v) कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है और इसलिए जनता से स्वीकार की गई जमा राशि के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और कंपनी (जमा राशि स्वीकार्यता) नियम, 2015 लागू नहीं होते।

vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्डों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मत है की प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और रिकार्ड बनाए और रखे गए हैं।

vii) क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, गैर–विवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में बही खातों में कटौती/अर्जित राशि जिसमें भविष्य निधि, आय–कर, बिक्री–कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर और अन्य किसी भी सांविधिक देयता शामिल है, को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित प्राधिकारियों के साथ जमा किया गया है। प्रबंधन द्वारा उल्लेख की गई सूचना के अनुसार, कंपनी ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक अनुपालन के

iii) The Company has not has made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. and Clause (iii) of the CARO 2020 is not applicable on Company.

iv) The Company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act 2013 in respect of loans, investments, guarantees and security provided by it.

v) The company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and Provisions of Section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regards to deposits accepted from the public are not applicable.

vi) We have broadly reviewed the Cost Records maintained by the Company pursuant to the rules made by the Central Government for maintenance of Cost Records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and we are of the opinion that prima facie the prescribed accounts and records have been made and maintained.

vii) a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted / accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including Provident Fund, Income-tax, GST, Sales-tax, Service-tax, Goods and Service Tax, Duty of Customs, Duty of Central Excise, Value added tax and any other material statutory dues have been regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities. As stated by the management the Company's is not covered under the purview of statutory compliance prescribed under

क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को ऐसी कोई गैर–विवादित सांविधिक देयताओं का बकाया नहीं था जो देय तारीख से छः माह से अधिक अवधि का हो।

ख. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को कंपनी के खिलाफ भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय–कर, बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और कोई अन्य सामग्री सांविधिक देयता के संबंध में कोई विवादित बकाया नहीं है।

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है।

ix) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक, वित्तीय संस्थान या डिबेंचर धारक को मूल और ऋण पर ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

x) क. रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के पास वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 के अनुपालन की आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं है।

ESI Act. According to the informations and explanations given to us no such undisputed arrears of statutory dues were outstanding as at 31st March,2021, for a period of more than six months from the date they became payable.

b) According to the information and explanations given to us, no disputed dues against the Company are outstanding as at 31st March,2021, in respect of Provident fund, Employee State Insurance, Income-tax, Sales-tax, Service-tax, Goods and Service Tax, Duty of customs, Duty of excise, Value added tax and any other material statutory dues.

viii) According to the information and explanations given to us, the Company has not surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

ix) Based on our audit procedures, and as per the information & explanation given by the management, the company has not defaulted in the repayment of dues of principal or interest on loan to the bank, financial institution or debenture holder and hence the remaining sub clause a to e are not applicable on this company.

x) (a) During the reporting Financial Year, the Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). Accordingly, the provision of clause 3 (x) of the Order is not applicable on the Company.

(b) During the reporting Financial Year, the Company has not any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year and therefore the requirements of compliance of Section 42 and Section 62 of the Companies Act, 2013 is not applicable on company.

xi) क. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है या वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने की सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली।

ख. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा फॉर्म एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, जोकि नियम 13 (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 का केंद्र सरकार के साथ कंपनी के तहत निर्धारित किया गया है।

ग. समय की कमी और स्वयं को गहन जांच लेखापरीक्षा में शामिल करने के लिए वैधानिक बाधाओं के कारण, हम श्री संजय माहेश्वरी {पूर्व निदेशक वित्त सह सीएमडी (अतिरिक्त निदेशक भार)} से प्राप्त मेल दिनांक 12 अगस्त 2021 (सीएजी को भी संबोधित) में लगाए गए शिकायतों की जांच नहीं कर सके। हालांकि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के मामलों में भ्रष्टाचार, कदाचार और गैर–पेशेवर व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सीवीओ, बीवीएफसीएल (श्री प्रभास कुमार) के साथ बीवीएफसीएल और उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बीवीएफसीएल के पूर्व और वर्तमान सीएमडी, बीवीएफसीएल द्वारा की गई गहरी मिलीभगत का 1000 से अधिक पृष्ठों में शिकायत का विवरण वर्णित है। इसलिए हम वित्तीय निहितार्थ और आंतरिक नियंत्रण उपायों की कमी पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, जैसा कि उक्त पत्र में आरोप लगाया गया है। माननीय सीएजी अपने विवेक के अनुसार आरोपों की जांच कर सकते हैं।

xii) यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड इस पर लागू नहीं होता।

xi) (a) i) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, there was no material fraud committed by company or on the company by its officers/employees.

(b) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no report under sub-Section (12) of Section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules 2014 with the Central Government.

c) Due to lack of time and Statutory Constraints for involving our self in deep investigation audit, we could not examine the complaints levied in mail dated 12th August 2021 (also addressed to CAG), received from Shri Sanjai Maheswari {Ex Director Finance Cum CMD (Additional Charge)} describing in more than 1000 Pages the details of complaint against Corruption, Malpractices & Unprofessional Business activities into affairs of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) by past & present CMD, BVFCL in deep collusion with CVO, BVFCL(Mr. Prabhas Kumar) and senior officials of BVFCL & Department of Fertilizers. Hence we are unable to comment the Financial Implication and lacking of Internal Control measures, as alleged in the said letter. The Hon'ble CAG may investigate the allegations, as per their own discretions.

xii) This Company is not a Nidhi Company and hence this clause of CARO 2020 is not applicable.

xiii) कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xiv) क) कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म द्वारा आवधिक आधार पर की जा रही है और इसलिए कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विधिवत विचार किया है।

xv) कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है। सिवाय निदेशको के वेतन एवं अन्य परिलब्धियाँ जो कि सेवा नियमों के अंतर्गत देय है।

कंपनी केंद्र सरकार का उपक्रम है और अध्यक्ष सह पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक के लिए इसका प्रबंधकीय संकल्प नियुक्ति सरकारी विभागों अर्थात रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित वेतन निर्धारण के अनुसार है। इस प्रकार कंपनी ने केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रदान किया है, जो स्वयं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है।

xvi) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत रजिस्टर होना अपेक्षित नहीं है।

ख) कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं, और इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xiii) The Company has not entered into any transactions with the related parties and hence compliance with sections 177 and 188 of Companies Act are not applicable on the Company.

xiv) a) Internal Audit of the Company is being conducted on periodical basis by a Chartered Accountancy Firm and hence the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

b) We have duly considered, the reports of the Internal Auditors for the period under audit.

xv) The company has not entered into any non–cash transactions with directors or persons connected with him, except for payments of salary and other perquisites as mandated in service rules for directors.

The Company is Central Govt. Undertakings and its managerial resolution to the Chairman Cum Whole Time Managing Director is as per the pay fixation prescribed by the appointing Govt. Departments i.e. Ministry of Chemicals and Fertilisers. Thus the company has paid/ provided managerial remuneration only as per mandate of the Central Govt., which is itself a sufficient compliance of provisions of section 192 of Companies Act 2013.

xvi) a) The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

b) The Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities, and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.

ग) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, और इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

घ) कंपनी का प्रबंधन किसी समूह की संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है, और इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

xvii) 3639.57 लाख रुपए मूल्यह्रास चार्ज करने और 358.41 लाख रुपए की पूर्व अवधि की शुद्ध आय का लेखा–जोखा रखने के बाद कंपनी की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि का नुकसान 13775.24 लाख रुपए है। इस प्रकार कंपनी को चालू वर्ष के कारोबार संचालन के व रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 10494.08 लाख रुपए की नकद हानि हुई है।

xviii) कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के सी एंड एजी द्वारा की जा रही है। कंपनी के किसी भी नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक ने अब तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है।

xix) खातों की पुस्तकों की हमारी जांच के अनुसार हम कहते हैं कि वित्तीय अनुपातों के विश्लेषण के आधार पर, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, कंपनी लगातार पर्याप्त खर्च कर नकद नुकसान रही है और इसकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है और इसलिए कंपनी की बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा देनदारियों को पूरा करने की क्षमता में भौतिक अनिश्चितता की बहुत संभावना है, जब तक कि वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय न हों, और जब तक कंपनी को भारत सरकार से कुछ बड़ी वित्तीय सहायता नहीं मिलती।

c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined under the Regulations by the Reserve Bank of India, and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.

d) The Company is not being managed by any Group Concerns, and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.

xvii) The current reporting period loss of the Company is Rs. 13775.24 Lakhs is after charging depreciation Rs. 3639.57 Lakh and accounting of prior period net income of Rs. 358.41 Lakhs. Thus the Company has incurred Cash Loss during the reporting period amounting to Rs. 10494.08 Lakhs during the current year business operation.

xviii) The Company is a Govt. Company and its Statutory Auditors is being appointed by C&AG of India. None of the appointed Statutory Auditors of the Company has placed its resignation so far.

xix) As per our examination of books of accounts and on the basis of analysis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, we state that the company is continuously incurring substantial cash losses and its net worth has been completely eroded and therefore there is much possibility of material uncertainty in company capability of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date, unless and until the company get some major financial support from Govt of India.

xx) कंपनी ने चल रही परियोजनाओं के अलावा किसी भी अव्ययित निधि को स्थानांतरित नहीं किया है, इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

xxi) कंपनी एक एकल इकाई है और इसकी कोई समूह चिंता नहीं है और इसलिए सीएआरओ 2020 का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते **पारिक एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 302147 ई
सीएडंएजी एमपैनलमेंट नंबरः ईआर 0855

ह./—
भागीदार
सीए बिपिन कुमार
आईसीएआई सदस्यता संख्या 059805
यूडीआईएन : 21059805AAAAFP6605

स्थानः गुवाहाटी
दिनांकः 27/09/2021

xx) The Company not transferred any unspent fund, in respect of other than ongoing projects, hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.

xxi) The Company is a single entity and has no group concerns and hence this clause of CARO 2020 is not applicable on Company.

For **PARIK & CO**
Chartered Accountants
FRN : 302147E
C&AG Empanelment No : ER0855

Sd/-
Partner
CA Bipin Kumar
ICAI Membership No 059805
UDIN: 21059805AAAAFP6605

Place : Guwahati
Date : 27/09/2021

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–ख

वित्तीय विवरणों 2020–21 पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के पैरा 8.2 में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट :

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ **ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड** ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारीः

कंपनी प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार किए जाने के साथ कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिर्पोटिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 में की गई अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी की नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी एवं गलतियों से बचाव एवं उनके संज्ञान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर प्रस्तुति सहित नियमित एवं कार्यकुशल व्यवसाय संव्यवहार के सुनिश्चय के लिए प्रभावी प्रचालनात्मकता से युक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं पर्याप्तता के अनुरक्षण के दायित्व शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी :

हमारा उत्तरदायित्व, कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

Annexure –B to the Auditors' Report

Referred to in paragraph 8.2 of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statements for the Financial Year 2020-21

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub- section 3 of Section 143 of the Companies Act,2013 ('the Act'):

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited** (the Company') as of 31st March, 2021 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls:

The Company management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit to Internal Financial Controls

द्वारा जारी वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी टिप्पणी तथा लेखापरीक्षा के मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(10) में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के प्रसार के लिए निर्धारित विचारणा के अनुसार लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हमने नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन किया है तथा लेखापरीक्षा के निष्पादन की योजना इस औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति के लिए तैयार की है, कि क्या वित्तीय संरचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित किए गए हैं तथा प्रत्येक वस्तुगत दृष्टिकोण में ऐसे नियंत्रणों से प्रभावपूर्ण प्रचालनात्मकता हुई है।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उसकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में प्रक्रियात्मक निष्पादन द्वारा लेखापरीक्षा प्रमाणों की प्राप्ति निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली के लिए हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली के संबंध में वचनपत्र की प्राप्ति, वस्तुपरक दोष पाए जाने के जोखिम का मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के परीक्षण शामिल हैं। इसके लिए वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक गलत बयानी, जालसाजी अथवा चूकवश, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित चयन की जाने वाली प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर है।

हमारा यह मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त तथा यथोचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए तर्कसंगत आश्वासन प्रदान

over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control bases on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material mis-statement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting:

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting

करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

1. रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो तर्कसंगत ब्यौरे के रूप में, कंपनी की परिसंपत्तीयों के सही और उचित ब्यौरे के लेनदेन को दर्शाती हैं;
2. यह तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यकता अनुसार दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है;
3. अनधिकृत अधिग्रहण को रोकने या समय पर पता लगाने, कंपनी की परिसंपत्तियों का उपयोग या निपटान करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण के लिए मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और जिसका पता न लगाया जा सकता हो। इसके अलावा, भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी अनुमान इस जोखिम के अधीन होता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा को बिगाड़ सकता है।

राय:

हमारी राय में, कंपनी में सभी सामग्री के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय

and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that"

1. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
2. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorization of the Management of the Company; and
3. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting:

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material mis-statements due to error or fraud may occur and not be detected. Also projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion:

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over

रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित है और जिसे कंपनी द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए स्थापित किया गया है।

कृते **पारिक एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 302147 ई
सीएंएजी एमपैनलमेंट नंबरः ईआर 0855

ह./—
भागीदार
सीए बिपिन कुमार
आईसीएआई सदस्यता संख्या 059805
यूडीआईएन : 21059805AAAAFP6605

स्थानः गुवाहाटी
दिनांकः 27/09/2021

financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March,2021 which is based on internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **PARIK & CO**
Chartered Accountants
FRN : 302147E
C&AG Empanelment No : ER0855

Sd/.
Partner
CA Bipin Kumar
ICAI Membership No 059805
UDIN: 21059805AAAAFP6605

Place : Guwahati
Date : 27/09/2021

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–ग

वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 8.3 में संदर्भित

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के सीएंडएजी द्वारा जारी दिशा–निर्देश/उप निर्देशों के अनुसार ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खातों की 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षण की है और प्रमाणित किया है कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते **पारिक एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 302147 ई
सीएंडएजी एमपैनलमेंट नंबरः ईआर 0855

ह./–
भागीदार
सीए बिपिन कुमार
आईसीएआई सदस्यता संख्या 059805
यूडीआईएनः 21059805AAAAFP6605

स्थानः गुवाहाटी
दिनांकः 27/09/2021

संलग्नः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के सीएंडएजी द्वारा हमें जारी किए गए दिशानिर्देशों/उप निर्देशों पर उत्तर।

Annexure C to the Independent Auditor's Report for the Financial Year 2020-21

Referred to in paragraph 8.3 of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statements.

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit of accounts of Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited for the year ended 31st March 2021 in accordance with the General Directions issued by C&AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the directions/ sub directions issued to us.

For **PARIK & CO**
Chartered Accountants
FRN : 302147E
C&AG Empanelment No : ER0855

Sd/.
Partner
CA Bipin Kumar
ICAI Membership No 059805
UDIN: 21059805AAAAFP6605

Place : Guwahati
Date : 27/09/2021

Enclosed: Reply on General Directions issued to us by C&AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013.

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए की रिपोर्ट के अनुलग्नक ग के अनुलग्नक

वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा हमें जारी सामान्य निर्देशों पर उत्तरः

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशः

1. **क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संशोधित करने के लिए कोई निश्चित प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की अखंडता पर सूचना प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो तो बताए।**

हमारा जवाबः

कंपनी के पास सूचना प्रणाली(आईटी) के माध्यम से लेखांकन लेनदेन के केवल कुछ हिस्से को संसाधित करने की जगह है और उपरोक्त आईटी प्रणाली पुरानी है और यह पूर्ण प्रमाणित नहीं है।

यूनिक्स ऑपरेटिंग पर कोबोल 85 लेखांकन की प्रणाली बहुत पुरानी है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है। फैक्ट्री परिसर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्तमान में स्थापित प्रचालन सिस्टम कोबोल 85 केवल सामग्री प्रबंधन विभाग, भंडार लेखा विभाग और केंद्रीय खाता विभाग के लिए एकीकृत है। बिक्री विभाग, मानव संसाधन विभाग और दूरदराज के स्थित केंद्रों (नोएडा और गुवाहाटी) के त्रैमासिक सारांशित शेष राशि को प्रत्येक केंद्रों के लिए समेकित मैनुअल जर्नल वाउचर पास करके केंद्रीय खातों से व्यक्तिगत रूप से एकत्रिक किया जा रहा है। यह सेंट्रल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अद्यतनीकरण में देरी का मुख्य कारण है। इसके अलावा बीवीएफसीएल

Enclosures to Annexure C of the Independent Auditor's Report for the Financial Year 2020-21

Referred to in paragraph 8.3 of Independent Auditor's Report to the members of the Company on the Financial Statements.

Reply on General Directions issued to us by C&AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013.

Directions under section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2020-21:

1. **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT System? If yes, the implication of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

Our Reply:

The Company has in place to process only some portion of accounting transactions through IT System and that too the said IT system is outdated and is not full proof.

Major Accounting System within BVFCL Factory Premises is being operated through COBOL 85 on UNIX Operating System, however remote located centers at Noida accounting is being done in Tally Accounting System. However, Guwahati is sending manual monthly Trial Balance. COBOL 85 on UNIX Operating is too old system of accounting. This operating system is outdated. The present installed Operating System COBOL 85 on UNIX Operating System at Factory Premises is integrated for MM Department, Store Account Department & Central Account Department only. Quarterly summarized Trial Balance of Sales Department, HR Department and remote located centres (NOIDA & Guwahati) are being manually

के केंद्रीय खाते दूरस्थ केंद्रों के ट्रायल बैलेंस से संबंधित डेटा विवरण तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इस प्रकार लेखांकन सॉफ्टवेयर की वर्तमान स्थापित प्रणाली वास्तविक समय लेखांकन प्रबंधन सूचना प्रणाली उत्पन्न करने में असमर्थ है। वर्तमान प्रचालन प्रणाली बैच प्रोसेसिंग का अनुसरण करता है जो कि वास्तविक समय की प्रौद्योगिकी प्रणाली नहीं है। यह प्रणाली एक कमांड आधारित प्रणाली है और रिपोर्ट एमएस–एक्सेल या एमएस–वर्ड में उत्पन्न नहीं होती हैं, जिससे उत्पन्न रिपोर्ट के केवल व्यक्तिगत विश्लेषण की संभावना होती है। यह रिपोर्ट के विश्लेषण में कर्मचारी और लेखा परीक्षकों सहित सभी संबंधितों का बहुत समय और ऊर्जा की खपत होती है।

चूंकि सभी वित्तीय डेटा कोबोल 85 यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल नहीं हैं। इसलिए, एकल लीडर्स के यथार्थवादी वित्तीय रिकॉर्ड को निकालने के लिए सब्सिडीस लेजर्स पर निर्भरता होती है। कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक ने कुछ उदाहरणों में मुख्य खाता बही और सहायक कंपनियों के बीच मतभेदों को इंगित किया है, जिससे सटीकता और प्रणाली की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है। एक्सेल आधारित शीट्स में कंपनी के और भी कई सब्सिडियरी खातों का रखरखाव किया जा रहा है, जो कि सम्पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इस तरह के डेटा के अनधिकृत विचलन की संभावना है और किसी भी समय किसी विशेष खातों के शेष में परिवर्तन की संभावना हो सकती है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए, आईटी लेखांकन की एक नई प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है, ताकि बीवीएफसीएल के पूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड को पूर्ण प्रमाण रिकॉर्डिंग और सुरक्षा के साथ रिकॉर्ड किए गए वित्तीय लेनदेन में बिना छेड़छाड़ की कोई संभावना, के साथ सभी रिकॉर्ड किए गए वित्तीय लेनदेन एकल आईटी प्रणाली में शामिल किया जा सके।

2. **क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है, या कर्ज चुकाने के लिए ऋणदाता द्वारा कंपनी की असमर्थता के कारण ऋण/ऋण पर**

merged into Central Accounts by passing consolidated manual Journal vouchers for each centers. This is the main reason of delay in updation of Central Account Trial Balance. Further BVFCL Central Accounts is unable to access data details related to Trial Balance of remote centers. Thus the present installed system of Accounting software is unable to generate real time accounting MIS. The present operating system follows batch processing which is not a real time processing system. This system is a command based system and the reports are not generated in MS-Excel or MS-Word, thereby rendering possibility of only manual analysis of the reports generated. This consumes a lot of time and energy of all concerned, including the employee and the auditors, in analysis of the reports.

Since all of the financial data are not incorporated in the COBOL 85 UNIX Operating System. Therefore, there is compelled dependency on Subsidiary Ledger to get extracted the realistic financial records of a single ledgers. Internal Auditor of the company has pointed out differences between main ledger and subsidiary ledgers in a few instances thereby raising a doubt on the accuracy and the reliability of the system. Further many subsidiary ledgers of the Company is being maintained in Excel Based Sheets, which is not at all full roof, as the possibility of un authorised tempering of such data and possibility of getting alteration of balances of any particulars individual ledgers at any time can not be denied.

In order to overcome the shortcomings of the present system, a new system of IT Accounting needs to be put in place at the earliest, so that the complete financial records of BVFCL can be incorporated in a single IT System with full proof recording and safety of all recorded financial transactions with no chances of tampering of the recorded Financial Transactions..

2. **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc made by lender to the**

छूट/ब्याज/आदि दिया गया हो? यदि हाँ, तो इसके कारण हुए वित्तीय प्रभाव बताए।

हमारा जवाबः

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, मौजूदा ऋण की ऐसी कोई पुर्नसंरचना नहीं की गई है, हालांकि कंपनी ने लाभ की पर्याप्त उपलब्धता के मुद्देनजर 57275 लाख रुपए की मूल ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर कोई ब्याज नहीं दिया है।

3. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए धन (अनुदान/सब्सिडी आदि)प्राप्त किया गया था या नहीं और इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

हमारा जवाब

क. मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने 10146.45 लाख रूपए की कीमत के अंतर पर सब्सिडी आय और माल भाड़े की सब्सिडी का लेखा–जोखा रखा है और सभी सब्सिडी आय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीओएफ) द्वारा वितरित की गई है।

ख. एफआईसीसी के नियमन के अनुसार, कंपनी बिक्री के स्टॉक से निकासी के बाद यानी कृषि उपभोक्ताओं को अंतिम रूप से बेचने के बाद ही सब्सिडी का दावा करने की हकदार है। लेकिन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1276.28 लाख रुपए की सब्सिडी आय का हिसाब रखा है, जिसे अंतिम रूप बेचने के बाद (जोकि 31.03.2021 को 20176.121 मी.टन पर पूरे विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के पास) स्टॉक निकासी के बिना हिसाब किया है।

बीवीएफसीएल प्रबंधन ने बताया है कि कंपनी ने पीओएस स्टॉक पर 1276.28 लाख रुपए की सब्सिडी आय का हिसाब लगाया है। पूर्वता अनुसार बीवीएफसीएल प्रबंधन ने नीम लेपित यूरिया स्टॉक

company due to company's inability to repay the loans? if yes, the financial impact may be stated.

Our Reply:

During the current reporting periods no such restructuring of an existing loan has been made , however the company has not provided for any interest on Loan Granted by Govt. of India on principal loan amount of Rs. 57275 lakhs, in view of non availability of sufficient profitability.

3. Whether funds (grants/ subsidy etc.) received / receivables for specific scheme from Central / State agencies were properly accounted for/ utilised as per its term and conditions? List the cases of deviation.

Our reply:

a) During the current reporting period the company has accounted Subsidy Income on account of price variance and freight subsidy amounting to Rs. 10146.45 Lakhs and all of the accounted subsidy income has been disbursed by the Ministry of Chemicals & Fertilizers (DOF).

b) As per FICC Regulation, the Company is entitled to claim the subsidy only after clearance of stock from ultimate Point of Sale, i.e ultimate sell to the agricultural consumers. But the Company has accounted Subsidy Income in the Financial Year 2020-21 amounting to Rs.1276.28 Lakhs without clearance of Stock from ultimate Point of Sale (i.e. on the POS stock 20176.121 MT lying with whole sellers and retailers as on 31.03.2021).

The BVFCL management has explained that the company has accounted subsidy income of Rs. 1276.28 lakhs on the POS stock, as per past precedence and the BVFCL managements are

को थोक विक्रेताओं से खुदरा व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक उपलब्ध कराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।

putting their best efforts to liquidate the BVFCL neem coated urea stock from whole sellers to retailers and from retailers to end users.

कृते **पारिक एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 302147 ई
सीएंडएजी एमपैनलमेंट नंबरः ईआर 0855

ह./—
भागीदारी
सीए बिपिन कुमार
आईसीएआई सदस्यता संख्या 059805
यूडीआईएनः 21059805AAAAFP6605

For **PARIK & CO**
Chartered Accountants
FRN : 302147E
C&AG Empanelment No : ER0855

Sd/-
Partner
CA Bipin Kumar
ICAI Membership No 059805
UDIN: 21059805AAAAFP6605

स्थानः गुवाहाटी
दिनांकः 27/09/2021

Place : Guwahati
Date : 27/09/2021

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
Balance Sheet as at 31st March, 2021
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन–पत्र

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

	विवरण		PARTICULARS	टिप्पणि सं Note No.	31 मार्च, 2021 को as at 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 को as at 31 March, 2020
I	**इक्विटी और देयताएं**	I	**EQUITY AND LIABILITIES**			
क	**शेयरधारक निधि**	A	**Shareholders' Funds**			
	(क) शेयर पूंजी		(a) Share Capital	2.1	36,583.24	36,583.24
	(ख) रिजर्व व अधिशेष		(b) Reserves and Surplus	2.2	(61,711.28)	(47,936.04)
					(25,128.04)	**(11,352.80)**
ख	**गैर–वर्तमान देयताएं**	B	**Non-Current Liabilities**			
	(क) दीर्घावधि उधार		(a) Long-Term Borrowings	2.3	57,275.00	57,275.00
	(ख) आस्थगित कर देयताएं		(b) Defferred Tax Liabilities	2.4	-	-
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं		(c) Other Long-Term Liabilities	2.5	1,949.17	1,876.82
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान		(d) Long-Term Provisions	2.6	4,354.94	4,781.24
					63,579.11	**63,933.06**
ग	**वर्तमान देनदारियां**	C	**Current Liabilities**			
	(क) व्यापार भुगतान		(a) Trade Payables	2.7	3,490.04	3,847.34
	i) एमएसई में कुल देनदारियाँ		i) Total Outstanding dues on MSE		56.15	96.75
	ii) एमएसई के आलवा लेनदार की कुल देनदारियाँ		ii) Total Outstanding dues of Creditors other than MSE		3,433.89	3,750.59
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं		(b) Other Current Liabilities	2.8	7,528.83	9,935.92
					11,018.87	13,783.26
	योग (क+ख+ग)		**TOTAL (A+B+C)**		**49,469.94**	**66,363.52**
II	**परिसंपत्तियां**	II	**ASSETS**			
घ	**गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां**	D	**Non-Current Assets**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		(a) Property, Plant & Equipment.			
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		(i) Tangible Assets	2.9	22,057.22	24,609.71
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		(ii) Intangible Assets	2.9	1.70	1.70
	(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर (पूंजीगत समान)		(iii) Capital Work-in-Progress (Capital Stores)	2.9	628.46	961.25
	(iv) अमूर्त संपत्तियां (परियोजना)		(iv) Intangible Assets(Project)	2.9	715.68	715.68
	(ख) दीर्घाकालिक ऋण एवं अग्रिम		(b) Long-Term Loans and Advances	2.10	14.64	-
					23,417.70	**26,288.34**

ङ	**वर्तमान परिसंपत्तियां**	E	**Current Assets**			
	(क) मालसूची		(a) Inventories	2.11	2,871.15	3,792.58
	(ख) व्यापार प्राप्तियां		(b) Trade Receivables	2.12	852.42	28,727.87
	(ग) नकदी एवं नकदी समकक्ष		(c) Cash and Cash Equivalents	2.13	18,522.49	2,624.53
	(घ) अल्पाकालिक ऋण एवं अग्रिम		(d) Short-Term Loans and Advances	2.14	3,538.12	4,730.65
	(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		(e) Other Current Assets	2.15	268.06	199.55
					26,052.24	**40,075.18**
	योग (घ + ङ)		**TOTAL (D+E)**		**49,469.94**	**66,363.52**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		Significant Accounting Policies	1		
	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां		Notes on Financial Statements	2.1 to 2.31		

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the Board

ह./–
आर.के. गुप्ता
कंपनी सचिव

ह./–
एस सी दास
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08988297

ह./–
ए के घोष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08222413

Sd/-
R.K.Gupta
Company Secretary

Sd/-
S.C. Das
Director (Finance)
DIN : 08988297

Sd/-
A. K. Ghosh
Chairman & Managing Director
DIN : 08222413

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date annexed
कृते पारिक एंड कंपनी
For Parik & Co.

Place : Namrup
स्थान : नामरूप

Date : 27/09/2021
दिनांक : 27/09/2021

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants

ह./–
सीए बिपिन कुमार
भागीदार

Sd/-
CA Bipin Kumar
Partner

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805
ICAI Membership No. 059805

फर्म पंजी. सं. : 302147 ई
Firm Regn. No : 302147E

सीएण्डएजी एमपैलनमैंट सं. ईआर 0855
C&AG Empanelment No. ER 0855

यूडीआईएन : 21059805AAAAFP6605
UDIN : 21059805AAAAFP6605

Place : Guwahati
स्थान : गुवाहाटी

Date : 27/09/2021
दिनांक : 27/09/2021

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March, 2021
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि का विवरण

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

	विवरण		PARTICULARS	टिप्पणि सं Note No.	31 मार्च, 2021 वर्ष समप्ति year ended 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 वर्ष समप्ति year ended 31 March, 2020
क	**राजस्व**	**A**	**REVENUE**			
	प्रचालनों से राजस्व		Revenue from Operations	2.16	22,318.06	32,727.45
	अन्य आय		Other Income	2.17	1,014.43	1,039.85
	योग (क)		**TOTAL (A)**		**23,332.49**	**33,767.30**
ख	**व्यय**	**B**	**EXPENSES**			
	उपभुक्त सामग्रीयों की लागत		Cost of Materials Consumed	2.18	5,194.21	8,525.01
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद		Purchases of Stock-in-Trade	2.19	4,738.13	4,709.52
	तैयार वस्तुओं की माल सूची में परिवर्तन, और मध्यवर्ती उत्पाद (अमोनिया)		Changes in Inventories of Finished Goods, Intermediaries Products (Ammonia) & Stock-in- trade	2.20	1,194.54	(168.03)
	कर्मचारी हित लाभ व्यय		Employee Benefits Expense	2.21	5,979.89	7,337.59
	वित्तीय लागत		Finance Costs	2.22	-	0.27
	मरम्मत और रखरखाव		Repairs & Maintainence	2.23	1,454.77	1,198.98
	विधुत और ईंधन		Power & Fuel	2.24	9,306.79	16,834.94
	भाड़ा और हैंडलिंग व्यय		Freight & Handling Expense	2.25	1,846.97	2,982.32
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		Depreciation and Amortisation Expense	2.9	3,639.57	3,669.61
	अन्य व्यय		Other Expenses	2.26	3,752.86	1,647.19
	योग (ख)		**TOTAL (B)**		**37,107.73**	**46,737.40**
ग	**असाधारण मद (क–ख) से पूर्व लाभ/ हानि**	**C**	**Profit / (Loss) for the Current year (A-B)**		(13,775.24)	(12,970.10)
घ	**असाधारण मद**	**D**	**Extra ordinary item**		-	-
ङ	**असाधारण मद के बाद लाभ/हानि**	**E**	**Profit / Loss after Extra Ordinary Item**		(13,775.24)	(12,970.10)
च	**कर व्ययः**	**F**	**Tax Expense:**		-	-
छ	**वर्ष के लिए लाभ/हानि**	**G**	**Profit / (Loss) for the year (E-F)**		(13,775.24)	(12,970.10)

	प्रति शेयर अर्जन (1,000/– रुपए के प्रत्येक में)		Earnings per share (of ₹ 1,000/- each):	2.28		
	मूल आय प्रति शेयर (रुपए)		Basic Earnings per Share (Rupees)		(376.55)	(354.54)
	मिश्रित आय प्रति शेयर (रुपए)		Diluted Earnings per Share (Rupees)		(376.55)	(354.54)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		Significant Accounting Policies	1		
	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां		Notes on Financial Statements	2.1 to 2.32		

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the Board

ह./–
आर.के. गुप्ता
कंपनी सचिव

ह./–
एस सी दास
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08988297

ह./–
ए के घोष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08222413

Sd/-
R.K.Gupta
Company Secretary

Sd/-
S.C. Das
Director (Finance)
DIN : 08988297

Sd/-
A. K. Ghosh
Chairman & Managing Director
DIN : 08222413

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date annexed
कृते पारिक एंड कंपनी
For Parik & Co.

Place : Namrup
स्थान : नामरूप

Date : 27/09/2021
दिनांक : 27/09/2021

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants

ह./–
सीए बिपिन कुमार
भागीदार

Sd/-
CA Bipin Kumar
Partner

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805
ICAI Membership No. 059805

फर्म पंजी. सं. : 302147 ई
Firm Regn. No : 302147E

सीएण्डएजी एमपैलनमैंट सं. ईआर 0855
C&AG Empanelment No. ER 0855

यूडीआईएन : 21059805AAAAFP6605
UDIN : 21059805AAAAFP6605

Place : Guwahati
स्थान : गुवाहाटी

Date : 27/09/2021
दिनांक : 27/09/2021

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2021
ब्रह्ममपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2021 31 March, 2021		31 मार्च, 2020 31 March, 2020	
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :**				
कर पूर्व लाभ / (हानि) :	**Profit/(Loss) before tax :**		**(13,775.24)**		**(12,970.10)**
जोड़ः प्रचालन गतिविधियों के अलावा तथा गैर नकदी मदों के लिए समायोजन	Add: Adjustments for Non Cash items & other than Operating Activities				
–मूल्यह्रास	- Depreciation	3,639.57		3,669.61	
–भंडारों और अतिरिक्त पुर्जो के पुरानेपन के लिए प्रावधान	- Provision for Obsolescence of stores & Spares	(399.06)		92.92	
–छूट्टी के नकद भुगतान के लिए प्रावधान	- Provision for Leave Encashment	254.01		758.35	
–उपदान के लिए प्रावधान	- Provision for Gratuity	-		468.79	
–'प्रतिस्थापित परिसम्पत्तियों की तुलना में बट्टे खाते में डाली गई नियत परिसम्पत्तियां	- Fixed Assets written off against replaced assets	191.33		264.33	
अचल पूंजीगत समान के लिए प्रावधान	Provision for Unmoved Capital Stores	265.38		-	
–वापस लिखी गई परिसम्पत्तियों हेतु कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं।	- Provision no longer required written back	(30.14)		(14.95)	
–आस्थगित कर देयताएं	-Provision for doubtful Debts / advances	1.55		6.32	
			3,922.64	-	5,245.37
कार्यशील पूंजी परिवर्तन, कर और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से नकद प्रवाह	**Cash flow from Operation Before Working Capital Changes, Taxes & Extraordinary Items**		**(9,852.60)**		**(7,724.73)**
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के लिए समायोजनः	Adjustments for Working Capital changes :				
–व्यापार ओर अन्य प्रयासो में (वृद्धि) / कमी	- (Increase)/Decrease in Trade and Other Receivable	27,873.90		(1,846.55)	
– माल–सूची में (वृद्धि) / कमी	- (Increase)/ Decrease in Inventory	1,320.49		1,072.50	
– व्यापार देय और अन्य देयता में वृद्धि / (कमी)	- Increase/(Decrease) in Trade Payable and other payables	(1,937.48)		3,771.38	
–'अग्रिम और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि	- Increase in Advance & other Current Assets	1,124.02		(1,588.60)	
– पूंजीगत समान में वृद्धि	- Increase in Capital stores	67.41			
– उपदान और अवकाश का नकद भुगतान	- Gratuity and Leave encashment paid	(1,404.73)	27,043.61	(744.80)	663.93
			17,191.01		**(7,060.80)**
– असाधारण मदें	-Extra Ordinary Items		-		-
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क)	**Cash Inflow from Operating Activities (A)**		**17,191.01**		**(7,060.80)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :**				
नियत परिसंपत्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets		(1,278.41)		(812.79)
सीडबल्यूआईपी के लिए अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in Advances for CWIP		(14.64)		(576.19)
अचल सम्पत्तियों का बट्टे खाते का समायोजन	Adjustment of fixed assets write - off		-		0.24
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	**Cash Outflow from Investing Activities (B)**		**(1,293.05)**		**(1,388.74)**

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :		-		-
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS: (A+B+C)		15,897.96		(8,449.54)
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समकक्ष	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR :		2,624.53		11,074.07
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR:		18,522.49		2,624.53

टिप्पणी :

– नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:
नकदी और बैंक बकाया, अल्पावधि और अन्य जमा राशि, जो अत्यधिक तरल और नकदी है, और इसे आवश्यकता पड़ने पर निकाला जा सकता है
– नियत परिसंपत्तियों की खरीद निवल समायोजन रूप में दर्शाए गई है।
– नकद प्रवाह विवरण लेखांकन में निर्धारित अनुसार "अप्रत्यक्ष पद्धति" के अंतर्गत तैयार किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर मानक (एएस–3)
– पिछले वर्ष के आंकड़ों का, जहां कहीं आवश्यक पाया गया, पुनःसमूह/पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष में प्रस्तुति की पुष्टि की जा सके।

Notes:

- Cash and Cash Equivalents include :
Cash & Bank Balances, Short term and other deposits, which are highly liquid and encashable as and when needed.
- Purchased of fixed assets has been shown net of adjustments.
- Cash Flow Statement has been prepared under the "Indirect method" as set-out in Accounting Standard (AS) - 3 on Cash Flow Statement issued by ICAI
- Previous Year's figures have been regrouped / rearranged, wherever found necessary to confirm to current year's presentation.

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the Board

ह./–
आर.के. गुप्ता
कंपनी सचिव

ह./–
एस सी दास
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08988297

ह./–
ए के घोष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08222413

Sd/-
R.K.Gupta
Company Secretary

Sd/-
S.C. Das
Director (Finance)
DIN : 08988297

Sd/-
A. K. Ghosh
Chairman & Managing Director
DIN : 08222413

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date annexed
कृते पारिक एंड कंपनी
For Parik & Co.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants

Place : Namrup
स्थान : नामरूप

Date : 27/09/2021
दिनांक : 27/09/2021

ह./–
सीए बिपिन कुमार
भागीदार

Sd/-
CA Bipin Kumar
Partner

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805
ICAI Membership No. 059805
सीएण्डएजी एमपैलनमैंट सं. ईआर 0855
C&AG Empanelment No. ER 0855
Place : Guwahati
स्थान : गुवाहाटी

फर्म पंजी. सं. : 302147 ई
Firm Regn. No : 302147E
यूडीआईएन : 21059805AAAAFP6605
UDIN : 21059805AAAAFP6605
Date : 27/09/2021
दिनांक : 27/09/2021

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां
Notes forming part of the financial statements

टिप्पणी 1: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) स्थायी परिसंपत्तियां

i. नियत परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्य ह्रास घटा कर दिखाया जाता है।

ii. लागत में क्रय तथा समस्त खर्चे जैसे संस्थापन लागत, आवक माल भाड़ा, गैर धनवापसी योग्य कर, तथा इसके वर्तमान स्थान पर इसके प्रयोग में लाए जाने तक के लिए कई अन्य खर्चे शामिल हैं।

iii. नियत परिसंपत्तियों की लागत के अलावा, निर्माण और स्थापना अवधि के दौरान खर्च राजस्व व्यय वाणिज्य उत्पादन के शुरू होने तक पूंजी में परिणत किया जाता है। वाणिज्य उत्पाद के शुरू होने से पूर्व आनुषंगिक आय को परियोजना की लागत में शामिल किया जाता है।

iv. संयंत्र और मशीनरी के संयोजन में प्रमुख मरम्मत और नवीकरण और प्रति स्थापन शामिल है जो संयंत्र की आयु और दक्षता बढ़ा देगा। ऐसे मामलों में, यदि बदली गई परिसंपत्ति का लिखित न्यूनतम मूल्य पता न लगाया जा सकता हो तो लेखाओं में समायोजन के लिए तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है।

v. मशीनरी पुर्जे, जिन्हें केवल नियत परिसंपत्तियों की मद के संबंध में ही इस्तेमाल किए जा सकते है और जिनका उपयोग नियमित होने की संभावना है, को पंजीकृत किया गया है।

vi. प्रत्येक वर्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित आंतरिक समिति द्वारा अचल संपत्तियों और हर पांच साल में एक बार किसी बाहरी पेशावर एजेंसी द्वारा संचालित अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है।

NOTE 1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(A) FIXED ASSETS

(i) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation.

(ii) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as installation cost, inward freight, non-refundable taxes and any other expenses incurred for bringing the asset in its current location till it is ready to use.

(iii) Apart from cost of Fixed Assets, Revenue Expenditure incurred during construction and commissioning period is capitalized till commencement of commercial production. Incidental Income prior to commencement of commercial production is set-off against the cost of the Project.

(iv) Additions to Plant & Machinery include major repairs as well as renewals and replacements which will increase life and efficiency of the Plant. In such cases, if the written down value of the assets replaced is not ascertainable, technical valuation is made for adjustment in the accounts.

(v) Machinery spares which can be used only in connection with an item of fixed assets and whose use is expected to be irregular are capitalized.

(vi) The Physical Verification of fixed assets is carried out by the internal committee constituted by competent authority each year. And once in every five years the Physical Verification of fixed assets conducted by an outside professional agency.

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)

Notes forming part of the financial statements (contd.)

ख. मूल्य–ह्रास और ऋण परिशोधन

i. 5,000/– रुपए तक की मशीनरी, उपकरणों का मूल्य ह्रास संबंधित किए जाने वाले वर्ष में पूर्णतः किया जाता है।

ii. मूल्य ह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित संशोधित दरों पर ''सीधी रेखा पद्धति'' पर व उपयोगी जीवन के अनुसार किया जाता है।

iii. उपर्युक्त पैरा क (V) में उल्लिखित मशीनरी पुर्जों की लागत मूल संयंत्र में उपयोगी आयु के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

iv. परिसंपत्तियों को स्थापित करने और उनका इस्तेमाल करने पर मूल्य ह्रास का प्रावधान किया जाता है।

ग. उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन/निर्माण के संबंध में खर्च की गई उधार लागत उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पंजीकृत हैं जब परिसंपत्तियां वांछित उपयोग करने के लिए तैयार हों। अन्य उधार लागत को वर्ष में खर्च के रूप में लिखा जाता है जिनमें यह खर्चा किया गया हो।

घ. माल–सूचियाँ

i. माल–सूची में कच्ची सामग्रियां, पैकिंग सामग्री, भण्डार और अतिरिक्त पुर्जे, अर्द्ध–तैयार उत्पाद/वस्तुएं और तैयार स्टॉक शामिल हैं।

ii. कच्ची सामग्री को मूल्य लागत पर दिया गया है (मासिक भारित औसत)।

iii. पैकिंग सामग्रियों तथा भंडार गृह और अतिरिक्त पुर्जों के मासिक भारित औसत या तकनीकी अनुमान, जो भी कम हो, के आधार पर लागत (जिसमें वर्तमान स्थिति और स्थल को सामग्रियों तक लाने का आनुशंगिक व्यय शामिल है तथा कर प्राधिकारियों से कंपनी द्वारा वसूले गए शुल्क और करों को घटाकर) का मूल्य लिया जाता है।

(B) DEPRECIATION AND AMORTISATION

(i) Machinery, Equipments and Office Appliances costing up to ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.

(ii) Depreciation is charged on "Straight Line Method", as per useful life and rate of depreciation specified in the Schedule – II of the Companies Act, 2013 .

(iii) The cost of Machinery spares referred to in Para A (v) above are amortized over the useful life of the Original Plant.

(iv) Depreciation is provided on the assets after they are certified to be installed and put to use.

(C) BORROWING COST

Borrowing costs incurred in relation to the acquisition/construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets up to the date when such assets are ready for intended use. Other borrowing costs are charged as an expense in the year in which these are incurred.

(D) INVENTORIES

(i) Inventory includes Raw Materials, Packaging Material, Stores & Spares, Intermediate product/ goods and finished stock.

(ii) Raw Materials are valued at cost (monthly weighted average).

(iii) Packaging Materials and Stores & Spares are valued at Cost (inclusive of expenses incidental to bring the materials to the present condition and location less duties and taxes recoverable by company from taxing authorities) on the basis of monthly weighted average or technical estimates, whichever is lower.

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

iv. खुले उपकरणों को तीन वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला गया है।

v. स्टॉकः

(क) तैयार वस्तुएंः–

यूरिया का मूल्य न्यून लागत पर या निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिया जाता है जिसमें रियायत मूल्य राजसहायता और भाड़ा राजसहायता शामिल होता है।

(ख) अमोनिया जैसे मध्यवर्ती उत्पाद/वस्तुओं को लागत के कम मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिया जाता है।

(ग) अग्रेनीत खरीदे गए तैयार उत्पादों का मूल्य उसकी न्यून लागत या निवल प्राप्त योग्य मूल्य पर लिया जाता है।

(घ) कंपनी ने न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य का पता लगाने के लिए पूंजी भंडारों तथा अन्य भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों के लिए माल सूची का वर्ष–वार प्रावधान करने के लिए एक व्यापक नीति बनाई है।

प्रावधान निम्नलिखित आधार पर बनाया जाता हैः–

क्र. सं.	मदों की कालानुक्रम श्रेणी	प्रावधान (प्रतिशत)
1.	3 वर्षों तक उपयोग में न लाई गई मदें	शून्य
2.	3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक उपयोग में न लाई गई मदें	5
3.	5 वर्षों से अधिक और 10 वर्षों तक उपयोग में न लाई गई मदें	10
4.	10 वर्षों से अधिक और 15 वर्षों तक उपयोग में न लाई गई मदें	25
5.	15 वर्षों से अधिक और 20 वर्षों तक उपयोग में न लाई गई मदें	50
6.	20 वर्षों से अधिक उपयोग में न लाई गई मदें	95

(iv) Loose tools are written-off over a period of three years.

(v) Stocks of :

(a) Finished Goods :-

Urea is valued at lower of cost or net realizable value comprising concessional price subsidy and freight subsidy.

(b) Intermediate products/ goods like Ammonia is valued at lower of cost or net realizable value.

(c) Bought out finished products – are valued at lower of cost or net realizable value.

(d) The company has formulated a comprehensive policy for age wise provisioning of inventory for capital stores and other stores & spares on the book value for determining the lower of cost or net realizable value.

The provision is made on the following basis :-

Sl. No.	Age wise item category	Provision %
1	Items not moved upto 3 years	Nil
2	Items not moved for more than 3 years & upto 5 years	5
3	Items not moved for more than 5 years & upto 10 years	10
4	Items not moved for more than 10 years & upto 15 years	25
5	Items not moved for more than 15 years & upto 20 years	50
6	Items not moved for more than 20 years.	95

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(ड.) राजसहायता

राजसहायता की बिलिंग और गणना गंतव्य स्थल पर उर्वरक की प्राप्ति के आधार पर की जाती है और खातों में राजसहायता को केवल बेची गई मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है और प्रचालनों से अर्जित राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में लिखा जाता है। तथापि, अंतिम निपटान के लिए एफआईसीसी से अधिसूचना के प्राप्त होने तक आदान मूल्यों में परिवर्तन के लिए राजसहायता में समायोजन की गणना दिशानिर्देशों, नीतियों, सरकार द्वारा दिए गए अनुदेशों और स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(च) राजस्व मान्यता

i. एमएमटीसी के साथ समझौता–ज्ञापन (करार) के अनुसार तय दर के आधार पर निर्यात बिक्री को लेखा में शामिल किया जाता है बशर्ते कि भारत सरकार की नीति और उसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समायोजन किया जाए।

ii. डिलीवरी आदेश और उचित बीजक के जारी होने पर स्वदेशी बिक्री को मान्यता दी जाती है।

iii. आय/व्यय की सामान्यतः प्रोदभूत आधार पर गणना की जाती है जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया जाए।

iv. कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज की गणना मूलधन की पूरी वसूली होने के बाद की जाती है।

v. कबाड़/बचे हुए माल/अपशिष्ट सामग्रियों की गणना बेचने पर ही की जाती है।

(छ) पूर्व–प्रदत्त व्यय

आने वाले वर्षों से संबंधित अग्रिम के खर्च किए गए प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपए तक व्यय लेखाबद्ध की जाती है जिस वर्ष में खर्च किया गया हो।

(E) SUBSIDIES

The subsidy is billed and accounted for on the basis of receipt of fertilizer at the destination and credit for subsidy in the accounts is taken only for the quantities sold and stated in the Profit and Loss Statement as revenue from operations. However, pending receipt of notification from FICC for final settlement, the subsidy claim for variations in input prices is provided for in the accounts on the estimate basis taking into account the prevailing method, guidelines, policies, instructions and clarifications given by the Government.

(F) REVENUE RECOGNITION

(i) Export sale accounted for based on the rate as per Memorandum of Understanding (Agreement) with MMTC subject to the adjustment as per policy and guidelines issued by the Govt. of India.

(ii) Indigenous Sales is recognized on issue of Delivery Order and proper invoice.

(iii) Income/Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise specifically stated.

(iv) Interest on Advances to Employees is accounted for after the principal is fully recovered.

(v) Scrap/Salvage/Waste Materials are accounted for as and when sold.

(G) PRE-PAID EXPENSES

Expenditure up to ₹ 10,000/- in each case incurred in advances relating to the following year(s), is accounted for in the year in which it is incurred.

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(ज) अवधि–पूर्व समायोजन

पूर्व अवधि (अवधियों) से संबंधित आय/व्यय की गणना केवल भूल–चूक के मामलों में ही की जाती है।

(झ) आस्थगित राजस्व और विकास व्यय

निर्माण अवधि के दौरान बिक्री संवर्धन, स्टाफ प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास, आदि पर खर्च की गई राशि को पांच वर्षों की अवधि के लिए बट्टे खाते में डाला जाता है।

(ञ) उत्प्रेरक पर व्यय

उत्प्रेरक की खपत के लिए किए गए व्यय को लेखांकन मानक के साथ समकक्षता बनाए रखने के लिए उसे राजस्व में अंतरित किया जाता हैं।

(ट) सेवा–निवृत्तिलाभ

उपदान और छुट्टी नकदीकरण दायित्वो के लिए बीमांकित देनदारी का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ठ) कंपनी की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान

कंपनी की पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत भुगतान की गणना भुगतान किए जाने पर दर्ज की जाती है।

(ड) सहायता अनुदान–वीआरएस

स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना के लिए सहायता अनुदान के उपयोग की गणना नकद आधार पर की जाती है।

(ढ) आस्थगित कराधान

विवेक, समय भिन्नता, करयोग्य तथा लेखांकन आय/ व्यय के मध्य ऐसी भिन्नता, जो एक ही अवधि में हुई हो तथा एक अथवा अधिक अनुवर्ती अवधि (अवधियों) में परिवर्तन योग्य होने की शर्त पर आस्थगित कर के लिए अभिज्ञान

(H) PRIOR PERIOD ADJUSTMENT

Income/Expenditure relating to prior period(s) is accounted for only in cases of errors or omissions.

(I) DEFERRED REVENUE AND DEVELOPMENT EXPENDITURE

Expenditure incurred on sales promotion, staff training, Research and Development etc. during construction period is written off over a period of five years.

(J) EXPENDITURE ON CATALYST

Expenditure incurred towards consumption of catalyst is capitalized and depreciation charged as per its useful life given in technical specification provided by supplier.

(K) RETIREMENT BENEFITS

Provision for gratuity and leave encashment liability is made on the basis of actuarial valuation.

(L) PAYMENT UNDER COMPANY'S FAMILY PENSION SCHEME

Payment under Company's Family Pension Scheme is accounted for as and when paid.

(M) GRANT IN AID-VRS

Utilization of Grant in Aid against Voluntary Retirement Scheme is accounted for on cash basis.

(N) DEFERRED TAXATION

Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence, on timing differences, being difference between taxable and accounting income/expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period(s). Deferred Tax Assets are

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का अभिज्ञान ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों पर पर्याप्त भावी करयोग्य आय प्राप्त होने की ''वास्तविक निश्चितता'' न होने तक नहीं किया जाता है।

(ण) विदेश मुद्रा लेनदेन

भावी ठेकों में शामिल न की गई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर लिखा जाता है। नियत परिसंपत्तियों से संबंधित विनिमय अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। अन्य कोई विनिमय अंतर को लाभ और हानि लेखा में डाला जाता है।

(त) परिसंपत्तियों का अपक्षय (इम्पेयरमेंट)

किसी परिसंपत्ति की वहन लागत, उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर उसे अनर्जक परिसंपत्ति माना गया है। अनर्जक हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है, जिस वर्ष में ऐसी परिसंपत्ति की पहचान की गई थी तथा उसके अनर्जक होने की घोषणा की गई थी। वसूली योग्य राशि के अनुमान में बदलाव होने की स्थिति में अभिज्ञात की गई अनर्जक हानि के संबंध में पूर्व लेखांकन अवधि में बदलाव किया जाता है।

(थ) निवेश

सभी निवेशों का उल्लेख लागत पर किया गया है। तथापि, निवेशों के मूल्य में अस्थायी के अलावा गिरावट का पता लगाने के लिए मूल्य अवनति का प्रावधान किया गया है।

(द) आकस्मिक उत्तरदायित्व

किसी प्रावधान को तब पहचाना जाता है जब कंपनी के पास पिछले कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों के बहिस्राव को फिर दायित्व का निपटान करना होगा जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (कर्मचारी के लाभ को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती

not recognized unless there is "Virtual Certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

(O) FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Foreign currency assets and liabilities not covered by forward contracts are stated at rates ruling at the year end. Exchange differences relating to fixed assets are adjusted in the cost of the assets. Any other exchange differences are dealt with in the Profit and Loss Account.

(P) IMPAIRMENT OF ASSETS

An asset is treated impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the Profit & Loss Account in the year in which an asset is identified and declared as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

(Q) INVESTMENTS

All investments are stated at cost. However, a provision for diminution in value is made to recognize a decline other than temporary in the value of investment.

(R) CONTINGENT LIABILITIES

A provision is recognized when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding employee benefits) are not discounted to their present value and are determined

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

है, और उन्हें तुलनपत्र की तारीख पर दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित उत्कृष्ट अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है और वर्तमान उत्कृष्ट अनुमानों को पुनः प्राप्त करने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देनदारियां का टिप्पणियों में खुलासा किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है और न ही इनका खुलासा किया जाता है।

कंपनी के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से कर्मचारियों/ग्राहकों/आपूर्तिकर्ताओं, आदि द्वारा कर या अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाही द्वारा या कंपनी के खिलाफ दावे शामिल होते हैं। कंपनी ने अपने लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और अपने वित्तीय विवरणों में जहां अपेक्षित है और जहां लागू है, वहां आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी का मानना है कि इन कार्यवाहियों के परिणामों का इसके वित्तीय विवरणों पर भौतिक रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और आकस्मिक देनदारियों के लिए उपयुक्त खुलासा टिप्पणी सं. 2.29 में दिया गया है।

based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed in the Notes. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

The Company's pending litigations comprise of claims by or against the Company primarily by the employees/customers/suppliers, etc. and proceedings pending with tax and other government authorities. The Company has reviewed its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where Provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements. The Company does not expect the outcome of these proceedings to have a materially adverse effect on its financial statements and appropriate disclosure for contingent liabilities is given refer note no. 2.29.

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

31 मार्च 2021 तक के आकस्मिक दायित्व निम्नानुसार हैं:

(₹ in lacs)

		2020-21	2019-20
a)	कंपनी के खिलाफ दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया:		
(i)	मुकदमे बाजी और अन्य प्रतिबद्ध ताएँ:	99.97	99.97
(ii)	सीएसटी,एंट्री कर तथा वैट के खिलाफ कर देनदारियाँ	622.06	626.29
(iii)	एईआरसी नियमन 2010	666.92	835.00
	कुल	**1388.95**	**1561.26**
b)	पूँजी खाते पर निष्पादित अनुबंधों की अनुमानित राशि शेष	0	0

As on 31st March 2021 contingent liability are as under:

(₹ in lacs)

		2020-21	2019-20
a)	Claims against the Company not acknowledged as debts:		
(i)	Litigation and Other Commitments :	99.97	99.97
(ii)	Tax Liabilities against 'CST', Entry Tax &VAT	622.06	626.29
(iii)	AERC Regulation 2010	666.92	835.00
	TOTAL	**1388.95**	**1561.26**
b)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital Account	0	0

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the Board

ह./–	ह./–	ह./–
आर.के. गुप्ता	**एस सी दास**	**ए के घोष**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08988297	डीआईएन : 08222413
Sd/-	Sd/-	Sd/-
R.K.Gupta	**S.C. Das**	**A. K. Ghosh**
Company Secretary	Director (Finance)	Chairman & Managing Director
	DIN : 08988297	DIN : 08222413

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date annexed
कृते पारिक एंड कंपनी
For Parik & Co.

Place : Namrup
स्थान : नामरूप

Date : 27/09/2021
दिनांक : 27/09/2021

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants

ह./–
सीए बिपिन कुमार
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता सं. 059805
ICAI Membership No. 059805
सीएण्डएजी एमपैलनमैंट सं. ईआर 0855
C&AG Empanelment No. ER 0855
Place : Guwahati
स्थान : गुवाहाटी

Sd/-
CA Bipin Kumar
Partner

फर्म पंजी. सं. : 302147 ई
Firm Regn. No : 302147E
यूडीआईएन : 21059805AAAAFP6605
UDIN : 21059805AAAAFP6605
Date : 27/09/2021
दिनांक : 27/09/2021

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

NOTE No. 2. NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS
टिप्पणी 2. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

	विवरण		PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.1 : शेयर पूंजी		NOTE 2.1 : SHARE CAPITAL			
	प्राधिकृत पूंजीः		**Authorised Capital :**		
	1000 रु. प्रति शेयर मूल्य वाले 5,100,000 इक्विटी शेयर		5,100,000 Equity Shares of ₹ 1,000/- each	51,000.00	51,000.00
	जारी, अभिदत्त और प्रदत पूंजीः		Issued, Subscribed & Paid up Capital :		
	प्रोमोटरों का अंशदान		Promoters' Contribution		
	प्रत्येक 1,000/–रुपए के 100 इक्विटी शेयर		100 Equity Shares of ₹ 1,000/- each	1.00	1.00
	पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार से नकद में प्राप्त इक्विटी प्रत्येक 1,000/– रुपए के 588000 के इक्विटी शेयर।		Equity received in cash from GoI against Revamp 588000 Equity Shares of Rs. 1,000/- each	5,880.00	5880.00
	अन्य		Others		
	प्रत्येक 1,000/– रुपए के 3,070,224 इक्विटी शेयर 01.04.02 से हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 05.04.2002 को निवल परिसंपत्तियों के अंतरण के लिए जारी किया गए।		3,070,224 Equity Shares of ₹ 1,000 /- each issued against transfer of Net Assets as at 05.04.2002 w.e.f. 01.04.02 from Hindustan Fertilizer Corporation Limited.	30,702.24	30,702.24
				36,583.24	**36,583.24**
	5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण :		The details of shareholders holding more than 5% shares :		
	क्र.सं. शेयरों की सं. शेयरधारकों के नाम		**Sl. No. No. of shares Name of Share holders**	**% held**	**% held**
	1. 3,658,224 भारत सरकार		1. 3,658,224 Govt. of India	100%	100%
टिप्पणी 2.2 : आरक्षित निधियां और अधिशेष		NOTE 2.2 : RESERVES AND SURPLUS			
	ख. लाभ एवं हानि का विवरण		**Statement of Profit and Loss**		
	आरंभिक शेष		Opening Balance	(47,936.04)	(34,965.94)
	जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		Add: During the year Profit/(Loss)	(13,775.24)	(12,970.10)
	योग		**Total**	**(61,711.28)**	**(47,936.04)**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

	टिप्पणी : 2.3 दीर्घावधि ऋण	NOTE 2.3 : LONG-TERM BORROWINGS			
1.	असुरक्षित ऋण	**1.**	**Unsecured Loan**	**31 मार्च, 2021 31 March, 2021**	**31 मार्च, 2020 31 March, 2020**
	भारत सरकार से ऋण (भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण)		Loan from Govt. of India (Interest free loan from GoI)	57,275.00	57,275.00
	योग		**Total**	**57,275.00**	**57,275.00**

टिप्पणी 2.4: आस्थगित–कर देनदारियां		**NOTE 2.4 : DEFFERRED-TAX LIABILITIES**			
	आस्थगित कर देनदारियां		Defferred Tax Liabilities	-	-
	योग		**Total**	**-**	**-**
टिप्पणी 2.5 : अन्य दीर्घावधि देनदारियां		**NOTE 2.5 : OTHER LONG-TERM LIABILITIES**			
1.	निम्नलिखित से प्राप्त हुई प्रतिभूति जमाराशि	1.	Security Deposit received from		
	क) आपूर्तिकर्ता		a) Suppliers	155.86	144.57
	ख) ठेकेदार		b) Contractors	721.96	662.04
	ग) कर्मचारी		c) Employees	7.57	7.43
	घ) ग्राहक		d) Customer	528.89	527.89
2.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड को देय	2.	Payable to Hindustan Fertilizer Corporation Ltd	534.89	534.89
	योग		**Total**	**1,949.17**	**1,876.82**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

	विवरण		PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.6: दीर्घावधि प्रावधान		NOTE 2.6 : LONG-TERM PROVISIONS			
1	**कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान**	1	**Provisions for Employee Benefits**		
	उपदान के लिए प्रावधान		Provision for Gratuity	3,057.75	3,387.45
	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		Provision for Leave Encashment	1,297.19	1,393.79
	योग		**Total**	**4,354.94**	**4,781.24**
2	**एएस 15 (संशोधित) के अनुसरण में प्रकटन – कर्मचारी हितलाभः**	2	**Disclosure pursuant to AS 15 (Revised) 2005)- Employee Benefits:**		
	कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी कर्मचारी के लाभ के लिए एएस 15 (संशोधित 2005) अपनाया है।		The Company has adopted AS 15 (Revised 2005) for Employee Benefits issued by ICAI.		
	अंगीकरण के परिणामस्वरूप, लेखांकन, आदि से संबंधित निम्नलिखित प्रकटन एएस 15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत व्यवहार्य के अनुसार बनाए गए हैं।		Consequent to the adoption, the following disclosures related to accounting etc. are made as far as practicable under AS 15 (revised 2005) requirement.		
	2.1) परिभाषित अंशदान योजनाए		**2.1) Defined Contribution Plans**		
	कर्मचारियों और कार्यपालकों के लिए भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान 474.67 लाख रुपए है। (पिछले वर्ष 501.99 लाख रुपए)		The Company's contribution to Provident Fund for employees and executives is Rs. 474.67 lakhs (Previous year Rs. 501.99 lakhs)		
	2.2) परिभाषित लाभ योजनाएं		**2.2) Defined Benefit Plans**		
	''लाभ परियोजनाएं, जो संचालन में हैं, भविष्य निधि और विशेष छुट्टी हैं। बाध्यता का वर्तमान मूल्य परियोजना इकाई क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए बीमांकित मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें सेवा प्रत्येक अवधि को कर्मचारी के लाभ के पात्रता की अतिरिक्त इकाई बढ़ते हुए मान्यता दी जाती है और अंतिम बाध्यता बनाने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा जाता है। विशेष छुट्टी के लिए बाध्यता को उपदान के रूप में उसी ढंग से मान्यता दी जाती है।''		The Benefit Plans which are in operation are Gratuity Fund and Privilege Leave. The present value of the obligation is determined based on Actuarial Valuation using the Project Unit Credit (PUC) method, which recognizes each period of service as giving rise to additional unit of employee benefits entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation for Privilege Leave is recognized in the same manner as gratuity.		

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

	विवरण		PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
	2.3) बीमांकिक द्वारा प्रमाणित अनुसार विभिन्न आंकड़े :		**2.3) Various data as certified by Actuary :-**		
	क. निश्चित लाभ बाध्यता के आदि और अंत बकाया में समायोजन		**A. Reconciliation of opening and closing balance of Defined benefits Obligation**	**Gratuity**	**Privilege Leave**
	वर्ष की शुरु में दायित्व का वर्तमान मूल्य		Present value of Obligation at the beginning of the year	4,428.19	1,800.38
	अर्जन समायोजन		Acquisition Adjustment	-	-
	ब्याज लागत		Interest Cost	300.67	122.25
	पिछली सेवा लागत		Past Service Cost	-	-
	वर्तमान सेवा लागत		Current Service Cost	234.26	126.83
	कटोती लागत		Curtailment Cost	-	-
	निपटान लागत		Settlement Cost	-	-
	दिए गए लाभ		Benefits Paid	(850.32)	(554.41)
	बाध्यताओं का बीमांकिक (लाभ)/हानि		Actuarial (gain)/loss of obligations	(539.38)	4.93
	वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य		**Present value of obligation at the end of the year**	**3,573.42**	**1,499.98**
	i) दीर्घावधि देनदारी		i) long term liability	3057.75	1,297.19
	ii) वर्तमान देनदारी		ii) current liability	515.67	202.79
				3573.42	**1499.98**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.6 : दीर्घावधि प्रावधान (जारी...)	NOTE 2.6 : LONG-TERM PROVISIONS (Contd)		
ख. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण	**B. Statement showing change in fair value of plan assets**		
लागू नहीं होता क्योंकि योजना पर वित्त–पोषण नहीं दिया जाता।	Not Applicable as Scheme is unfunded.		
ग. विनिर्दिष्ट लाभ बाध्यता और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के वर्तमान मूल्य में पुनः समायोजन	**C. Reconciliation of present value of defined benefit obligation and fair value of plan assets.**		
लागू नहीं होता क्योंकि योजना पर वित्त–पोषण नहीं दिया जाता।	Not Applicable as Scheme is unfunded.		
घ. लाभ/हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**D. Expenses Recognized in Statement of Profit/ Loss**		
		उपदान **Gratuity**	विशेष छुट्टी **Privilege Leave**
वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	234.26	126.83
पिछली सेवा लागत	Past Service Cost	-	-
ब्याज लागत	Interest Cost	300.67	122.25
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	Expected return on Plan Assets	-	-
कटौती लागत	Curtailment Cost	-	-
निपटान लागत	Settlement Cost	-	-
बाध्यताओं का बीमांकिक (लाभ)/हानि	Actuarial gain/(loss) of obligations	(539.38)	4.93
लाभ/हानि के विवरण में पता लगाए गए व्यय	Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss	(4.45)	254.01
ङ. बीमांकिक अनुमान	**E. Actuarial Assumptions**		
		उपदान **Gratuity**	विशेष छुट्टी **Privilege Leave**
मृत्युसंख्या तालिका (एलआईसीआई)	Monthly Table (LICI)	2006 - 08	2006 - 08
अधिवर्षिता आयु	Superannuation Age	60	60
समय पूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता	Early Retirement & Disablement		
(10 प्रति हजार प्रतिवर्ष)	(10 Per Thousand P.A)		
– आयु 45 वर्ष से अधिक	- age above 45	6	6
– आयु 29 और 45 वर्ष के बीच	- age between 29 and 45	3	3
– आयु 29 वर्ष से कम	- age below 29	1	1
छूट दर	Discount Rate	6.79%	6.79%
मुद्रास्फीति दर	Inflation Rate	5.00%	5.00%
परिसंपत्ति प्रतिलाभ दर	Rate of Return	N / A	N / A
च. उपर्युक्त पर टिप्पणियां कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत कंपनी की भविष्य निधि ट्रस्ट को दिनांक 08.09.2007 अधिसूचना संख्या AS/620/Exempt / Genl/ 1468 मे माध्यम से छूट दी गई है। हालांकि, कंपनी की पिछली लाभप्रदता के कारण, ईपीएफओ ने छूट आदेश वापस लेने के लिए दिनांक 20.04.2009 की सं AS/ TSK/ EXEMPT/APCL /2008 / 287 के माध्यम से एक नोटिस जारी किया है।	**F. Notes on above** The Company's Provident Fund Trust was granted relaxation under para 79 of Employees Provident Fund scheme 1952 vide Notification No. AS/620/Exempt / Genl/ 1468 dtd. 08.08.2007. However, due to past profitability of the company, EPFO has issued a notice vide No. AS/ TSK/ EXEMPT/APCL / 2008 / 287 dtd. 20.04.2009 for withdrawal of relaxation order.		

Notes forming part of the financial statements (contd.)
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी....)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.6 : दीर्घावधि प्रावधान (जारी...)	**NOTE 2.6 : LONG-TERM PROVISIONS (Contd)**		
च. उपर्युक्त पर टिप्पणियां	**F. Notes on above**		
तत्पश्चात नामरुप फर्टिलाइजर श्रमिक यूनियन ने आरपीएफसी, तिनसुकिया द्वारा छूट आदेश को वापस लेने / रद्द कने के लिए माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की एक रिट याचिका संख्या 5310 दाखिल की। इसके बाद माननीय न्यायाधीश श्री आई.ए अंसारी ने 7 अप्रैल 2010 के निर्णय द्वारा यह आदेश और निर्देश दिए कि अगला आदेश होने तक प्रतिवादी बीवीएफसीएल के भविष्य निधि खाते को न्यायालय की जानकारी के बिना ईपीएफओ में स्थास्तांतरित नहीं करेगा। दिनांक 13.03.2018 को माननीय उच्च न्यायालय की अंतिम सुनवाई के दौरान, यह देखा गया था कि ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के पैरा 79 के तहत छूट प्रदान / रद्द करने के लिए आरपीएफसी को सौंपे गई शक्तियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.07.12 के पत्र क्रमांक C & II / MISC / 02/06 / EX / Vol & I / 11854 द्वारा वापस लिया गाया था। न्यायालय के पास भारत सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है अतः 2009 की रिट याचिका सं. 5310 को अनावश्यक मानते हुए तत्काल बंद कर दिया गया है।	Thereafter, Namrup Fertilizer Shramik Union filed a writ Petition No. 5310 of 2009 before the Hon'ble Guwahati High Court for set aside / quash the withdrawal of relaxation order by RPFC, Tinsukia. Subsequently, the Hon'ble Justice Mr. I. A. Ansari vide judgement dated 7th April 2010 has ordered and directed that until further order, therespondents shall not transfer the Provident Fund Account of BVFCL to EPFO without obtaining leave of the Court. During final hearing of the Hon'ble High Court on 13.03.2018, it was viewed that since power delegated to RPFC for grant / cancell of relaxation under para 79 of EPF & MP Act 1952 have been withdrawn by Ministry of Labour & Employment, GoI vide letter No. C - II / MISC/ 02 / 06/ EX / Vol - I / 11854 Date 24.07.12, The Court has no basis to cause interference with the impugned decision of the GoI and the instant Writ petition No. 5310 of 2009 stands closed as having become redundant.		
तथापि हमारे दिनांक 07.05.2018 के पत्र सं A/VI/PF/EXMPT/18&19/10042 द्वारा आईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के पैरा 17 (1) (क)के तहत छूट देने के लिए अतिरिक्त सीपीएफ आयुक्त (छूट),आईपीएफओ, नई दिल्ली को एक अभ्यावेदन दिया गया है जो विचारधीन है लेकिन अंतिम आदेश अभी प्राप्त होना है ।	However, a representation has been made to Addl. CPF Commissioner (Exemption), EPFO, New Delhi vide our letter No. A/VI/PF/ EXEMPT/ 18 - 19 / 10042 Date 07.05.2018 for grant of relaxation under para 17(1) (a) of EPF & MP Act.' 1952 which is under consideration but final order is yet to come.		
इसके बाद, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.03.2018 को दिये गए निर्णय के अनुसार आरपीएफसी, टीएस के, पत्र क्रमांक NI / TSK / BVFCL / 1334 दिनांक 13 सितंबर 18 को अंतिम आधार पर बीवीएफसीएल ईपीएफ ट्रस्ट के पिछले संचय को सीबीटी खाते में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। इस बीच, सीपीएफसी और आरपीएफसी के साथ अनुदान की छूट के लिए लगातार संचार की श्रृंखला हमारे पत्रों दिनांक 2 मई 2018, 16 जुलाई 2018, 8 अगस्त 2018, 28 सितंबर 2018 और 22 अक्टूबर, 2018 द्वारा किया गया। लेकिन सीपीएफसी और आरपीएफसी द्वारा इस संबद्ध में न तो कोई प्रतिनिधित्व आया और न ही पत्रों का जवाब दिया गया।	Subsequently, the RPFC, TSK, vide letter No. NE/TSK/Exe/ BVFCL/ 1334 dated 13th September'18 has ordered for transfer of past accumulation of BVFCL EPF Trust to CBT Account based on the final judgement of Hon'ble High Court on 13.03.2018. In the meantime, series of communication have been made with CPFC & RPFC for grant of relaxation vide our letter dated 2nd May 2018, 16th July2018, 8th August 2018, 28th September 2018 and 22nd October 2018. But no representation have been responded by either CPFC & RPFC.		
बाद में, 27 सितंबर 2018 को आयोजित न्यासी बोर्ड ने अपनी 36 वीं बैठक में एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के साथ फाइल करने का फैसला किया और कार्यकारी अधिकारी / ट्रस्ट सचिव या ट्रस्टी द्वारा प्रतिनिधि निष्पादित सदस्य को / ट्रस्ट के कर्मकार की याचिका दायर करने को अधिकृत किया गया। तदनुसार, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में केस संख्या WP (C) 7528 / 2018 दिनांक 01.11.2018 को एक रिट याचिका दायर की गई। माननीय न्यायालय ने 19.11.2018 को संचालन को रोकने का आदेश दिया गया और आरपीएफसी, तिनसुकिया द्वारा जारी पत्र दिनांक 13 सितंबर 2018 तथा निर्देश के लिए मामला तय कर दिया। 19.11.2018 को, पक्षों को सुनने के बाद पुनः 18.12.2018 को निर्देश के लिए मामला तय किया है। 18.12.2018 को यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य किसी की ओर से कोई वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ और इसलिए माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस बीच 31 अक्तूबर 2018 के आदेश पर रोक जारी रहेगी। आगे की तारीख के लिए निर्देश के अनुसार कोई तारीख तय नहीं की गई है।	Later on, The Board of Trustees in its 36th meeting held on 27th September 2018, have decided to file a Writ Petition again with Hon'ble High Court and Authorized the Executive Officer / Secretary of the Trust and any member trustee representing workman / employee on behalf of the Trust to execute the petition. Accordingly, a Writ Petition have been filed with Guwahati High Court on 01.11.2018 vide Case No. WP(C) 7528/2018. The Hon'ble Court has fixed the case for instruction on 19.11.2018 and ordered to staying the operation of latter dated 13th September 2018 issued by RPFC, Tinsukia. On 19.11.2018, upon hearing the parties has fixed the case for instruction on 18.12.2018. No counsel on behalf of Union of India & Ors has attended the Court on 18.12.2018, hence the Hon'ble Court further pleased to direct that the stay Order dated 31st October 2018 will in the meantime shall continue. No further date has fixed for instruction till date.		
कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट ने अपने सचिव के द्वारा रिट पिटिशन 25.10.18 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के समक्ष एकतरफा प्रार्थना की और आदेश संख्या, NE / TSK / Exe / BVFCL / 1334 दिनांक 13.09.2018 को रद्द करने की प्रार्थना की। दिनांक 13.09.2018 को प्रतिवादी संख्या–4 (अर्थात आरसीपीई –1 तिनसुकिया) और पत्र क्रमांक C&EX/C&11/14(16)/2005/Ex/EZ दिनांक 24.09.18 को प्रतिवादी संख्या 2 (यानि ईपीएफओ नई दिल्ली) द्वारा जारी किया गया और विहित आदेश संख्या दिनांक 31.10.2018 माननीय उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा कर दिनांक 13.09.2018 और 24.09.2018 को लगाया गया आदेश को रद्द कर दिया गया। अंतिम तिथि 06.03.2019 को थी और और माननीय न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि पहले दिया गया अन्तरिम आदेश (यानि 31.10.2018 को) ऐसे ही लागू रहेगा, अगली तारीख अभी तक तय नहीं की गई है।	Employees Provident fund Trust (BVFCL EPF TRUST), Rep. by its Secretary field writ pitition on 25.10.8 before Gauhati High Court praying interalia for setting aside and quash the order No, NE/TSK/Exe/BVFCL/1334 dated 13.09.2018 issued by respondent No. - 4 (i.e. RCPF -1, Tinsukia) and letter No. - C - EX/C- II/14(16)/ 2005/ Ex/ EZ dated 24.09.2018 issued by the respondent No. 2 (i.e. EPFO, New Delhi) and vide Order dated 31.10.18 honourable High Court stayed the operation of impuged order dated 13.09.2018 & 24.09.2018. Last date was fixed on 06.03.2019 and honourable Court further ordered that the interim order passed earlier (i.e. on 31.10.2018) shall remain in force, Next date has not been fixed till date.		
अंतिम तिथि 06.03.2019 को निर्धारित की गई और माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा।	Last date was fixed on 06.03.2019 and honourable Guwahati High Court ordered then the interim order passed earlier shall continued.		

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी...)
Notes forming part of the financial statements (contd.)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.7 : व्यापार देयताए	**NOTE 2.7 : TRADE PAYABLES**		
1 क) एमएसई की कुल बकाया राशि	1 a) Total Outstanding dues of MSE)	56.15	96.75
ख) एमएसई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	b) Total Outstanding dues of creditors other than MSE	3,433.89	3,750.59
योग	**Total**	**3,490.04**	**3,847.34**
2 एमएसएमई की उपर्यक्त राशि उपलब्ध सूचना से पहचान कि गई है।	2 Above amount of MSE has been identified from available information.		
उपरोक्त देयताओं को भुगतान 30 दिनों के भीतर किया गया है।	Above dues have been paid within 30 days.		
सूक्ष्म, लघु अमद मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के तहत बकाया राशि का ब्यौरा कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है जो निम्न प्रकार है :	The details of amounts outstanding to Micro, Small and Medium Enterprise under the Micro, Small amd Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act), based on the available information with the Company are as under.		
विवरण	**Particulars**	**As at 31.03.21**	**As at 31.03.20**
क) मूल देय राशि और शेष भुगतान न की गई बकाया राशि	a. Principal amount due and remaining unpaid	-	-
ख) ऊपर (क) पर देय राशि और भुगतान न किया गया ब्याज	b. Interest due on (a) above and unpaid interest	-	-
ग) एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विलंब से किए सभी भुगतानों पर दिया गया ब्याज	c. Interest paid on all delayed payments under the MSMED Act	-	-
घ) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया भुगतान	d. Payment made beyond the appointed day during the year	-	-
ड़) उपरोक्त (ग)के अलावा अन्य विलंब की अवधि के लिए देय और दिया गया ब्याज	e. Interest due and payable for the period of delay other than (c) above	-	-
च) प्रोद्भूत ब्याज और भुगतान न कि गई शेष राशि	f. Interest accrued and remaining unpaid	-	-
छ) आने वाले वर्षों में आगे देय और दिया जाने वाला ब्याज	g. Amount of further interest remaining due and Payable in succeeding years	-	-

Notes forming part of the financial statements (contd.)
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी....)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.8 : अन्य वर्तमान देयता	**NOTE 2.8 : OTHER CURRENT LIABILITIES**		
सांविधिक प्रेषण (भविष्य निधि, वैट,स्थगित कर, उत्पाद शुक्ल, सेवा कर आदि)	Statutory remittances (Contributions to PF, VAT Withholding taxes, Excise Duty,VAT, Service Tax etc)	211.65	1,733.59
ग्राहकों से अग्रिम	Advances from Customers	1,328.56	399.07
उपदान और अवकाश नकदीकरण की वर्तमान देनदारीयां	Current dues of Gratuity & Leave encashment	718.47	1,447.33
अन्य	**Others**		
i) व्यापार देयताओं के अलावा विविध लेनदार	i) Sundry Creditors other than Trade Payables	4,128.26	5,311.38
ii) व्यय देयता	ii) Liability for Expenses	623.98	522.79
iii) अन्य देयताएं	iii) Other Liabilities	517.91	521.76
		7,528.83	**9,935.92**

Notes forming part of the financial statements (contd.)
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी....)

(रुपए लाखों में) (₹ In lacs)

NOTE 2.9 : FIXED ASSETS
टिप्पणी 2.9 : नियत परिसंपत्तियां

विवरण	PARTICULARS	सकल ब्लॉक Gross Block					मूल्यह्रास / परिसोधन Depreciation / Amortisation					निवल ब्लॉक Net Block	
		01.04.2020 को As at 01.04.2020	परिवर्धन Additions	बट्टे खाते में डालने के लि, कटौती Deductions for Write off	समायोजन के लि, कटौती Deduction for adjustment	31.03.2021 को As at 31.03.2021	01.04.2020 को As at 01.04.2020	वर्ष के लिए For the Year	बट्टे खाते में डालने के लि, कटौती Deductions for Write off	पूर्व अवधि / अन्य समायोजन Prior period/ Other Adjustment	31.03.21 तक Upto 31.03.2021	31.03.21 को As at 31.03.21	31.03.20 को As at 31.03.20
क. मूर्त परिसंपत्तियां	**A. TANGIBLE ASSETS**												
भूमि	Land												
फ्रीहोल्ड	Freehold	176.95	-	-	-	176.95	10.83	-	-	-	10.83	166.12	166.12
भवन	Buildings	3,971.10	-	-	-	3,971.10	3,662.62	12.43		-	3,675.05	296.05	308.48
विद्युत स्थापनाएं	Electrical Installations	252.34	-	-	-	252.34	234.65	1.76		-	236.41	15.93	17.69
संयंत्र और मशीनरी	Plant and Machinery	1,04,343.59	836.08	(271.04)	-	1,04,908.63	81,296.96	3,462.30	(79.71)	(131.11)	84,548.44	20,360.19	23,046.63
उत्प्रेरक	Catalyst	-	442.09	-	-	442.09	-	4.89	-	-	4.89	437.20	-
फैक्टरी और कार्यालय उपकरण	Factory & Office Equipment	520.66	0.24	-	-	520.90	448.55	10.14		-	458.69	62.21	72.11
फर्नीचर और फिक्सचर	Furniture and Fixtures	228.22	-	-	-	228.22	210.39	2.48		-	212.87	15.35	17.83
कंप्यूटर	Computer	176.11	-	-	-	176.11	167.87	6.20		-	174.07	2.04	8.24
वाहन	Vehicles	274.29	-	-	-	274.29	241.82	4.00		-	245.82	28.47	32.47
सड़कें, पुल और पुलिया	Roads Bridges & Culverts	225.01	-	-	-	225.01	209.09	2.46		-	211.55	13.46	15.92
रेलवे साइडिंग	Railway Slidings	2,264.77	-	-	-	2,264.77	1,468.68	117.62		131.11	1,717.41	547.36	796.09
जल प्रणाली	Water System	583.35	-	-	-	583.35	455.22	15.29		-	470.51	112.84	128.13
योग (क)	**Total (A)**	**1,13,016.39**	**1,278.41**	**(271.04)**	**-**	**1,14,023.76**	**88,406.68**	**3,639.57**	**(79.71)**	**-**	**91,966.54**	**22,057.22**	**24,609.71**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां	**B. INTANGIBLE ASSETS**												
कंप्यूटर साफ्टवेयर	Computer software	34.07	-	-	-	34.07	32.37	-	-		32.37	1.70	1.70
योग (ख)	Total of (B)	34.07	-	-	-	34.07	32.37	-	-	-	32.37	1.70	1.70
(क+ख) का योग	Total of (A+B)	1,13,050.46	1,278.41	(271.04)	-	1,14,057.83	88,439.05	3,639.57	(79.71)	-	91,998.91	22,058.92	24,611.41
पिछला वर्ष	Previous year	1,12,583.27	812.79	(342.74)	(2.86)	1,13,050.46	84,850.47	3,669.61	(78.41)	(2.62)	88,439.05	24,611.41	
विकास अधीन परियोजनाएं	Project under Development	715.68	-	-	-	715.68	-	-	-	-	-	715.68	715.68
चल रहा पूंजीगत कार्य	Capital Work in Progress	Op. balance	Addition	Issue	Prov. For obs.	Cl. Balance	-	-	-	-	-	Cl.. balance	Op. Bal.
पूंजीगत भंडार	Capital Stores	961.25	-	(67.41)	(265.38)	628.46	-	-	-	-	-	628.46	961.25
सीडब्ल्यूआईपी का योग	Total of CWIP	961.25	-	(67.41)	(265.38)	628.46	-	-	-	-	-	628.46	961.25

Notes forming part of the financial statements (contd.)
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी....)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

टिप्पणी 2.9 : स्थायी परिसंपत्तियां (जारी)..

1. दिनांक 01 अप्रैल 2002 को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड से ली गई स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल लागत और संबंधित एकत्रित मूल्यह्रास शामिल है।

2. मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया है या अन्यथा नीचे दिए गए अनुसार लिया/पुनः लिखा गया है:–

NOTE 2.9 : FIXED ASSETS (Contd.)

1. Includes original cost and corresponding accumulated depreciation on Fixed Assets taken over from Hindustan Fertilizer Corporation Limited as on 1st April, 2002.

2. Depreciation has been provided or otherwise charged/written-back as detailed below :-

		2020-21	2019-20
लाभ हानि का विवरण	Statement of Profit & Loss	3,639.57	3,669.61
कुल मूल्यह्रास	**Total Depreciation**	**3,639.57**	**3,669.61**

3. कंपनी ने 31 मार्च 2021 को आंतरिक तकनीकी समिति में रिपोर्ट दिनांक 11.06.2021 के आधार पर प्रतिस्थापित नीयत परिसमपत्तियों के बट्टा खाता मूल्य के लिए वर्ष के दौरान 191.33 लाख रुपए (पिछले वर्ष 264. 33 लाख रुपए) मूल्यह्रास का निवल को बट्टे खाते में दाल दिया है, क्योंकि बही मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सका। ऐसी परिस्थापित अधिकांश परिसंपत्तियाँ पिछले वर्षों से संबन्धित है।

3. The company has written off Rs. 191.33 lakhs (net of depreciation) during the year (Previous year Rs. 264.33 lakhs) towards written down value of replaced fixed assets on the basis of report dated 11.06.2021 of an inhouse technical committee as on 31st March, 2021 since book value was not ascertainable, major part of such replaced assets related to earlier years.

Notes forming part of the financial statements (contd.)
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी....)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.10 : दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	**NOTE 2.10 : LONG-TERM LOAN AND ADVANCES**		
पूंजी अग्रिम	Capital Advances		
सुरक्षित, जिन्हें अच्छा माना गया	Secured, considered good	-	-
असुरक्षित, जिन्हें अच्छा माना गया	Unsecured, considered good	14.64	-
संदिग्ध	Doubtful	30.77	30.77
घटाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(30.77)	(30.77)
योग	**Total**	**14.64**	**-**

Notes forming part of the financial statements (contd.)
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी....)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिपपणी 2.11 : <u>माल सूची</u>	**NOTE 2.11 : <u>INVENTORIES</u>**		
1. मध्यवर्ती उत्पाद / वस्तुएं (अमोनिया) (मूल्य न्यूनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य पर)	1. Intermediate product/goods (Ammonia) (valued at lower of cost or net realisable value)	62.99	287.56
2. तैयार उत्पाद(व्यापार की प्राप्ति के अलावा) (न्यनतम लागत या निवल प्राप्ति मूल्य पर जिसमें रियायत मूल्य राजसहायता के तत्व और भाड़ा राजसहायता शामिल हैं)	2. Finished goods (other than those acquired for Trading) {Valued at lower of cost or net realisable value including element of Concession Price Subsidy).	761.42	1,735.34
3. ट्रेडेड प्रोडक्ट्स का स्टॉक (एसएसपी)	3. Stock of traded Products (SSP)	3.95	-
4. अन्य (लागत या निवल प्राप्ति मूल्य से कम मूल्य पर)	4. Others (valued at lower of cost or net realisable value)		
खाद्यान्नों का स्टॉक	Stock of Food Grains	0.41	0.30
निरीक्षण के अधीन भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	Stores & Spares under inspection	53.84	0.42
मार्गस्थ में भंडार	Stores in Transit	-	-
		54.25	0.72
5. **भंडार और अतिरिक्त पुर्जे (लागत पर)**	**5. Stores and spares (At cost)**	**3,163.01**	**3,323.85**
पैकिंग सामग्रियों का स्टॉक (लागत पर)	Stock of packing materials (At cost)	123.20	141.84
घटा :	Less :		
क) पुरानेपन और हानि के लिए प्रावधान	a) Provision for obsolescence & Impairement	(1,267.00)	(1,666.06)
ख) कमी के लिए प्रावधान	b) Provision for shortage	(30.67)	(30.67)
		1,988.54	1,768.96
योग	**Total**	**2,871.15**	**3,792.58**

6. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान तैयार वस्तुएं, मध्यवर्तियों और पैकिंग सामग्री (एचडीपीई बैग) का वास्तविक सत्यापन किया गया है और पाई गई विसंगतियों/नुकसान खातों में उचित प्रकार से दर्ज किया गया हैं।

7. कंपनी ने टिप्पणी 1(घ)(V)(घ) में उल्लिखित अनुसार भंडारों और पुर्जों के लिए उनकी आयु के अनुसार प्रावधान के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है।

6. Physical verification of Finished Goods, Intermediaries, and Packing Materials (HDPE Bags) have been carried out during the financial year 2020 - 21 and discrepancies/ damages found have been properly dealt with in the accounts.

7. The company has formulated a comprehensive policy for age wise provisioning for inventories of Stores and spares as stated in Note 1 (D)(v)(d).

Notes forming part of the financial statements (contd.)
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी....)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.12 : व्यापार प्राप्तियां	**NOTE 2.12 : TRADE RECEIVABLES**		
भुगतान के लिए देय तारीख से छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियां	Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment		
राजसहायता (भारत सरकार)	Subsidy (Government of India)	1,749.74	20,232.86
अन्य	Others	93.55	16.85
		1,843.29	**20,249.71**
छः माह से कम अवधि व्यापार प्राप्तियां	**Trade Receivable less than six months**		
राजसहायता (भारत सरकार)	Subsidy (Government of India)	(1,959.26)	7,136.68
अन्य	Others	1,015.29	1,386.83
		(943.97)	**8,523.51**
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful receivables	(46.90)	(45.35)
		(990.87)	8,478.16
योग	**Total**	**852.42**	**28,727.87**
व्यापार प्राप्तियों का योग :	**Aggregrate of Trade receivables :**		
अरक्षित जिन्हे अच्छा माना गया हैं	Unsecured, Considered good	852.42	28727.87
अरक्षित जिन्हे संदिग्ध माना गया है	Unsecured Considered doubtful	46.90	45.35
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful receivables	(46.90)	(45.35)
योग	**Total**	**852.42**	**28727.87**

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2016 – 17 के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस के मूल्य के कमी के कारण नामरूप–II और नामरूप III संयंत्र की रियायत मूल्य में कमी पाई गई। इस कमी के परिणामस्वरूप हमने एफआईसीसी को वर्ष 2016–17 के दौरान के लिए प्राप्त अतिरिक्त अनुदान की 1,3100.00 लाख रुपए की राशि वापस कर दी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 के दौरान अतिरिक्त ब्याज कि राशि पर जोकि 3269.30 लाख रुपए थी एफआईसीसी की ओर से उसकी भी कटौती की गई। जो हमारे लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था और जिसके कारण हमें कार्यशील पूंजी

Note. : During the financial year 2016-17 the concession Price of Namrup-II & Namrup-III plant was de-escalated due to reduction of Natural Gas Price in the international market. As a result of the reduction we have refunded an amount of Rs.13100.00 laklhs to FICC against excess amount received towards subsidy during the year 2016-17. In addition to this another deduction was made by FICC towards interest on excess amount paid in earlier Rs. 3269.30 lakh during 2018-19. which is totally unexpected for us and which make so many problems in

प्रबंधन में बहुत सारी समस्यों का सामना करना पड़ा। हमने अपने पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2019 और 4 जून, 2019 को उर्वरक विभाग को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जिसमें हमने आई हुई कमी के कारण अनुदान बिलो द्वारा वसूल किए गए ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया। 13 जुलाई, 2019 को निदेशक (सीई), एफआईसीसी की हालिया यात्रा से पता चला कि डी–एस्केलेशन पर ब्याज की छूट के लिए हमारा प्रतिनि2ित्व और अनुरोध रसायन और उर्वरक मंत्रालय में विचाराधीन है और उसी के लिए आदेश दिया गया है।

इसके बाद, भारत सरकार (एफआईसीसी) ने आदेश संख्या 2–2 / 2020–21/FICC/E&A दिनांक 30 मार्च 2021 के माध्यम से 2624.87 लाख रुपए जारी किए। सचिव (एफ) की अध्यक्षता में 31 मार्च, 2021 को आयोजित तीसरी तिमाही क्यूआरएम में डीओएफ को डीस्केलेशन बिल पर ब्याज के रूप में काटे गए बीवीएफसीएल को 32.69 करोड़ जारी करने का आदेश दिया गया था। इसलिए, हमारे पत्र संख्या ए / एक्सवी / एफआईसीसी / 2020–21 / 872 दिनांक 24.06.2021 के माध्यम से शेष 644.43 लाख जारी करने के लिए सचिव (एफ) को अनुरोध पत्र भेजा जा रहा है।

our working capital management. We have submitted a representation to the Department of Fertilizers vide our letter dated 29th April, 2019 and 29th June,2019 and requested for waiver of interest recovered from our subsidy bills towards de-escalation claim. It was learnt from the recent visit of Director (CE), FICC on 13th July,2019 that our representation and request for waiver of interest on de-escalation is under consideration in the Ministry of Chemicals & Fertilizers and order for the same.

Subsequently, GoI (FICC) has released Rs. 2624.87 lakh vide order No. 2-2/2020-21/FICC/ E&A dated 30th March 2021. In the 3rd qtr. QRM held on 31st March, 2021 under the chairmanship of Secy (F) DoF, it was ordered to release 32.69 cr. to BVFCL deducted towards interest on de-escalation bill. Hence, request letter is being sent to Secy. (F) to release balance 644.43 lakh vide our letter No. A/ XV/FICC/2020 - 21 / 872 dtd. 24.06.2021.

Notes forming part of the financial statements (contd.)
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी....)

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.13 : नकद और नकद समतुल्य	**NOTE 2.13 : CASH AND CASH EQUIVALENTS**		
क **नकद और नकद समतुल्य**	A **Cash and Cash Equivalent**		
हाथ में नकदी	Cash in hand	2.90	8.53
योग (क)	**Total (A)**	**2.90**	**8.53**
ख **अन्य बैंक बकाया**	B **Other Bank Balances**		
(क) चालू खातो में	(a) In Current Accounts	4,521.96	2,048.14
(ख) सावधि जमा खातो में (बारह महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले)	(b) In Term deposit accounts (Having maturity of twelve months or less)	13,047.28	340.17
(ग) बकाया धनराशि, उधार और अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए मार्जिन धनराशि या सुरक्षा के रूप में रखी गई।	(c) Balances held as margin money or security against borrowings, guarantees and other commitments	950.35	227.69
योग (ख)	**Total (B)**	**18,519.59**	**2,616.00**
योग (क+ख)	**Total (A + B)**	**18,522.49**	**2,624.53**
टिप्पणी 2.14 : अल्पावधि ऋण और अग्रिम	**NOTE 2.14 : SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES**		
असुरिक्षत, जो अच्छे माने गए	**Unsecured, considered good**		
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	Loans and advances to employees	37.58	40.77
ठेकेदारों को अग्रिम	Advance to contractors	-	50.10
उत्पाद और सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा राशि	Deposit with Excise & Govt. Authorities	228.16	326.45
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	Advance to suppliers	82.91	451.55
अन्य अग्रिम	Other Advances	3,118.92	3,791.05
आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध अग्रिम	Doubtful advances to suppliers	34.78	34.78
घाटाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(34.78)	(34.78)
पूर्वदत्त व्यय	Prepaid expenses	70.55	70.73
योग	**Total**	**3,538.12**	**4,730.65**

	विवरण		PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.15 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		NOTE 2.15 : **OTHER CURRENT ASSETS**			
	असुरक्षित, जो अच्छे माने गए		**Unsecured, considered good**		
	अन्य प्राप्य		Other Receivables	226.07	166.09
	असुरक्षित, जो संदिग्ध माने गए		**Unsecured, considered doubtful**		
	अन्य प्राप्य		Other Receivables	197.57	197.57
	घटाः संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान		Less: Provision for doubtful receivables	(197.57)	(197.57)
	जमा पर अर्जित ब्याज		Interest accrued on deposits	41.99	33.46
	योग		**Total**	**268.06**	**199.55**

अन्य प्राप्यों में लाइसेंस शुल्क आदि के देय 413.88 लाख रुपए (पिछले वर्ष 353.57 लाख रुपए) की राशि शामिल है। प्रबंधन बीएसएनएल, पुलिस विभाग के अधिकारियों, सरकार स्वास्थ्य विभाग और अन्य व्यक्तियों जैसी पार्टियों से बातचीत करके प्राप्य लाइसेंस शुल्क नियमित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। उपर्युक्त प्रक्रिया के भाग के रूप में कुछ पार्टियों से देयताएं प्राप्त हो गई हैं। इसके अलावा, चूककर्ताओं को चेतावनी पत्र भी जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, काश्तकारी अधिनियम और नियमों के तहत अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, दोषी किराएदारों के खिलाफ किराए बिल दिए गए हैं। तथापि, लेखा मानक 9 ''राजस्व मान्यता'' के आधार पर, कर्मचारियों के अलावा अन्य से बकाया लाइसेंस शुल्क आदि के लिए 197.57 लाख रुपए (पिछले वर्ष का 197.57 लाख रुपए) प्रावधान रखा गया है।

Other receivables include sundry debtors (Estate) amount Rs.413.88 lakhs (Previous year Rs. 353.57 Lakhs due against licence fee etc. The management is taking necessary initiatives to recover the licence fee receivables etc., by calling on the parties like BSNL, Police Department authorities, Govt. Health Department and other individuals. Dues from some of the parties have been received in the process. Moreover, warning letters have also been issued to the defaulters.

Further, in order to protect rights under Tenancy Act and rules, rental bills have been raised against the defaulting tenants. However on the basis of Accounting Standard 9 "Revenue Recognition", Provision has been kept against arrear licence fee etc. from other than employees Rs. 197.57 lakhs (Previous Year Rs. 197.57 lakhs).

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.16 : प्रचालनों से राजस्व	**NOTE 2.16 : REVENUE FROM OPERATIONS**		
क विनिर्मित उत्पादों की बिक्री	**A. Sale of Manufactured Products**		
यूरिया	Urea	7,285.07	8,482.01
जैविक उर्वरक	Bio Fertilizer	11.32	14.80
कृमि खाद	Vermicompost	11.26	9.09
'क' का योग	**Total of 'A'**	**7,307.65**	**8,505.90**
ख व्यापार वस्तुओं की बिकी	**B. Sale of Trading Goods**		
एमओपी की बिक्री	Sale of MOP	1,360.67	1,418.06
डीएपी की बिक्री	Sale of DAP	123.97	265.88
एसएसपी की बिक्री	Sale of SSP	1,738.50	772.74
रॉकफॉस्फेट की बिक्री	Sale of Rockphosphate	485.84	162.10
सूक्ष्म पोषक तत्वों की बिक्री	Sale of Micronutrient	73.56	-
सिटी कम्पोस्ट	City Compost	93.37	31.42
एनएफएल यूरिया की बिक्री	Sale of NFL Urea	988.05	2,284.06
'ख' का योग	**Total of 'B'**	**4,863.96**	**4,934.26**
(क+ख) का योग	**Total of (A+B)**	**12,171.61**	**13,440.16**
प्राप्त/प्राप्य राज सहायता	**Subsidy Received/Recoverable**		
क. मूल्य राज सहायता	A. Price Subsidy	8,665.99	16,759.27
ख. माल भाड़ा सहायता	B. Freight Subsidy	1,480.46	2,528.02
		10,146.45	19,287.29
प्रचालनों से राजस्व	**Revenue from Operations**	**22,318.06**	**32,727.45**
ग 10146.45 लाख रुपए (पिछले वर्ष 19287.29 लाख रूपए) की प्राप्त/प्राप्य राजसहायता को लाभ और हानि में जमा की गई है। यह सरकारी अनुदानों के लिए एएस–12 लेखन के अनुसार किया गया है।	C. Subsidy received / receivable of ₹ Rs.10146.45 lakhs (previous year Rs.19287.29 lakhs) is credited to statement of profit and loss. This is followed as per AS- 12 Accounting for Govt. Grants.		
घ उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) से अधिसूचना जारी होने तक (–) 3859.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2008.87 लाख रुपए) के बढ़े हुए प्राप्य मूल्य राजसहायता से संबंधित समायोजन की गणना भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, नीतियों, अनुदेशों और स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भूत आधार पर की गई है।	D. Pending notification from Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC), the adjustment relating to escalation / deescalation price subsidy payable / receivable amounting to Rs. (-)3859.84 lakhs (previous year ₹ Rs.2008.87 lakhs) has been accounted for on accrual basis taking into account the guidelines, policies, instructions and clarifications issued by the Govt. of India.		

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.17 : अन्य आय	**NOTE 2.17 : OTHER INCOME**		
क. ब्याज आय	A. Interest income		
i) अल्पावधि जमा राशि पर ब्याज (20.48 लाख रूपए के टीडीएस की कटौती पिछले वर्ष 45.49 लाख रूपए)	i) Interest on short term deposit (TDS deducted ₹ 20.48 lacs Previous year ₹45.49 lacs)	177.79	357.06
ii) टीडीएस पर ब्याज	ii) Interest received on TDS	-	-
iii) अन्यों पर ब्याज	iii) Interest on others	8.92	0.01
iv) बकाया देनदारी पर कर्मचारियों से वसूला गया ब्याज	iv) Interest recovered from employees against outstanding dues.	0.49	0.17
		187.20	357.24
ख. कबाड़ और शेष सामग्रियों की बिकी	B. Sale of Scrap & Salvaged materials	31.17	273.33
ग. कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क, मकान किराया, पानी के प्रभारों आदि की वसूली।	C. Recovery of Licence fee, Electricity & Water charges etc. from employees & others.	243.85	255.08
घ. विविध आय	D. Miscellaneous income	552.21	153.22
ड. परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	E. Profit on Sale of Assets	-	0.98
योग	**Total**	**1,014.43**	**1,039.85**
नोटः लाइसेंस शुल्क, बिजली और पानी प्रभारों की वसूली में लाइसेंस शुल्क, पानी और बिजली शुल्क प्रभारों की मदद से अन्य से 216.81 लाख रुपए (पिछले वर्ष 216.81 लाख रुपए) शामिल हैं।	**Note:** Recovery of licence fee,electricity & water charges includes Rs. 216.43 lakhs from others on account of licence fee, water & electricity charges (Previous year Rs. 216.81 lakh).		

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.18: उपभोग की गई सामग्री की लागत	**NOTE 2.18 : COST OF MATERIALS CONSUMED**		
प्राकृतिक गैस	**NATURAL GAS**		
प्रारंभिक स्टॉक	Opening stock	-	-
जमा: खरीद	Add: Purchases	3,948.20	7,203.07
प्रारंभिक स्टॉक और खरीद का योग	**Total of Opening Stock and Purchase**	**3,948.20**	**7,203.07**
खपत	**CONSUMPTION**		
संयंत्र–II	Plant - II	-	2,201.68
संयंत्र–III	Plant - III	3,948.20	5,001.39
खपत का योग	**Total of Consumption**	**3,948.20**	**7,203.07**
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	Consumption of Stores and Spare Parts	776.98	755.41
		776.98	**755.41**
पैकिंग सामग्रियों की खपत	Consumption of Packing Materials	469.03	566.53
		469.03	566.53
उपभोग की गई सामग्रियों की लागत का योग	**Total of Cost of Materials Consumed**	**5,194.21**	**8,525.01**
टिप्पणी 2.19 : उपकरणों की खरीद	**NOTE 2.19 : PURCHASES OF STOCK - IN - TRADE**		
सिटी कम्पोस्ट की खरीद	Purchase of City Compost	80.31	26.91
डीएपी की खरीद	Purchase of DAP	120.58	258.60
एमओपी की खरीद	Purchase of MOP	1,333.53	1,389.49
एसएसपी की खरीद	Purchase of SSP	1,709.98	752.88
रॉक फॉस्फेट की खरीद	Purchase of Rock Phosphate	463.04	154.49
एनएफएल से यूरिया की खरीद	Purchase of Urea from NFL	960.53	2,127.15
जिंक की खरीद	Purchase of Zinc	60.14	-
बोरन की खरीद	Purchase of Boron	10.02	-
योग	**Total**	**4,738.13**	**4,709.52**

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.20: तैयार वस्तुओं, चालू कार्य और व्यापार वस्तुओं की माल सूची में परिवर्तन	**NOTE 2.20 : CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS AND TRADING GOODS**		
वर्ष के अंत में माल–सूची	**Inventories at the end of the year**		
क विनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक	**A Stock of Manufactured goods**		
यूरिया*	Urea *	746.51	1,735.32
मध्यवर्तियां/अर्द्ध–तैयार वस्तुएं (अमोनिया)	Intermediaries product (Ammonia) /goods	62.99	287.56
जैव उर्वरकों का स्टॉक	Stock of Biofertilizers	12.12	0.01
कृमि खाद का स्टाक	Stock of Vermicompost	2.79	-
ट्रेडेड उत्पाद का स्टॉक (एसएसपी)	Stock of Traded Products (SSP)	3.95	-
योग	**Total**	**828.36**	**2,022.89**
वर्ष के शुरू में माल सूची :	Inventories at the beginning of the year:		
ख विनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक	**B Stock of Manufactured goods**		
यूरिया	Urea	1,735.33	1,788.38
मध्यवर्तियां/अर्द्ध–तैयार वस्तुएं (अमोनिया)	Intermediaries product/goods (Ammonia)	287.56	65.33
जैव उर्वरकों का स्टॉक	Stock of Biofertilizers	0.01	1.15
कृमि खाद का स्टॉक	Stock of Vermicompost	-	-
योग	**Total**	**2,022.90**	**1,854.86**
स्टॉक में निवल (वृद्धि) /कमी	**Net (Increase) / Decrease in stock**	**1,194.54**	**(168.03)**
*यूरिया का समापन स्टॉक 31.03.2021 को 6917.72 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष 12628.05 मीट्रिक टन)	*The Closing stock of Urea as on 31.03.2021 6917.72 MT (Previous year 12628.05 MT)		
टिप्पणी 2.21 : कर्मचारी हितलाभ व्यय	**NOTE 2.21 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE**		
वेतन और भत्ते	Salaries and wages	4,313.70	4,581.71
भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान	Contributions to Provident and other funds	485.01	512.33
स्टॉफ कल्याण व्यय	Staff welfare expenses	927.17	1,016.41
उपदान देयता के लिए प्रावधान	Provision for Gratuity Liability	-	468.79
अवकाश देयता के लिए प्रावधान	Provision for Leave Liability	254.01	758.35
योग	**Total**	**5,979.89**	**7,337.59**

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.22 : वित्तीय लागत	**NOTE 2.22 : FINANCE COST**		
ब्याज व्ययः	**Interest expense:**		
क) भारत सरकार से लिए गए असुरक्षित ऋण पर ब्याज	**a) Interest on Unsecured loan from Govt of India**		
i) सामान्य ब्याज	i) Normal Interest	-	-
ii) दंड ब्याज	ii) Penal Interest	-	-
ख) भारतीय स्टेट बैंक से असुरक्षित ऋण पर ब्याज	b) Interest on Unsecured loan from State Bank of India		
i) विशेष बैंकिंग व्यवस्था के लिए	i) For Special Banking Arrangements	-	0.27
ii) एफआईसीसी द्वारा डी–एस्केलेशन के लिए लगाया गया ब्याज	ii) Interest charged by FICC for De-escalation		-
योग	**Total**	**-**	**0.27**
टिप्पणी 2.23 : मरम्मत और अनुरक्षण	**NOTE 2.23 : REPAIRS & MAINTENANCE**		
मरम्मत और अनुरक्षण – भवन	Repairs and Maintenance - Buildings	138.36	101.88
मरम्मत और अनुरक्षण – मशीनरी	Repairs and Maintenance - Machinery	1,237.49	1,026.27
मरम्मत और अनुरक्षण – अन्य	Repairs and Maintenance - Others	78.92	70.83
योग	**Total**	**1,454.77**	**1,198.98**
टिप्पणी 2.24 : विद्युत और ईंधन	**NOTE 2.24 : POWER & FUEL**		
विद्युत और ईंधन	Power and Fuel	9,306.79	16,834.94
योग	**Total**	**9,306.79**	**16,834.94**
टिप्पणी 2.25 : मालभाड़ा और हैंडलिंग व्यय	**NOTE 2.25 : FREIGHT & HANDLING EXPENSE**		
मालभाड़ा	Freight	1,480.46	2,528.02
हैंडलिंग प्रभार	Handling charges	366.51	454.30
योग	**Total**	**1,846.97**	**2,982.32**

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.26 : अन्य व्यय	**NOTE 2.26 : Other Expenses :**		
पट्टा किराया सहित किराया	Rent including Lease Rentals	10.33	11.50
बीमा	Insurance	485.94	128.02
जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण कर और उपकर	Water & Air Pollution Control Tax & Cess	10.03	10.03
भू राजस्व	Land Revenue	21.07	21.07
दर और कर	Rates & Taxes	0.43	-
संचार व्यय	Communication Expenses	11.49	16.06
यात्रा और वाहन	Travelling and Conveyance	5.17	21.77
मुद्रण और लेखन–सामग्री	Printing and Stationeries	11.68	12.54
व्यापार संवर्धन	Business promotion	-	0.11
दान और अंशदान	Donations and Contributions	0.40	13.26
विधि और व्यावसायिक शुल्क	Legal and professional fee	13.45	12.85
वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान	Payments to Statutory auditors	2.20	2.20
फैक्ट्री के अंदर सफाई का काम	Cleaning work inside Factory	404.24	379.58
फैक्ट्री के लिए विविध व्यय	Miscellaneous Expenses for factory	138.61	155.07
सुरक्षा व्यय	Security expenses	1,421.12	1,348.07
निदेशक व्यय	Director expenses	5.24	11.01
संदिग्ध ऋणों/अग्रिम के लिए प्रावधान	Provision for doubtful Debts / Advances	1.55	6.32
भंडारो और पुर्जों के अप्रचलन के लिए प्रावधान	Provision for obsolescence of stores & Spares	-	92.92
अचल पूंजी मदों के लिए प्रावधान	Provision for unmoved capital items	265.38	-
विविध आकस्मिक श्रम बस्ती	Miscellaneous Casual labour township	176.40	164.80
विविध प्रशासन व्यय	Miscellaneous Administration expenses	359.39	398.20
ईपीएफ ट्रस्ट के नुकसान के खिलाफ भुगतान	Payment against loss of EPF Trust	300.14	-
रिटेनर्स को भुगतान	Payment to Retainers	275.68	265.15
प्रति स्थापित नियत परिसंपत्तियों के लिए बट्टे खाते में डाली गई नियत परिसंपत्तियाँ	Fixed Assets written off for replaced assets	191.33	264.33
पूर्व अवधि समायोजन	Prior period adjustment	(358.41)	(1,687.67)
योग	**Total**	**3,752.86**	**1,647.19**

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.26 : अन्य व्यय जारी...	**NOTE 2.26 : OTHER EXPENSES Contd....**		
संबंधित पार्टी प्रकटन: कंपनी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और लेखांकन मानक–18 के पैरा 10.13 के अनुसार राज्य नियंत्रित उद्यम की परिभाषा के अंतर्गत आती है।	**Related Party Disclosures**: Company is under the administrative control of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India and is within the meaning of state controlled enterprise as per para 10.13 of Accounting Standard -18.		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक:	**Key Management Personnel:**		
(1) श्री ए.के. घोष अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (*)	(1) Shri A. K. Ghosh Chairman & Managing Director (*)		
(2) श्री डी सहाय, निदेशक (उत्पादन)**	(2) Shri D. Sahai, Director (Production)**		
(3) श्री एस.सी. दास, निदेशक(वित्त) (***)	(3) Shri S.C. Das, Director (Finance) (***)		
(4) श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त) (****)	(4) Shri Sanjai Maheswari, Director (Finance) (****)		
(5) श्री आर.के. गुप्ता (कंपनी सचिव)	(5) Shri R.K. Gupta (Company Secretary)		
संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन :	**Transactions with related Parties :**	**2020 - 21**	**2019 - 20**
(1) श्री ए.के. घोष अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (*)	**(1) A. K. Ghosh Chairman & Managing Director (*)**		
क) पारिश्रमिक	a) Remuneration :		
वेतन और भत्ते	Salaries & Wages	28.37	23.92
भविष्य निधि अंशदान	Provident Fund Contribution	2.86	2.51
ख) यात्रा व्यय	b) Trevelling Allowance	2.42	5.71
ग) चिकित्सा व्यय	c) Medical Expenses	0.19	0.43
योग	**Total**	**33.84**	**32.57**
(2) श्री डी सहाय, निदेशक (उत्पादन)**	**(2) D. Sahai Director (Production) (**)**		
क) पारिश्रमिक:	a) Remuneration		
वेतन और भत्ते	Salaries & Wages	9.69	0.00
भविष्य निधि अंशदान	Provident Fund Contribution	1.27	0.00
ख) यात्रा भत्ता	b) Trevelling Allowance	0.48	0.00
ग) चिकित्सा व्यय	c) Medical Expenses	0.00	0.00
योग	**Total**	**11.44**	**0.00**
(3) श्री एस.सी. दास, निदेशक(वित्त) (***)	**(3) S.C. Das Director (Finance)(***)**		
क) पारिश्रमिक	a) Remuneration		
वेतन और भत्ते	Salaries & Wages	6.63	0.00
भविष्य निधि अंशदान	Provident Fund Contribution	0.70	0.00
ख) यात्रा व्यय	b) Travelling Allowance	1.06	0.00
ग) चिकित्सा व्यय	c) Medical Expenses	0.32	0.00
योग	**Total**	**8.71**	**0.00**
(4) श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त) (****)	**(4) Shri Sanjai Maheshwari Director (Finance) (****)**		
क) पारिश्रमिक	a) Remuneration		
वेतन और भत्ते	Salaries & Wages	6.26	24.04
भविष्य निधि अंशदान	Provident Fund Contribution	0.53	2.41
ख) यात्रा व्यय	b) Travelling Allowance	0.37	4.79
ग) चिकित्सा व्यय	c) Medical Expenses	0.08	0.00
योग	**Total**	**7.24**	**31.24**
(5) श्री आर.के. गुप्ता (कंपनी सचिव)	**(5) R.K.Gupa (Company Secretary)**		
क) पारिश्रमिक	a) Remuneration		
वेतन और भत्ते	Salaries & Wages	18.81	17.53
भविष्य निधि अंशदान	Provident Fund Contribution	1.84	1.70
ख) यात्रा व्यय	b) Travelling Allowance	0.00	2.01
ग) चिकित्सा व्यय	c) Medical Expenses	0.03	0.10
योग	**Total**	**20.68**	**21.34**

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

निम्नलिखित के संबंध में देय पारिश्रमिक के लिए देयता	Liability for remuneration payable in respect of		
(1) श्री ए.के. घोष अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	1. Shri A. K. Ghosh CMD (*)	2.53	1.81
(2) श्री डी सहाय, निदेशक (उत्पादन)**	2. Shri D. Sahai Director (Production) (**)	2.12	0
(3) श्री एस. सी. दास, निदेशक(वित्त) (***)	3. Shri S.C. Das Director (Finance) (***)	2.44	0
(4) श्री संजय माहेश्वरी, निदेशक (वित्त) (****)	4.. Shri Sanjai Maheshwari, Director (Finance) (****)	0	1.68
(5) श्री आर.के. गुप्ता (कंपनी सचिव)	5. Shri R. K. Gupta (Company Secretary)	1.75	1.10
योग	**Total**	**8.84**	**4.59**
*दिनांक 15 नवंबर, 2020 तक निदेशक (उत्पादन) के अतिरिक्त प्रभार के साथ सीएमडी के नियमित पद पर, और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2020 तक) **16.11.2020 से निदेशक (उत्पादन) के नियमित पद ***दिनांक 18.12.2020 से निदेशक (वित्त) के नियमित पद ****दिनांक 30.06.2020 तक निदेशक (वित्त) के पद पर प्रतिनियुक्ति रहें	* Holding regular post of CMD with additional charge of Director (Production) till date 15th November 2020, and additional charge of Director (Fnance) w.e.f. 01.07.2020 to 30.09.2020) ** Hold the regular post of Director (Production) w.e.f. 16.11.2020. *** Hold the regular post of Director (Finance) w.e.f. 18.12.2020. **** Hold the post of Director (Finance) on deputation till the date of 30.06.2020.		
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक :	**Audit Expenses :**		
क) सांविधिक लेखा परीक्षक	**a. Statutory Auditors**		
i) लेखा परीक्षा शुल्क	i) Audit Fee	1.80	1.80
ii) यात्रा की प्रतिपूर्ति और जेब खर्च से व्यय	ii) Reimbursement of travelling and out of pocket expenses	0.40	0.40
ख) कर लेखा परीक्षा	**b. Tax Audit**		
i) लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	i) Audit fee & Reimburshment of Other expenses	0.42	0.42
ग) आंतरिक लेखा परीक्षक	**c) Internal Auditors**		
i) लेखा परीक्षा शुल्क	i) Audit Fee	1.79	2.15
ii) यात्रा और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	ii) Reimburshment of TA & Other expenses	0.21	0.55
घ) लागत लेखा परीक्षक	**d) Cost Auditors**		
i) लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	i) Audit fee & Reimburshment of Other expenses	0.74	0.32
ड़) एफआईसीसी/टीओपी लेखा परीक्षक	**e) FICC / TOP Auditors**		
i) लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	i) Audit fee & Reimburshment of Other expenses	1.34	2.26
च) पीएफ लेखा परीक्षक	**f) PF Auditors**		
i) लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	i) Audit fee & Reimburshment of Other expenses	0.20	0.35
छ) लेखा परीक्षा शुल्क सूची/भौतिक सत्यापन लेखा परीक्षा	**g) Audit fee Inventory / Physical varification Audit**	3.40	-
ज) अन्य सेवाओं के लिए लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य खर्च	**h) Audit fee & Other expenses for other services**	0.30	0.35
योग	**Total**	**10.60**	**8.60**

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

	विवरण		PARTICULARS	31 मार्च, 2021 31 March, 2021	31 मार्च, 2020 31 March, 2020
टिप्पणी 2.26 : अन्य व्यय जारी...		NOTE 2.26 : Other Expenses contd...			
	(पूर्व अवधि के समायेाजन)		**(Prior period adjustments)**		
	वर्ष के दौरान डेबिट (-)		**DEBIT DURING THE YEAR (-)**		
	उपभोग की गई सामग्री		Material Consumed	0.05	0.20
	मालभाड़ा राजसहायता		Freight Subsidy	230.00	1.02
	विविध व्यय		Misc Expenses	2.30	14.64
	सीआईएसएफ व्यय		CISF Expenses	13.46	9.74
	लाइसेंस शुल्क, पानी और बिजली शुल्क		Licence fee, water & Electricity Charges	-	35.67
	योग		**TOTAL**	**245.81**	**61.27**
	वर्ष के दौरान क्रेडिट (+)		**CREDIT DURING THE YEAR (+)**		
	प्रावधान को अब वापस लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है		Provision no longer required written back	-	36.62
	एसबीए पर ब्याज		Interest on SBA	-	1.50
	राजसहायता		Subsidy	604.22	1,710.82
	योग		**Total**	**604.22**	**1,748.94**
	निवल डेबिट/क्रेडिट/ (+)/(-)		**NET DEBIT/CREDIT / (+)/(-)**	**(358.41)**	**(1,687.67)**

(रुपए लाखों में)
(₹ In lacs)

	विवरण		PARTICULARS	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021 year ended 31 March, 2021	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2020 year ended 31 March, 2020
टिप्पणी 2.28 : प्रति शेयर आय		NOTE 2.28 : EARNINGS PER SHARE			
क)	वर्ष के शुरू में इक्विटी शेयरों की संख्या	a)	Number of Equity Shares at the beginning of the year	36,58,324	36,58,324
	वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या		Number of Equity Shares at the end of the year	36,58,324	36,58,324
	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		Weighted average number of Equity Shares outstanding during the year	36,58,324	36,58,324
	प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य		Face Value of each Equity Share	1,000	1,000
ख)	इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (पूर्व अवधि के समायोजन के बाद लेकिन असाधारण मदों से पहले) (₹ लाख में)	b)	Net Profit for the year attributable to Equity Share Holders (after Prior Period Adjustments but before Exceptional items) (₹ in lacs)	(13,775.24)	(12,970.10)
	इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (पूर्व अवधि के समायोजन और असाधारण मदों के बाद) (₹ लाख में)		Net Profit for the year attributable to Equity Share Holders (after Prior Period Adjustments and Exceptional items) (₹ in lacs)	(13,775.24)	(12,970.10)
ग)	असाधारण मदों से पूर्व कर के बाद लाभ पर प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (रुपए/शेयर)	c)	Basic and Diluted earning per share on profit after tax before Exceptional items (₹/share)	(376.55)	(354.54)
घ)	"कर के असाधारण मदों (रुपए/शेयर) के बाद लाभ पर प्रति शेयर मूल और मिश्रित कमाई	d)	Basic and Diluted earning per share on profit after tax and Exceptional items (₹/share)	(376.55)	(354.54)
टिप्पणी 2.28 : आकस्मिक देयता		NOTE 2.28 : EARNINGS PER SHARE		**2020 - 21**	**2019 - 20**
क)	कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हे ऋण नहीं माना गया है :	a)	Claims against the Company not acknowledged as debts:		
i)	मुकदमे बाजी और अन्य प्रतिबद्धताएँ	i)	Litigation and Other Commitments	99.97	99.97
ii)	सीएसटी,एंट्री कर तथा वैट के खिलाफ कर देनदारियाँ	ii)	Tax Liabilities against 'CST',& Entry Tax	622.06	626.29
iii)	एईआरसी विनियम 2010 (आरईसी प्रमाणपत्रों के अनुसार जून, 2020 आरईसी व्यापार दर को अद्यतन किया गया था, भारतीय ऊर्जा विनिमय वेबसाइट के अनुसार)	iii)	AERC Regulation 2010 (as per traded rate of REC Certificates was updated on June – 2020 as per Indian Energy Exchange Website)	666.92	835.00
	कुल		**TOTAL**	**1388.95**	**1561.26**
ख)	पूँजी खाते पर निष्पादित अनुबंधों की अनुमानित राशि	b)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital Account	0	0

टिप्पणी 2.29 : सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी मुख्य रूप से यूरिया का उत्पादन और बिक्री करती है ओर इसलिए यह एक एकल व्यवसाय खंड है। इसके आलावा, कंपनी भारत में एकल आर्थिक माहौल में अपने उत्पादों को उपलब्ध कराती है और उनकी बिक्री करती है अर्थात यह एक भौगोलिक खंड है। अतः आगे और कोई खुलासा नहीं किया गया है।

NOTE 2.29 : SEGMENT REPORTING

The Company manufactures and deals primarily in urea and as such there is a single business segment. Further, the company is engaged in providing and selling its products in single economic environment in India i.e. there is a single geographical segment. Hence, no further disclosures are made.

टिप्पणी संख्या 2.30 : वर्ष 2020–21 के लिए अतिरिक्त सूचना

आयात का मूल्य, विदेशी मुद्रा में व्यय भंडार और अतिरिक्त पुर्जो की खपत, तथा अन्य संबन्धित विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	31.3.2021 को यथास्थिति	31.3.2020 को यथास्थिति
(1)	**सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :**		
	(क) कच्ची सामग्रियां	-	-
	(ख) पूंजीगत वस्तुएं	21.73	47.71
	(ग) उपकरण ओर अतिरिक्त पुर्जे	-	-
(2)	**विदेशी मुद्रा में व्यय :**		
	(क) उत्पादों की खरीद	-	-
	(ख) तकनीकी जानकारी	-	-
	(ग) व्यावसायिक परामर्श शुल्क	-	-
	(घ) अन्य सामग्री (यात्रा)	-	-

(3) उपभोग किए गए रसायन और उत्प्रेरत्कों सहित कच्ची सामग्रियों, भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जो का मूल्य :

(रुपए लाखों में)

		31.03.2021 को समाप्त अवधि	%	31.03.2020 को समाप्त अवधि	%
	(क) आयातित	292.42	5.19%	758.53	8.90%
	(ख) स्वदेशी	5345.51	94.81%	7766.48	91.10%
	योग	**5637.93**	**100.00%**	**8525.01**	**100.00%**
(4)	**विदेशी मुद्रा में आय**	-		-	
(5)	**अनुसंधान एवं विकास**				
	(क) राजस्व व्यय	-		-	
	(ख) पूंजीगत व्यय	-		-	

NOTE 2.30 : ADDITIONAL INFORMATION FOR THE YEAR 2020-21

Additional information in regard to value of Imports, Expenditure in Foreign Currency, Stores & Spares consumption, and other related details are furnished as under:

(₹ in lacs)

Sl No.	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
(1)	**Value of Imports calculated on CIF basis :**		
	(a) Raw Materials	-	-
	(b) Capital Goods	21.73	47.71
	(c) Components & Spare Parts	-	-
(2)	**Expenditure in Foreign Currency :**		
	(a) Purchase of Products	-	-
	(b) Know-how	-	-
	(c) Professional Consultancy Fees	-	-
	(d) Other Materials (Travelling)	-	-

(3) Value of Raw Materials, Stores & Spare Parts and Components including Chemicals & Catalysts consumed :

(₹ in lacs)

		As on 31.03.2021	%	As on 31.03.2020	%
	(a) Imported	292.42	5.19%	758.53	8.90%
	(b) Indigenous	5345.51	94.81%	7766.48	91.10%
	Total	**5637.93**	**100.00%**	**8525.01**	**100.00%**
(4)	**Earning in Foreign Currency (₹ In Lacs)**	-		-	
(5)	**Research & Development (₹ In Lacs)**				
	(a) Revenue Expenditure	-		-	
	(b) Capital Expenditure	-		-	

टिप्पणी 2.31ः पूर्व वर्षों से तुलना

क. आकड़ों को निकटतम लाख रूपए तक पूर्णांकित किया गया है सिवाय उसके जहां अन्यथा ऐसा उल्लेख किया हो।

ख. पिछले वर्ष के आंकड़ों को कोष्ठक में दर्शाया गया है जब तक की अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। पिछले वर्ष आंकडों को जहां भी आवश्यक था, पुनः वर्गीकृत, पुनः व्यवस्थित और पुनः वर्गीकृत किया गया हैं।

NOTE 2.31 : PREVIOUS YEARS COMPARISON

a) Figures have been rounded off to the nearest lacs of rupees except where otherwise stated.

b) Previous year's figures have been shown in brackets unless otherwise stated. Previous year's figures have been regrouped, rearranged and reclassified, wherever necessary.

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of the Board

ह./–	ह./–	ह./–
आर.के. गुप्ता	**एस सी दास**	**ए के घोष**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन : 08988297	डीआईएन : 08222413
Sd/-	Sd/-	Sd/-
R.K.Gupta	**S.C. Das**	**A. K. Ghosh**
Company Secretary	Director (Finance)	Chairman & Managing Director
	DIN : 08988297	DIN : 08222413

समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date annexed
कृते पारिक एंड कंपनी
For Parik & Co.

Place : Namrup
स्थान : नामरूप

Date : 27/09/2021
दिनांक : 27/09/2021

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
Chartered Accountants

ह./–
सीए बिपिन कुमार
भागीदार

Sd/-
CA Bipin Kumar
Partner

आईसीएआई सदस्यता सं. 059805
ICAI Membership No. 059805

फर्म पंजी. सं. : 302147 ई
Firm Regn. No : 302147E

सीएण्डएजी एमपैलनमैंट सं. ईआर 0855
C&AG Empanelment No. ER 0855

यूडीआईएन : 21059805AAAAFP6605
UDIN : 21059805AAAAFP6605

Place : Guwahati
स्थान : गुवाहाटी

Date : 27/09/2021
दिनांक : 27/09/2021

ब्रह्मपुत्र वैली कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नामरूप
BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED
निष्पादन एक नज़र में
PERFORMANCE AT A GLANCE

(रुपए लाखों में / Rs. in Lakhs)

क्र. सं	विवरण Particulars	2020 - 21	2019 - 20	2018 - 19	2017-18	2016 - 17	2015-16	2014-15	2013 -14	2012-13	2011-12	2010-11	2009 -10	2008 - 09	2007 -08
1	बिक्री SALES	12172	13440	16059	17801	17278	17760	21039	18421	29026	23135	17589	17762	11245	15994
2	राज सहायता Subsidy	10146	19287	30025	20315	27284	44894	38712	27375	27803	17449	22504	8416	3827	9381
3	कुल कारोबार (1+2) TOTAL Turn Over (1+2)	22318	32727	46084	38116	44562	62654	59751	45796	56829	40584	40093	26178	15072	25375
4	अन्य आय Other income	1014	1040	1600	4199	1712	2019	1436	2641	2907	2357	1309	1529	1396	946
5	स्टॉक : वृद्धि (+) कमी (-) Stock: accretion(+)decretion(-)	-1194	168	-72	-861	1990	319	-582	-11	623	248	-158	-128	-494	-228
6	कुल आय TOTAL INCOME	22138	33935	47612	41454	48264	64992	60605	48426	60359	43189	41244	27579	15974	26093
7	कच्ची सामग्री (फीड स्टॉक) पैकिंग सामग्री आदि Raw materials (Feed Stock) packing materials etc.	5194	8525	11691	9326	10758	14239	14845	11419	12106	8321	8005	5382	4841	5767
8	वेतन व भत्ते Salaries & Allowances	5980	7338	8112	6110	6212	7439	5950	5955	6421	5010	4504	4156	4109	3868
9	मरम्मत व अनुरक्षण Repairs & Maintenance	1455	1199	1167	1282	1052	1036	980	1262	761	1200	767	1045	1230	1245
10	विद्युत व ईंधन Power & Fuel	9307	16835	20280	15857	17353	25123	26366	20050	20937	16185	17011	9734	8418	9551
11	अन्य विनिर्माण व्यय Other Manufacturing Expences	10337	9338	9026	7496	8568	10693	11071	9041	8593	8613	7154	5772	7452	4975
12	कुल व्यय TOTAL EXPENDITURE	32273	43235	50276	40071	43943	58530	59212	47727	48818	39329	37441	26089	26050	25406
13	सकल मार्जिन (6-12) Gross margin (6-12)	-10135	-9300	-2664	1383	4321	6462	1393	699	11541	3860	3803	1490	-10076	687
14	ब्याज व वित्तीय प्रभार Interest & Financial charges	0	0	2	0	10	0	9110	9091	9079	8112	7446	6361	7951	7185
15	मूल्यह्रास Depreciation	3640	3670	3649	3632	3561	3612	3494	4548	4433	4364	4099	4071	3845	3951
16	पूर्वावधि समायोजन [डेबिट(+)/ क्रेडिट (-)] Prior Period Adjustment [Debit (+)/ Credit (-)]	0	0	0	0	0	0	1507	2889	1293	4265	767	-2689	-369	135
17	कर पूर्व लाभ Profit before taxation	-13775	-12970	-6315	-2249	750	2850	-12718	-15829	-3264	-12881	-8509	-6253	-21503	-10584
18	कर हेतु प्रावधान Provision for taxation	0	0	0	132	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0
19	असाधारण मदें Exceptional items	0	0	0	2196	0	0	77462	0	0	0	0	3467	0	0
20	निवल लाभ/हानि NET PROFIT/LOSS	-13775	-12970	-6315	79	750	2850	64612	-15829	-3264	-12881	-8509	-2786	-21503	-10584

21	निवेश से और स्थानांतरित रिजर्व भत्ते Transfer to and from invesment लाभांश हेतु प्रावधान Allowance Reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	प्रस्तावित लाभांश पर निगमित कर Provision for dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	प्रस्तावित लाभांश पर कार्पोरेट कर Corporate tax on propose dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	सकल खंड Gross Block	114058	113050	112583	112252	110853	111178	110914	108737	106547	107425	102454	101591	97819	97745
25	घटाएं : संचयी मूल्यह्रास Less :Cumulative Depreciation	91999	88439	84850	81200	77609	75651	72067	69454	65296	62159	57794	53678	48879	45034
26	घटाएं : हानि के लिए प्रावधान Less :Provision for Impairement	0	0	0	0	0	543	113	113	113	113	113	1821	2142	0
27	निवल खंड Net block	22059	24611	27733	31052	33244	34984	38734	39170	41138	45153	44547	46092	46798	52711
28	चल रहे पूंजीगत कार्य Capital work in progress	1359	1677	1101	1143	1456	3130	3644	6437	4838	3455	2984	3750	2917	2807
29	निपटान के लिए धारित परिसम्पत्तियां Assets Held for Disposal	0	0	0	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	वर्तमान परिसंपत्तिया Current assets	26052	40075	46261	46483	48686	49504	48793	41314	51052	38073	34894	26088	15875	20321
31	वर्तमान देनदारियां व प्रावधान Current Liabilities & Provision	17323	20441	16203	13471	16776	20911	27313	22108	25465	21657	20890	18204	13849	11658
32	निवेश Invesments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	विविध व्यय (बट्टे खाते में या समायोजित न की गई सीमा तक) Misc. expenditure (to the extent not written off or adjusted)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	117	161	0	0
34	संचयी हानि Accumulated Losses	61711	47936	34966	28651	28729	29479	32328	96940	81111	77848	64966	56457	53671	32168
35	कुल उपयोग Total Utilisation	93858	93858	93858	93858	96186	96186	96186	161753	152674	143127	126618	114344	105412	96349
36	कार्यशील पूंजी (30 - 31) WORKING CAPITAL (30 - 31)	8729	19634	30058	33012	31910	28593	21480	19206	25587	16416	14004	7884	2026	8663
37	दीर्घावधि उधार Long Term Borrowings	57275	57275	57275	57275	57275	57275	57275	125170	116091	106544	90035	77610	68684	59687
38	अल्पावधि उधार Short Term Borrowings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	145	79
39	शेयर पूंजी Share Capital	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583	36583
40	आस्थगित कर देनदारी Deferred Tax Liability	0	0	0	0	132	132	132	0	0	0	0	0		0

41	रिजर्व व अधिशेष Reserve & Surplus	0	0	0	0	2196	2196	2196	0	0	0	0	0		0
42	कुल स्रोत Total Sources	93858	93858	93858	93858	96186	96186	96186	161753	152674	143127	126618	114344	105412	96349
43	निवल मूल्य (39+41-34) NET WORTH (39+41-34)	-25128	-11353	1617	7932	10050	9300	6451	-60357	-44528	-41265	-28383	-19874	-17088	4415
44	निवेशित पूंजी (27+36) Capital Employed (27+36)	30788	44245	57791	64064	65154	63577	60214	58376	66725	61569	58551	53976	48824	61374
45	तैयार वस्तुएं Finished Goods	762	1735	1790	1750	2434	658	383	994	1013	299	82	278	279	926
46	चल रहे कार्य Work Progress	63	288	65	177	353	140	95	66	58	148	50	79	153	53
47	व्यापार संबंधी वस्तुएं Trading Goods	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	1	54	0
48	भंडार व पुर्जे आदि Stores & Spares etc.	2043	1770	3103	3052	3270	3498	3578	3337	4350	3271	3452	3614	3244	3023
49	विविध देनदार Sundry Debtors	852	28760	26878	8740	27561	42200	38831	22223	19941	10758	13458	5664	1911	3659
50	नकदी व बैंक शेष Cash & Bank Balance	18522	2625	11074	30678	13819	1734	4821	13876	24944	23106	16833	15489	9352	11765
51	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां Other Current Assets	268	167	328	708	211	150	444	322	339	278	355	390	515	581
52	ऋण व अग्रिम Loans & Advances	3538	4731	3023	1378	1038	1124	641	496	407	213	596	573	367	314
53	कुल (45 to 52) Total (45 to 52)	26052	40076	46261	46483	48686	49504	48793	41314	51052	38073	34894	26088	15875	20321
54	घटाएं : वर्तमान देनदारियां Less: Current Liabilities	12968	14213	10457	9465	12343	16092	22501	17102	20934	17499	17032	15261	10152	8147
55	प्रावधान Provisions	4355	6229	5746	4006	4433	4819	4812	5006	4531	4158	3858	2943	3697	3511
56	कुल (54+55) Total (54+55)	17323	20442	16203	13471	16776	20911	27313	22108	25465	21657	20890	18204	13849	11658
57	निवल कार्यशील पूंजी(53 - 56) NET WORKING CAPITA(53 - 56)	8729	19634	30058	33012	31910	28593	21480	19206	25587	16416	14004	7884	2026	8663
58	सकल आंतरिक संसाधन (15+20) Gross Internal Resources (15+20)	-10135	-9300	-2666	3711	4311	6462	68106	-11281	1169	-8517	-4410	1285	-17658	-6633
59	संचयी सकल आंतरिक संसाधन (25-33) Cumulative Gross Internal Resources(25-34)	30288	40503	49884	52549	48880	46172	39739	-27486	-15815	-15691	-7172	-2779	-4792	12866
60	कुल युरिया (मी. टन) स्थापित क्षमता (एन) Total Urea (MT) Install Capacity (N)	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000
61	कुल यूरिया (मी. टन) उत्पादन (एन) Total Urea (MT) Production (N)	131880	155992	286315	269586	310605	322645	359003	306071	390693	278889	285143	309577	190528	329977
62	क्षमता उपयोग (%) यूरिया Capacity Utilisation (%) UREA	25.86	30.59	56.14	52.86	60.90	63.26	70.39	60.01	76.61	54.68	55.91	60.70	37.36	64.70
63	कुल यूरिया बिक्री मात्रा (मी. टन) Total Urea Sales Quantity (MT)	137569	160186	286435	269972	297641	320606	364704	306703	383354	276449	288303	308812	200067	333473

पूर्वोत्तर राज्यों में एनपीके उर्वरक के विपणन के लिए बीवीएफसीएल ने एचआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
MOU signed by BVFCL with HIL to market NPK Fertilizer in NE States

श्री एस.पी.मोहंती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री डी.सहाय, निदेशक (उत्पादन), श्री एस सी दास, निदेशक (वित्त), बीवीएफसीएल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले डीलरों को सम्मानित करते हुए।
Shri S.P. Mohanty, CMD, Shri D. Sahai, DP, Shri S.C.Das, DF, BVFCL honouring best performing Dealers on 73rd Republic Day

डिब्रूगढ़ में हुए डीलर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दृश्य।
Scenes of Dealers Training Programme held in Dibrugarh

कृषि के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बार में किसानों को जानकारी देते हुए।
Sharing information to farmers for balance use of fertilizers for Agriculture

बी वी एफ सी
BVFC

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड

BRAHMAPUTRA VALLEY FERTILIZER CORPORATION LIMITED

Design & Printed at **Viba Press Pvt. Ltd.,** 9810049515